दसम माला, खंड 19, अंक 13

गुरुवार, 11 मार्च, 1993
20 फाल्गुन; 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

AMENT ARY
64
Date 9/2/94

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 11 मार्च, 1993 / 20 फाल्गुन, 1914 (शक)

का

शुद्धि -

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (ii)	16	"प्रो. (डा.) एस.पी. यादव" के स्थान पर "डा. एस. पी. यादव" पढ़िए।
27	20	"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िए।
32	16	"श्री संजय लाल" के स्थान पर "श्री मंजय लाल" पढ़िए।
36	14	"प्रो. रीता वम" के स्थान पर "प्रो.(श्रीमती) रीता वर्मा" पढ़िए।
41	9	"(ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िए।
	10	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िए।
60	1	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िए।
66	3	"(ग) और (ख)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िए।
85	नीचे से 9	शीर्षक में "राम निरोधन" के स्थान पर "रोग निरोधन" पढ़िए।
111	2	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िए।
118	17	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िए।
129	7	शीर्षक में तथा नीचे से पंक्ति 2 में "सेवा" के स्थान पर "सेरा" पढ़िए।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
146	6	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िए।
	9	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िए।
176	15	शीर्षक में "क्षयरोग" से पूर्व "राष्ट्रीय" पढ़िए।
176	नीचे से 3	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िए।
	नीचे से 11	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िए।
178	11	"(ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िए।
266	नीचे से 13	"श्री एन॰पी॰के॰साल्वे" के स्थान पर "श्री एन॰के॰पी॰ साल्वे" पढ़िए।
276	नीचे से 2	"11 फाल्गुन" के स्थान पर "2। फाल्गुन" पढ़िए।

विषय-सूची

वशम माला, खण्ड 19, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 13, गुरुवार, 11 मार्च, 1993/20 फाल्गुन, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 221 से225	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—220
तारांकित प्रश्न संख्या : 226 से 240	19—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2252 से 2467	33—184
सभा पटल पर रखे गए पत्र	220
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सोलहवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत	220—221
प्राक्कलन समिति तेइसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	221
नियम 377 के अधीन मामले	221—225
(एक) मुंबई में उपनगरीय रेल प्रणाली में सुधार करने के लिए बी०यू० टी०पी० (II) परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता श्री अनंतराव देशमुख	221
(दो) श्रमिकों के महंगाई भत्ते, परिवार पेंशन आदि के बारे में 3 जुलाई, 1992 को त्रिपक्षीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की आवश्यकता श्री भेरूलाल मीणा	222

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने वाली प्रस्तावित खामगांव-जालना रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता	
श्री अंकुशराव टोपे	223
(चार) झांसी, उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र शीघ्र चालू करने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	223
(पांच) संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर में केन्द्र बनाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	223
(छह) सूखा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवशरण सिंह	224
(सात) उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि टाटा उर्वरक कारखाना द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, उन्हें उपयुक्त मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता	
प्रो० (डा०) एस०पी० यादव	224
(आठ) दुबई तथा खाड़ी के अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में पासपोर्ट नवीकरण की सुविधा जारी रखने की आवश्यकता	
श्री वी०एस० विजयराघवन	225
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	**225 से 258**
श्री अन्ना जोशी	225
डा० वसंत पंवार	229
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	231
श्री पी०सी० थामस	233
श्री ई० अहमद	234
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	236
श्री मुही राम सैकिया	237
श्री पी०वी० नरसिंह राव	240

विषय पृष्ठ

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश को निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प 258 से 276

और

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री नीतीश कुमार 258

श्री एन०के०पी० साल्वे 265

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 268

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 272

लोक सभा

गुरुवार, 11 मार्च, 1993/20 फाल्गुन 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

221. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार और कर्नाटक में खनन के लिए कितने पट्टे दिए गए;

(ख) क्या इसके लिए स्वीकृति हेतु कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन आवेदन-पत्रों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

(क) खनन पट्टे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं । कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा निम्नलिखित पट्टे मंजूर किए गए हैं :—

1990-91	18
1991-92	25
1992-93	फरवरी, 93 तक 24

इसके अलावा 60 आवेदन-पत्र बकाया हैं । बिहार सरकार ने सूचना दी है कि उनके द्वारा निम्नलिखित पट्टे मंजूर किए गए हैं :—

1990-91	8
1991-92	5
1992-93	8

इसके अलावा, चौदह आवेदन-पत्र बकाया हैं ।

(ख) से (घ) कानून के अनुसार खनन आवेदन-पत्र राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए

जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। अतः इन आवेदन-पत्रों के बारे में उनसे वर्तमान स्थिति प्राप्त की जा रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जब यह प्रश्न हमने दिया था तब की और आज की परिस्थिति में बहुत फर्क हुआ है और इसलिए मैं मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछूंगा, वह मूलतः जो नई नीति का इन्होंने अभी एलान किया है, उसी के साथ जुड़ा होगा, चूंकि माइनिंग लीज से वह सम्बन्धित है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने अभी जो नई नीति का एलान किया है, उसमें आखिरी वाक्य आपका यह है—

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज नीति की सफलता मुख्यतया इसके उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय सहमति पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

तो क्या आपका यह मानना है कि देश की पूरी खनिज सम्पत्ति अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक यानि शत-प्रतिशत उनके हाथों में देकर क्या राष्ट्र की उन्नति करने का काम आपसे हो पायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, गत वर्ष भारत सरकार ने अपनी इण्डस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन किए हैं और वह परिवर्तन इसलिए किए हैं ताकि वक्त के हिसाब से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। उसी इण्डस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी के अनुरूप हमको खान मंत्रालय की एक्टीविटीज को ले जाना है, इसलिए यह माइनिंग पॉलिसी लाने की आवश्यकता हुई। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और सम्भवतः वह हमारी बात से सहमत होंगे कि आज देश के ये हालात नहीं हैं कि हम और पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स बनाकर माइनिंग की एक्टीविटीज को देश के अन्दर बढ़ा सकें।

बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं और मैटल्स ऐसे हैं कि जो हमें अपने देश की आवश्यकता के लिए, घरेलू आवश्यकता के लिए इम्पोर्ट करने पड़ते हैं और उसमें फॉरेन एक्सचेंज जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमैण्ट और फॉरेन टैक्नोलोजी, जो लेटेस्ट टैक्नोलोजी है, को अपने देश के अन्दर आमंत्रित करें ताकि जो बहुत से मैटल्स ऐसे हैं, जिनमें हम डैफिसिट हैं, हमारा देश डैफिसिट है, उनकी हम प्रतिपूर्ति कर सकें और अगर हम कुछ अच्छा करके ले जाते हैं तो हम उससे फॉरेन एक्सचेंज भी अपने देश के लिए बचा सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मंत्री महोदय की न राय से, न विचारों से मैं सहमत हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो इण्डस्ट्रियल पॉलिसी रैजोल्यूशन, 1956 का इसी सदन से पास किया हुआ रैजोल्यूशन है, उसको न बदलते हुए आज देश की दौलत को विदेशियों के हाथों में देने का अधिकार सरकार को कहां से मिला है, हम मंत्री जी से इसका जवाब चाहते हैं ? इसके साथ ही साथ यह भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बिहार और कर्नाटक का मामला यहां पर उठा है, क्या यह सही नहीं है कि बिहार में जंगल के लाइसेंस को अपने हाथों में लेकर कोल इण्डिया और टाटा, दोनों उस जंगल में गैरकानूनी ढंग से आज पूरी खनिजसम्पत्ति को निकालने का और बिहार को उससे जो रायल्टी मिलनी चाहिए, वह रायल्टी न देने का काम नहीं कर रहे हैं ? आपने कहा है कि राज्य

सरकारों का मामला है लेकिन असल में मंत्री जी को इस बात की जानकारी निश्चित होनी चाहिए कि माइनिंग का सारा जो मामला है, जो कानून है, वह भारत सरकार का है। इसके ऊपर जो दायित्व है, वह भी भारत सरकार का है तो क्या उस दायित्व को निभाने का काम और बिहार को उसकी रायल्टी को पूरी तरह से पिछले सालों की जो भर देना जरूरी है, वह देने का काम आप करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, माननीय सदस्य से मैं सहमत नहीं हूं कि माइनर का पूरा भार, इसकी लीजेज का और सब का केन्द्रीय सरकार पर ही है। एम०एम०आर०डी० एक्ट के तहत जो मिनरल्स हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है। मान्यवर, जो माइनर मिनरल्स हैं वह पूर्णतया स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो मेजर मिनरल्स हैं, उनकी लीज इत्यादि जो भी है वह स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। सिर्फ ऐसे मेजर मिनरल्स में जो शेड्यूल मिनरल्स हैं, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के लिए आते हैं।

जहां तक भारत सरकार के दायित्व का सवाल है भारत सरकार सजग है, जागरूक है और हम अपने दायित्व का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा है कि 1956 का जो इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रेजोल्यूशन है जब तक वह इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रेजोल्यूशन यह सदन नहीं बदलता है अब कौन-सा अधिकार यह नयी नीति को यहां पर लाने का आता है कि उस नीति में शेड्यूल ए में पूरा माइनिंग का इन्तजाम है आप बाहर किसी को भी यह दे नहीं सकते।

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, अभी सरकार ने जो इंडस्ट्रीयल और स्टेट पॉलिसी में परिवर्तन लाए हैं उसके अनुरूप हम इसको यहां पर लाए हैं।

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो मार्बल की खानें निकलती हैं उनको एक तरफ यह कहा जाता है कि जंगल में किसी को जंगल में किसी को खनन नहीं करने दिया जाता। उसी प्रकार आदिवासियों को कहते हैं कि जंगल कटाई के लिए मना करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को, पैसे वालों को पट्टा दे दिया जाता है और आदिवासियों की खाते की जमीन के अन्दर उनको पट्टा दे दिया जाता है और वहां से मार्बल निकालते हैं और उनके मकानों के ऊपर जो ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि मवेशियों के लिए उनके आदिवासियों के मकानों का नुकसान होता है। जब हम विभाग से कहते हैं तो विभाग कहता है कि यह हम नहीं जानते। आप पुलिस में कहो और मैं स्वयं विभाग के पास गया, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ आदिवासियों के लिए कहते हैं कि तुमको जंगल में नहीं जाना चाहिए और दूसरी तरफ पैसे वालों को इस प्रकार का परमिट देकर आदिवासियों को परेशान करते हैं। मैं चाहूंगा कि जिनके मकानों का नुकसान होता है, उनके खाते की जमीन के अन्दर पट्टा नहीं देना चाहिए जिससे उन आदिवासियों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत से आदिवासी अच्छा काम करना चाहते हैं, और वे खनन करना चाहते हैं, उन्होंने पट्टे के लिए आवेदन किया लेकिन उनको पट्टा नहीं दे करके परेशानी में डाल दिया और उनको अपील में जाना पड़ा। इस प्रकार का ऐसा अन्याय आदिवासियों के साथ नहीं होना चाहिए और आदिवासियों की जमीन के ऊपर जबरदस्ती पट्टा नहीं देना चाहिए।

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, यह विषय राज्य सरकार से संबंधित है क्योंकि मार्बल माइनर मिनरल में आता है, फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं और अगर वे चाहते हैं तो मुझे लिख कर दे दें मैं राज्य सरकार को उनके जो सुझाव हैं यहां से उसको अग्रसारित कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, विवरण में यह दर्शाया गया है कि बिहार से प्राप्त 74 आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु लम्बित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि लीज को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया क्या है ?

साथ ही कई ऐसे 'मिनरल कारपोरेशन बोर्ड' हैं जिन्होंने भी बिहार के दक्षिणी भाग, जहां बड़े पैमाने पर खनन कार्य होता है, के कोयला क्षेत्रों में स्थित खानों के पट्टे के लिए आवेदन किया है। वहां ग्रेफाइट कौर ग्रेनाइट मौजूद है और जिनका अभी तक किसी प्राधिकरण, कारपोरेशन या कम्पनी ने लाभ नहीं उठाया है।

अत: मैं यह सुझाव दूंगा कि इन सभी ग्रेफाइट और ग्रेनाइटों को निजी व्यक्तियों को पट्टों पर दे देना चाहिए।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, माननीय सदस्य ने मेरे ख्याल से हमारा जो जवाब है उसको नहीं देखा है। बिहार के अन्दर जो मामले पेंडिग हैं वह 74 नहीं बल्कि हमको जो बिहार गवर्नमेंट से इनफोरमेशन मिली है वह सिर्फ 14 है और यह मामला बिहार गवर्नमेंट में पेंडिग है केन्द्र सरकार में नहीं है। बाकी आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर मैं विचार करूंगा।

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई : माननीय मंत्री महोदय ने श्री जार्ज फर्नान्डीज के मूल प्रश्न के उत्तर में मुख्य खनिजों का उल्लेख किया है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की अनुसूची में मुख्य खनिज सामारिक महत्त्व के नहीं हैं।

राज्य सरकार इन खनिजों का पट्टा देने में सक्षम है। लेकिन मंत्री महोदय ने सही उत्तर नहीं दिया है या नौकरशाहों ने उन्हें गलत जानकारी दी है। महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए राज्य सरकार द्वारा संतुष्टि के बाद उसे भारत सरकार को भेज दिया जाता है। अन्यथा उसे मंजूरी नहीं मिल सकती। अत: इस आधार पर मैं माननीय मंत्री महोदय से, जो वस्तु स्थिति उन्होंने अपने उत्तर में रखी है, उस विषय में जानना चाहूंगा। श्री मुमताज अंसारी द्वारा कोयला खानों के विषय में एक प्रश्न पूछा गया था। यह कोयला विभाग से संबंधित है। छोटे और गैर महत्त्वपूर्ण खनिजों की ग्रेफाइट और क्वाटर्ज किस्मों की तरह बिना कोयला मंत्रालय की स्वीकृति के अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस नीति की घोषणा के पहले की वास्तविक स्थिति जानना चाहूंगा और भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकृति देने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जो माइनर मिनरल्स हैं, उनको लीज देने का पूरा अधिकार राज्य सरकारों का होता है और जो मेजर मिनरल्स हैं उनसे कुछ शेड्यूल्ड मिनरल्स होते हैं, जैसा कि बताया गया है। ···(व्यवधान)···

आयरन ओर क्या होता है लेकिन कोल का हमारे यहां से नहीं होता है वह मिनिस्ट्री ऑफ कोल करता है। तो जो शेड्यूल्ड मिनरल्स हैं उनको लीज स्टेट गवर्नमेंट देती है लेकिन उसका प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता हैं और जो मेजर मिनरल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर से उनको लीज देती है।

[अनुवाद]

श्री बी० धनंजय कुमार : महोदय, कर्नाटक में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बंगरप्पा को इस आरोप के कारण अपना पद त्यागना पड़ा क्योंकि उन्होंने हजारों एकड़ की सरकारी जमीन को ग्रेनाइट की खदानों को पट्टे पर दे दिया था और सरकार को इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। निजी पार्टियां इससे करोड़ों रुपये कमा रहीं थीं। दूसरी तरफ हमारे पास कर्नाटक में बेहतरीन सोने की खान है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। सरकार सोने की खानों को बंद करने पर विचार कर रही है। भारत 'गोल्ड माइन्स लिमिटेड' बंद होने के कगार पर है। सरकार कोलार में स्वर्ण खनन के कार्य को जारी रखने में रुचि नहीं रखती है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार इस विषय में स्पष्ट नीति अपनायेगी जिससे जब भी खनिजों का खदान कराना पड़े कम से कम मुख्य खनिजों की अनुमति दी जाए। इसके लाभ का एक बड़ा भाग राज्य कोष को प्राप्त होता है। मैं इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि भारत सरकार बीजीएमएल को क्लोज-डाउन कर रही है और भारत सरकार उसको रिवाइव करने के लिए या उसको चलाने के लिए सीरियल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार की पूरी सहानुभूति वहां पर जो हजारों वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके प्रति है। लेकिन जो समस्या है, वह यह है कि भारत गोल्ड माइंस कई वर्षों से घाटे में चल रहा है और आज स्थिति यह है कि मार्केट में सोने की कीमत 4000 रुपए प्रति 10 ग्राम है और यहां से 8000 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से उत्पादन हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस मामले को काफी गंभीरता से टेकअप किया गया है और कोई चारा नहीं है कि हम इन हालात में इस माइन को चालू रख सकें। इसलिए इस मामले को बी०आई० एफ०आर० को रैफर किया गया है और वह इस मामले पर विचार कर रही है कि कैसे इसको स्ट्रेंगदन किया जा सकता है, कैसे कोई तरीका निकाला जा सकता है, जिससे यह माइन चलती रहे। हमारे मंत्रालय से भी सुझाव मांगे गए हैं और हम सुझाव दे रहे हैं कि कैसे इस माइन को वाइबल बना सकते हैं। हाल में माईनिंग पॉलिसी में कुछ लिबरलाइजेशन हुआ है, जिससे हमको उम्मीद है कि शायद बाहर से हमको टेक्नॉलाजी मिल सकती है, कुछ लोग बाहर से आ सकते हैं, जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रश्न विचाराधीन हैं और भारत सरकार अपने कर्त्तव्य के प्रति, श्रमिकों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। इसमें हमने एक अच्छा सा वालेंटरी

रिटायरमेंट का पैकेज भी रखा हुआ है और कुछ लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार भारत सरकार पूरे तरीके से इस मामले में जागरूक है।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नयी संशोधित खनिज नीति की घोषणा के साथ ही काफी बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आशा की जा रही है। क्या खनिजों में निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यदि हां तो राज्यवार और खनिज-वार विवरण दिए जाएं।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है इसके संबंध में जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक कोई स्पैसिफिक परपोजल नहीं आयी है। इतना अवश्य है कि एन०आर०आईज० और विदेशी कम्पनियों ने इन्क्वायरी शुरू की हैं। वे हमारे मंत्रालय से कंटैक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है उनकी रुचि है। लिबरेलाइजेशन जो हम करने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पाद

*222. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर**† :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के अन्दर ही तेल के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु खोज की गति तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के अन्दर ही तेल-उत्पादन बढ़ाने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आकर्षित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अन्वेषण और उसके बाद उत्पादन में जोखिम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आकर्षक शर्तें बनाई हैं। प्राप्त तेल एवं गैस क्षेत्रों के निजी कंपनियों द्वारा विकास किये जाने के लिए मध्यम आकार के क्षेत्रों को संयुक्त उद्यम प्रबन्धों के अधीन और छोटे आकार के क्षेत्रों को "उत्पादन भागीदारी संविदा" के अधीन दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि जो अभी पैट्रोल और गैस के फील्ड मिले हैं उनका पूरा विकास करने के लिए कई कम्पनियों को इसका काम दिया। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि जितना भी पैट्रोल और गैस खदानों में मिला है, जैसे आन्ध्र के पास भी मिला है इन सबका विकास करने के बाद क्या हमारा देश इस मामले में स्वावलम्बी हो जाएगा ? केशवदेव मालवीय, जिन्होंने पैट्रोल के मामले में देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाया था। उनका स्वप्न देश को पैट्रोल और गैस के मामले में स्वावलम्बी बनाने का था। क्या इस तरह की कोई योजना है जिससे 5-6-7 साल में हम पैट्रोल और गैस के मामले में स्वावलम्बी बन जायेंगे ? क्योंकि हमें कितने हजारों-करोड़ों रुपये इस मद पर खर्च करने पड़ते हैं और देश को बहुत बड़ी चिन्ता है।

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश तेल के मामले में कितनी जल्दी आत्म निर्भर होता है। हमने हाल ही में जो कदम उठाए हैं उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। हमने जो कुछ मुख्य कदम उठाए हैं उसे मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको जानकारी है तेल की खोज के विषय में पांचवें दौर के लिए निविदाएं प्राप्त हो रही हैं। इसकी अन्तिम तारीख जून का अन्त है। चौथा चक्र जो कि अन्तिम चक्र में हमने पहले ही चार करारों को स्वीकृति दे दी है। और हमें दो और करारों के स्वीकृत होने की आशा है। मैं यह कहना चाहता हूं जिस गहन तरीके से तेल खोजा जा रहा है या उसका उत्पादन हो रहा है उसका पता इस बात से चलता है कि भारत में यह 10,000 किलोमीटर के लिए 12 है, विश्व औसत 100 है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 500 है। ऐसा क्यों है यह धन की कमी के कारण है। तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने और इसकी अवधि छोटी करने के लिए निवेश की आवश्यकता है उतना निवेश इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है। इसे संभव बनाने के लिए हम विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी आमंत्रित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से क्या मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि जिन कंपनियों को यह काम दिया जा रहा है तो क्या उनसे भारत सरकार को निश्चित रूप से सतर्क रहना पड़ेगा और क्या वे ईमानदारी के साथ उसका विकास करने के लिए भारत को सचमुच में सहायता दे रही हैं या ऐसा न हो कि विकास के नाम से आकर के ऐसी कंपनियां यहां की या वहां की हो, उत्पादन में बाधा डालकर हमारे देश को नुकसान करे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे पंचवर्षीय योजना में इसको हमारी सरकार ने काफी पैसा दिया है, लेकिन फिर भी इसके लिए पैसे की कमी है। जो पंचवर्षीय योजना है तो क्या हमारी साठ प्रतिशत देश की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। क्या पांच साल में 75, 30 या 90 परसेंट अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे।

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं नहीं

समझता कि अगले पांच या छः वर्षों में हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। लेकिन अतिरिक्त खोज और ड्रिलिंग के जरिए यह संभावना है कि देश के अन्य भागों में तेल मिल सके और हम जल्द ही आत्म-निर्भर बन सकें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इस बार निर्धारित लक्ष्य पिछले वर्ष से कम है। यह पता लगा है कि तेल मिलने की काफी संभावनाएं हैं, यहां तक कि बंगाल बेसिन में भी काफी संभावनाएं हैं। इसका अभी तक पता क्यों नहीं लगाया गया है? पिछले वर्ष की तुलना मे लक्ष्य कम क्यों है? मांग बहुत अधिक है और जहां तक मैं समझती हूं घरेलू कच्चे तेल पर जो राशि खर्च की जा रही है वह तेल के आयात पर खर्च की जा रही राशि से कहीं कम है। यह लगभग एक-चौथाई है और जहां तक मुझे मालूम है 1200 रुपए प्रति बैरल दिए जाते हैं जबकि हम आयातित कच्चे तेल के लिए 4500 रुपए प्रति बैरल खर्च कर रहे हैं। जब पर्याप्त मात्रा में धन, सामग्री, व्यक्ति मौजूद हैं तब हम पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम अन्य संभावनाओं का पता क्यों नहीं लगा रहे है?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा "कि यह ठीक है, कि इस वर्ष हमारा कच्चे तेल का उत्पादन काफी कम है।" मैं इस पर माननीय सदस्या के साथ सहमत हूं। वास्तव में यदि आप 1989-90 के दौरान हमारा उत्पादन 34 मिलियन मीट्रिक टन था जबकि इस वर्ष लक्ष्य 28 मिलियन मीट्रिक टन था लेकिन हम जिस वास्तविक उत्पादन की आशा कर रहे हैं वह 26 मीट्रिक टन ही होगा। मैं आपसे सहमत हूं (**व्यवधान**) मैं माननीय सदस्या को यह बतलाना चाह रहा था (**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। (**व्यवधान**)

श्री राम कापसे : अब आपने स्वीकार किया है कि आपने गलत जवाब दिया है। मूलतः जवाब गलत था और अब उसे ठीक कर रहे हैं। (**व्यवधान**) वह हमें गलत जानकारी दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गलत जवाब दिया है, इससे वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप इस तरह से बाधा डालते रहेंगे तो आपको उनका जवाब सुनाई नहीं देगा और आप यह समझ नहीं सकेंगे कि उनका क्या जवाब है। क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि आप उनको इस तरह से न टोकें? आप श्रीमती गोपालन के सवाल का जवाब पूरा कर सकते हैं।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : जी हां, महोदय। मैं समझता हूं कि यहां पर थोड़ी-सी गलत-फहमी हुई है। मैं कच्चे तेल के उत्पादन की बात कर रहा था, पेट्रोलियम उत्पाद का नहीं। यह उत्तर दिया गया था कि पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। इस वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कोई कमी नहीं हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आप यूं बाधा न डालें। आपके प्रश्न का

आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ खड़े होकर कुछ भी बोलने का और कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त करने से ही सन्तोष होता है। इस तरह का सन्तोष नहीं होना चाहिए। कृपया पहले उनको अपनी अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका बोलना जब तक समाप्त नहीं होता तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : पेट्रोलियम उत्पादों की बात लें तो, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि इस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं रही है। मैं यहां पर आंकड़े प्रस्तुत करता हूं वर्ष 1991-92 में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन 50,449 हजार मैट्रिक टन था और 1992-93 में यह आंकड़ा 52,631 हजार मैट्रिक टन रहा है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : कच्चे तेल के उत्पादन की क्या स्थिति है ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : इसी बात पर तो यहां पर भ्रम पैदा किया गया है। मैं कच्चे तेल की कमी के बारे में चर्चा कर रहा था न कि पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का। पैट्रोलियम उत्पादों की स्थिति गत वर्ष की अपेक्षा भी काफी अच्छी रही है। हां, कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है। इसी बात पर मैं चर्चा कर रहा था। मैं गणना कर रहा था और माननीय सदस्य से चर्चा कर रहा था कि कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आने का क्या कारण है, यदि सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हम स्थिति में सुधार करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं।

श्री मरली देवरा : गत कई वर्षों से हम कच्चे माल के उत्पादन में आत्म निर्भरता का प्रचार कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश यदि आंकड़े बताते हैं कि गत पांच वर्षों से लक्ष्य बहुत-बहुत कम है और वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से भी काफी कम है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उनके पास कौन-सी योजनाएं हैं। देश भर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) के कार्यक्रम के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

दूसरी बात यह है कि मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि मध्यम और लघु तेल क्षेत्रों की खोज करने के लिए शर्तों एवं प्रौद्योगिकी के साथ-साथ आकर्षक पैकेजों का भी प्रस्ताव है। कौन-से पैकेज दिए गए हैं, इस योजना के लिए कितने लोग सामने आए हैं और इस योजना के माध्यम से तेल का कितना उत्पादन होगा ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : प्रश्न का पहला भाग कमी के संबंध में है और उसका क्या कारण है। हम सब जानते हैं कि वर्ष 1989-90 में देश में कच्चे तेल का उत्पादन 34 मिलियन मैट्रिक टन था और उसके बाद उत्पादन में गिरावट आने लगी क्योंकि यह देखा गया था कि भंडारण असंतुलित हो गया है। दास गुप्ता समिति का गठन किया गया था उन्होंने यह सिफारिश की थी कि यह आवश्यक है कि हमें कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि भंडारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त न हो। अतः कुछ कुएं बन्द कर दिए गए। उत्पाद में कमी का यह एक मूल कारण है— यह उत्पाद गैस का हो अथवा कच्चे तेल का। उत्पाद में गिरावट आई थी। वर्ष 1989-90 में यह 34 मिलियन टन था और यह अब कम होकर 26 मिलियन हो गया है। अब हम इतना ही तेल

शोधन कर रहे हैं। हम तेल शोधन कर रहे हैं और आगामी वर्ष से स्थिति में सुधार होने लगेगा।

जहां तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से संबंधित प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, जैसा कि आपने देखा है हाल ही में हमने कुछ कदम उठाए हैं। अब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) कंपनी बनने वाली है और उसके बाद यह और अधिक लचीली हो जाएगी इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक सरल बन जाएगी। अतः हाल ही के परिवर्तन को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।

माननीय सदस्य ने प्रश्न के तीसरे भाग मे मध्यम और लघु तेल क्षेत्रों के बारे में पूछा था। 31 लघु और 12 मध्यम स्तर के तेल क्षेत्रों को बन्द कर दिया जाएगा, उनको बन्द करने की अन्तिम तारीख 31 मार्च है। अतः इसके बाद ही हमको यह अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि कितने तेल क्षेत्रों को ठेके पर दिया गया है, किन तेल क्षेत्रों को ठेके पर दिया गया है और उसके बाद ही मैं आपको इस बात का संकेत दे पाऊंगा कि उन्होंने तेल क्षेत्रों को ठेके पर कैसे दिया।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए वजीर से जानना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर और विशेषकर नार्थ बिहार में एक बहुत बड़े एरिया में ऐरियल एवं ज्योलॉजिकल सर्वे से यह महसूस किया है कि वहां पर ऑयल का भंडारण मौजूद है और इसके लिए सलम्बर कम्पनी को आमन्त्रित किया गया था ? दरभंगा, मधुबनी और चम्पारण जिलों के अन्दर बड़े पैमाने पर सर्वे हुआ तो कुछ ड्रिलिंग का काम हुआ, क्या सरकार बताएगी कि इस काम में कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि निकट फ्यूचर में आगे बढ़ने का कोई जरिया है क्योंकि अधूरे काम को छोडने का कोई मकसद नहीं है और जब नार्थ बिहार में सर्वे भी हो चुका है तो क्या इस अधूरे पड़े काम में आगे ड्रिलिंग करवाया जाएगा या नहीं ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से बता देना चाहता हूं कि मुझे एक दिन यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि बिहार के पास हाइड्रो कार्बन है। परन्तु, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वहां पर खोज और ड्रिलिंग करने के बावजूद भी अभी तक हाइड्रोकार्बन को वास्तव में नहीं पाया गया है। कुछ स्थानों पर, जहां कुएं खोदे गए थे, कुछ संकेत मिले थे परन्तु वास्तव में आज तक बिहार से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है।

श्री अनंतराव देशमख : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान 26 नवंबर, 1992 के प्रश्न संख्या 609 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में एल०पी०जी का आयात कितना रहा जिस पर उन्होंने वर्ष 1991-92 में 215 हजार मैट्रिक टन और 1992-93 मे 450 हजार मैट्रिक टन का आंकड़ा बताया था। इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि देश में एल०पी०जी० का उत्पादन घट गया है और इसलिए गत वर्ष में उन्होंने जितना आयात किया था उनको उससे दुगुनी मात्रा में एल०पी०जी० का आयात करना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मुद्दे को स्पष्ट करें।

दूसरी बात यह है कि 30 जुलाई, 1992 के प्रश्न के उत्तर में-- मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि वर्ष 1991 से उन्होंने कौन-से नए स्थलों का खोज किया है—माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उन्होंने 18 नए स्थलों की खोज की है और वे वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम है; और उस समय उन्होंने यह भी बताया था कि उन 18 स्थलो के लिए विशिष्ट परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन 18 स्थलो में से कौन-से स्थल निजी कंपनियों को विकास के लिए प्रस्तावित किए गए।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : क्या आप कृपया प्रश्न के अन्तिम भाग को पुनः दोहराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न के प्रवर्ती भाग को ही दोहराएं :

श्री अनंतराव देशमुख : अन्तिम भाग में मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि वे नए स्थल कौन-से हैं जो वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम पाए गए हैं जिसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने खोजा था। अठारह नए स्थल खोजे गए थे। आपने उस समय यह उत्तर दिया था। इन नए स्थलों पर विशिष्ट परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 18 स्थलों में से निजी कंपनियों को साझेदारी के आधार पर विकास के लिए प्रस्तावित किए गए स्थल कौन-से हैं, जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : यह अनुपूरक प्रश्न प्रश्न से संबंधित नहीं है यदि वे इसे लिखित रूप में मुझको दे सकेंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री हरिन पाठक : महोदय, अब गुजरात राज्य में तेल अधिक मात्रा मे उपलब्ध है। वहां पर कई तेल क्षेत्र हैं। मैं निजी कंपनियों को तेल खोजने के लिए आमंत्रित करने और उनको प्रोत्साहन देने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विशेषकर गुजरात के लिए निजी कंपनियों से कितने प्रस्ताव आये हैं। और उनको गुजरात में तेल खोजने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए उन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मैं माननीय सदस्य को हमने जो वर्तमान कदम उठाए हैं उसके बारे में पुनः बताना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि लघु और मध्यम स्तर के क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी। अन्तिम तिथि 31 मार्च है। बोली लगाने के पांचवें दौर की तिथि, जून का अन्तिम दिन है। जैसे ही यह काम समाप्त होगा, मैं आपको जानकारी दे सकूंगा।

[हिन्दी]

मथुरा तेल शोधक कारखाना

*223. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1993 में मथुरा तेल शोधक कारखाने में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबध में कोई जांच की गई है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) गत तीन वर्षों में मथुरा तेल शोधक कारखाने में आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं

तथा इनमें कितनी हानि हुई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) घटना की जांच करने के लिए आई०ओ०सी० और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों की एक जांच समिति स्थापित की गई है और 15 मार्च, 1993 तक उनकी रिपोर्ट मिलने की आशा है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रिफाइनरी में आग लगने की घटनाओं की कुल संख्या 5 थीं। इनमें से अधिकांश नगण्य हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली छोटी प्रकृति की थीं। तथापि, हाल की आग की घटनाओं से हुई अनुमानित क्षति लगभग 35 लाख रुपए की है।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

आग लगने की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बहु आगामी मार्ग को अपनाया गया है। उन्नत रिपोर्टिंग प्रणालियां, आग लगने की सभी घटनाओं के मूल कारण का विश्लेषण, सुरक्षा आडिट, सुरक्षा मानदण्डों की आवधिक पुनरीक्षा, तकनीकी सुधारों के माध्यम से संयंत्र की विश्वनीयता का उन्नयन, लोगों को लगातार दुबारा प्रशिक्षण, रिफाइनरियों में अनुभव की भागीदारी, प्रकाशित साधनों से जानकारी को ताजा करना आदि इस क्षेत्र में अपनाये जाने वाले कुछ उपायों में से हैं। सभी रिफाइनरियों में अद्यतन अग्नि शमन उपकरणों और आग लगने की घटनाओं को प्रभावी रूप से नियन्त्रण में रखने की प्रणाली से पूरी तरह सुसज्जित हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मथुरा तेल शोधक कारखाना हमारे देश में ऐसा कारखाना है कि जहां हर साल इस तरह की आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं और मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि 1982 से ही जब से ये कारखाना शुरू हुआ है, तब से अब तक वहां 14 बार आग लगी है जबकि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में सिर्फ तीन साल का ब्यौरा दिया है और कहा है कि सिर्फ पांच बार आग लगी है और इस बार की आग में सिर्फ 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इसी तरह का एक सवाल मैंने 1990 में भी पूछा था और तब भी यह आश्वासन दिया गया था कि इस तरह की आग नहीं लगने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी आग लगती जा रही है और वहां अति ज्वलनशील पदार्थों का काम होता है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि नुकसान सिर्फ 35 लाख हुआ इसलिए हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो उससे निपटने के लिए हमने कौन से उपाय किए हैं और इसके लिए हमने कहीं कोई परीक्षण किया है, कहीं से नई टैक्नोलॉजी ली है?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं। यह समझना होगा कि शोधन व्यापार बहुत ही ज्वलनशील है। इसमें काम करने का माहौल बहुत ही ज्वलनशील होता है। हर प्रकार की सावधानी बरतने के बावजूद कभी-कभी आगजनी की छिटपुट घटनायें होती रहती है परन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सभी घटनाओं की रिपोर्ट की गई है और जांच भी की गई है।

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और वांछनीय बात यह है कि सुरक्षा जागरूकता की दृष्टि से, अग्निशमन समक्षता, आग से लड़ने के लिए फायर ड्रिल व प्रशिक्षण पर सतत निगरानी रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सदस्यों को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह सुनिश्चित करने का मेरा प्रयास होगा कि हम यह काम अवश्य करेंगे। जहां तक मथुरा की घटना का संबंध है, हम रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। इस महीने की 15 तारीख तक रिपोर्ट मिलने की आशा है। हमारा आशय यह ज्ञात करना होगा कि पिछली घटना का क्या कारण था।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष सवाल यह था कि सिर्फ मथुरा तेल शोधक कारखाने में ही हर वर्ष आग क्यों लगती है। मैं यह मानता हूं कि रिफाइनरी के एक्सप्लोरेशन के काम में हाड्रो-कार्बन जैसे अतिज्वलनशील पदार्थों का उपयोग होता है, लेकिन हिन्दुस्तान में दूसरी जगह भी रिफाइनरीज हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केवल मथुरा रिफाइनरी में ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसी प्रकार का एक सवाल मैंने यहां 1990 में भी उठाया था और उस समय भी यहां आश्वस्त किया गया था कि इसके बाद आग लगने की घटना नहीं होगी।

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : जैसा कि मैंने अभी कहा था, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि उपर्युक्त घटना की जांच लगभग पूरी हो गई है और हमें इस महीने की 15 तारीख को रिपोर्ट के मिलने की आशा है। तब यदि सदस्य चाहते हैं तो मैं उनको सीधे बताऊंगा कि मथुरा तेल शोधक कारखाने के बारे में क्या किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 1988 में भारत पैट्रोलियम में जो आग लगने की घटना हुई थी, उसमें 42 लोग मारे गये थे। आई०पी०सी०एल० में आग लगने से 40 व्यक्ति मारे गए थे। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम में जून माह में आग लगी थी, उसमें भी अनेक लोग मारे गए, अन्य आग की घटनाओं में भी अनेक लोग मारे गए, उन सबकी रिपोर्ट मंत्री जी सदन के पटल पर क्यों नहीं रखते हैं। विगत समय मैंने एक सवाल संख्या 411 सदन में उठाया था, जो भारत पैट्रोलियम में आग लगने की घटना के बारे में था और उसके जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था--

[अनुवाद]

"केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० (प्रबंधन विभाग) को भारत

पेट्रोलियम कार्पोरेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की है।"

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौन सा एक्शन लिया। यदि एक्शन नहीं लिया तो कब लेंगे और रिफाइनरीज में सेफ्टी के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं, जहां आग लगने की घटनाएं होती हैं, वहां आप क्या करने वाले हैं ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा महोदय भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की इस विशिष्ट घटना के बारे में मुझे पूरी रिपोर्ट मिलने वाली है और मैं माननीय सदस्य को उसके बारे में बताऊंगा।

तेल के आयात के वित्त-पोषण हेतु बजट

*224. **श्रीकान्त जेना** :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992-93 के दौरान तेल के आयात के वित्त-पोषण हेतु तेल बजट में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वदेशी उत्पादन में 1992-93 के दौरान कितनी कमी हुई जिसके कारण 1992-93 के दौरान प्रत्याशित उत्पादन लक्ष्य में कमी हुई; और

(घ) संशोधित तेल बजट के परिणामस्वरूप कितनी मात्रा में अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 में तेल के आयात पर लगभग 6.18 बिलियन अमरीकी डालर खर्च होने का अनुमान है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कच्चे तेल का योजनागत देशी उत्पादन 28.464 एम० एम० टी० था जबकि इसकी तुलना में प्रत्याशित उत्पादन 26.834 एम० एम० टी० था।

(घ) यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही कीमतों पर और रुपया मूल्य की परिवर्तनीयता पर निर्भर करेगा।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं उत्तर को देखकर थोड़ा-सा भ्रमित हूं। अभी-अभी जब मंत्री जी प्रश्न संख्या 222 का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कच्चे तेल का उत्पादन कम हो गया है लेकिन इस उत्तर में उन्होंने कहा है :

योजित स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन 1992-93 के दौरान 28.464 एम०एम०टी० हुआ जबकि उत्पादन 26.834 होने एम०एम०टी० का अनुमान था।

अध्यक्ष महोदय : इस वर्ष के अनुमानित उत्पादन और पिछले वर्ष के अनुमानित उत्पादन में अन्तर दें।

श्री श्रीकान्त जेना : 26.834 एम०एम०टी० उत्पादन की आशा थी और वास्तविक उत्पादन 28.464 एम०ए०टी० हुआ है।

उत्पादन में कमी के बारे में, माननीय मंत्री ने पूर्व प्रश्न का कुछ उत्तर दिया है क्या मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मुम्बई हाई के कुओं की स्थिति के बारे में जान सकता हूं ? क्या पिछले चार या पांच वर्षों मे लगातार इसमें से बहुत अधिक मात्रा में तेल निकाला जा रहा है। पर्याप्त रखरखाव तथा तकनीकी समीक्षा नहीं की गई है। जबकि 34 मिलियम टन, 28 मिलियन आदि का लक्ष्य दिया गया, हर वर्ष, हम अपना लक्ष्य कम करते जा रहे हैं तथा अन्ततः देश कच्चा तेल आयात कर रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं (क) अधिक तेल निकालने तथा बम्बई हाई के कुओं के कुव्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ क्या कारवाई की गई है? (ख) कच्चे तेल के उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए आप आयात करने जा रहे हैं और आयात करना जरूरी है तथा आपको वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त खर्च लेना पड़ेगा जहां तक 1992-93 तथा 1993-94 का सम्बन्ध है आपने वित्त मंत्रालय से कितनी सही राशि देने के लिए कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना बजट में उपलब्ध है।

श्री श्रीकान्त जेना : जी नहीं महोदय, कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अधिक विदेशी मुद्रा के लिए उनसे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे कि वे आयात कर सकें। पूर्णतया परिवर्तनीयता के कारण, डालर के विरुद्ध रुपये की स्थिति···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं कृपया। आप बहुत-सी बातें आपस में मिला रहे हैं, आपको स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री श्रीकान्त जेना : कृपया मुझे अपना पहला प्रश्न पूरा कर लेने दीजिए। मुम्बई हाई में ओ०एन०जी०सी० में कच्चे तेल की कमी का क्या कारण है ? क्या पहले कोई कार्रवाई की गई है और भविष्य में क्या कारवाई करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, प्रश्न का आखिरी भाग ही प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए आपसे आशा है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से मैं उनके प्रश्न के प्रथम हिस्से का कुछ उत्तर दे चुका हूं। मैं दोहराना चाहूंगा कि जब उत्पादन 34 मिलियन टन तक पहुंच गया था। भण्डार से पता चला था कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। दास गुप्ता समिति ने जांच की थी और इस नतीजे पर पहुंची थी कि कतिपय अपरिहार्य कदम उठाए जाने चाहिए और उन कदमों को उठाया गया था जो कुएं गैस तथा कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे थे। उनको बन्द करने के लिए कहा गया था। कच्चे तेल में कमी का मुख्य कारण यही है। इसलिए आंकड़े इतने कम हैं। सौभाग्य से, भण्डार को क्षति नहीं पहुंची है लेकिन इसके नवीकरण में समय लगेगा और हमें आशा है कि इसमें समय लगेगा। मैं भी स्पष्ट करता हूं कि इस वर्ष और

अगले वर्ष में हमारी स्थिति कमी की रहेगी। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है फिर स्थिति सुधरेगी।

अब मैं तेल के आयात, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता आदि के बारे में प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आता हूं। अगले वर्ष में 1992-93 की अपेक्षा 4.314 मिलियम मिट्रिक टन अधिक हो जायेगा। यही अन्तर है। मूल्य में यह अन्तर 887 मिलियम डालर होगा रुपयों में कुछ मूल्य 5766 करोड़ रुपए होगा। इस वर्ष तथा अगले वर्ष में यही अन्तर है।

श्री श्रीकान्त जेना : आयात बिल में 5000 अतिरिक्त करोड़ के अतिरिक्त खर्च को ध्यान में रखते हुए, क्या आप पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं? अगर इस बजट में नहीं तो क्या बजट सत्र के बाद में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : सौभाग्य से, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति ठीक है तथा मैं नहीं सोचता यह जरूरी होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अभी हाल ही में यह स्थिति अच्छी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि केवल तेल के आयात पर पिछले साल 6.18 मिलियन डालर हमारे देश का खर्च हुआ है और इस देश में तेल का जो देसी उत्पादन है, उसमें भी दो मिलियन टन की कमी आई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस साल आपने जो उत्पादन कर में कमी की है जिसके चलते चार और दो पहिए के वाहन बड़ी संख्या में बाजार और भारत की सड़कों पर आने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति में इस देश में तेल की खपत इस साल और बढ़ने वाली है। क्या भारत सरकार कुछ ऐसे भी उपायों पर विचार कर रही है जिससे इस देश के तेल की खपत को कम किया जा सके? वे कौन-कौन से उपाए हैं और किन-किन तरीकों पर विचार किया जा रहा है जिससे तेल के आयत पर इस मूल्यवान मुद्रा को बर्बाद होने से बचाया जा सके?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि विश्व में भारत की प्रति व्यक्ति तेल खपत सबसे कम है लेकिन मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि एक तरफ संरक्षण उपाय किए जाने चहिए और दूसरी तरफ कुछ वैकल्पिक ईंधन के स्त्रोतों की खोज की जानी चाहिए। हम समस्या पर ध्यान दे रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, उत्तर (घ) में रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में मूल्य की बात की गई है। इस बात में संदेह नहीं है कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में हम आने वाले वर्षों में तेल पर अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करने जा रहे हैं। भारत में मुम्बई हाई के पास नए तेल क्षेत्रों की खोज की गई है जैसे उनके नाम मुक्ता, पन्ना तथा नीलम हैं जो काफी समृद्ध है यदि उनमें धन खर्च किया जाता है तो एक वर्ष में ही धन वसूल किया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब ओ०एन०जी०सी० तथा भारत सरकार इन तेल क्षेत्रों से इतना अधिक लाभ कमा सकती है तो उनका निजीकरण करने का प्रस्ताव क्यों किया जा रहा है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : माननीय सदस्या ने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हम मुम्बई हाई जैसे एल II, एल III नीलम तथा मुक्ता जैसे बड़े तेल क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अब 31 मध्यम तथा छोटे क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोला है। मामला यह है कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम पहले से ही खोजे गए क्षेत्रों में धन लगा सकें। मैं खनन कार्य के बारें में बात नहीं कर रहा हूं। पहले, से ही खोजे गए तेल क्षेत्रों के क्षेत्र में भी हमें अतिरिक्त धन लगाने की आवश्यकता है जिससे कि निर्धारित समय के भीतर खुदाई तथा उत्पादन शुरू किया जा सके जिससे हमारी तेल की कमी की मुख्य समस्या को समाप्त किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : प्रश्न का नामकरण "Budget for funding oil imports" जो किया गया है, उसके बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि तेल के आयात के सिलसिले में इस साल जो संकट बजट के चलते सामने आया है, वह रुपए का परिवर्तन और कनवर्टीबिलिटी है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 40 परसेंट जो कंट्रोल रेट में मिलता था, जिसमें पैट्रोल प्रोडेक्ट्स ही शामिल थे, उसमें परिवर्तन होने के बाद यह स्थिति पैदा होने जा रही है। ऑयल इंडस्ट्री के करार में विशेषज्ञ भी रहे थे, लेकिन फिर भी कंट्रोल रेट में परिवर्तन हो गया है। मार्कीट रेट में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा और यहां के रुपए के बीच में जो सम्बन्ध है, उसमें क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि इम्पोर्ट बिल इससे जबर्दस्त बढ़ जाएगा ? इस बढ़ोत्तरी के बारे में आपके मंत्रालय की क्या सोच है ? क्या अर्थ मंत्रालय ने आपके मंत्रालय से बात की थी ? अगर की थी तो क्या इस बढ़ोत्तरी के बारे में ऑयल इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने कुछ नहीं सोचा था कि आगे चलकर यह उपभोक्ताओं को पास-ऑन करना पड़ सकता है ? इसके बारे में मंत्रालय की ठोस राय क्या है ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे विचार से कोई बहुत अधिक धन खर्च नहीं किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

श्री रवि राय : क्या आपके विचार से आयात बिल में कोई अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

आप नए आए हैं। आप ठीक से सोचकर बताएं। ज्यादा असत्य मत बोलिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य ठीक है और मूल्यों में और भी कमी आ सकती है। अपने रुपए के मूल्य पर विचार करते हुए मुझे विश्वास है कि हमें इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

जहरीली शराब से होने वाली मौतें

*225. श्री आनन्द अहिरवार† :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोई प्रभावी नीति तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय के उपमंत्री (श्री राम लाल राही) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अवैध शराब की बिक्री और उसके निर्माण संबंधी अपराध सहित अपराधों को दर्ज करने, उनकी छानबीन करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेदारी संबद्ध राज्य सरकारों की है । तथापि, अवैध शराब के उत्पादन तथा उसकी बिक्री को रोकने और साथ ही साथ शराब में मिलावट के लिए घातक पदार्थों की उपलब्धता पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 14 नवम्बर, 1991 को सभी राज्य औषध नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी निर्माता फर्मों का विस्तृत निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करें। आयुर्वेदिक फार्मुलरी आफ इंडिया (पार्ट-1) को ठीक करके "परसन्ना" के स्थान पर परिशोधित स्प्रिट के प्रयोग की अनुमति भी वापस ले ली गई है । स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बेची जाने वाली नकली शराब की संभावना को कम करने के लिए 2 दिसम्बर, 1992 को एक अधिसूचना संख्या 488 जारी की है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से इसका पूरा जवाब चाहता हूं । यह असली सवाल है···(व्यवधान)··· मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का यह वायदा है और वह उस वायदे को याद रखें ।

श्री आनन्द अहिरवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल जहरीली शराब से होने वाली मौतों के सम्बन्ध में जो लिखित जवाब दिया है उसमें कहा है कि केन्द्र सरकार ने अवैध शराब रोकने और नियंत्रण के लिए 14 नवम्बर, 1991 को राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं और इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को कोई जानकारी दे दी है । यदि हां तो इसकी रोकथाम और जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं ?

श्री रामलाल राही : अध्यक्ष महोदय, जहरीली शराब बनाने और बिक्री आदि के सम्बन्ध में जो अपराध होते हैं, उनका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है और वह ही इसे देखती है । आव-

कारी अधिनियम के अन्तर्गत वह कार्य करती है। इसलिए यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। इस कारण इसे हमारे पास भेजने का प्रश्न ही नही है।

श्री आनन्द अहिरवार : अध्यक्ष महोदय, जहरीली शराब का नाजायज धंधा करने वालों के खिलाफ कितने केस रजिस्टर्ड हुए हैं और इस जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं व उनके परिवार बेघर हो गए, उन परिवारों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कोई नीति अपनायी है ?

श्री रामलाल राही : श्रीमन्, मेरे पास राज्यवार आंकड़े हैं। अगर माननीय सदस्य राज्यवार या किसी राज्य विशेष का पूछना चाहें तो वह उन्हें बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सब राज्यों का आप उन्हें लिखित रूप से दे दें।

श्री रामलाल राही : 1992 में कुल 701 व्यक्ति जहरीली शराब के कारण मरे हैं।

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक : मैं जानना चाहूंगा कि क्या बोतल पर वैधानिक चेतावनी का लेबल होना चाहिए। बोतल के ऊपर यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि विद्यार्थियों द्वारा इसका सेवन निषेध है। दिल्ली में, यह देखा गया है कि विद्यार्थी साफ्ट ड्रिंक व कोल्ड ड्रिंक में उच्च स्तर का एल्कोहल मिला लेते हैं।

क्या सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि केवल बन्द बोतलें ही उपलब्ध हों। उपभोक्ताओं को राशनकार्ड जारी करने जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। और नीतिगत निर्णय भी लिया जाना चाहिए, क्या केन्द्र सरकार इसको लागू कर रही है।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : श्रीमन्, जहां तक औषधियों में जहरीले पदार्थ मिलने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में 2-12-92 को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा है कि···

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : किसी अन्य शराब का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि शराब पहले ही नियमित है और लोगों द्वारा शराब का उपभोग किया जा रहा है।

यदि उसमें किसी तरह की मिलावट की जाती है तो निश्चय ही उस पर शराब की शुद्धता का लेबल नहीं लगाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

महाराष्ट्र में जनजातीय लोग

[हिन्दी]

*226. **श्री बापू हरि चौरे** : (क) क्या महाराष्ट्र में जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष योजना-वार कितनी धनराशि दी गई ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां । महाराष्ट्र आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे द्वारा 1979-80 के दौरान एक विश्वव्यापी बैंच मार्क सर्वेक्षण आयोजित किया गया था ।

(ख) इस सर्वेक्षण में, 6767 गांवों के 4.35 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को शामिल किया गया था । इस सर्वेक्षण के अनुसार, 90.89% परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे । 49.82% खेतीबाड़ी कर रहे थे और 21.29% कृषि मजदूर थे । अधिवासी परिवार की आय लगभग 90% औसतन भोजन तथा वस्त्र आदि पर व्यय होता था ।

(ग) देश में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए सरकार ने आदिवासी उपयोजना कार्य नीति अपनाई है ।

परिवारोन्मुख, आय सृजक योजनाओं और अवसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार के लिए कल्याण मन्त्रालय द्वारा निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं—

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां
2. लड़कियों के होस्टल
3. लड़कियों के होस्टल
4. आश्रम स्कूल
5. कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं
6. पुस्तक बैंक
7. अनुसंधान और प्रशिक्षण
8. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना विवरण	वर्ष		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	1,486.97	1,609.49	1,825.21

1	2	3	4	5
2.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) का प्रथम पुरस्कार	214.38	214.38	213.38
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना	349.47	23.32	60.74
4.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के होस्टलों के लिए केन्द्रीय सहायता	—	—	39.75
5.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के होस्टलों की केन्द्र प्रायोजित योजना	13.95	4.67	32.50
6.	आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत आश्रम विद्यालयों स्कूल को निर्मुक्त राशि	—	—	190.00
7.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति	6.96	4.34	5.80
8.	स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान	14.62	14.35	17.74
9.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना की केन्द्र प्रायोजित योजना	—	3.80	1.00
10.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को पुस्तक बैंक	9.84	—	2.00

दर्शाई गई निधियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए थीं।

राज्यों को गैस की सप्लाई

*227. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन तथा अन्य स्रोतों से अलग-अलग मात्रा में गैस की सप्लाई की जाएगी;

(ख) इन राज्यों को विभिन्न परियोजनाओं विशेषकर विद्युत उत्पादन के लिए गैस की सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार में किन-किन विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख घन मीटर गैस की सप्लाई किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(घ) इस संबंध में राज्यों की अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये मांगें कब तक पूरी की जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) प्राकृतिक गैस का आबंटन और आपूर्ति राज्यवार आधार पर नहीं की जाती है। विभिन्न राज्यों में स्थित यूनिटों को वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में 38 एस०एम०एस०सी०एम०डी० की आपूर्ति होने की आशा है।

(ख) 11 राज्यों में स्थित 33 बिजलीघरों को कुल 33.8 एम एम एस सी एम डी प्राकृतिक गैस का आबंटन किया गया है।

(ग) से (ङ) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

(ग) से (ङ) यद्यपि बिहार के किसी बिजलीघर के लिए कोई गैस आबंटित नहीं की गई है, तथापि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र के औरेया तथा दादरी बिजलीघरों को और गुजरात में राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र के गंधार एवं कवास बिजली घरों को एवं गुजरात विद्युत बोर्ड के गंधार बिजली घर को 1.5 एम एम एस सी एम डी अथवा इससे अधिक गैस आबंटित की गई है। यद्यपि इन तीनों राज्यों में प्रस्तावित/अवस्थित यूनिटों ने गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के यहां 75 एम एम एस सी एम डी की अधिक मांग दर्ज कराई है तथापि इस तथ्य की दृष्टि से कि गैस की संभावित उपलब्धता के प्रति पहले ही पूरी वचनबद्धता की जा चुकी है, इस समय और अधिक आबंटन करना साध्य नहीं है।

[अनुवाद]

ईसाइयों को आरक्षण का लाभ

*228. **श्री पी०सी० थामस** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ईसाई धर्म अपना लेने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

गुजरात को कोयले की सप्लाई

*229. **श्री एन०एन० वेकारिया** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को उसकी मांग के अनुसार कोयले की सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने विदेशी एजेंसियों से कोयला आयात करने की अनुमति के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को कोयला आयात करने की अनुमति दे दी गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयले की आवश्यकताओं का राज्यवार मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। इसका मूल्यांकन क्षेत्रवार किया जा रहा है। किन्तु वर्ष 1991-92 और अप्रैल से दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा के संबंध में उपलब्ध सूचना को नीचे दिया गया है :

विवरण

(आंकड़े 000 टन में)

वर्ष	विद्युत	सीमेंट	उर्वरक	कागज	वस्त्र रेयान	साफ्ट कोक	हार्ड कोक	अन्य	जोड़	वृद्धि (%)
1991-92	10991	817	148	54	649	8	39	2475	15181	3.59
1992-93 (अप्रैल-दिसम्बर)	8890	607	141	53	361	3	33	1006	11094	4.46
1991-92 (अप्रैल-दिसम्बर)	7953	561	108	47	529	6	29	1387	10620	

(ग) से (ङ) गुजरात के मुख्यमन्त्री ने जीरो प्रतिशत सीमा शुल्क पर सिक्का विद्युत गृह के लिए 8.00 लाख टन कोयले का आयात किए जाने की अनुमति मांगी थी। उन्हें इस सम्बन्ध में उत्तर भेज दिया गया है और यह सूचित किया गया है कि कोयले का आयात किए जाने के लिए भारत सरकार से कोई अनुमति लेने अथवा किसी तरह का लाइसेंस प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, ऐसे आयातों पर प्रचलित दरों पर आयात शुल्क की अदायगी करनी पड़ेगी।

कोयला मन्त्रालय का यह मत है कि सिक्का विद्युत गृह के लिए कोयले का आयात किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस विद्युत गृह की कोयले की आवश्यकताओं को देश में ही पूरा किया जा सकता है। दिनांक 19-2-1993 की स्थिति के अनुसार इस विद्युत गृह के पास 6 दिन के उपभोग के बराबर 18,000 टन कोयले का स्टाक विद्यमान है।

[हिन्दी]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स की परियोजनाएं

*230. **श्री तेजसिंह राव भोंसले** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भेजी गई वेस्टर्न कोलफील्डस की कुछ परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यारा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्तमान में कोल इण्डिया लि०/वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से प्राप्त नई कोयला परियोजनाओं के 3 निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव मूल्यांकन तथा समीक्षा के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएं निम्नलिखित हैं—मुंगोली ओपनकास्ट, उर्धन ओपनकास्ट परियोजना और तावा भूमिगत परियोजना। इन परियोजनाओं को 8वीं योजना अवधि के दौरान विकास के लिए विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

इन सभी प्रस्तावों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है ताकि कोयला कम्पनी निम्नलिखित अपेक्षित प्रारम्भिक क्रियाकलाप शुरू कर सकें—जैसे भूमि का अधिग्रहण, भू-वंचित व्यक्तियों का पुर्नवास, वन तथा पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन, पहुंच सड़कों का विकास और विद्युत की आपूर्ति, आदि के लिए सर्वेक्षण कार्य। अग्रिम कार्रवाई के लिए स्वीकृति की गई राशि को नीचे दर्शाया गया है :

परियोजना	स्वीकृति की तारीख	अग्रिम कार्रवाई की राशि (करोड़ रुपये में)
1. मुगोली ओपनकास्ट परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई	21-5-90	4.83
2. ऊर्धन ओपनकास्ट परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई	3-7-91	2.99
4. तावा भूमिगत परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई	18-2-92	1.65

अग्रिम कार्रवाई योजनाएं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के क्रियान्वयन अधीन हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कोयला परियोजनाओं पर निवेश सम्बन्धी अनुमोदन दिया जाना निम्नलिखित मुद्दों पर निर्भर करता है, जैसे—भूमि की उपलब्धता, पर्याप्त निधि, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरण तथा वन सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त किया जाना आदि।

[अनुवाद]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

*231. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 1992 के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या में समग्र रूप में कमी आई है। वर्ष 1991 में हुई 589 दुर्घटनाओं की तुलना में वर्ष 1992 में 552 दुर्घटनाएं हुई हैं। इस

सबंध में हुई दुर्घटनाओं का कम्पनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1991	1992
ई०को०लि०	133	123
भा०को०को०लि०	164	163
से०को०लि०	38	51
ना०को०लि०	11	7
वे०को०लि०	155	140
सा०ई०को०लि०	68	59
म०को०लि०	19	8
ना०ई०को०	1	1
जोड़	589	552

(ग) कोल इण्डिया लि० की ग्रुप की खानों के अन्तर्गत कोयले का उत्खनन कार्य खान अधिनियम, 1952 तथा कोयला खान विनियमन, 1957 में दिए गए सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रत्येक कामगार को सेफ्टी गीयर जैसे सुरक्षा हैलमेट, जूते, बैल्ट, डस्ट मास्क, सैल्फ रैस्वयूरर, आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। भूमिगत खानों में जहरीली गैस की उपस्थिति होने के सम्बन्ध में नियमित रूप से गैस डिटैक्टरों द्वारा जांच की जाती है। सुरक्षा स्थिति की विभिन्न स्तरों पर निरन्तर समीक्षा तथा जांच की जाती है। कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता कोयले के प्रभारी मन्त्री करते हैं, नियमित रूप से कोयला खानों की समग्र रूप में सुरक्षा की समीक्षा करते है तथा कोयला खानों में सुरक्षा मानदण्डों में और सुधार किए जाने की दृष्टि से अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों की सिफारिश करती है।

कैंसर उपचार केन्द्र

*232. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कई राज्यों में कैंसर उपचार केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की सहायता के लिए किन-किन राज्यों को चुना गया है; और

(ग) उड़ीसा में कितने कैंसर उपचार केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अवैध हथियार

*233. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री जर्नादन मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में अवैध हथियार बनाने वाली कितनी फैक्टरियों का पता लगाया गया है;

(ख) इन फैक्टरियों में निर्मित हथियारों का ब्यौरा क्या है, और कितनी मात्रा में हथियार पकड़े गए;

(ग) क्या इन फैक्टरियों के मालिकों का पता लगा लिया गया है तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा जब तक उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन राज्यों में अवैध हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि 1992 के दौरान राज्य में अवैध शस्त्रों का निर्माण करने वाली 13 फैक्टरियों का पता लगाया गया। 9 रिवाल्वर/पिस्तौलें, 18 देशी कट्टे और विभिन्न बोर की 18 बन्दूकें बरामद की गई। 35 व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है, जिनमे से 27 को गिरफ्तार किया गया और 8 अभी भी फरार हैं।

2. प्रश्न के भाग (क) से (घ) के उत्तर में मध्य प्रदेश सरकार ने शून्य सूचना भेजी है।

3. प्रश्न के भाग (ङ) के संबंध में यह कहा जाता है कि अवैध हथियार बनाने वाली इकाइयों का पता लगाने तथा दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की कार्रवाई राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है, जिन्हें शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :—

(I) शस्त्र अधिनियम/नियम के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई और सावधानी से पालन करना।

(II) इस बात का पता लगाने के लिए कि किहीं निर्माता लाइसेंस में दी गई क्षमता का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं अथवा कहीं वह फर्म अनधिकृत सामानों के निर्माण में तो नहीं लगी हुई है, कच्चे माल के उपयोग, मशीनरी की स्थापित क्षमता, विद्युत उपभोग और लेखा विवरणों के संबंध में प्रभावकारी "सरप्राइज चैक" आयोजित करना।

(III) लाइसेंसी डीलरों का, विधि प्रवर्तक एजेन्सियों द्वारा बार-बार "सरप्राइज चैक" किए जाने पर जोर दिया जाए ।

(IV) अपराध बहुल राज्यों में विशेषज्ञता-प्राप्त जांच इकाइयों का गठन करना, और

(V) हथियारों एवं गोला-बारूद के अवैध निर्माण एवं आदान-प्रदान के बारे में आसूचना एकत्र करना और उसका मिलान करने के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना ।

4. उग्रवादियों तथा राष्ट्र विरोधी तत्त्वों द्वारा हिंसा एवं आतंकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में "शस्त्र अधिनियम, 1959" के दंडात्मक उपबंधों की सुरक्षा करके इन्हें शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा और अधिक कड़ा बनाया गया है ।

स्वतंत्रता सेनानी

*234. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार से श्रेणीवार, राज्य-वार कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्राप्त हो रही है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास पेंशन हेतु स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के कितने राज्य-वार मामले लम्बित पड़े हैं;

(ग) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के कितने जाली मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(घ) उन मामलों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (एस० बी० चाव्हाण) : (क) केन्द्र सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वाधीनता सेनानियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । श्रेणी-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) और (ग) स्वाधीनता सेनानियों की विधवाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों सहित, समय से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की जांच की गई है और निर्णय से सभी आवेदकों को पहले ही अवगत करा दिया गया है । उन सभी स्वाधीनता सेनानियों, जिन्हें पहले ही पेंशन स्वीकृत की जा चुकी थी, की विधवाओं के नाम में पेंशन के अन्तरण की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, विधवाओं के नाम फेमिली पेंशन का अन्तरण अपने स्तर पर करने के लिए "वितरण अधिकारियों" को प्राधिकृत किया गया है । ऐसी विधवाओं को, जो अब भी अन्तरण के लिए केन्द्र सरकार के पास आवेदन भेजती है, इस मामले में "वितरण अधिकारियों" से तुरन्त सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है । इस प्रकार विधवाओं के नाम में फेमिली पेंशन के अन्तरण का कोई आवेदन पत्र सरकार के पास लंबित नहीं है ।

(घ) और (ङ) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति देने का निर्णय, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों तथा सम्बद्ध राज्य सरकार की रिपोर्टों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाता है । तथापि, पेंशन स्वीकृत कर देने के बाद यदि सरकार की जानकारी

में, किसी स्रोत के माध्यम से यह बात आती है कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति-समूह द्वारा झूठे/जाली दस्तावेजों के आधार पर अथवा तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके पेंशन प्राप्त की गई है तो पेंशन को स्थगित/समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है। 1972 में योजना के प्रारम्भ से 2861 मामलों में पेंशन स्थगित की गई और 1309 मामलों में समाप्त की गई।

विवरण

केन्द्र सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10,886
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	4,325
4.	बिहार	24,391
5.	गुजरात	3,538
6.	गोवा	889
7.	हरियाणा	1,591
8.	हिमाचल प्रदेश	552
9.	जम्मू और कश्मीर	1,775
10.	कर्नाटक	9,894
11.	केरल	2,781
12.	मध्य प्रदेश	3,323
13.	महाराष्ट्र	16,365
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	4,133
19.	पंजाब	6,776
20.	राजस्थान	779
21.	सिक्किम	—

1	2	3
22.	तमिलनाडु	4,050
23.	त्रिपुरा	883
24.	उत्तर प्रदेश	17,845
25.	पश्चिम बंगाल	22,142
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
27.	चंडीगढ़	86
28.	दादरा और नगर हवेली	—
29.	दमण और दीव	—
30.	दिल्ली	2,010
31.	लक्षदीप	—
32.	पांडिचेरी	308
33.	आई०एन०ए०	21,858
	योग	1,61,335

[अनुवाद]

अरब सागर में तेल की खुदाई का कार्य

*235. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर में तेल की खोज करने के लिए कोई खुदाई कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य में कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं;

(घ) इस खुदाई कार्य के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ङ) क्या इस खुदाई कार्य के कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान में अरब सागर में 15 अन्वेषण कूप स्थानों पर वेधन चल रहा है ।

(ग) यह वेधन कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है और इसमें फिलहाल कोई अन्य देश शामिल नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) 1992 के दौरान 6 स्थानों पर हाइड्रोकार्बन मिले हैं।

गैस का आबंटन

*236. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस के उपयोग के अधार पर इसके आबंटन संबंधी प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो किन सिद्धान्तों के आधार पर ये प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं और निर्धारित की गई प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या तट से दूर प्राप्त गैस का आबंटन करते समय इन प्राथमिकताओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आम तौर पर गैस का आबंटन प्रत्येक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के आकलित आर्थिक मूल्य (आई०ई०वी०) के आधार पर किया जाता है और उर्वरक, विद्युत और स्टील क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) अपतटीय गैस का आबंटन आमतौर पर इन्हीं प्राथमिकताओं पर आधारित होती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैस का उत्पादन

*237. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गैस के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु एक विकास परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत गैस उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) वर्तमान में प्रतिदिन गैस उत्पादन कितने लाख घन मीटर है तथा 1996-97 तक इसमें कितने लाख घन मीटर की वृद्धि होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास करके तथा आठवीं योजना (1992-97) के दौरान नए क्षेत्रों का विस्तार करके उत्पादन को बढ़ाने की

योजना है। वर्ष 1996-97 तक प्राकृतिक गैस का परियोजना-वार उत्पादन निम्न प्रकार से होने की आशा है :—

	(एम०एम०एस०सी०एम०डी०)
(क) बम्बई हाई में एल०-II का अतिरिक्त विकास	2.44
(ख) बम्बई हाई में एल-III का अतिरिक्त विकास	4.52
(ग) नीलम	1.80
(घ) आर-15 ए (दक्षिण हीरा)	0.11
(ङ) पन्ना (पी०बी०, पी०डी०, पी०ई०)	0.42
(च) एस-I सैन्ड (मुक्त गैस)	3.00
(छ) गंधार चरण-II	7.14
(ज) बेसिन गैस क्षेत्र का अतिरिक्त विकास	5.00

इसके अतिरिक्त, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के 6 मध्यम आकार के अपतटीय क्षेत्रों को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ संयुक्त उद्यम प्रबंधों के अधीन विकास के लिए दिया गया है और वर्ष 1996-97 तक इनसे भी गैस का उत्पादन होने लगेगा।

इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का उत्पादन लगभग 45.74 एम०एम०एस०सी० एस०डी० है जिसके 1996-97 तक बढ़कर 82.68 एम०एम०एस०सी०एम०डी० हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण

*238. **मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1993 में दिल्ली में राष्ट्रीय एड्स समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में एड्स के फैलाव को रोकने के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने सम्बन्धी तरीकों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बैठक में यह अनुमोदित किया गया कि जागरूकता पैदा करने के लिए समन्वित प्रयास होना चाहिए ताकि खतरे वाले आचरण, जिससे एच० आई० वी० का संचरण होता है, को रोका जा सके तथा इस प्रयास के साथ गैर सरकारी संगठनों को संबद्ध करने के महत्त्व पर जोर दिया गया।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

*239. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी;

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे; और

(ग) इस अवधि के दौरान तेल के आयात पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1992-93 के प्रति 6.8 प्रतिशत के उन्नयन का प्रतिनिधित्व करते हुए, 1993-94 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में 63.294 एम० एम० टी० तक वृद्धि होने का अनुमान है।

(ख) बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति अतिरिक्त आयातों द्वारा प्रस्तावित है।

(ग) विदेशी मुद्रा की जरूरत आयात किए जाने वाले तेल की कुल मात्रा, प्रचलित अन्तर राष्ट्रीय बाजार मूल्यों और डालर-रुपया विनिमय दर पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन

*240. **श्री संजय लाल :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन की मात्रा के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तदनुसार वर्ष 1992-93 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह लक्ष्य पिछले वर्षों के लक्ष्य की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान यह लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक प्राप्त संकेतों के अनुसार कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन होने की सभावना है; और

(च) आयोग किन कारणों से आम राय से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 25.544 एम० एम० टी०।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) लगभग 24.318 एम०एम०टी०।

(च) (1) नये कूपों से कम तेल की प्राप्ति,

(2) पूर्वी क्षेत्र में पर्यावरणीय बाधाएं;

(3) भंडारण संबंधी बाधाएं;

(4) राव्वा से आरम्भ होने वाले उत्पादन में एच०एस०एल० द्वारा कार्य को विलंब से पूरा किए जाने के कारण विलंब होना;

(5) बंबई हाई क्षेत्र में सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाना

2252. **श्री देवी बक्स सिंह :**

श्री जे० चोक्का राव :

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान भारत में किन-किन पुस्तकों और प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) इन पुस्तकों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) प्रतिबंधित पुस्तकों और प्रकाशनों के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट पुस्तक या प्रकाशन के बारे में सूचना चाहें तो वह उन्हें दी जा सकती है।

(ग) किसी भी पुस्तक या अन्य प्रकाशन, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 में सूचीबद्ध आपत्तिजनक सामग्री निहित हो, उसे राज्य सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत को क्षेत्रीय अखंडता या सीमाओं के प्रति इस प्रकार से, जो भारत को संरक्षा और सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल हो या जिनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो, प्रश्न चिह्न लगाने वाली पुस्तक या अन्य प्रकाशन को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त किया जा सकता है। सरकार, आबकारी अधिनियम 1962 की धारा 11 के अन्तर्गत सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता विदेशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने के आधार पर जनहित में प्रतिबंध लगा सकती है।

गुजरात में गैस की नई पाइप लाइन

2253. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गैस की एक नई पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) गैस अथारिटी आफ इण्डिया ने गंधार गैस क्षेत्र से एन०टी०पी०सी० के प्रस्तावित विद्युत संयंत्र तक गैस पाइप लाइन बिछाने की परियोजना को अपने हाथ में लिया है।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन जागरूकता के लिए सहयोग

2254. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन जागरूकता अभियान चलाने में सहयोग देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र तथा ट्रेड यूनियनों से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा मजदूर संघों से इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद देने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उद्यम से भी परामर्शी गतिविधियां शुरू करने और गहन परिवार कल्याण अभियान विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल में भर्ती

2255. **डा० लाल बहादुर रावल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डयूटी इन्सपेक्टर जनरल (हैडक्वार्टर्स) एफ०एच०क्यू० के माध्यम से वर्ष 1992 के दौरान सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर कितने व्यक्ति भर्ती किए गए हैं;

(ख) उनमें अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति कितने हैं;

(ग) क्या कांस्टेबल की भर्ती में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्ष 1992 के दौरान उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) एफ०एच०क्यू० के माध्यम से 2559 कांस्टेबल भर्ती किए गए थे।

(ख) इनमें से 432 अनुसूचित जाति और 203 अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

महाराष्ट्र में पारली ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति

2256. **श्री गोविन्द राव निकाम : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पारली ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति उसकी आवश्यक मात्रानुसार नहीं की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विद्युत केन्द्र द्वारा कितने कायले की मांग की गई तथा गत एक वर्ष के दौरान वास्तव में इसे कितना कोयला भेजा गया;

(घ) क्या कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण इस विद्युत केन्द्र का विस्तार नहीं हो सका तथा 210 मेगावाट का संयंत्र बन्द करना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संयंत्र को चलाने तथा विद्युत केन्द्र का विस्तार भी करने के लिए मांगी गयी मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के परली तापीय विद्युत गृह की चालू वर्ष में कोयले की आवश्यकता और आपूर्ति को नीचे दर्शाया गया है :

(000 टन में)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित की गई कोयले की आवश्यकता	अप्रैल, 1992-जनवरी 1993 की अवधि के दौरान यथा अनुपात में आवश्यकता	अप्रैल, 1992-जन०, 1993 के दौरान को० इं० लि० और लि० को० कं० लि०से कोयले का प्रेषण
2880	2400	1505

इस विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा स्वीकृत संयोजन को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण और इसकी उतराई की समस्या, कोयले की बकाया राशि की अदायगी न किए जाने के कारण प्रभावित हुई है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत केन्द्र ने अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 की अवधि के दौरान कोयले की कमी के कारण उत्पादन में 1014 मिलियन यूनिटों की कमी हुई ।

(ङ) कोयला कम्पनियों को विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की सलाह दी गई है। किन्तु वास्तविक प्रेषण विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है, जिसमें विद्युत गृहों द्वारा कोयले की उतराई, रेलवे वैगनों, आदि की उपलब्धता, कोयले की शीघ्र अदायगी करना शामिल है । विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जाती है । विद्युत गृहों को की जाने वाली कोयले की आपूर्ति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है तथा अपेक्षानुसार इसमें धारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

[अनुवाद]

डेकन मेडिकल कालेज हैदराबाद

2257. **श्री बे० चोक्का राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित डेकन मेडिकल कालेज को निजी मेडिकल कालेजों संबंधी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुमति प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कालेज में अस्पताल की सुविधा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) जी नहीं। मेडिकल कालेजों का अध्यादेश जून, 1992 के पश्चात् स्थापित किए गए कालेजों पर लागू होता है।

(ग) और (घ) सूचित किया गया है कि डेकन मेडिकल कालेज, हैदराबाद से संबद्ध 5 मेडिकल कालेज इस प्रकार हैं—

1. प्रिंसिस एजस अस्पताल, हैदराबाद
2. दक्षिण मध्य रेलवे अस्पताल, हैदराबाद
3. मुस्लिम प्रसूति अस्पताल, हैदराबाद
4. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अस्पताल, हैदराबाद
5. प्रिंसिस दुरेह शिवार बाल अस्पताल, हैदराबाद

[हिन्दी]

विद्युत केन्द्रों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बकाया धन-राशि

2258. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1992 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न विद्युत केन्द्रों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विद्युत गृहों की ओर भारत कोकिंग कोल लि० (भा० को० को० लि०) की देय बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु० में)

राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत कारपोरेशन	आंकड़े अनतिम राशि
1	2
बदरपुर ताप विद्युत गृह	86.34
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	0.58
दामोदर घाटी कारपोरेशन	59.82
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	22.77
दुर्गापुर परियोजना लि०	13.50
गुजरात विद्युत बोर्ड	5.91

1	2
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	9.98
राष्ट्रीय तापीय विद्युत कारपोरेशन	0.81
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	95.86
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	5.96
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	4.52
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	95.17
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	4.86
पश्चिम बंगाल विद्युत विकास कारपोरेशन	19.39
जोड़	425.47

(ख) इस संबंध में देय बकाया राशि की वसूली के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं—

1. अगस्त, 1990 में एक निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसार 31-5-90 की स्थिति के अनुसार, राज्य विद्युत बोर्ड की ओर कोल इंडिया लि० के सभी देय अविवादित बकाया राशि की वसूली को चार बराबर वार्षिक किश्तों में सम्बद्ध राज्य के मामले में अनुमोदित की गई केन्द्रीय योजना की सहायता की राशि में से वसूल की जाएगी। इस संबंध में अभी तक 3 किश्तें प्राप्त हुई हैं।

2. जहां भी संभव हो, कोयला कंपनियों की ओर ऊर्जा की आपूर्ति किए जाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया देय राशि का समायोजित करके वसूली की जा रही है।

3. कुछ राज्यों, जैसे बिहार/पश्चिम बंगाल में शुल्क/रायल्टी की देय बकाया राशि को समायोजन की सहमति से भी वसूली की जा रही है।

4. अक्तूबर, 1991 से "केश एण्ड कैरी प्रणाली" के आरंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति अग्रिम अदायगी के एवज में की जाती है।

कोयला खानों के श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं

2259. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कोयला खान में कितने श्रमिक कार्यरत हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन्हें समुचित स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा कोयला खानों में 25,726 श्रमिक कार्यरत हैं।

(ख) श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस स्थान पर अच्छे उपकरणों वाले 3 अस्पताल कार्यरत हैं, जिसमें 335 बिस्तरों की तथा 21 डिस्पेंसरियों की व्यवस्था है। गंभीर मामलों को जहां भी आवश्यकता होती है उन्हें बाहर संदर्भगत कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

कोयला खानों के कामगारों की चिकित्सा जांच

2260. **श्री तारा चन्द खण्डेलवाल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में कार्य करने वाले कामगारों की बारी-बारी से नियमित चिकित्सा की जांच की जाती है;

(ख) क्या विभिन्न खानों से जुड़े चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सा जांच के लिए फिजीशियन और सर्जन नियमित रूप से उपलब्ध होते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) प्रारंभिक नियुक्ति के समय प्रत्येक कर्मचारी की पूर्णता स्वास्थ्य संबंधी परीक्षा की जाती है। इसके पश्चात् 5 वर्ष की अवधि में एक बार आवधिक रूप में स्वास्थ्य की जांच की जाती है। कोल इंडिया लि० तथा उसकी सभी सहायक कंपनियों के सभी क्षेत्रीय अस्पतालों में, जिसमें विशेषज्ञों की आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं, स्वास्थ्य परीक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिनांक 10-2-93 को सम्पन्न पिछली परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रति 3 माह की अवधि में, अनिवार्य रूप में बारी-बारी से स्वास्थ्य की परीक्षा का रिकार्ड रखने के लिए प्रत्येक अध्यस्क के लिए फोटोग्राफ सहित स्वास्थ्य कार्ड की शुरूआत की जाए।

चिकित्सीय गर्भ समापन के मामले

2261. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अथवा किसी स्वायत्तशासी निकाय अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्वयं सेवी संगठन ने देश में चिकित्सीय गर्भ समापन के मामलों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के सामान्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री सी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा और तमिलनाडु के पांच राज्यों में अवैध गर्भ समापनों पर एक अध्ययन किया गया था।

(ख) इस अध्ययन से पता चला कि अवैध गर्भ समापनों की संख्या वैध गर्भ समापनों की संख्या के मुकाबले अधिक थी और चिकित्सीय गर्भ समापन सेवाओं के बारे में जागरूकता कम थी।

(ग) राज्य सरकारों को चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सीय गर्भ समापन सक्शन उपकरण खरीदने के लिए धन प्रदान किया गया है। कुछ मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों को विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता से चिकित्सीय गर्भ समापन सक्शन उपकरणों की आपूर्ति भी की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार

2262. **श्री सुरेशानंद स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत छह माह के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार करने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ मामलों में पुलिस कर्मी लिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) राज्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) अवयस्कों के साथ बलात्कार करने सहित अपराधों को दर्ज करने, जांच, करने, पता लगाने और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पुलिस, राज्य का विषय होने के कारण, पुलिस कर्मियों सहित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। पिछले छः महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में, अवयस्कों के साथ बलात्कार करने के बारे में सूचित किए गए मामलों की संख्या और इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में प्रदूषण नियन्त्रण

2263. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार अपने संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) "सेल" के निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में पूर्ण रूप से विकसित पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग और इसकी इकाइयों/संयंत्रों में पर्यावरण नियंत्रण विभाग स्थापित किए गए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों, जिनके लिए विस्तृत पर्यावरण नियंत्रण कार्रवाई योजना बनाई गई है और कार्यान्वियनाधीन है, जो छोड़कर पिछले 3-4 वर्षों के दौरान सेल के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में पर्यावरण नियंत्रण संबंधी कई उपाय किए गए हैं जिनसे संयंत्रों के समीप परिवेशीय वायु गुणता और संयंत्रों से होने वाला बहिस्राव विसर्जन सामान्यतः मानदण्डों के भीतर है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण पर समिति

2264. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए गठित विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश और विदेश के कुछ निजी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विकसित देशों से प्रौद्योगिकी सहायता के साथ तेल निकालने के उद्देश्य को पूरी तरह नकार दिया गया है;

(घ) क्या इस मामले में देश के अपने विशेषज्ञों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने पी० के० कौल समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और समिति की निम्नलिखित अनुशंसाओं को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है—

1. कम्पनी अधिनियम के अधीन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में बदलना;

2. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का गठन; और

3. नव गठित कंपनी की इक्विटी के 20 प्रतिशत का अधिकार-हनन ।

(ग) से (ङ) भारत में तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए निजी तेल कम्पनियों को आमंत्रित करने का उद्देश्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के तेल-अन्वेषण के कार्यों में तेजी लाना है । इस मामले में देश की विशेषज्ञों को प्रभावित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य विकिरण

2265. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने खाद्य विकिरण प्रक्रिया को शामिल करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) खाद्य परिरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शकरानन्द) : (क) और (ख) सुझाए गए संशोधनों की मुख्य विशेषताएं प्याज, मसालों और आलुओं की लेबलिंग, भण्डारण और बिक्री, लाइसेंसिंग और उनकी किरणन की खुराक से संबंधित हैं ।

(ग) किरणन द्वारा खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत ढांचे को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों को संशोधित करने हेतु मसौदा नियमों में समाविष्ट किया गया है, जिन्हें जन-साधारण की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया है ।

"गैस प्रज्वलन कटौती परियोजना"

2266. **श्री मोहन रावले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पश्चिमी तट दूर क्षेत्र में प्रज्वलित गैस को तरल रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रज्वलित गैस में कितनी कमी होने की संभावना हैं; और

(घ) प्रज्वलित गैस में कटौती करने संबंधी निर्माणाधीन परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की "गैस-दहन-न्यूनीकरण परियोजना" में अपतटीय क्षेत्र में संपीडन और संसाधन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना, नई उप-एरिया पाइप लाइन बिछाना और हाजिरा टर्मिनल पर संसाधन सुविधाओं का विस्तार किया जाना शामिल है। इस परियोजना पर लगभग 3.2 बिलियन अमरीकी डालर लागत आने का अनुमान है।

मंत्रियों द्वारा मुम्बई का दौरा

2267. **श्री राम नाईक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1992 और जनवरी, 1993 के दौरान संसद सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किए गए एक मुम्बई के दौरे का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन मंत्रियों ने सामान्य वायु सेवा और विशेष वायु सेवा का उपयोग किया; और

(ग) उन पर कितना व्यय हुआ ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

नर्सिंग होम

2268. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी अस्पताल/नर्सिंग/होम/क्लिनिक निःशुल्क मंहगे चिकित्सा उपकरण बिना शुल्क आयात करने में सरकार से लाभ लेने के बावजूद भी निर्धन रोगियों का मुफ्त उपचार नहीं करती;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन संस्थाओं में सुविधाओं तथा योग्य कर्मचारियों की कमी है तथा इनमें से कई बिना लाइसेंस के चल रहे हैं;

(घ) क्या आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को इन संस्थाओं में भेजने के लिए इन्हें सरकारी अस्पतालों के साथ संबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कुछ दृष्टान्त सरकार के ध्यान में आए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थी संस्थाओं में छूट देने संबंधी शर्तों का कड़ाई से अनुवीक्षण करने की सलाह दी गई है।

(ग) ऐसा कोई दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) से (ङ) लाभार्थी संस्थाओं को सरकारी अस्पतालों से जोड़ने की एक योजना दिल्ली में शुरू की गई है।

इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन

2269. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1993-94 के लिए बजट प्रस्तावों में ऐसे उपाय निहित हैं जिनसे इस्पात संयंत्रों सहित औद्योगिक परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार होगा। इन उपायों में परियोजनाओं के आयात पर सीमा शुल्क में कमी करना और वाणिज्यिक अग्रिमों पर न्यूनतम ब्याज की दर में कमी करना शामिल है।

अंधता निवारण

2270. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अंधता निवारण हेतु एक वृहत् कार्य योजना लागू करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) जी हां। दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए अन्य राज्यों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की जाने वाली एक परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी गई है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा कालेजों और जिला अस्पतालों जैसी स्थायी सुविधाओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गश्ती एककों के माध्यम से अत्यधिक मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की बात पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन०बी०एफ०डी०सी०) द्वारा सहायता

2271. **श्री रामदेव राम** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन० बी०

एफ० डी० सी०) द्वारा विभिन्न उद्योगों/परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ख) एन० बी० एफ० डी० सी० द्वारा जिन पिछड़े वर्गों के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराए गए उसकी सूची क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने 5 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न उद्योगों/परियोजनाओं के लिए 18.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	योजनाओं की संख्या	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम के ऋण की संस्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में)
1.	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र	14	2 33
2.	औद्योगिक क्षेत्र	30	5.72
3.	लघु व्यवसाय तथा व्यापार क्षेत्र	45	8.61
4.	परिवहन क्षेत्र	12	1.96
	कुल	101	18.62

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राज्य पिछड़ा वर्ग निगम अथवा पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किन्हीं अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के सदस्यों को ऋण दे रहा है। पात्रता के लिए एक पूर्वापेक्षा यह है कि लाभार्थी की आय गरीबी की रेखा से दुगनी नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

केरल में पुलिस अकादमी

2272. **श्री वी० एस० विजय राघवन :**

श्री कोडोकुन्नील सुरेश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पुलिस अकादमी की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मांगी है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ "पुलिस बलों का

आधुनिकीरण" की योजना के अधीन पुलिस प्रशिक्षण के लिए भी सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के अधीन चालू वित्त वर्ष में केरल राज्य को 113.99 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

उग्रवादियों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय धन

2273. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे उग्रवादियों, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, के पुनर्वास के लिए धन का नियतन किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार प्रतिवर्ष किए गए धन के नियतन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान-गुमराह युवकों के पुनर्वास के लिए असम सरकार को 110 करोड़ रुपए की राशि आबंटिन की है।

फाइलेरिया संबंधी अनुसंधान केन्द्र

2274. **श्री थाइल ऑन अंजलोज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शेरथलाई (केरल) में फाइलेरिया संबंधी अनुसंधान केन्द्र का और अधिक विकास करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि फाइलेरिया अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय एकक शेरथलाई, केरल में कार्य कर रहा है और पोन्नानी के साथ लगे क्षेत्र को कवर करने के लिए भी इसके कार्यकलापों को और बढ़ाया गया है।

चरक पालिका अस्पताल, दिल्ली में चिकित्सकों की कमी

2275. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1993 के नवभारत टाइम्स में "चरक पालिका अस्पताल खुले आसमान के नीचे घंटों खड़े मरीजों को पूरी दवाइयां भी नहीं मिलती" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस अस्पताल मे चिकित्सकों तथा दवाओं की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो चिकित्सकों तथा दवाओं की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि चरक पालिका अस्पताल में डाक्टरों और दवाइयों की कमी नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकारों पर कोयले की बकाया राशि

2276. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उपकर के रूप में केन्द्र सरकार की कोई राशि राज्य सरकारों पर बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार से बकाया राशि प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) राज्य सरकारों द्वारा सांविधिक रूप में कोयले पर लगाए गए उपकर का कोयला कंपनियों द्वारा संग्रहण किया जाता है तथा इनका सीधे राज्य सरकारों को भुगतान कर दिया जाता है। इन उप करों की भारत सरकार के खातों में प्रविष्टि नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

उड़ीसा में धातुओं और खनिजों के भंडार

2277. श्री अनादिचरण दास : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान धातुओं और खनिजों के भंडारों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने उड़ीसा में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक धातु एवं खनिज की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) इनकी उचित खोज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (बी०एस०आई०) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, कोरापुट जिले में निशिखल और पोडाकाना-तालढोंढसी प्रखंड में 17.957 मि० टन मैग्नीज; कटक जिले में सुकिन्दा कम्प्लेक्स के विस्तार में 2.98 मि० टन क्रोमाइट और सुन्दरगढ़ जिले में आई० बी० नदी कोयला क्षेत्र में 155 मि० टन कोयले तथा धेंकनाल जिले में तलचेर कोयला क्षेत्र में 440 मि० टन कोयले के भण्डारों की पुष्टि की गई।

(ग) आंकड़ों का पर्याप्त मूल्यांकन करने के बाद क्रमबद्ध गवेषण किया जाता है। धातुओं/खनिजों का विदोहन निक्षेपों की तकनीकी आर्थिक साध्यता पर निर्भर होता है।

खाद्य पदार्थों के नमूने

2278. **डा० आर० मल्लू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों के निर्धारित मानकों के लिए किन-किन खाद्य पदार्थों के नमूनों का परीक्षण किया गया; और

(ख) इन नमूनों में दुग्ध आधारित कितने खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

कर्नाटक में भारत स्वर्ण खानों का बन्द होना

2279. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में भारत स्वर्ण खानों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन खानों के बन्द होने से कितने मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के मुख्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई० एफ० आर०) इस कंपनी के मामले में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई कर रहा है और कम्पनी के भविष्य पर कोई निर्णय बोर्ड द्वारा इस सुनवाई के अन्तिम निर्णय पर निर्भर करेगा ।

ऋण देने की लिए आय सीमा और आयु सीमा

2280. **श्री राम प्रकाश** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण देने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्तीय और विकास निगम द्वारा आय तथा आयु की क्या सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार आय सीमा को बढ़ाने तथा आयु सीमा को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी आय गरीबी की रेखा की दुगनी अर्थात् 22000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होती है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की है ।

(ख) तथा (ग) गरीबी की रेखा से दुगनी से ऊपर लाभभोगियों के लिए कुछ निधि निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बिहार में अलुमिनियम संयंत्र

2281. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची, पलामु तथा सिंघभूम जिलों में मौजूद बाक्साइट भण्डारों पर आधारित एक अलुमिनियम संयंत्र की बिहार में स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) संयंत्र कब तक स्थापित किया जाएगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सर्पदंश से मृत्यु

2282. **श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खुले मुहाने तथा भूमिगत खादानों में कितने कर्मचारियों की मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई है;

(ख) क्या मृतकों के परिवार के सदस्यों को इस दौरान कोई क्षतिपूर्ति या रोजगार दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की ओपनकास्ट खानों तथा भूमिगत खानों के कोलियरियों के किसी भी कर्मचारी की सर्प के काटने से मृत्यु नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एल० पी० जी० स्टोव का निर्माण

2283. **डा० राजागोपालन श्रीधरण** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन तमिलनाडु तथा अन्य स्थानों पर एल० पी० जी० स्टोव का निर्माण करने के लिए तमिलनाडु में एक उपक्रम "तान्सी" के साथ वार्ता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी अन्य राज्य के उपक्रम ने भी सहयोग का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन शतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

1984 के दंगा पीड़ितों की मांगें

2284. **डा० ए०के० पटेल :**
श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के दंगा पीड़ितों ने हाल ही में केन्द्र सरकार को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) सरकार को, नवम्बर, 1994 के दंगों से प्रभावित कर्जदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली अनेक एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

I. कि 25,000 रुपए तक के मूल ऋण को माफ कर दिया जाए और शेष राशि की वसूली, निर्णय लिए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में की जाए, और

II. यह कि ऋण इत्यादि के रूप में दी गई सहायता पर सरकार 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूल करें ।

सरकार ने, नवम्बर, 1984 के दंगा प्रभावित ऋण प्राप्तकर्ताओं को, बैंक ऋणों पर दी गई रियायतों की पुनरीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की है । समिति की पुनरीक्षित मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं :

(I) ऋण प्रदान करते समय जिन मामलों में 5,000 रुपए तक का मूल ऋण दिया गया था, इन ऋणों को सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने की तारीख तक एकत्र हुए, ब्याज की बकाया राशि सहित, बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाए । उपरोक्त राहत देने के प्रयोजन के लिए किसी ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा एक बैंक से लिए गए 5,000 रुपए के ऋण को कुल ऋण माना जाएगा । 31-3-1992 को या इससे पहले बंद हो गए खाते इस प्रकार की रियायत पाने के पात्र नहीं होंगे ।

(II) 5,001 रुपए से 25,000 रुपए तक के मूल ऋणों के संबंध में 31-3-1992 तक के कुल ब्याज को बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाए । 31-3-1992 को या इससे पहले बंद हो गए खातों पर इस प्रकार की रियायतें नहीं मिलेंगी ।

(III) जिन मामलों में मूल ऋण 25,001 रु० या इससे अधिक है । उन ऋणों के संबंध में, 1-1-1990 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए ब्याज (साधारण ब्याज) की दर को घटाकर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष तक करके केन्द्रीय ब्याज राहत योजना के अन्तर्गत अंतिम

तारीख को 31-3-1992 तक बढ़ाया जाए। 31-3-1992 को या इससे पहले बंद हो गए खातों पर इस प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी।

(IV) ब्याज राहत देने के बाद जैसा कि ऊपर सिफारिश की गई है, शेष राशि की अदायगी ब्याज की सामान्य दर पर इस मामले में निर्णय लिए जाने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के भीतर करने की व्यवस्था की जाए।

(V) दंगा प्रभावित ऋण प्राप्तकर्ताओं के मामलों में इस प्रकार के दंगा प्रभावित ऋण प्राप्तकर्ताओं से, बैंकों द्वारा उन्हें पहले दिए गए ऋणों पर 31-3-1992 तक ब्याज पर ब्याज वसूल नहीं किया जाना चाहिए। जो खाते 31-3-1992 को या उससे पहले बन्द हो गए थे, उन्हें ऐसी रियायत नहीं दी जाएगी।

(VI) चालू इकाइयों द्वारा महसूस की जा रही धन की कमी के मामलों और पुर्नजीवित की जा सकने वाली इकाइयों की समीक्षा किए जाने की सलाह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को दी जाए। और उन इकाइयों को जरूरत-आधारित कार्यशील पूंजी/सावधिक ऋण वर्तमान ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाएं।

(VII) दंगा प्रभावित ऋण प्राप्तकर्ताओं को स्वीकृत नवीन ऋण सुविधाएं सामान्य ब्याज दर वाली तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किए गए सामान्य मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए।

सिफारिशों को कार्यान्वियत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। कार्यान्वयन के लिए, इसके विषय में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सॉकर रॉड पम्पों की खरीद

2285. **श्री एच० डी० देवगौड़ा :**

श्री नवल किशोर राय :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की थी कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को विदेशों के बजाए स्वदेशी बाजार से सॉकर रॉड पम्प खरीदने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग गत तीन वर्षों से विदेशों से सॉकर रॉड पम्पों की खरीद कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इस आयोग ने कितने सॉकर रॉड पम्प खरीदे; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस खरीद पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) तेल उद्योग में देशीकरण पर शक्ति प्राप्त समिति ने वर्ष 1990 में देशी निर्माताओं से सॉकर रॉड पम्पों के लिए सरफेस यूनिटों की खरीद की अनुशंसा की थी। विश्वव्यापी

निविदा के माध्यम से विश्व बैंक के ऋण के प्रतिवर्ष 1991 में 687 हजार अमरीकी डालर की लागत पर 50 यूनिटों की खरीद को छोड़कर 1990, 1991 और 1992 में विदेश से ऐसी यूनिटों की कोई खरीद नहीं की गई थी। इनकी खरीद एक अमरीकी और चीनी कम्पनी से की गई थी। व्यापार एवं विदेशी मुद्रा की नई नीति को देखते हुए और आवश्यकता की तात्कालिकता की दृष्टि से और देशी निर्माताओं से प्राप्त ऐसी यूनिटों की अधिक लागत को देखते हुए विश्व-व्यापी निविदा के माध्यम से 1993 में एक चीनी कम्पनी को 68 यूनिटों के लिए आदेश दिए गए थे।

[हिन्दी]

दिल्ली में यातायात समस्या

2286. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :**

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यातायात समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या यातायात समस्या में सुधार करने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली में यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शीघ्र कार्यान्वयन करना।

(ii) बस परिवहन प्रणाली में सुधार करना।

(iii) क्षेत्रीय लाईसेंस प्रणाली को शुरू करना।

(iv) दिल्ली में अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले बाजारों, विशेष रूप से चांदनी चौक, करौल बाग और कनाट प्लेस में पैदल पथ बनाना।

(v) दिल्ली में ट्रैफिक सिगनलों की क्षेत्रीय ट्रैफिक नियन्त्रण प्रणाली लागू करना।

(vi) सिटी ट्रैफिक पेट्रोल का सृजन करना।

[अनुवाद]

तेल टैंकरों को भाड़े का भुगतान

2287. **श्री शरद यादव :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान लागत तथा अन्य व्यय के आधार पर तेल के टैंकरों को भाड़े की अदायगी में सरकार को कितना घाटा हुआ;

(ख) लागत तथा अन्य व्यय फार्मूले का आधार क्या है और यह अन्तर्राष्ट्रीय दरों से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या सरकार ने भारी लागत तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल टैंकरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लागत तथा अन्य व्यय फार्मूले पर पुनर्विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) लागत और दर तेल के टैंकर के उस सम्पूर्ण आर्थिक जीवन पर आधारित होती है जो वर्तमान में 20 वर्ष निर्धारित है और इसलिए यह स्थल बाजार दरों के साथ तुलनीय नहीं है।

(ख) से (घ) लागत और व्यय सूत्र इस प्रयोजन के लिए मानदण्डों की उपलब्धि और स्थापित अन्य प्रचालनगत प्राचलों पर प्रतिपूर्ति पर आधारित होता है और यह अति अस्थिर टैंकर बाजार में दीर्घकालिक आधार पर तेल उद्योग के लिए अधिकतम विश्वसनीयता और न्यूनतम लागत सहित सर्वोत्तम संभव प्रबंध है।

[हिन्दी]

अपराधियों तथा आतंकवादियों से भारतीय सेना के हथियारों की बरामदगी

2288. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अपराधियों तथा आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेना के हथियारों और बमों के कथित प्रयोग के कोई मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, छापों तथा अन्य कार्यवाहियों में अपराधियों तथा आतंकवादियों से भारतीय सेना के हथियार जब्त किए जाने के कितने मामले हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाने हेतु कोई जांच कराई है कि अपराधियों तथा आतंकवादियों को भारतीय सेना के हथियार किस प्रकार मिले;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकारों ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता

2289. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता में बहुत-सी दवाइयां स्टोर में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस डिपो को सभी दवाइयों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सामान्य तौर पर अधिकतर इंडेंट की गई मदें चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, कलकत्ता में उपलब्ध हैं, आपूर्तियां जहां आवश्यक होता है, अन्य डिपुओं, से मंगाकर अथवा नई खरीद करके की जाती हैं।

पुरुलिया जिले में इस्पात संयंत्र

2290. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो कब, और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) : सरकार का पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के मानक शहरी क्षेत्र की परिधि की 25 कि०मी० की सीमा को छोड़कर निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

2291. **श्री लोकनाथ चौधरी** :
श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री के०एच० मुनियप्पा :
श्री रवि राय :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राइवेट कम्पनी के सहयोग से उड़ीसा में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का निजी कम्पनी के सहयोग से उड़ीसा में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह यूनाइटेड किंगडम के कापारो ग्रुप के सहयोग से दैतारी में एक एकीकृत लोहा और इस्पात परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव कर रही है। यह भी सूचित किया गया है कि 6400 करोड़ रुपए की लागत से 1997 के अन्त तक इस परियोजना के पूरा हो जाने की संभावना है। आशा है कि जब इस परियोजना में पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा तब यह 15 लाख टन तप्त बेल्लित क्वायलों तथा 42 लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन करेगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में वाहनों की चोरी

2292. **श्री एन०के० बालियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बत आठ महीनों के दौरान दिल्ली में वाहनों की चोरी के महीनावार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसके आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में ऐसे मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी पर रोक लगाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) : दिनांक 1-7-92 से 28-2-93 तक के आठ महीनों तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान दिल्ली में वाहन चोरी के सूचित मामलों की माहवार संख्या निम्न प्रकार है :

माह	1-7-92 से 28-2-93 के बीच की अवधि में	1-7-91 से 29-2-92 के बीच की अवधि में
जुलाई	304	232
अगस्त	272	263
सितम्बर	327	215
अक्तूबर	303	249
नवम्बर	203	230
दिसम्बर	279	272
जनवरी	290	288
फरवरी	248	254

(ग) और (घ) ऐसी वाहन चोरियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) प्रभावी क्षेत्रों में पैदल/सचल गश्त को सघन कर दिया गया है ।

(ii) वाहन चोरी निरोधक दस्तों तथा स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी क्षेत्रों में जाल बिछाए जा रहे हैं ।

(iii) लावारिस, बिना ताला लगे वाहनों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 66 के अधीन कार्रवाई तेज कर दी गई है ।

(iv) ऐसी चोरियों के खिलाफ पूर्व-सावधानियों के बारे में लोगों को सलाह देने वाले पर्चे जनता में बांटे गए हैं ।

(v) मोटर-वाहन चोरी की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

(vi) वाहन चोरों को पकड़ने के लिए अपराध बहुत क्षेत्रों में सादी वर्दी वाला स्टाफ तैनात किया गया है ।

(vii) समाचार माध्यमों पर प्रचार करके जनता को शिक्षित किया जा रहा है कि वे वाहनों पर नम्बर खुदवाएं तथा सुरक्षा-युक्तियां स्थापित करवाएं ।

(viii) पिकेटों पर तैनात स्टाफ को, सभी वाहनों की सावधानीपूर्वक जांच करने के आदेश दिए गए हैं ।

(ix) अभियुक्तों तथा वाहनों को पकड़ने के लिए गुमशुदा वाहनों के पंजीकरण नम्बर सभी पी०सी०आर० वाहनों को तुरन्त सूचित कर दिए जाते हैं ।

महिला कैदियों का शोषण

2293. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में महिला कैदियों का शोषण किये जाने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने महिला कैदियों के शोषण रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) न्यायमूर्ति श्री ए०एन० मुल्ला (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा जेल सुधारों पर गठित अखिल भारतीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में महिला कैदियों के साथ बरताव के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं । चूंकि 'जेल' राज्य का विषय है, इन सभी सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है । अतः रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचारार्थ और कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित की गई है ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के लिए डीजल और पेट्रोल का आबंटन

2294. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के लिए डीजल और पेट्रोल के कोटा के आबंटन और इनकी आवश्यकता में बहुत अन्तर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) संपूर्ण देश में पेट्रोल और डीजल की मांग मोटे तौर पर पूर्णतः पूरी की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

2295. **डा० सुधीर राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई से कोल इण्डिया लिमिटेड को कितनी धन-राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) कितनी धन-राशि बकाया पड़ी है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयले की आपूर्ति के लिए विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं से कोल इण्डिया लि० को अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 की अवधि के दौरान चालू वर्ष में कुल 3713.32 करोड़ रु० की राशि प्राप्त हुई।

(ख) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-1-1993 की स्थिति के अनुसार विद्युत उपयोगिताओं की ओर देय बकाया राशि का अन्तिम ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े अनंतिम)
(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	विद्युत उपयोगिता का नाम	जोड़
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	5.26
2.	अहमदाबाद विद्युत कम्पनी (ए०ई०सी०)	26.48
3.	बदरपुर तापीय विद्युत गृह	188.99
4.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	18.83
5.	कलकत्ता विद्युत आपूर्ति कम्पनी (सी०ई०एस०सी०)	2.99
6.	दामोदर घाटी कारपोरेशन	121.31
7.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	38.46
8.	दुर्गापुर परियोजना लि०	42.09
9.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	136.29
10.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	109.12
11.	कर्नाटक विद्युत कारपोरेशन लि० (के०पी०सी०एल०)	13.65
12.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	45.86

1	2	3
13.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	276.35
14.	राष्ट्रीय तापीय विद्युत कारपोरेशन	142.30
15.	उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड	10.10
16.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	170.08
17.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	13.12
18.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	162.88
19.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	289.98
20.	पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	79.23
21.	पश्चिमी बंगाल विद्युत विकास कारपोरेशन	100.28
22.	अन्य	9.69
	कुल जोड़	2003.37

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलेण्डर का लागत मूल्य

2296. **डा चिन्ता मोहन :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा आयात किए जा रहे 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले रसोई गैस सिलेण्डर का सरकारी लागत मूल्य 120 रुपये है; और

(ख) यदि हां, तो रसोई गैस का आयात मूल्य, भाड़ा, देश में इसका भण्डारण शुल्क, सिलेण्डर भरने की लागत और उपभोक्ताओं को इसे उपलब्ध कराने पर किए जा रहे व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन एल०पी०जी० का थोक में आयात करता है और अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 की अवधि में एल०पी०जी० की सी एण्ड एफ आधार पर तुलित औसत आयात कीमत 220 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन थी। अन्य सभी खर्चों को हिसाब में लेने पर भरण संयंत्र पर 14.2 कि०ग्रा० के एक सिलिण्डर की कीमत लगभग 186 रुपये बैठती है।

[अनुवाद]

पश्चिमी बंगाल में हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं

2297. **श्री अमल दत्ता** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-विज्ञान सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार पश्चिमी बंगाल में हाइड्रोकार्बन अभी भी 4000 मीटर की गहराई से नीचे उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल में इन क्षेत्रों की बाह्याकृति, सम्भावित गहराई तथा हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता के पूर्ण भौतिक अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न गहराई पर ड्रिलिंग कार्य की प्रगति में काफी असमानता है तथा 400 मीटर के नीचे की गहराई पर यह कार्य बहुत ही धीमा चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) भू-वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्वानुमानित पूर्वेक्षण कार्य (जियोलाजिकली प्रेडिक्टेबुल प्रोस्पेक्टिविटी) स्रोत भण्डारों तथा कैप राक फैसिज को पर्याप्त करने का ही एक कार्य है। ये घटक एक ही बेसिन में अलग-अलग होते हैं। अत: कोई अनुमान कि हाइड्रोकार्बन मिलने की संभावना (प्रॉस्पेक्टिविटी) 4000 मी० से कम की गहराई तक ही सीमित होती है तब तक मान्य नहीं हैं जब तक यह वेधन द्वारा प्रमाणित नहीं कर लिया जाता है।

(ख) पश्चिमी बंगाल में विभिन्न कूपों में जिन फार्मेशनों का वेधन किया गया है वे हैं बेसमेंट, गोंडवाना, राजमहल ट्रैप, बोलपुर/घटल, जलान्गी, सिलहट लाइमस्टोन, कोपिली, बर्दवान/मेमरी, पांडुआ/मेटला, देबाग्राम/राणाघाट और बंगाल एलुवियम। उपर्युक्त सभी शैल-विज्ञानी स्तरों का परीक्षण तटवर्ती तथा अपतटीय दोनों क्षेत्रों में 42 कूपों का वेधन करके किया गया है। परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे और कूपों को सूखा छोड़ दिया गया। एक कूप इच्छापुर-1 में गैर-वाणिज्यिक हाइड्रोकार्बन (गैस और कंडेंसेट) होने के संकेत प्राप्त हुए हैं और यह संकेत लौह युग के बर्दमान/मेमरी फार्मेशन में 4346 4349 मीटर की गहराई से प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) अनेक कारणों से वेधन की दर अलग-अलग होती है और आमतौर पर गहराई के साथ इसमें ह्रास होता है।

[हिन्दी]

प्रसादपुर में तेल की खोज

2298. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में प्रसादपुर में, जहां तेल के भंडार होने की सम्भावना थी, तेल की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस चरण तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया था तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) पीलीभीत जिले में कुल 1150 जी एल के सी डी पी भू-कम्पीय सर्वेक्षण किया गया है और एक अन्वेषण कूप पुरानपुर-2 का वेधन किया गया था परन्तु हाइड्रोकार्बनों की प्राप्ति का कोई

संकेत नहीं मिला था। इस क्षेत्र में सर्वेक्षणों पर 354.20 लाख लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी।

[अनुवाद]

तेल समन्वय समिति द्वारा परियोजनाओं की निगरानी

2299. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल समन्वय समिति के गठन तथा कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1991-92 में तेल समन्वय समिति द्वारा कितनी चालू परियोजनाओं की निगरानी की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) तेल समन्वय समिति (ते०स०स०) के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्यों में मंत्रालय के दो संयुक्त सचिव, ओ एन जी सी, ओ आई एल, जी ए आई एल, आई ओ सी, एच पी सी, बी पी सी, एम आर एल, सी आर एल, आई बी पी के मुख्य कार्यकारी तथा ओ आई एस डी के कार्यकारी निदेशक समिति के सदस्य सचिव हैं। तेल समन्वय समिति के कार्यकारी निदेशक समिति के सदस्य सचिव हैं। तेल समन्वय समिति के प्रमुख कार्य हैं :

(1) पूल लेखों को प्रकाशित करना;

(2) कच्चे तेल के आबंटन तथा मासिक उत्पादन प्रणालियों के विषय में निर्णय करना;

(3) कच्चे तेल के आयातों और तटवर्ती गतिविधियों के निमित्त परिवहन प्रबन्धों का समन्वय करना।

[हिन्दी]

फिजियोथेरोपी विभाग को बन्द किया जाना

2300. **डा० रमेश चन्द्र तोमर** :
श्री रति लाल वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा में फिजियोथेरोपी विभाग गत कई महीनों से बन्द पड़ा है जिसके कारण रोगियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अस्पताल में दवाइयों की अत्यधिक कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री०बी० शकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस अस्पताल में हाल ही में एक फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती की गई है और यह विभाग रोगियों का उपचार कर रहा है। कुछ समय तक आईताप्राप्त कर्मियों की कुछ कमी थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तम्बाकू से होने वाले रोग

2301. **श्री वत्तात्रेय बंडारू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोग तम्बाकू से होने वाले रोगों के कारण मर जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) लोगों के बीच तम्बाकू के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। भारत सरकार ने अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, घरेलू हवाई उड़ानों, वातानुकूलित कुर्सीयानों/शयनयानों, उपनगरीय रेल-गाड़ियों, सार्वजनिक परिवहन, आदि जैसे कुछ सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेधात्मक प्रशासकीय अनुदेश भी जारी किए हैं।

सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 के अधीन यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर अथवा इसके विज्ञापन में सांविधिक चेतावनी "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" छापी जाए।

नयी दिल्ली में महिलाओं का मार्च

2302. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान महिलाओं, बच्चों तथा अन्य दुर्बल वर्गों पर हुए अत्याचारों की ओर ध्यान केन्द्रित करने हेतु छह महिला संगठनों द्वारा नयी दिल्ली में 22 मार्च, 1993 को आयोजित किए गए "महिला मार्च" की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है :

(ख) क्या इन संगठनों ने केन्द्र सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसमें किन-किन प्रमुख मुद्दों को उठाया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते हुए अत्याचारों, साम्प्रदायिक और धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ 6 महिला संगठनों ने 22-1-93 को मण्डी हाऊस से पटेल चौक तक मार्च आयोजित किया था। उनके द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अयोध्या घटना के बाद हुए दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास करना, उन पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों के खिलाफ हितकारी कार्रवाई करना जिनके विरुद्ध दंगों में मिलीभगत के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं और धर्म-निरपेक्ष सिद्धान्तों का इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यमों से प्रचार करना सम्मिलित हैं।

(ख) महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों सहित समाज के किसी भी वर्ग के विरुद्ध, हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगों में अत्याचारों के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को राहत देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

होम गार्ड्स की सेवाएं समाप्त करना

2303. **श्री गोविंद चन्द्र मुंडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के होम गार्ड्स जो लगातार पांच साल सेवा में रहे, की बड़ी संख्या में सेवाए समाप्त कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज

2304. **श्री सुधीर गिरि** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस के खोज कार्य में विदेशी कम्पनियों को खपाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यबल में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तेल के खोज कार्य में विदेशी कम्पनियों को खपाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्पादन भागीदारी संविदाओं के तहत विदेशी और भारतीय निजी कम्पनियों को हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण के लिए तट पर और अपतटीय ब्लाकों को प्रस्तावित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ संविदाओं की शर्तों में, ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा विकास के चरण में 30 प्रतिशत सहभागिता, ठेकेदार द्वारा किसी स्वत्व लाभ अथवा उपकर की अदायगी नहीं, 50 प्रतिशत आयकर और उत्पादन की करोपरांत दरों पर आधारित स्लाइडिंग स्केल पर अथवा ठेकेदार द्वारा पुनः प्राप्त किए गए निवेश के गुणकों पर लाभ तेल की भागीदारी सम्मिलित है।

[हिन्दी]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयला उत्पादन

2305. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयला उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य से वास्तविक उत्पादन कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में हुए वास्तविक उत्पादन तथा लक्षित उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	लक्ष्य (मि० टन)	वास्तविक मि० टन)	प्रतिशत उपलब्धता
1989-90	30.90	24.49	79.26
1990-91	29.00	23.47	80.93
1991-92	24.50	24.52	100.08

वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान उत्पादन में कमी निम्न के कारण हुई—विद्युत की भारी कमी, गैर-हाजिरी और भूमि का उपलब्ध न होना तथा इससे सम्बद्ध समस्याएं।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों तथा रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

2306. **प्रो० प्रेम धूमल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक स्वीकृत की गई पेट्राल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों का समुचित ध्यान रखा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अवधि के दौरान 21 खुदरा बिक्री केन्द्र और 84 एल पी जी के वितरण केन्द्र आबंटित किए गए थे।

(ख) जी, हां। खुदरा बिक्री केन्द्र/एल पी जी वितरण केन्द्रों के लिए योजना बनाते अथवा आबंटन करते वक्त सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

2307. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारत सरकार-विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की एक संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट में रोग निदान के लिए माइक्रोस्कोपी के अधिकाधिक उपयोग, रोगियों को बेहतर उपचार प्रदान करने और कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा औषधों की आपूर्ति में सुधार के साथ-साथ पर्यवेक्षण तथा निगरानी कार्य में सुधार के जरिए पूरा उपचार प्रदान करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

(ग) 1992-93 के लिए रखा गया 13.50 करोड़ रुपए का मूल परिव्यय बढ़ाकर 29 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 1993-94 में इसमें और वृद्धि करके 35 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें और अधिक रोगियों को शामिल किया जा सके तथा कमियों को दूर किया जा सके।

प्राकृतिक संसाधन

2308. **श्री काशी राम राणा** :
श्री थाइल जॉन अंजलोज :
श्री छीतू भाई गामीत :

क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और इनका उपयोग देश के विकास के लिए किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में उपलब्ध मूल्यवान खनिजों के दोहन हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) देश में अनेक खनिज पाए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा खनिज निक्षेपों के पूर्वेक्षण/विदोहन के लिए लाइसेंस/पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार दिए जाते हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान देश में 3379 खानों से 17500 करोड़ रुपए मूल्य के खनिजों का उत्पादन किया गया।

कोयले पर रायल्टी की पुनरीक्षा

2309. **श्री चित्त बसु : क्या कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला उत्पादक राज्यों को कोयले पर देय रायल्टी की पुनरीक्षा करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों ने संबंधित राज्य सरकारों को कोयले पर देय रायल्टी में से अपनी उस धनराशि की इकतरफा कटौती कर ली है जो उन्हें विद्युत उत्पादन एजेंसियों से लेनी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) वर्तमान में कोयले की रायल्टी की दरों की समीक्षा किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार सरकार पर किसी भी खनिज की रायल्टी की दर 3 वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक वृद्धि किए जाने पर प्रतिबन्ध है। चूंकि कोयले की रायल्टी में पिछली बार संशोधन दिनांक 1-8-1991 को किया गया था, अत: कोयले की रायल्टी दरों में अगला संशोधन दिनांक 1-8-1994 के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(ग) जी, नही। कोयला कम्पनियों के लिए ऐसे समायोजन स्वयं ही किया जाना संभव नहीं है। ये समायोजन आपसी सहमति से ही किए जा सकते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कोयले की कमी

2310. **श्री राम सिंह : क्या कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य की कोयले की मांग व इसे की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य को और अधिक कोयला उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) कोयले की आवश्यकताओं का राज्यवार मूल्यांकन नहीं किया जाता है। किन्तु, पिछले 2 वर्ष की अवधि के दौरान और अप्रैल से दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान कोल इण्डिया लि० से राजस्थान सरकार को की गई कोयले की आपूर्ति के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना को नीचे दर्शाया गया है :

	(000 टन में)
वर्ष	कुल आपूर्ति (आंकड़े अनंतिम)
1990-91	3614
1991-92	5206
1992-93 (अप्रैल-दिसम्बर)	3748

कोल इण्डिया लि० के पास राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को प्रेषित किए गए कोयले के सम्बन्ध में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सूचित किया है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कोयले की कमी के सम्बन्ध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

कोयला कंपनियों को राज्यों को कोयले की आपूर्ति में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वृद्धि किए जाने की सलाह दी गई है। कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा किए जाने के लिए कोयले का अधिकतम स्तर प्राप्त किए जाने के लिए विद्यमान खानों का पुनर्गठन करके तथा नई खानों को खोलकर कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के संबंध में कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने विद्युत का उत्पादन करने तथा अन्य विनिर्दिष्ट अन्तिम उपयोगकर्ताओं के लिए ग्रहीत उपभोग के प्रायोजन के लिए संभावित क्षेत्रों में कोयला खनन क्रियाकलापों के मामले में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया है। कुछ विनिर्दिष्ट खानों से जिनके पास बिना प्रायोजन के कोयले का बड़ा स्टाक उपलब्ध है, उनसे उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई मात्रा में कोयला को भी उपलब्ध किया जा रहा है।

कोयला प्रेषणों में सुधार किए जाने तथा धीमी गति से कोयले की भण्डारों की निकासी किए जाने के लिए कोल इण्डिया लि० ने कोयले में थोक व्यापार की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत को०इ०लि० की सहायक कंपनियां खुले विज्ञापन के जरिए आवेदनों के आधार पर थोक बिक्री डिलर्स की नियुक्ति करेगी। प्रत्येक डीलर प्रति माह कम-से-कम 3000 टन कोयले का उठान करेगा। डीलरों को कोयले की बिक्री करने की तथा इस प्रकार के बिक्री किए गए कोयले के लिए मूल्य निर्धारित करने के मामले में स्वतन्त्रता होगी।

असम में तेल शोधक कारखाना

2311. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री एच०डी० देवगौड़ा :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 में किए गए असम समझौते के अन्तर्गत असम में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने का वादा किया गया था;

(ख) यदि, हां तो क्या तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने के लिए अन्तिम स्वीकृति मिल गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां । असम समझौता 1985 के तहत ।

(ख) जी, हां । 15 जुलाई, 1992 को सरकार का अनुमोदन किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल शोधक कारखाने

2312. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री एच० डी० देवगौड़ा :
श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निजी क्षेत्र में साठ लाख टन से कम क्षमता वाले तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकारी निर्णय में प्राइवेट रिफाइनरियों को 6 एम०एम०टी०पी०ए० के कम क्षमता पर रिफाइनरियां स्थापित करने से वंचित नहीं रखा गया है, किन्तु ऐसी रिफाइनरियों के लिए क्रूड स्रोत की न तो गारंटी दी जा सकती है और न वचनबद्धता ही ।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलेण्डरों का फटना

2313. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में घरों में रसोई गैस के सिलेण्डर फटने की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) क्या सरकार ने रसोई गैस सिलेन्डरों के गुणवत्ता नियन्त्रण में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) रसोई गैस के सिलेण्डर फटने के कारण हुए नुकसान के लिए कितने निर्माताओं को जिम्मेदार ठहराया गया; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और प्रभावित लोगों को कितना मुआवजा दिया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल कम्पनियों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में एक घर में एल०पी० जी० सिलेण्डर के फटने की घटना की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) एल०पी०जी० सिलेण्डरों का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रतिपादित

विनिर्देशों के अनुसार, अनुमोदित निर्माताओं द्वारा किया जाता है। आगे, एक इण्डस्ट्री टैक्नीकल आडिट टीम निर्माण/परीक्षण प्रक्रिया का आकस्मिक निरीक्षण करती है।

(ग) और (ख) चूंकि किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था, इसलिए किसी निर्माता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं मांगी गई थी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गलगण्ड रोग

2314. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गलगण्ड रोग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से जिले इस रोग से प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इस रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता उपलब्ध की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कुछेक जिलों में गलगंड व्यापक है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार आयोडीन की कमी से होने वाले बिकारों का नियन्त्रण करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोडीन कमी विकार नियन्त्रण कक्ष खोलने तथा स्वास्थ्य कार्यकलापों के लिए सहायता देती है।

मध्य प्रदेश राज्य सहित चार स्थाननिकमारी वाले राज्यों में यूनिसेफ सहायता से गहन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में गलगंड की व्यापकता दर

क्र०सं०	जिला	गलगंड की व्यापकता दर
1	2	3
1.	शहडोल	57.58%
2.	सीधी	37.50%
3.	सरगुजा	40.00%
4.	रायगढ़	34.42%
5.	खंडवा	30.00%
6.	होशंगाबाद	30.00%
7.	बेतुल	30.00%

1	2	3
8.	छिंदवाड़ा	30.00%
9.	खरगोन	30.00%
10.	मंडला	30.00%
11.	बिलासपुर	30.00%
12.	जबलपुर	30.00%

लिग्नाइट तथा कोयले के भंडारण

2315. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने लिग्नाइट तथा अन्य कोयला भंडारों की पहचान करने के लिए मध्य प्रदेश में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किन-किन क्षेत्रों में किया गया;

(ग) लिग्नाइट तथा अन्य कोयला भंडार किन-किन स्थानों पर मिलने की संभावना है और इनसे कितनी मात्रा निकाले जाने की सम्भावना है; और

(घ) इन कोयला भण्डार का खनन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) जी, हां। भू-सर्वेक्षण ने मानचित्रों तथा ड्रिलिंग द्वारा मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में-मंड-रायगढ़, कोरबा, सोहागपुर, हसदेव-अरंद, संदूरगढ़ तथा टाटापानी-रामकोता अन्वेषण का कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 24,000 मि० टन के कोयले के भण्डार विनिर्दिष्ट किए गए हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में लिग्नाइट के भण्डारों के होने का पता नहीं चला है। कोयला खनन क्रियाकलाप, मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्रों—कोरबा, सेंट्रल इंडिया, पेंच, कन्हान, पाथरखेड़ा तथा सिंगरौली कोलफील्ड्स लि० में किए जा रहे हैं। आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97) के लिए मध्य प्रदेश में 18 नई विस्तार/पुनर्गठित योजनाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं, जिनमें आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान 433 करोड़ रु० (1991-92 की कीमतों पर) पूंजी निवेश किए जाने की आवश्यकता है।

आयुर्वेदिक सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री

2316. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने प्रतिशत आयुर्वेदिक सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या यह सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री विदेशों को निर्यात की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस निर्यात से कितनी धनराशि अर्जित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कुछ प्रसाधन सामग्रियों में ऐसे सम्मिश्रण हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है परन्तु इन्हें औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रयोजन से एक अलग श्रेणी के रूप में नहीं माना जाता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला खदानों के मुहाने पर स्थित स्टाक का बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाना

2317. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत कोकिंग को कंपनी लिमिटेड के कोयला खदानों के मुहानों पर स्थित स्टाकों को बढ़ा-चढ़ा कर बताए जाने के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बढ़ा-चढ़ा कर बताए गए स्टाकों का सहायक कम्पनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस चूक के लिए जिम्मेवार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० के कोयला स्टाक में सूचित की गई कमी के संबंध में जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(ख) से (घ) इस समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को कोयले की सप्लाई

2318. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में उद्योगों को कोयले की कम सप्लाई के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो कोयले की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इण्डिया लि० द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को की गई कोयले की कुल आपूर्ति नीचे दर्शायी गई है—

(,000 टन)

वर्ष	कुल आपूर्ति जिसमें कोलियरी उपभोग शामिल नहीं है
1989-90	27644
1990-91	27641
1991-92	30478

उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश को की गई कोयले की आपूर्ति में वर्ष 1991-92 के दौरान काफी वृद्धि हुई है। किन्तु, गैर-महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति में कमी आई है क्योंकि इसका मुख्य कारण विद्युत आदि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कोयले के संचलन को प्राथमिकता दी गई है।

(घ) कोयला कम्पनियों को राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयले की आपूर्ति बढ़ाए जाने का परामर्श दिया गया है। कोयले की वृद्धि मांग को पूरा करने के लिए नई खानें खोलकर तथा विद्यमान खानों के पुनर्गठन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उत्पादन का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सके।

इसके अलावा सरकार ने विद्युत उत्पादन तथा अन्य विशिष्ट प्रयोगकर्ताओं के लिए ग्रहीत उपभोग हेतु कोयले का संभावित क्षेत्रों में उत्खनन कार्य किए जाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया है। कुछ विनिर्दिष्ट खानों में, जिनके बड़े भण्डार हैं, बिना किसी प्रायोजन के उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत कोयले की वृद्धि मात्रा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कोयला प्रेषणों में सुधार किए जाने तथा धीमी गति से कोयले की भण्डारों की निकासी किए जाने के लिए कोल इण्डिया लि० ने कोयले में थोक व्यापार की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत को० इं० लि० की सहायक कम्पनियां खुले विज्ञापन के जरिए आवेदनों के आधार पर थोक बिक्री डीलर्स की नियुक्ति करेगी। प्रत्येक डीलर प्रति माह कम-से-कम 3000 टन कोयले का उठान करेगा। डीलरों को कोयले की बिक्री करने की तथा इस प्रकार के बिक्री किए गए कोयले के लिए मूल्य निर्धारित करने के मामले में स्वतन्त्रता होगी।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज

2319. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में कितने सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे हैं;

(ख) किन-किन मेडिकल कालेजों को भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मान्यता प्रदान की है;

(ग) किन-किन मेडिकल कालेजों के मान्यता हेतु आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) किन-किन मेडिकल कालेजों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना इस प्रकार है :

कर्नाटक में मेडिकल कालेज

मान्यता प्राप्त		गैर मान्यता प्राप्त	कुल
सरकारी मेडिकल कालेज	प्राइवेट मेडिकल कालेज	प्राइवेट मेडिकल कालेज	
4	11	3	18

विस्तृत विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद ने ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

विवरण

1. बंगलौर मेडिकल कालेज, बगलूर
2. मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर
3. कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली
4. मेडिकल कालेज, बेलारी
5. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल/मंगलूर
6. सेंट जान्स मेडिकल कालेज, बंगलूर
7. श्री देवराज अर्स मेडिकल कालेज, तमाका, कोलार (1994 के प्रवेश तक अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त)
8. एम०एस० रामय्या मेडिकल कालेज, बंगलूर
9. जे०एस०एस० मेडिकल कालेज, मैसूर
10. जे०जे० एम मेडिकल कालेज, मैसूर
11. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, बेलगाम
12. बी०एल०डी० मेडिकल कालेज, बीजापुर
13. एम०आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा
14. डा० भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलूर
15. केम्पेगोडा आयुर्विज्ञान संस्थान, बंगलूर

कर्नाटक के उन मेडिकल कालेजों के नाम भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

1. आदिचुंचनगिरी आयुर्विज्ञान संस्थान, जवारानहल्ली, बैल्लूर

2. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकुर

3. अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजपुर

[हिन्दी]

संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ को वित्तीय सहायता

2320. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ को वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) संस्थान ने उपकरण और प्रशिक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) विदेशी सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा में "केट स्केन" की सुविधा

2321. **श्री बलराज पासी** :
श्री देवी बक्स सिंह :
डॉ० सुधीर राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामी दयानन्द, अस्पताल, शाहदरा में "केट स्केन" मशीन को अभी तक चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) "केट स्केन" की सुविधा आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी हां। दिल्ली निगम ने सूचित किया है कि मशीन लगाने का कार्य चल रहा है जिसके जुलाई, 1993 में पूरा होने की संभावना है। मशीन लगाने का कार्य पूरा होने से पहले ही कर्मचारियों और डाक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का उत्पादन

2322. **श्री असलम शेर खां** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रौद्योगकीय एवं उद्यमीय कौशलों के उन्नयन में सहायता देने और उन्हें वित्त का एक अतिरिक्त साधन प्रदान करने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अंश पूंजी से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है । यह निगम इस समय विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के उन सदस्यों को, जिनकी आय गरीबी रेखा से दो गुनी से कम है, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग निगमों के माध्यम से सीमान्त धनराशि और आवधिक ऋणों को प्रदान करने की दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ।

अल्पसंख्यकों के संबंध में उनके उत्थान के लिए कोई अलग योजना नहीं है । तथापि सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन हेतु आर्थिक मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण की एक योजना तैयार की है । इस योजना में अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों से सम्बद्ध उम्मीदवारों को समान शर्तों पर प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है ।

[अनुवाद]

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

2323. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनाविधि के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या विगत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में जनशक्ति विकास तथा जनशक्ति नियोजन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस शताब्दी के अन्त तक "सभी को स्वस्थ बनाना" (हैल्थ फार आल) कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त नियोजन तथा जनशक्ति विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(च) चिकित्सा और अर्द्ध-चिकित्सा शिक्षा का गैर-सरकारीकरण, शिक्षा का स्तर सुधारने तथा नए क्षेत्रों में विशिष्ट स्नातकोत्तर शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा कार्मिक शक्ति की उपलब्धता में कमियों

का पता लगाना, वर्तमान स्वास्थ्य अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षणार्थियों की पाठ्यचर्या को संशोधित करना, अविच्छिन्न चिकित्सा शिक्षा अवसरों का संवर्धन करना, अच्छे स्तर की सेवाएं प्रदान करने वाली चिकित्सा शिक्षा के मानक को बनाए रखने के लिए कदम उठाना शामिल है।

(च) दो अध्यादेश 27 अगस्त, 1992 को प्रख्यापित किए गए थे जिन्हें 2 जनवरी, 1993 को पुनः प्रख्यापित किया गया जिसमें नए मेडिकल/डेन्टल कालेजों अथवा मौजूदा कालेजों द्वारा प्रवेश क्षमता को बढ़ाते अथवा अध्ययन का कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करते समय उपलब्ध कराए जाने वाले अथवा बनाए रखने वाले मानक निर्धारित किए गए हैं। इन अध्यादेशों को संसद के वर्तमान सत्र में विधेयकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है और ये प्राइवेट संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

[हिन्दी]

राजस्थान में लिग्नाइट का भण्डार

2324. **श्री मनफूल सिंह :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर लिग्नाइट का भण्डार पाया गया है तथा प्रत्येक स्थान पर उसकी मात्रा और गुणवत्ता क्या है; और

(ख) लिग्नाइट की खोज हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर तथा नागौर जिले में तकरीबन 870 मिलियन टन लिग्नाइट के (भूगर्भीय भण्डार) होने का अनुमान लगाया गया है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. बीकानेर जिला	भू-गर्भीय भण्डार मिलियन टन में
1	2
1. पलाना	24.00
2. बारसिंगसर	78.00
3. गुरहा	87.00
4. भोलासर	4.00
5. अन्य क्षेत्र जैसे मण्डालचरन, रानेरी-चानेरी, चाक-विजयसिंगपुरा, आदि	10.00
2. बाड़मेर जिला	
1. कपूरघी	150.00
2. जलीपा	320.00
3. गिरल	43.00

1	2
4. बोथिया-भादका	10.00
3. नागौर जिला	
1. मीरा नगर ब्लाक मेरटा रोड के साथ	84.00
2. मोकाला	30.00
3. काशानू-अनेयर, कुचेरा, इन्दावर, आदि	30.00
जोड़	870.00

राजस्थान के लिग्नाइट के प्रमुख मात्रात्मक लक्षण नीचे दर्शाए गए हैं :

लगभग	बाड़मेर जिला		बीकानेर जिला		नागौर जिला	
विश्लेषण	कपूरधी	जलीपा	गुरहा ईस्ट	गुरहा वेस्ट	बारसिंग सर	मेरटा रोड
वाष्प %	40.10	35 से 50	40 से 49	40 से 46	45.00	45.00
राख %	9.63	5 से 10	25	25	7.84	12.00
अस्थिर पदार्थ %	23.50	20 से 30	22 से 26	22 से 26	23.91	24.00
स्थिर कार्बन %	21.87	15 से 25	12 से 23	15 से 23	23.25	19.00
क्लोरिफिक क्षमता के०कैलोरी/कि०ग्रा०	2969	2000 से 3500	2001 से 3100	2001 से 3100	2001 से 3100	2690

(ख) राजस्थान के बीकानेर तथा बाड़मेर जिले में लिग्नाइट भण्डारों का अन्वेषण किया गया है तथा अनुमान लगाए गए भण्डार खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लि० तथा एक नोडल एजेंसी के रूप में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा 400 मी० ग्रिड पर की गई क्षेत्रीय/अर्ध-विस्तृत ड्रिलिंग पर आधारित है। राजस्थान के नागौर जिले में लिग्नाइट भण्डारों का अन्वेषण माइनिंग तथा भू-गर्भीय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।

सरकार द्वारा अप्रैल, 1991 में राजस्थान के बीकानेर जिले में बारसिंगसर में 828.04 करोड़ रु० की पूंजीगत लागत पर एक लिग्नाइट खान (1.7 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता) एवं विद्युत परियोजना (2 × 120 मेगावाट) की स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना का आरम्भ में डिजाइन नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा कार्यान्वियन किए जाने के लिए किया गया था। लेकिन एन० एल० सी० के पास समुचित संसाधनों के उपलब्धता न होने के कारण इस परियोजना को किसी नियत उद्यमी को स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

नर्सिंग होम

2325. **श्री वी० धनंजय कुमार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ अस्पतालों, नर्सिंग होमों और मेडिकल संस्थाओं को मान्यता देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार ऐसी कितनी संस्थाओं को मान्यता दी गयी है;

(घ) क्या डा० टी० एम० ए० पई रोटरी अस्पताल और फादर मूलर्स धर्मार्थ संस्था, मंगलौर को मान्यता देने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) निदान और उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाएं, वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरें, उस स्थान पर उपलब्ध सरकारी चिकित्सा सुविधाएं, आदि प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के लिए व्यापक मानदण्ड हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और सूचना, जो मांगी गई है, के प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

विवरण

देश मान्यता प्राप्त प्राइवेट चिकित्सा संस्थाओं की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला **विवरण :**

क्रम सं०	राज्य का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं की संख्या	
		केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा) नियम, 1944 के अधीन	केन्द्रीय सरकार स्वा० योजना के अधीन
1	2	3	4
1.	असम	3	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	—
3.	आन्ध्र प्रदेश	—	33
4.	बिहार	5	7
5.	गोवा	1	—

1	2	3	4
6.	गुजरात	3	11
7.	हिमाचल प्रदेश	—	1
8.	हरियाणा	—	1
9.	जम्मू और कश्मीर	1	—
10.	कर्नाटक	2	17
11.	केरल	5	—
12.	मध्य प्रदेश	2	1
13.	महाराष्ट्र	23	47
14.	मिजोरम	2	—
15.	उड़ीसा	—	1
16.	राजस्थान	—	11
17.	तमिलनाडु	6	25
18.	पश्चिम बंगाल	1	19
19.	उत्तर प्रदेश	4	40
20.	दिल्ली	1	31

टिप्पणी : केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा) नियम, 1944 के अधीन दिए गए आंकड़ों में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के उपचार के लिए मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल और अन्य अस्पताल शामिल नहीं हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के उपचार के लिए भी मान्यता-प्राप्त हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन दिए गए आंकड़ों में सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिक संगठनों द्वारा कोयले की ढुलाई

2326. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न कंपनियों में कितने भूतपूर्व सैनिक संगठन कोयले की ढुलाई का कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या 90 प्रतिशत तक कोयले की ढुलाई का कार्य भूतपूर्व सैनिकों अथवा भूतपूर्व सैनिक संगठनों को देने का कोई प्रावधान है;

(ग) क्या कुछ बड़े उद्योगपति और कोयला माफिया इन संगठनों को लाभ का कुछ हिस्सा देकर भूतपूर्व सैनिक संगठनों के नाम पर ढुलाई का कार्य प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० की विभिन्न कंपनियों में कोयले के परिवहनीकरण के लिए कार्यरत भूतपूर्व सैनिक संगठनों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :

कम्पनी का नाम	संगठन की संख्या
भा० को० को० लि०	7
से० को० लि०	17
आ० ई० को० लि०	10
वे० को० लि०	1

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है । भूतपूर्व सैनिक संगठन को परिवहनीकरण कार्य पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं की शर्तों के अनुसार दिया जाता है।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तटीय कोयला टर्मिनल

2327. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड तथा आस्ट्रेलिया की कंपनियों ने बिहार तथा बंगाल में तटीय कोयला टर्मिनल की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डी० एम०, एम० सी० एच० के लिए आरक्षण का लाभ

2328. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में डी० एम०, एम० सी० एच० में आरक्षण का लाभ समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा द्वारा यह सूचना दी गई है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर संस्थान ने एम० डी०, एम० सी० एच० पाठ्यक्रमों में आरक्षण जनवरी, 1992 सत्र से समाप्त कर दिया है ।

[अनुवाद]

दानकुनी कोयला काम्पलेक्स को अर्थक्षम बनाना

2329. **श्री रूप चन्द पाल :**
प्रो० सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल को अर्थक्षम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं । किन्तु, विशेष विपणन प्रयासों के माध्यम से गैस तथा "सिलकोक" के उठान में वृद्धि किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । इससे संयंत्र की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि किए जाने में सहायता मिलेगी ।

उड़ीसा में रत्नों की तस्करी

2330. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कोरापुट, फुलबनी और अन्य जिलों में रत्नों की तस्करी की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) व (ख) उड़ीसा में बहुमूल्य और अर्द्ध मूल्य रत्नों के चोरी-छिपे खनन की छिट-पुट घटनाओं का पता समय-समय पर चलता है । ऐसे अवैध खनन को रोकने के लिए, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा खनिज (चोरी, तस्करी और अन्य गैर-कानूनी कार्यकलाप निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया है और उसके अन्तर्गत उपयुक्त नियम भी अधिसूचित किए हैं ।

[हिन्दी]

वाहनों द्वारा टक्कर मार कर भाग जाने की दुर्घटनाएं

2331. **श्री राम प्रताप सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान दिल्ली में वाहनों द्वारा टक्कर मार कर भाग जाने की दुर्घटनाओं के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए थे कितने घायल हुए;

(ग) कितने मामलों में टक्कर मारने वाले वाहनों के मालिकों का पता लगाया गया है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इन दुर्घटनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान वाहनों द्वारा टक्कर मार कर भाग जाने की दुर्घटनाओं की संख्या, मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों उन मामलों की संख्या जिनमें मार कर भागने वाले वाहनों के मालिकों का पता लगाया गया तथा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई निम्न प्रकार से है :

वर्ष	सूचित मामले	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	वाहनों के मालिकों की संख्या जिनका पता लगा
1991	2478	619	2048	722
1992	2720	639	2383	744

वर्ष 1991 में सूचित हुए 2478 मामलों में से, 739 मामलों को न्यायालयों में पहले ही दाखिल कर दिया गया है । इनमें से 19 मामलों में सजा सुनाई गई है । 1992 के दौरान सूचित हुए 2720 मामलों में से 664 मामलों को पहले ही न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है । इनमें से 2 मामलों में सजा सुनाई गई है।

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) ट्रैफिक नियमों और विनियमों को सख्ती तथा कड़ाई से लागू करना ।

(ii) अंधा-धुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, अत्यधिक गति से गाड़ी चलाने इत्यादि द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाना ।

(iii) संवेदनशील-स्थानों/चौराहों पर अधिक ट्रैफिक स्फाट तैनात करना ।

(iv) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में ट्रैफिक सिगनल/ब्लिंकर्स लागू करना ।

(v) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में विशेष सचल जांच करना ।

भारत जनसंख्या परियोजना

2332. **श्री ललित उरांव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से "भारत जनसंख्या परियोजना" के विस्तार के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम के हल्दिया एकक का विस्तार

2333. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के हल्दिया एकक में विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन की हल्दिया इकाई के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उक्त विस्तार को तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोणों से व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइटिंग व्यवस्था

2334. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर फ्लडलाइटिंग की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सीमा पर ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रस्ताव को "कास्ट-इफेक्टिव" नहीं पाया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कोयले की कालाबाजारी

2335. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च प्राथमिकता उपभोक्ताओं के स्तर तक कोयले की कालाबाजारी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितने कोयले का उत्पादन किया गया और उद्योगों तथा विद्युत् केन्द्रों को कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन कोयला क्षेत्रों से और कितनी मात्रा में कोयला राज्य के बाहर भेजा गया ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयला कंपनियां संबंधित प्रायोजन अधिकारियों द्वारा जारी मान्य प्रायोजन तथा स्थापित संयोजनों के आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था करती है । किन्तु, कोयले की काला-बाजारी की शिकायतों को देखते हुए, कोयला मन्त्रालय ने, अन्य बातों के अलावा, कोलियरी नियन्त्रण आदेश, 1945 का संशोधन करते हुए तीन अधिसूचनाएं जारी कीं जिनके अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को उनके अपने इस्तेमाल के लिए जारी आवंटित कोयले का गैरकानूनी ढंग से अपवर्तन करने पर आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड दिए जाने की व्यवस्था है ।

(ग) चालू वर्ष में अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्पादित कोयले की मात्रा 86.85 लाख टन (अनंतिम) है तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान इन खानों से विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा नीचे दी गई है :

		(अनंतिम आंकड़े)
1. विद्युत् गृह	—	87.02 लाख टन
2. सीमेंट	—	1.23 लाख टन
3. अन्य उद्योग	—	1.55 लाख टन

(घ) उत्तर प्रदेश से बाहर के उपभोक्ताओं को इन कोलियरियों से आपूर्ति किए कोयले की मात्रा तथा कोलियरियों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(000 टन में)
(आंकड़े अनंतिम)

कोलियरियों के नाम		उत्तर प्रदेश से बाहर के उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा
1. दुधीचुआ	(1) विद्युत गृह	392
	(2) उद्योग	29
		421
2. काकरी	उद्योग	5

[अनुवाद]

गैस संकुचन के लिए मानदण्ड

2336. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस संकुचन के लिए मानदण्ड निर्धारित करते हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और जी० ए० आई० एल० गैस की मात्रा में संकुचन के लिए उत्तरदायी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस गैस संकुचन को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां । इसमें तकनीकी कार्मियों का एक दल है ।

(ग) यह रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1992 तक प्रस्तुत की जानी थी परन्तु विलम्ब हो गया है ।

(घ) और (ङ) गैस शीकेज शब्द का प्रयोग कैप्टीव विद्युत, गैस उठान आदि जैसे प्रयोगों के लिए उत्पादक कंपनियों की आंतरिक प्रयोग की अपेक्षाओं में खपत हुई गैस अथवा एल० पी० जी० तथा 2 सी 3 जैसे प्राकृतिक गैस के भारी अंशों को अलग करने के कारण कमी को परिभाषित करने के लिए किया जाता है । यह शीकेज एक सामान्य प्रक्रिया है और इन कंपनियों द्वारा आंतरिक खपत को न्यूनतम करने के प्रयास किए जाते हैं ।

निजी क्षेत्र द्वारा मिट्टी के तेल, रसोई गैस तथा एल०एस०एच०एस० का आयात

2337. **श्री रवि राय :**
श्री वी० श्री निवास प्रसाद :
श्री वी० एल० शर्मा "प्रेम" :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्रीमती विभू कुमारी देवी :
श्री सत्यगोपाल सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल, रसोई गैस तथा लो सल्फर हैवी स्टाक

(एल०एस०एच०एस०) के आयात का गैर सरकारीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निजी क्षेत्र को इसका आयात करने की अनुमति भी देगी;

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र द्वारा इस प्रकार की विपणन प्रक्रिया संचालित किए जाने के बारे में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस आयातित गैस इत्यादि के लिए किस प्रकार की वितरण प्रणाली अपनाई जाएगी;

(च) क्या सरकार का इस पर कोई नियंत्रण होगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (छ) देश में मिट्टी के तेल, एल०पी०जी० और एल०एस०एच०एस० की उपलब्धता में नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध मात्रा की तुलना में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट एजेंसियों द्वारा उनके आयात और बाजार मूल्य पर बिक्री किए जाने की अनुमति दी जाए। इस योजना में अपेक्षाकृत कम कीमत वाले उत्पादों की दिशा से हटकर बिक्री को रोकने की व्यवस्था भी की गई है।

सिद्ध चिकित्सा पद्धति

2338. **श्री राम कापसे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पाई जाने वाली विभिन्न किस्मों की घास विभिन्न बीमारियों के उपचार में प्रभावी पायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय चिकित्सा की सिद्ध पद्धति में विभिन्न प्रकार की घास जैसे गेहूं की घास, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, साइप्रेस वर्तुल आदि के चिकित्सा में उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सिद्ध साहित्य में इस प्रकार की घास के औषधीय प्रयोग का उल्लेख किया गया है और सिद्ध चिकित्सकों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली को बढ़ावा दे रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में नागरिक निकायों का पुनर्गठन

2339. **श्री बिलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या गृह मंत्री 30 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3483 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के नागरिक निकायों का पुनर्गठन करने के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) दिल्ली में नगर निगम के पुनर्गठन के लिए "दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 1992" नाम विधेयक 24-11-92 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था ।

[अनुवाद]

तांबे का आयात

2340. **श्री शरद चन्द्र पटनायक** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय तांबे का कुल उत्पादन और मांग राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1993-94 में तांबे का आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में शुद्ध तांबा धातु का देशी उत्पादन लगभग 45,000 टन होने की आशा है । बाजार में मंदी आने के कारण 1992-93 के दौरान तांबा धातु की मांग 1.30 लाख टन के आस-पास होने की आशा है जबकि पहले का अनुमान 1.80 लाख टन था ।

(ख) व (ग) वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार, तांबे का उपयोग करने वाले उद्योग इसका स्वतन्त्र रूप से आयात कर सकते हैं ।

गैस तथा पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हेतु निर्धारित लक्ष्य

2341. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गैस तथा पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा खोजे गए गैस तथा पेट्रोलियम पदार्थों के नए भंडारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान घरेलू तथा आयातित पेट्रोलियम पदार्थों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकंपीय सर्वेक्षणों और अन्वेषण वेधन के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार थी :

(i) भूकंपीय सर्वेक्षण	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	1991-92 उपलब्धि
तटपर 2 डी (एस०एल०के)	21800	44783	21350	40704
तट पर 3 डी (एस०एस० के)	538	631	538	575
अपतटीय सर्वेक्षण (एलक)	30000	31861	21600	271604
(ii) अन्वेषण खुदाई				
मीटरों में (000 मीटर)	675.04	582.45	596.62	588.65
रिग वर्ष	103.87	80.72	89.93	87.11

(ग) गत दो वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० ने क्रमश: 27 और 7 नए हाइड्रोकार्बन स्थलों की खोज की है।

(000 टन)

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन	वर्ष 1990-91	1991-92 (अन०)
1. देशी	48562	48349
	(84.9%)	(83.7%)
2. आयातित	8660	9445
	(15.1%)	(16.3%)
कुल योग	57222	57794

टिप्पणी : (अन०)—अनंतिम

कोष्ठकों में प्रदर्शित आंकड़े प्रतिशत हैं। देशी उत्पादन में प्राकृतिक गैस से होने वाला एल० पी०जी० का उत्पादन शामिल नहीं है।

रामनिरोधन योजना

2342. **श्रीमती बिल कुमारी भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोगनिरोधन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना-प्राप्त किया गया;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इन लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 7वीं योजना के दौरान रोग निरोधक योजनाओं के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और सूचित की गई उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है ।

(ख) 8वीं योजना के लिए नियत किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(i) शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देना;

(ii) शत-प्रतिशत शिशुओं को विटामिन "ए" की पहली खुराक देना;

(iii) 85 प्रतिशत और इससे अधिक बच्चों को विटामिन "ए" की दूसरी खुराक देना ।

(ग) आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों और विटामिन "ए" के घोल की पर्याप्त आपूर्ति करके, चिकित्सीय और अर्ध चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर तथा कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण करके लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है ।

विवरण-I

बच्चों में पौषणिक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोगनिरोधक लक्ष्य और उपलब्धियां—1985-86 से 1989-90 तक

(लक्ष्य हजारों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,500	72.9	2500	48.5	2500	81.1	2500	79.1	2500	58.9
2.	असम	400	81.3	500	66.6	500	55.6	500	42.7	500	55.3
3.	बिहार	880	59.7	1050	38.5	1300	74.2	1300	60.1	1300	39 7
4.	गुजरात	1800	88.7	2000	87.3	2000	79.4	2000	80.5	2000	85.0
5.	हरियाणा	600	134.3	700	86.6	700	108.1	700	66.3	700	80.7
6.	हिमाचल प्रदेश	300	83.5	300	88.1	300	90.5	300	101.5	300	96 9
7.	जम्मू व कश्मीर	300	38.0	300	35.7	350	30.1	350	36.1	350	15.3
8.	कर्नाटक	2300	80.3	3000	74.0	3000	85.2	3000	85.6	3000	42.0
9.	केरल	1500	81.3	1600	60.9	1600	83.0	1600	42.2	1600	77.2

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. मध्य प्रदेश	1700	133.9	2000	110.5	2000	108.9	2200	107.0	2200	102.0
11. महाराष्ट्र	2300	89.3	3550	69.4	3550	83.0	3350	69.7	3250	89.5
12. मणिपुर	100	8.1	50	14.6	50	52.2	50	15.2	60	23.1
13. मेघालय	100	47.3	100	74.2	100	58.7	100	68.5	50	107.0
14. नागालैंड	100	9.7	50	44	50	1.2	50	0.5	100	0.04
15. उड़ीसा	1600	85.7	2000	78.5	3550	81.8	2000	+07.05	2000	101.7
16. पंजाब	500	131.1	500	134.6	2000	137.5	500	117.5	500	127.5
17. राजस्थान	1000	51.7	1000	60.6	500	77-9	1300	54.9	1300	57.1
18. सिक्किम	20	57.5	20	65.8	50	55.3	20	18.9	20	55.8
19. तमिलनाडु	2200	144.9	3000	98.9	3000	144.4	3000	93.5	3000	55.5
20. त्रिपुरा	100	30.1	100	66 3	100	55.7	100	29.9	100	65.5
21. उत्तर प्रदेश	2300	98 9	2300	105.2	2730	92.3	2730	32.3	2600	32.4
22. पश्चिम बंगाल	1700	48.2	1700	68 3	1700	91.5	1700	130.3	1700	73.3
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	95.3	5	89 8	100	55.7	5	70.0	5	78.3
24. अरुणाचल प्रदेश	10	56.8	5	50.0	5	73.0	5	7 3	10	69.6

25. चंडीगढ़	10	96.0	10	85.2	10	132.2	10	98.3	10	100.5
26. दादरा और नगर हवेली	5	82.1	5	104.8	10	81.9	5	96.7	5	162.4
27. दिल्ली	50	172.4	50	144.7	75	77.8	50	129.9	100	71.1
28. गोवा दमण और दीव	50	76.5	50	83.0	25	392.7	50	178.5	50	190.1
29. लक्षद्वीप	5	93.1	5	28.8	5	29.8	5	66.4	5	54.6
30. मिजोरम	10	529.8	10	564.1	10	571.1	10	562.0	5	114.2
31. पांडिचेरी	20	200.7	10	232.76	10	172.3	10	121.6	10	137.7
32. रक्षा मंत्रालय	100	68.4	100	46.0	100	79.7	100	73.6	100	64.7
33. रेल मंत्रालय	400	58.0	400	50.2	400	74.0	400	85.8	400	88.5

विवरण-II

महिलाओं (गर्भवती और दूध पिलाने वाली) में पौषणिक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोग निरोधक लक्ष्य और उपलब्धियां 1985-86 से 1989-90 तक

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अधिकरण	985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,550	128.8	2,100	42.4	2,180	73.5	2,180	67.0	2,180	—
2.	असम	400	68.7	400	69.2	410	58.5	410	52.2	410	—
3.	बिहार	600	83.3	700	39.4	1,450	42.9	1,400	52.2	1,400	47.7
4.	गुजरात	750	161.6	1,000	77.0	1,055	95.5	1,055	88.0	1,055	108.0
5.	हरियाणा	400	98.3	500	93.0	520	122.7	520	124.5	320	104.9
6.	हिमाचल प्रदेश	150	164.9	200	87.0	208	75.1	208	94.7	208	95.5
7.	जम्मू व कश्मीर	100	69.6	100	79.6	200	42.9	200	50.3	200	44.4
8.	कर्नाटक	900	121.1	1,200	81.5	1,200	98.9	1,200	100.6	1,200	116.6

9. केरल	600	148.2	650	65.4	680	82.2	680	105.5	680	120.5
10. मध्य प्रदेश	770	158.5	1,000	92.6	1,032	115.4	1,051	128 0	1,051	140.5
11. महाराष्ट्र	1,900	158.8	3,600	73.5	3,700	83.9	3,700	88.9	3,700	90.4
12. मणिपुर	50	33.1	25	29.0	26	41.0	26	24.1	26	33.1
13. मेघालय	50	173.9	50	60.7	50	80.4	58	94.9	50	94.7
14. नागालैंड	25	60.2	25	18.0	26	1.7	26	0.9	26	0.01
15. उड़ीसा	450	128.2	800	57.6	836	87.3	836	416.4	836	90.4
16. पंजाब	450	124.3	500	94.5	510	112.0	510	106.9	510	115.8
17. राजस्थान	580	133.3	600	60.5	1,200	55.0	1,200	73.6	1,200	66.0
18. सिक्किम	15	136.1	15	77.1	15	81.0	15	114.2	15	117.6
19. तमिलनाडु	1,000	96.1	1,300	42.5	7,340	77.0	1,340	77.1	1,340	08.2
20. त्रिपुरा	50	81.9	50	111.5	50	125.2	50	115.1	50	127.7
21. उत्तर प्रदेश	1,100	118.9	1,500	72.3	3,000	55.7	3,000	118.3	3,000	78.6
22. पश्चिम बंगाल	1,550	126.4	1,780	172.5	1,750	150.9	1,750	157.1	1,750	89.8
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	10	136.0	10	27.1	10	93.6	10	79.3	10	80.2

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24. अरुणाचल प्रदेश	20	63.1	20	84.4	21	91.5	21	72.6	21	71.7
25. चण्डीगढ़	20	312.1	20	80.0	21	87.1	21	91.7	21	88.6
26. दादरा व नगर हवेली	10	108.5	10	121.6	10	22.4	10	105 4	10	98.3
27. दिल्ली	100	213.1	125	69.0	130	91.7	130	94.2	130	128.2
28. गोवा, दमण व द्वीव	30	130.7	30	102.4	31	274.6	31	120.0	31	335.2
29. लक्षद्वीप	5	71.4	8	109.0	8	122.1	8	179.8	8	182.9
30. मिजोरम	30	131.4	39	112.2	31	101.9	31	91.5	31	61.0
31. पांडिचेरी	15	132.3	20	84.9	21	95.5	21	109.8	21	86.0
32. रक्षा मन्त्रालय	180	145.7	100	90.4	103	93.9	103	84.9	103	77.7
33. रेल मंत्रालय	250	125.1	250	69.0	207	115.9	207	115.3	207	134.4
अखिल भारत	14,000	128.9	10.638	77.6	22,000	84.8	22,000	96.0	22,000	91.4

विवरण-III

विटामिन "ए" की कमी के कारण दृष्टिहीनता के विरुद्ध रोग निरोधक लक्ष्य और उपलब्धियां—1985-86 से 1989-90 तक

(लक्ष्य हजारों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1,550	100.2	100	29.9	2,233	61.8	2,500	52.8	2,500	60.2
2.	असम	400	103.0	400	95.5	425	74.9	500	50.5	500	59.6
3.	बिहार	600	88.7	700	36.1	1,050	57.8	1,300	68.2	1,300	51.3
4.	गुजरात	750	138.9	1,000	70.8	1,063	84.6	2,000	51.4	2,000	71.2
5.	हरियाणा	400	115.6	500	103.5	532	125.4	700	99.8	700	87.5
6.	हिमाचल प्रदेश	150	138.4	200	65.5	213	72.3	300	65.8	300	72.2
7.	जम्मू व कश्मीर	100	48.4	100	52.5	150	31.7	350	27.9	350	16.3
8.	कर्नाटक	900	104.6	1,200	60.0	1.276	79.8	3,000	35.3	3,000	48.6

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. केरल	600	123.6	650	44.0	691	90.2	1,600	47.3	1,600	59.2
10. मध्य प्रदेश	770	155.7	1,000	69.9	1,063	107.6	2,200	72.6	2,000	94.4
11. महाराष्ट्र	1,900	151.1	3,500	63.0	3,722	83.8	3,350	90.6	3,250	98.7
12. मणिपुर	50	48.4	25	18.5	26	15.4	50	6.8	60	15.0
13, मेघालय	50	189.5	50	59.5	53	82.1	100	80.7	50	99.3
14. नागालैंड	25	47.0	25	16.9	26	1.2	50	0.2	100	0.0
15. उड़ीसा	450	133.9	800	58.1	850	94.8	2,000	82.1	2,000	88.8
16. पंजाब	450	128.1	500	88.8	532	101.7	500	93.0	500	114.2
17. राजस्थान	550	108.6	600	58.1	900	57.9	1,300	60.0	1,800	58.6
18. सिक्किम	15	110.4	15	70.7	16	70.0	20	73.4	20	75.0
19. तमिलनाडु	1,000	105.2	2,200	19.5	2,339	88.4	3,000	72.6	3,300	89.4
20. त्रिपुरा	50	40.3	50	57.9	53	65.3	100	31.1	100	52.3
20. उत्तर प्रदेश	1,100	143.0	1,500	73.5	2,250	57.8	2,730	93.5	2,600	90.4
22. पश्चिम बंगाल	1,550	125.1	1,700	174.6	1,808	148.5	1,700	147.00	1,700	76.1
23. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10	104.1	10	15.8	11	89.3	5	143.8	5	170.4

24. अरुणाचल प्रदेश	20	53.9	15	102.9	16	99.8	5	186.1	10	68.1
25. चंडीगढ़	20	186.7	20	70.7	21	69.2	10	142.1	10	101.7
26. दादर व नगर हवेली	10	114.9	10	120.0	11	86.7	5	176.1	5	194.2
27. दिल्ली	100	106.6	125	32.9	133	56.1	50	139.9	100	75.4
28. गोवा दमन व दीव	30	101.3	30	110.9	30.9	94.7	47	75.7	47	117.5
29. लक्षद्वीप	5	82.8	8	86.8	8	77.5	5	152.3	5	263.7
30. मिजोरम	30	149.0	30	102.9	32	89.3	10	260.7	65	52.7
31. पांडिचेरी	15	124.0	20	40.4	21	82.5	10	156.7	10	104.1
32. रक्षा मंत्रालय	100	81.6	100	52.6	106	53.9	100	46.3	100	43.5
33. रेल मंत्रालय	250	113.1	250	74.0	266	89.1	400	62.7	400	74.4
34. दमन व दीव	—	—	—	—	1.1	213.2	3	126.1	3	99.1
अखिल भारत	14000	122.6	19433	66.0	22000	84.1	30000	72.2	20890	75.1

[हिन्दी]

एल०पी०जी० एजेंसी आबंटन हेतु नीति

2343. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी एल०पी जी० एजेंसियां हैं;

(ख) सरकार की कितनी जनसंख्या पर एल० पी० जी० एजेंसी खोलने की नीति है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान जिन जिलों में इस प्रकार की एजेंसियां कप हैं वहां पर जनसंख्या के आधार पर और एल० पी० जी० एजेंसियां खोलने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1-1-1993 को 223 ।

(ख) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के उत्पाद के उपलब्ध होने पर 20,000 या इससे अधिक आबादी वाले स्थानों पर चरणबद्ध रूप में खोली जाती है, बशर्ते कि वह स्थान आर्थिक रूप से व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के लिए समुचित संभाव्यता प्रदान करता हो ।

(ग) पिछली विपणन योजनाओं में लंबित ऐसी एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और जिन जिला मुख्यालयों में एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटर शिपें नहीं हैं, के अतिरिक्त 1992-93 और 1993-94 की विपणन योजनाओं में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की 55 एल०पी०जी० डिस्ट्रीव्यूटरशिपों को सम्मिलित किया गया है ।

[अनुवाद]

अवैध भवनों को गिराना

2344. **श्री राजवीर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लक्ष्मीनगर और शकरपुर, क्षेत्रों के उन अवैध भवनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गिराने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आदेश जारी किए गए हैं;

(ख) अभी तक गिराए गए भवनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष भवनों को न गिराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० एम० सईद) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के लक्ष्मीनगर और शकरपुर क्षेत्रों में जिन अनधिकृत भवनों को गिराने के आदेश दिए गए हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :

1990-91	118
1991-92	176
1992-93	88

(ख) दिल्ली नगर निगम ने आगे सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गिराए गए भवनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	आउट आफ बुकिंग	चल रहे अनधिकृत निर्माण
1990-91	—	78
1991-92	—	54
1992-93	—	38

(ग) भवनों को न गिराए जाने के कुछ कारणों में जनता द्वारा उत्पन्न की गई बाधा तथा उनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के अलावा न्यायालय में चल रहे मामले और विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किए गए स्थानादेश शामिल हैं।

(घ) यथा-संशोधित "दि० न० नि० अधिनियम, 1957" के उपबंधों के अधीन भवनों को गिराए जाने, सम्पत्तियों को सील करने, धारा 332/461 और 466-क के अधीन भवन मालिकों/निर्माताओं पर मुकद्दमा चलाने तथा बिजली की आपूर्ति बन्द कर देने सहित अनेक कार्रवाइयां नियमित रूप से की जाती हैं।

गुजरात में लौह और इस्पात संयंत्र

2345. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में लौह और इस्पात के नये संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनके स्थल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इस्पात संयंत्रों के कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र में नए लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार "लोहा और इस्पात" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता से भी छूट दे दी गई। अतः 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की 25 कि०मी० की सीमा के भीतर के स्थानों को छोड़कर निजी क्षेत्र में लोहा और इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

काला आजार रोगी

2346. **श्री रोशन लाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार प्रतिवर्ष काला-आजार के लगभग कितने मामले प्रकाश में आते हैं;

(ख) इन राज्यों में इससे प्रतिवर्ष कितनी मौतें होती हैं;

(ग) क्या इस बीमारी से ग्रस्त क्षेत्रों में इसका पता लगाने हेतु लोगों के खून का परीक्षण किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या काला आजार से बड़ी संख्या में गरीब रोगी मरते हैं चूंकि आवश्यक जीवन-रक्षक औषधियों और रोग जांच उपकरणों का मूल्य उनकी पहुंच से बाहर है क्योंकि इसका आयात होता है और काले बाजार में इसे ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान सूचित किए गए रोगियों की कुल संख्या क्रमशः 61,670 तथा 76,262 थी तथा क्रमशः 838 एवं 1,416 मौतें हुईं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कालाजार के निदान के लिए इस रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों में जहां कहीं आवश्यकता होती है, अस्थिमज्जा/प्लीहा चूचक की जांच की जाती है।

(ङ) तथा (च) जी, नहीं। केन्द्र सरकार कालाजार रोधी औषधों को पर्याप्त मात्रा में खरीदती है तथा सभी रोगियों को निःशुल्क देने के लिए राज्यों को सप्लाई करती है।

अर्ध सैनिक बलों को तैनात करना

2347. **श्रीमती विभू कुमारी देवी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हाल के चुनावों के दौरान अर्ध सैनिक बलों की कितनी कम्पनियां तैनात की गईं; और

(ख) इन बलों की तैनाती पर कितना खर्च हुआ ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मेघालय तथा नागालैंड में चुनावों के संबंध में अर्द्ध सैनिक बलों की आवश्यकता का आकलन राज्य सरकारों के परामर्श से किया गया था और इस उद्देश्य के लिए कई कम्पनियां तैनात की गई थीं। इसी प्रकार त्रिपुरा में भी आगामी चुनावों के लिए अर्द्ध सैनिक बल तैनात किए गए हैं।

(ख) इस उद्देश्य के लिए अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती पर आने वाला व्यय उनके सामान्य बजट में से किया जाता है और इसका अलग से लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

इस्पात उद्योग का निजीकरण

2348. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात उद्योग का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ख) वर्ष 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और स्थान संबंधी कुछ प्रतिबंधो को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता से भी छूट दे दी गई है।

सरकार ने चयनित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें सेल और एन०एम०डी०सी० जो इस मंत्रालय के अधीन हैं, में अपने साम्य को बेचने का निर्णय लिया है। 1-3-1993 की स्थिति के अनुसार सरकार ने सेल में कुल प्रदत्त साम्य पूंजी के 10.52% तक अपनी साम्य शेयर पूंजी को बेचने का निर्णय लिया है। 1-3-93 तक एन० एम० डी० सी० ने कोई साम्य नहीं बेचा है।

लाटरी पर प्रतिबन्ध

2349. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में लाटरी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल में ही ऐसी लाटरियों के चलन मे अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) दिनांक 31-12-91 की स्थिति के अनुसार राज्य लाटरी योजनाएं चलाने वाले सात राज्य हैं :—गोवा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा पंजाब।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीकान्। शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें उचित कार्रवाई के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश राज्य में सभी लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिनांक 25-1-93 को भारत के राष्ट्रपति ने "मध्य प्रदेश लाटरी प्रतिबंध अध्यादेश, 1992" प्रख्यापित किया।

[अनुवाद]

डाइस्लेक्जिया

2350. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारों बच्चे डायस्लेक्जिया से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि कुछ पृथक अध्ययन छोड़कर बच्चों में होने वाली विकलांगता को जानने के लिए घटना और व्यापतता दरों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही डायस्लेक्जिया विकसित करने के किसी निश्चित कारण का पता है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए आरक्षित पद

2351. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-7-92 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 399 समूह "ग" पद तथा 233 समूह "घ" पद रिक्त पड़े हैं ।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त पद कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाते हैं । समूह "घ" पदों के बैकलाग का निपटान रोजगार कार्यालयों तथा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को रिक्तियां सूचित करके किया जाता है । उसके अलावा समूह "ग" तथा "घ" पदों में दृष्टि तथा श्रवण विकलांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलाग को भरने हेतु 1987, 1988 तथा 1990 में विशेष भर्ती अभियान चलाए गए थे ।

उपक्रमों/संगठनों में कथित भ्रष्टाचार

2352. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय के अधीन कार्य कर रहे उपक्रमों/संगठनों में भ्रटाचार की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में मन्त्रालय में प्राप्त शिकायतों की जांच की गई है । तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत किसी विभागीय अधिकारी अथवा बोर्ड स्तर के अधिकारी के विरुद्ध मंत्रालय को कार्य करने की आवश्यकता थी । बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही, जहां आवश्यक थी, विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार सरकारी क्षेत्र उपक्रम द्वारा स्वयं की गई है ।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

रसोई गैस के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली

2353. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली के अन्तर्गत इनकी सप्लाई में निजी कम्पनियों को भी शामिल करने हेतु कोई घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूल्य निर्धारण एवं सप्लाई के प्रयोजनार्थ इस दोहरी प्रणाली के अन्तर्गत क्या नीति अपनायी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में एल० पी० जी० के समानान्तर विपणन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें निजी एजेंसियों द्वारा अपनी स्वयं की सुविधाएं स्थापित करके आयात करने और बाजार की कीमतों पर एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्य से ऐसी आयातित एल पी जी की बिक्री के लिए विपणन खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल० पी० जी० भरण संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देना शामिल है ।

[अनुवाद]

भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ का कार्यकरण

2354. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ के राज्य संघों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) तथा (ख) राज्य स्तर संघों की स्थापना की गई है तथा उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त होता है। भारत सरकार ने अभी तक उनके कामों का पुनरीक्षण नहीं किया है।

यथापि, भारत सरकार ने भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के कार्य प्रणाली का पहले ही पुनरीक्षण कर लिया है। इन तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों सहित समीक्षा 9 अप्रैल, 1992 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई है।

(ग) तथा (घ) जी, हां।

ट्राइफेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने से सम्बन्धित मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उदार स्वास्थ्य योजना

2355. **श्री तेर्जासिहराव भोंसले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उदार स्वास्थ्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला जमा करना

2356. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1992 तक कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के मुहाने पर कितना कोयला जमा था; और

(ख) मुहानों पर जमा कोयला के स्टाक को भेजने की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार को० इं० लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के

पास दिनांक 1-1-93 की स्थिति के अनुसार कोयले का एकत्रित स्टाक 37.057 मिलियन टन (आंकड़े अनंतिम) था ।

(ख) इस सम्बन्ध में एकत्रित स्टाक की निकासी किए जाने के सम्बन्ध में उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

1. सड़क मार्ग से प्रेषित मात्रा का, रेलवे साइडिंग से 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए भी कोयले के भंडार के परिवहन के अन्तर्गत संवृद्धिकरण किया जाता है । रेलवे से इस कोयले के संचलन के लिए वैगन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है ।

2. अन्य ग्रहीत संसाधनों के जरिए जैसे मैरीगोराउंड रोप-वे-बेल्टों द्वारा प्रेषण किए जाने के मामले में संवृद्धि की जा रही है ।

3. चूंकि अधिकांश एकत्रित स्टाक सड़क मार्ग से संयोजित कोलियरियों पर उपलब्ध है, अत: बड़े उपभोक्ताओं को सड़क मार्ग से कोयला प्राप्त करने के लिए कहा गया है ।

4. कोयला स्टाकों की निकासी के लिए तथा उनकी उपलब्धता में और सुधार किए जाने के लिए भी उदारीकृत बिक्री योजना (एल० एस० एस०) के अन्तर्गत कोयला बेचने के लिए दो योजनाएं तैयार की गई हैं । एल० एस० एस०-1 के अन्तर्गत छोटे खरीददारों के लिए है जिसमें एक ट्रक वजन से लेकर 1000 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है जबकि एल० एस० एस०-2 बड़े खरीददारों के लिए है जिसमें 10,000 टन तथा उससे अधिक मात्रा के कोयले की आवश्यकता पड़ती है । औद्योगिक उपभोक्ताओं को तरजीही दी जा रही है ।

5. कोल इंडिया लि० ने कोयले में थोक बिक्री व्यापार का विकास किए जाने के लिए नई योजना आरम्भ की है । इस योजना के अन्तर्गत को० इं० लि० की सहायक कम्पनियां खुले विज्ञापन के जरिए आवेदनों के आधार पर थोक बिक्री डिलर्स की नियुक्ति करेगी । प्रत्येक डिलर प्रति माह कम-से-कम 3000 टन कोयले का उठान करेगा । डिलरों को कोयले की बिक्री करने की तथा इस प्रकार के बिक्री किए गए कोयले के लिए मूल्य निर्धारित करने के मामले में स्वतंत्रता होगी ।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोयला

2357. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप विद्युत् संयंत्रों को प्रत्येक वर्ष कितने कोयले की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या कोल इंडिया लि० इस आवश्यकता का पूरा करने में सक्षम है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की अपेक्षित मात्रा की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) वर्ष 1992-93 के लिए विद्युत उपयोगिताओं को 150 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से कुल 134.01 मिलियन टन की आपूर्ति, कोल इंडिया स्रोतों से की जाएगी। अप्रैल, 1992-जनवरी, 1993 की अवधि के बीच कोल इंडिया ने कुल 109.15 मिलियन टन की आपूर्ति की, जोकि इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य का 100% है। को० इं० लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० दोनों ने कुल 121.25 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की, जोकि इस अवधि के लक्ष्य का 99.2% है और कोयले की आपूर्ति के वार्षिक लक्ष्य का 80.83 प्रतिशत है। कोयला कंपनियों को वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार विद्युत उपयोगिताओं की आवश्यकताओं की आपूर्ति किए जाने का पूर्ण विश्वास है।

ऐसे विद्युत गृहों को छोड़कर जहां कि कोयले की उतराई सम्बन्धी समस्याएं विद्यमान हैं, अधिकांश: विद्युत गृहों में कोयले के स्टाक में काफी सुधार हुआ है।

विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। विद्युत गृहों को कोयले की बेहतर उपलब्धता का सुनिश्चित किए जाने के लिए अपेक्षानुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार

2358. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार से सम्बन्धित नियमों का ब्यौरा क्या है जिनका वहां पर तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है;

(ख) क्या मधुबनी जिले के अन्तर्गत हरलाखी चैक पोस्ट पर तैनात पुलिस/चुंगी अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत में उत्पादित किन्हीं वस्त्रों की जांच की है/को जब्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) भारत और नेपाल के बीच व्यापार को भारत-नेपाल व्यापार संधि-1991 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ख) से (घ) बिहार के मधुबनी जिले में हरलाखी पुलिस थाने ने 1 अक्तूबर, 1991 को एक लाख रुपये मूल्य और 8 दिसम्बर, 1991 को 35,000 रुपये मूल्य का भारतीय कपड़ा जब्त किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र तैयार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया। बाद में न्यायालय द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और जब्त किया गया माल भी छोड़ दिया गया।

कोयला खानों का विकास

2359. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में विभिन्न कोयला खानों को विकसित करने और उनको आधुनिक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ख) जी, हां। नई कोयला परियोजनाओं का विकसित किया जाना तथा कोयला खानों का आधुनिकीकरण करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97) के लिए मध्य प्रदेश में 18 नई परियोजनाओं के विस्तार/पुनर्गठन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसके लिए आठवीं योजना में 433 करोड़ रु० (1991-92 की कीमतों पर) निवेश किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। इन विनिर्दिष्ट परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

1. टावा भूमिगत
2. मौरी भूमिगत
3. छतरपुर-II भूमिगत
4. उरधान ओपेनकास्ट
5. शोभापुर भूमिगत खान का पुनर्गठन
6. दामुआ ईस्ट फेस-II भूमिगत

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०

7. ब्लाक "बी" ओपेनकास्ट
8. दुधीचुआ विस्तार ओपेनकास्ट
9. जयंत ओ० बी० आर० योजना
10. झिगुर्दा ओ० बी० आर० योजना

साउट ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

11. दुग्गा ओपेनकास्ट
12. करकटी भूमिगत
13. सेन्दुरपाड़ा भूमिगत
14. शीतलधारा भूमिगत
15. वेहराबंद भूमिगत
16. दीपिका ओपेनकास्ट विस्तार
17. मणि भूमिगत
18. दोमनारा भूमिगत ब्लाक

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए सुरक्षापरक जूतों की खरीद

2360. **श्री तारा चन्द खंडेलवाल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने संयंत्र के कामगारों तथा कर्मचारियों के लिए सुरक्षा-परक जूते तथा अन्य बूट खरीदने के लिए क्रयादेश जारी किए हैं;

(ख) क्या इन मदों की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी संगठन से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए जिस पार्टी को जूते सप्लाई करने का ठेका दिया गया था उसका ब्यौरा क्या है तथा कितने जूतों के लिए ठेका दिया गया था ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र ने वर्ष 1992-93 के दौरान अपने कामगारों के लिए सुरक्षा परक जूतों की खरीद के आर्डर दिए हैं। तथापि, वर्ष 1992-93 के दौरान बूट खरीदने के लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के संगठनों, जैसे मैसर्स तान्नफ्राई एण्ड फूटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का एक उपक्रम) कानपुर, मैसर्स भारत लेदर कारपोरेशन, दिल्ली, मैसर्स यू० पी० स्टेट लेदर कारपोरेशन, आगरा तथा मैसर्स बिहार स्टेट लेदर इंडस्ट्रीज, पटना (बिहार सरकार का उपक्रम) से भी निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए जूतों की सप्लाई तथा उसकी मात्रा के लिए जिन पार्टियों को ठेका दिया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र० सं०	पार्टी का नाम	आर्डर की मात्रा
1.	मैसर्स अशोक बूट फैक्ट्री, आगरा	45,000 जोड़ें
2.	मैसर्स यू० पी० स्टेट लेदर कारपोरेशन, आगरा	5,000 जोड़े
3.	मैसर्स जगुआर फूटवियर (पी०) लि०, सिकन्दराबाद	5,000 जोड़े
4.	मैसर्स नार्थ इंडिया बूट फैक्ट्री, आगरा	5,000 जोड़े
5.	मैसर्स न्यू एडवांस शू फैक्ट्री, आगरा	5,000 जोड़े
		65,000 जोड़े

जड़ी-बूटियां

2361. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1983 के स्टेट्समैन में 1500 प्लांटस फेसिंग एक्सटिंक्शन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन जड़ी-बूटियों के नष्ट होने से बचाने तथा इनकी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और संबंधित स्वायत्त निकायों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे औषधीय पादपों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए कदम उठाएं। इस प्रयोजन के लिए सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी इन औषधीय पादपों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने, उनका प्रचार करने और उनके वाणिज्यिक शोषण पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं।

रक्तक्षीणता को नियंत्रित करना

2362. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद की अनुसंधान रिपोर्ट पर ध्यान दिया है कि 50-70 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं तथा शिशु रक्तक्षीणता से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में, जिनकी दुर्बल वर्ग के रूप में पहचान की गई है, रक्तक्षीणता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री० बी० शकरानन्द) : (क) जी हां। यह रिपोर्ट वर्ष 1989 में संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण से संबंधित है।

(ख) सरकार एक ऐसा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के उपभोग गर्भवती महिलाओं तथा पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को आयरन और फोलेट गोलियां उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। नमक को प्रचुर आयरन युक्त करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से कोयला परियोजनाएं

2363. **डा० लाल बहादुर रावल:** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से देश में कई कोयला परियोजनाएं स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था और ये परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनके निर्माणार्थ पूर्व सोवियत संघ द्वारा किस प्रकार की सहायता का प्रस्ताव किया गया था;

(ग) क्या सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् से इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की संभावनाओं का पता लगाने के प्रयास किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फरवरी, 1993 तक इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई थी; और

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमानतः कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) निम्नलिखित चार बड़ी परियोजनाओं को तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से कार्यान्वयन किए जाने के लिए आरंभ किया गया था :

(1) खादिया ओपेनकास्ट (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०)

(2) निगाही ओपेनकास्ट (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०)

(3) झांझरा भूमिगत (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

(4) पाथरडीह वाशरी का आधुनिकीकरण (भारत कोकिंग कोल लि०)

वर्तमान में उपर्युक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा मुख्य रूप से सहायता उपकरण की आपूर्ति किए जाने के रूप में तथा उपकरणों के प्रतिष्ठापन तथा प्रचालन के दौरान तकनीकी सहायता के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) तत्कालीन सोवियत संघ में विघटन हो जाने के कारण उपकरण की आपूर्ति तथा सोवियत निर्मित कलपुर्जों की आपूर्ति के संबध में कुछ अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई थीं। किन्तु इससे वर्तमान में चल रही इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि सम्बद्ध रूसी संगठनों के साथ बातचीत चल रही है/की जा रही है।

(घ) से (च) इन परियोजनाओं को सुचारु रूप से चलाए जाने के लिए निम्नलिखित अंतरिम उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं :

(1) सोवियत निर्मित उपकरण की मुख्य असैम्बलियों/उप असैम्बलियों को स्वदेशी निर्मित असैम्बलियों से प्रतिस्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

(2) फालतू कल-पुर्जों का यथा संभव स्वदेशीकरण किया जा रहा है।

(3) सामरिक कलपुर्जों की अधिप्राप्ति केवल रूसी व्यापार गृहों तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे निर्माताओं से भी प्राप्त किए जाने के लिए संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं।

(4) आवश्यकता के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए भावी उपकरणों को अन्य स्रोतों से प्राप्त किए जाने के लिए समान्तर व्यवस्था की जा रही है।

इन परियोजनाओं पर फरवरी, 1993 तक व्यय की गई कुल राशि तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आगे अनुमानित राशि नीचे दर्शायी गई है :

(करोड़ रु० में)

	परियोजना	परियोजना पर व्यय की गई कुल राशि (अनंतिम) (फरवरी, 1993 तक)	परियोजना को पूरा करने के लिए और अनुमानित अपेक्षित राशि
(1)	खादिया ओ०का०प० नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	433.61	155.14
(2)	निगाही ओ०का०प० नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	349.76	248.17
(3)	झांझर भू०ग० ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	215 70	409.30
(4)	पाथरडीह वाशरी (आधुनिकीकरण) भारत कोकिंग कोल लि०	8.49	20.94

[अनुवाद]

आनुवंशिक विकृतियां

2364. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बीमारियां और विकृतियां आनुवंशिक विकृतियों से जुड़ी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आनुवंशिक विकृतियों के सम्बन्ध में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) आनुवंशिक विकारों से होने वाले मुख्य रोग हैं—होमोफीलिया, मस्क्यूलर डायस्ट्रॉफी, डाउन्स सिन्ड्रोम/पॉलीसिस्टिक किडनी आदि।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक आनुवंशिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है।

कच्चे तेल का आयात

2365. **श्री मदनलाल खुराना**

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया जाएगा तथा वर्ष 1992-93 की तुलना में यह कितना अधिक है;

(ख) इस वर्ष अधिक मात्रा में आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वर्ष तेल आयात पर अत्यधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी; और

(घ) आयात बिल में बचत करने के लिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने तथा तेलशोधक कारखानों के कार्यकरण में सुधार करने लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) कच्चे तेल का आयात वर्ष 1993-94 के स्वीकृत तेल आर्थिक बजट के अनुसार होगा। आयात का मूल्य कुल मात्रा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चल रही कीमतों पर निर्भर करेगा।

(घ) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक तेल एवं गैस क्षेत्र परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार ने निजी कंपनियों द्वारा विकास कार्य करने के लिए कुछ तेल/गैस क्षेत्रों का प्रस्ताव भी किया है। वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार करके तथा नई ग्रास रूट रिफइनरियों की स्थापना करके शोधन क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नेशनल अलुमिनियम कम्पनी (नालको) का प्रस्तावित अलुमिनियम संयंत्र

2366. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए नेशनल अलुमिनियम कम्पनी के अलुमिनियम परियोजना का परित्याग किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) ने आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई०आई०टी० दिल्ली में चोरी के मामले

2367. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में चोरी करने और प्रध्यापक वर्ग व अन्य कर्मचारियों की पिटाई करने के कुछ मामले हाल ही में सरकार के ध्यान में लाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्पंज आयरन की क्षमता बढ़ाना

2368. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान स्पंज आयरन का विकास करके इसकी क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने स्पंज आयरन एकक स्थापित करने के प्रस्ताव है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे एकक स्थापित करने के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) स्पंज लोहा उद्योग को अनिवार्य लाईसेंसिंग की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। निजी क्षेत्र में स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है बशर्ते संयंत्र स्थापित करने का प्रस्तावित स्थान 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की 25 कि०मी० की सीमा के भीतर न हो।

इस समय देश में स्पंज लोहा निर्माण के लिए संस्थापित क्षमता 18 लाख टन है। स्पंज लोहे की 45 लाख टन कुल क्षमता की 12 नई परियोजनाएं और दो विस्तार परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। उनकी क्षमता और संयंत्र के स्थान का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य	क्षमता (लाख टन)	संयंत्र स्थान
1	2	3
आंध्र प्रदेश	0.60	नालगोंडा (हैदराबाद के समीप) (एक इकाई)
बिहार	1.5	चान्दील, सिंहभूम (एक विस्तार परियोजना)
महाराष्ट्र	23.50	भण्डारा (एक विस्तार परियोजना) और रायगढ़ (तीन नई परियोजनाएं)

1	2	3
मध्य प्रदेश	11.10	रायगढ़ (एक परियोजना) बिलासपुर (दो परियोजनाएं) और रायपुर (तीन परियोजनाएं)
तमिलनाडु	0.30	सेलम (एक परियोजना)
उत्तर प्रदेश	8.00	जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर (एक परियोजना)
कुल	45.00	

राजीव गांधी स्मारक कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र

2369. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में बोको स्थित राजीव गांधी स्मारक कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस केन्द्र में विगत तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस केन्द्र को कितना धन आबंटित किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यह राज्य सरकार की संस्था है जिसे निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार कुष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन सहायता प्रदान की जा रही है :

1. अनावर्ती 0.85 लाख रुपए
2. आवर्ती (प्रतिवर्ष) 1.37 लाख रुपए

3. वजीफा चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के लिए 800 रुपए की दर से तथा गैर चिकित्सा पर्यवेक्षकों, प्रयोगशाला तकनीशियनों, फिजियो तकनीशियनों और पूरा चिकित्सीय कार्यकर्त्ताओं जैसी अन्य श्रेणियों के लिए 620 रुपए की दर से।

उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक 402 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड

2370. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को रुग्ण घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) व (ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने 28-8-1992 को की गई सुनवाई के दौरान

भारत गोल्ड माइन्स लि० की निवल पूंजी में गिरावट आने तथा दो वर्षों से लगातार नकद हानि होने के कारण इसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के अनुसार एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित कर दिया है।

(ग) बी०आई०एफ०आर० को इस कम्पनी के पुनर्निर्माण के बारे में अपनी सिफारिशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, इस बीच कम्पनी अपने घाटे को कम करने के लिए विभिन्न आर्थिक उपाय करके उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्पादन लागत घटाने के प्रयास कर रही है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति

2371. **डा०राजागोपालन श्रीधरण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने वर्ष 1993 के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह छात्रवृत्ति योजना कब से शुरू की गई; और

(घ) अब तक कितने शोधार्थी लाभान्वित हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) विधि विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यों और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रशासित अपराधिक और पुलिस विज्ञान में डाक्टरी कार्यों के लिए शोधवृत्ति योजनाओं के अधीन वर्ष 1993 के लिए कोई नई शोधवृत्ति प्रदान नहीं की गई है।

(ग) और (घ) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधीन प्रशासित की जा रही दो छात्रवृत्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

1. विधि विज्ञान कार्य में स्नातकोत्तर के लिए शोधवृत्ति योजना, 1970-71 से लागू है अभी तक 157 विद्वानों को शोधवृत्ति उपलब्ध कराई गई है।
2. अपराध विज्ञान और पुलिस विज्ञान में डाक्टरी कार्य के लिए शोधवृत्ति योजना, 1986-87 से लागू है। इसके प्रारम्भ से अब तक 30 विद्वानों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

दिल्ली में कथित काले झंडों का कथित रूप से फहराया जाना

2372. **श्री मोहन रावले** :
श्री राम पूजन पटेल :
डा० परशुराम गंगवार :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने गणतन्त्र दिवस, 1993 को काले दिवस के रूप में मनाया तथा कुछ भवनों पर काले झंडे फहराए तथा काला दिवस मार्च निकाला;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गणतंत्र दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने को राष्ट्र विरोधी कार्य माना जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राष्ट्र विरोधी कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। आल इण्डिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा गणतन्त्र-दिवस समारोहों का बहिष्कार करने के आह्वान के उत्तर में जामा मस्जिद के शाही ईमाम के नेतृत्व में कुछ मुसलमानों ने उसी स्थान पर मस्जिद का पुनर्निर्माण करने की मांग को लेकर शाही गेट, जामा मस्जिद से अम्बेडकर स्टेडियम, दिल्ली गेट तक विरोध-मार्च निकाला। घरों, दुकानों की छतों पर और जामा मस्जिद, दिल्ली पर काले झंडे फहराए गए।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अधीन 3500 व्यक्तियों को निरुद्ध/रखा गया। उनको बाद में छोड़ दिया गया।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के सहायक एकक

2373. **श्री एम०वी०वी०एस०मूर्ति** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विद्यमान सहायक एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का और अधिक सहायक एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) इस्पात संयंत्रों के लिए सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया है जिसमें आन्ध्र प्रदेश सरकार, आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। कृतिक बल की सिफारिशों के आधार पर विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने 24 सहायक इकाइयों और 46 स्वतन्त्र इकाइयों को मंजूरी दी है। इनमें से 7 सहायक इकाइयां और 8 स्वतन्त्र इकाइयां चालू हो गई हैं। शेष इकाइयां उद्यमियों द्वारा रुचि न लेने/संसाधन न जुटा पाने के कारण अभी शुरू नहीं हुई हैं। केन्द्र/राज्य सरकार और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र सहायक इकाई स्थापित नहीं करते। इस प्रकार की इकाइयां स्थापित करने के लिए इच्छुक उद्यमी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कृतिक बल को आवेदन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियन

2374. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री सत्य देव सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक और महिला बटालियन गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) इस बल में इस समय महिला बटालियनों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक महिला बटालियन है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अधिकांश रूप से महिलाओं वाली एक और बटालियन गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

इंजीनियर्स इण्डिया लि० और ब्रिटिश कम्पनी के बीच समझौता

2375. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लि० ने हाल में एक ब्रिटिश कम्पनी के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) इस समझौते के अंतर्गत किन उत्पादों का निर्यात किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) यूके में स्थापित किया जाने वाला संयुक्त उद्यम मौलिक विस्तृत इंजीनियरी अध्ययन करेगा और खरीद, निरीक्षण, निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित मुख्यता: दो प्रवर्तकों द्वारा विशिष्ट सहमति प्राप्त देशों में हाइड्रोकार्बनों के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद प्रस्तावित कम्पनी निगमित की जाएगी।

(घ) प्रस्तावित कम्पनी में निर्यात के लिए किसी उत्पाद के निर्माण का कार्यक्रम नहीं है।

[अनुवाद]

बिहार को अतिरिक्त मिट्टी के तेल का आबंटन

2376. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार में उद्योगों को मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा आबंटित करने के लिए बिहार उद्योग संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मन्त्रालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस०के०ओ० का केवल थोक आबंटन ही करता है। किसी राज्य विशेष/संघ राज्य क्षेत्र विशेष के अन्दर विभिन्न उपभोक्ताओं को एस०के०ओ० के वितरण का दायित्व सौंपना उसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का होता है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र के लिए इस मन्त्रालय द्वारा एस०के०ओ० का कोई अलग से आबंटन नहीं किया जाता है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में भर्ती

2377. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र की भर्ती में खिलाड़ियों और कलाकारों को कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने खिलाड़ियों और कलाकारों की भर्ती की गई ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) भिलाई इस्पात संयंत्र में सामान्य भर्ती में खिलाड़ियों और कलाकारों को तरजीह नहीं दी जा रही है। तथापि, उम्मीदवारों के समग्र व्यक्तित्व का आंकलन करते समय खेल कूद/सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, भिलाई में वर्ष 1991 के दौरान 24 खिलाड़ियों और 3 कलाकारों को भर्ती किया गया है।

अधिक किराया वसूल करना

2378. **श्री बापू हरि चौरे** :
श्री वी० देवराजन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में स्कूटर/टैक्सी चालकों द्वारा दुर्व्यवहार/अधिक किराया वसूल करने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान दिल्ली में स्कूटर/टैक्सी चालकों द्वारा दुर्व्यवहार करने/अधिक भाड़ा लेने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई निम्न प्रकार है :

	1990		1991		1992	
	टी०एस० आर०	टैक्सी	टी०एस० आर०	टैक्सी	टी०एस० आर०	टैक्सी
शिकायतें						
1. इंकार करने/अधिक भाड़ा लेने दुर्व्यवहार करने के प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या	5886	286	3352	728	2545	235
की गई कार्रवाई						
2. ट्रैफिक पुलिस द्वारा निलम्बित किए गए परमिट	1026	—	37	—	—	—
3. परमिट जिनका निलम्बन करने के लिए एस० टी० ए० की सिफारिश की गई	—	25	821	12	—	5
4. न्यायालय में किए गए चालान	4860	234	2494	716	2545	230

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि० से पूर्व-सैनिक संगठनों द्वारा कोयले की खरीद

2379. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पूर्व-सैनिक संगठन कोल इंडिया लि० के साथ कोयले के व्यापार में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पूर्व-सैनिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्राथमिकता के आधार पर कोल इंडिया लि० से कोयले को खरीदा;

(ग) क्या इन संगठनों को कोयला आवंटित करने में किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० वास्तविक प्रयोक्ताओं को उनके संयोजनों तथा प्रायोजकता के आधार पर कोयले का आवंटन करती है। कुछ कोयला छोटे डम्प होल्डरों को घरेलू/लघु उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ति के लिए भी आवंटित किया जाता है। युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को भी संबंधित पुनर्वास/सैनिकल्याण निदेशालयों की सिफारिशों के आधार पर वार्षिक आधार पर प्रतिमाह 50 मीट्रिक टन कोयला भी आवंटित किया जाता है। इसके अलावा, खाद्य-

कृत बिक्री योजनाओं के अंतर्गत, उदारीकृत बिक्री योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोलियरियों से बिना किसी संयोजना/प्रायोजन के कोयला भी निगमित किया जा रहा है। हाल ही में कोल इंडिया लि० ने उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत थोक डिलरों को नियमित आधार पर कोयला देने की भी योजना तैयार की है। रक्षा मंत्रालय से प्राप्त एक संदर्भ के अनुसार कोयला मंत्रालय के थोक व्यापार किए जाने के लिए इस योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके संगठनों के आवेदनों पर कोल इंडिया लि० द्वारा विचार किए जाने का परामर्श दिया है। इस योजना को अभी चालू नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) हाल ही में, सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु विशिष्ट शिकायतों पर समुचित कार्रवाई किए जाने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा जांच की जाती है।

ईस्टर्न माईनिंग लिमिटेड द्वारा कोयले का निर्यात

2380. **श्री एन०के० बालियान :**

डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्टर्न माईनिंग लिमिटेड को कोयले का निर्यात करने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस कंपनी की वार्षिक कोयला खनन क्षमता कितनी है; और सरकार तथा इस कंपनी के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोयला एक मुख्य खनिज है, जो कि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल है। प्रथम अनुसूचीबद्ध किए गए खनिजों के मामले में खनन पट्टेदारी दिए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का पूर्व में अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। कोयला मंत्रालय द्वारा ईस्टर्न माईनिंग लि० के पक्ष में ऐसा कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है। इस कंपनी द्वारा कोयले के किसी नियति के मामले में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ऐसे निर्यातों पर लगाई गई शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत मेघालय कोयले के ऐसे निर्यात न्यूनतम निर्यात कीमत की वसूली की शर्तों के अधीन हैं।

[अनुवाद]

कोयला खानों पर भूमि का धंसना

2381. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयला खानों पर से भूमि के भारी धंसाव की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को सुरक्षा तथा लोगों को मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) सरकार को वर्ष 1992 के दौरान पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड क्षेत्र के नरममुंडा, मधुसूदनपुर तथा थानाडीह (हरीशपुर) में धंसाव की घटनाओं की जानकारी मिली है। धंसाव की इन तीन घटनाओं में से एक केविंग की डिपिलिरिंग के कारण घटित हुई थी। धंसाव की इन घटनाओं से किसी व्यक्ति को सतह पर चोट नही पहुंची है यद्यपि मधुसूदनपुर में इन घटनाओं से कुछ आवासों के प्रभावित होने की सूचना मिली थी। कोयला कपनियों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को अस्थायी आवासों में स्थानान्तरित किया गया था तथा उन्हें मुफ्त योजना सहित राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। धानडीह में, खतरे के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को एहितायाती तौर पर अस्थायी आवास में स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा सद्भावनावश मुफ्त योजना सहित राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई थी।

रानीगंज कोलफील्ड्स में धंसाव की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे कुछ अन्य उपाय नीचे दिए गए हैं :

(1) चूंकि पानी से घिरी हुए क्रियाकलाप, जहां कि पहुंचना कठिन है, को सुदृढ़ीकृत करने के लिए कोई सिद्ध प्रौद्योगिकी नहीं है, अतः एक नई हाइड्रो न्यूमेटिक स्टोइंग प्रौद्योगिकी को रानीगंज टाउनशिप के क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है।

(2) कोल इंडिया लि० द्वारा एक शीर्षस्थ निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें असुरक्षित क्षेत्रों की जांच किए जाने के लिए निम्नलिखित के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है—पश्चिम बंगाल सरकार, महानिदेशक खान सुरक्षा, केन्द्रीय खनन अनुसंधान गृह, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि, आदि। समिति ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है तथा रानीगंज कोलफील्ड्स में कुछ विशेष क्षेत्रों को आवास की दृष्टि से असुरक्षित घोषित कर दिया है।

केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० ने प्रत्येक असुरक्षित स्थान के लिए निधियों की उपलब्धता को देखते हुए योजनाओं के निष्पादन किए जाने का कार्य शुरू किया है।

(3) खनन क्रियाकलापों को नियमों और विनियमों के अनुसार और महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(4) असुरक्षित घोषित किए गए स्थानों से व्यक्तियों को हटाने के लिए निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और जिला प्राधिकारियों के साथ संपर्क रखा जाता है।

कथारा कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति

2382. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फरक्का ताप विद्युत केन्द्र को बिहार के कथारा कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति करने पर सहमत हो गई है है;

(ख) यदि हां, तो ताप विद्युत केन्द्र को कितने कोयले की आपूर्ति करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने कोयले की आपूर्ति के संबंध में अमेरिका की एक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ग) जी, नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

तपेदिक के मरीज

2383. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री जनार्दन मिश्र :
डा० ए०के० पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तपेदिक के मरीजों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) 1992 में इस बीमारी के कारण प्रत्येक राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) इस बीमारी के तेजी से बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बीमारी पर प्रभावी रूप से नियन्त्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) देश में प्रत्येक राज्य में क्षयरोगियों की अनुमानित संख्या कुल जनसंख्या का 1.5 प्रतिशत हैं । घटनाएं पॉजिटिव थूक के रोगियों की संख्या से सम्बद्ध हैं जो कि इस समय स्थिर है । सूचित की गई मौतों की सूचना विवरण-I में दी गई है ।

(घ) राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय को 1991-92 में 13.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1992-93 में 29.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि बेहतर कवरेज हो सके ।

विवरण-I

1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्षयरोग के कारण हुई सूचित की गई मौतों की संख्या (केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	सूचित मौतें
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1105
2.	अरुणाचल प्रदेश	31

1	2	3
3.	असम	88
4.	बिहार	—
5.	गोवा	4
6.	गुजरात	228
7.	हरियाणा	308
8.	हिमाचल प्रदेश	227
9.	जम्मू और कश्मीर	0
10.	कर्नाटक	560
11.	केरल	317
12.	मध्य प्रदेश	313
13.	महाराष्ट्र	1053
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	12
16.	मिजोरम	59
17.	नागालैंड	0
18.	उड़ीसा	1541
19.	पंजाब	167
20.	राजस्थान	190
21.	सिक्किम	27
22.	तमिलनाडु	326
23.	त्रिपुरा	0
24.	उत्तर प्रदेश	227
25.	पश्चिम बंगाल	327
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46
27.	चंडीगढ़	57
28.	दादरा और नगर हवेली	1
29.	दमण और दीव	10
30.	दिल्ली	1533
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	16
	कुल	8773

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और चिकित्सा उप-केन्द्र

2384. **डा० सुधीर राय :**
श्री सूर्यनारायण यादव :
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और चिकित्सा उप-केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार खोले गए हैं; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और चिकित्सा उप-केन्द्र राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार खोले जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उप केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए योजना आयोग द्वारा निधारित किए गए राज्यवार लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	165	300
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	15
3.	असम	80	245
4.	बिहार	3260	1078
5.	गोवा	10	2
6.	गुजरात	—	82
7.	हरियाणा	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	67
9.	जम्मू और कश्मीर	800	95
10.	कर्नाटक	1000	300
11.	केरल	1556	72
12.	मध्य प्रदेश	1277	820
13.	महाराष्ट्र	800	100

1	2	3	4
14.	मणिपुर	34	8
15.	मेघालय	150	26
16.	मिजोरम	70	8
17.	नागालैंड	80	20
18.	उड़ीसा	143	170
19.	पंजाब	—	44
20.	राजस्थान	1000	200
21.	सिक्किम	5	1
22.	तमिलनाडु	—	—
23.	त्रिपुरा	150	55
24.	उत्तर प्रदेश	4000	300
25.	पश्चिम बंगाल	2300	625
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	25	4
27.	चंडीगढ़	4	1
28.	दादरा और नगर हवेली	6	1
29.	दमण और द्वीव	5	1
30.	दिल्ली	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	10	10
	कुल	17030	4450

विवरण-II

1-4-1992 से 30-9-1992 तक की अवधि के दौरान खोले गए उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	उप केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1.	गोवा	2	—
2.	गुजरात	—	7
3,	कर्नाटक	—	19
4.	त्रिपुरा	3	3

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में हृदय रोगी

2385. **श्री शरद यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली ने लगभग कितने हृदय रोगियों का उपचार किया है;

(ख) क्या हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनका उपचार करने के लिए इस संस्थान में चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि 1992 में कार्डियक क्लीनिक में 73,107 रोगी इलाज के लिए आए। इनमें नए रोगियों के साथ-साथ पुराने रोगी भी शामिल हैं। इस समय कार्डियोलॉजी विभाग में डाक्टर पर्याप्त संख्या में हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में सफेद पोश व्यक्तियों (व्हाइट कौलर) द्वारा किए गए अपराध

2386. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 में दिल्ली में अपराध शाखा ने सफेद पोश व्यक्तियों (व्हाइट कौलर) द्वारा किए गए अपराधों के कितने मामले सुलझाए हैं;

(ख) इन अपराधों का स्वरूप क्या था तथा इनके संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) ऐसे अपराधों के 1991 तथा 1990 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) दिल्ली में सफेद पोश व्यक्तियों (व्हाइट कौलर) द्वारा किए जाने वाले अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) 82.

(ख) 82 मामलों में 293 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये मामले अधिकतर जालसाजी दुरुपयोग, बिक्रीकर चोरी, धोखाधड़ी से आयकर की वापसी इत्यादि के थे।

(ग) 1991 और 1990 के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :

1990	69
1991	69

(घ) सफेद पोश व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों का पता लगाने के लिए अधिए

तैनात किए जाते हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त जासूसना एकत्र की जाती है और एकत्रित सूचना के आधार पर छापे मारे जाते हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर

2387. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विशेषत: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए खोले जाने वाले आश्रम स्कूलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना करने हेतु आठवीं योजना अवधि (1992-97) के लिए 10 करोड़ प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस योजना में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50% केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ब्यौरे राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तैयार किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति के लिए आश्रम स्कूलों संबंधी ऐसी कोई योजना भारत सरकार के पास नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में साक्षरता में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्कूल/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र/प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना, शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों का प्रावधान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की योग्यता के उन्नयन संबंधी योजना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों अस्वच्छ व्यावसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग केन्द्र, विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।

इसके अतिरिक्त कम साक्षरता वाली पाकेटों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु विशेष शैक्षणिक विकास कार्यक्रम तथा कम साक्षरता वाली

पाकिटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिसर की नई केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं तैयार की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साक्षरता दर (1981 जनगणना)	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.65	7.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.14	14.04
3.	असम	—	—
4.	बिहार	10.40	16.99
5.	गोवा	38.38	26.48
6.	गुजरात	39.79	21.14
7.	हरियाणा	20.15	—
8.	हिमाचल प्रदेश	31.50	25.93
9.	जम्मू और कश्मीर	22.44	—
10.	कर्नाटक	20.58	20.14
11.	केरल	55.96	31.79
12.	मध्य प्रदेश	18.97	10.63
13.	मणिपुर	33.63	39.74
14.	महाराष्ट्र	35.55	22.29
15.	मेघालय	25.78	31.55
16.	मिजोरम	84.44	59.63
17.	नागालैंड	—	40.32
18.	उड़ीसा	22.41	13.96
19.	पंजाब	23.86	—
20.	राजस्थान	14.48	10.27
21.	सिक्किम	28.06	33.13
22.	तमिलनाडु	29.67	20.46
23.	त्रिपुरा	33.69	23.07

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	14.96	20.45
25.	पश्चिम बंगाल	24.37	13.21
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	31.11
27.	चंडीगढ़	37.07	—
28.	दमन और द्वीप	—	—
29.	दादर और नगर हवेली	51.20	16.96
30.	दिल्ली	39.30	—
31.	लक्षद्वीप	—	53.13
32.	पांडिचेरी	32.36	—

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरता दर से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

असम में जनगणना नहीं हो सकी क्योंकि 1981 की जनगणना के समय वहां अशांत स्थिति विद्यमान थी।

गोवा, दमन तथा दीव के लिए मिलाजुला।

कैंसर के लिए टीका

2388. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के लिए कोई टीका विकसित किया गया है और उसका परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो टीकों की प्रकृति क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रकार के कैंसर के लिए टीके विकसित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) कैंसर के लिए कोई प्रमाणित वैक्सीन नहीं है। तथापि यह सूचित किया गया है कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ई बी वी संक्रमण जो हॉगकिन्स रोग, बरकिट्स, लिम्फोमा और नासिका की गुहिका के कैंसर का पता लगाए गए कारण हैं, के बचाव में प्रयोग करने के लिए एक वैक्सीन विकसित की है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल/डीजल की खपत

2389. **प्रो० प्रेम धूमल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल/डीजल की प्रतिवर्ष खपत कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार हिमाचल को आबंटित पेट्रोल/डीजल की मात्रा बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) हिमाचल प्रदेश को 1989-90 से 1992-93 (अप्रैल-दिसम्बर, 1992) तक आपूर्त की गई पेट्रोल और डीजल की मात्रा निम्नवत है :

(संख्या हजार मी० टन० में)

वर्ष	पेट्रोल	डीजल
1989-90	17.64	107.71
1990-91	19.97	102.84
1991-92	21.76	114.72
1992-93	18.39*	93.41*
(अप्रैल-दिसम्बर, 1992)*		*अस्थायी संख्याएं)

(ख) सरकार किसी राज्य/संघ शासित राज्य के पेट्रोल/डीजल कोटे को निर्धारित नहीं करती है । वास्तविक मांग के आधार पर आपूर्ति की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मूरी एक्सप्रेस में कथित सामूहिक बलात्कार

2390. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, 1993 को मूरी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही चार जनजातीय महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बारे में विभिन्न समाचार-पत्रों में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दिनांक 11-2-1993 को रांची, बिहार की एक कु०लिलि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई और बताया कि वह चार अन्य लड़कियों के साथ मूरी एक्सप्रेस द्वारा रांची से नई दिल्ली आ रही थी । दिनांक 10-2-93 को करीब 11.00 बजे अपराह्न जिस समय रेल खुरजा रेलवे स्टेशन के निकट थी तो सेना के 7/8 व्यक्ति/जवान उनके डिब्बे मे घुस गए और उसके तथा अन्य तीन लड़कियों के

साथ बलात्कार किया। भा०द०सं० की धारा 376-ख/34 के अधीन नई दिल्ली स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया तथा एक सिपाही धीर सिंह, जिसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था, को गिरफ्तार कर लिया गया।

(ग) और (घ) एक धीर सिंह, निवासी ग्राम-दोस्तपुर, थाना-क्लानौर, जो कि 74, आरमर्ड रेजिमेंट, सूरतगढ़ (राजस्थान) में तैनात था, को गिरफ्तार करके एस०ओ०, जी०आर०पी० अलीगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया।

(ङ) थाना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा उसे एस०ओ०, जी०आर०पी०, अलीगढ़, को स्थानातरित कर दिया गया, क्योंकि घटना अलीगढ़ में घटी थी, जहां एक मामला दर्ज कर लिया गया है।

बड़ोतरा में तेल शोधक कारखाना

2391. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मन्त्रालय ने गुजरात में वडोदरा में स्थित इंडियन आयल कम्पनी के तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) प्रतिवर्ष कुल कितने मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है;

(ग) मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के पश्चात् इंडियन आयल कम्पनी अपनी परियोजना में कितना विस्तार कर पाएगी;

(घ) इसका विस्तार कब तक किया जाएगा; और

(ङ) प्रतिवर्ष गैस वितरण एकक की क्षमता में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिफाइनरी की कुल क्षमता को 3.00 एम०एम०टी०पी०ए० तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) रिफाइनरी की क्षमता-विस्तार के प्रस्ताव में 3.00 एम०एम०टी०पी०ए० क्षमता वाली क्रूड आसवन यूनिट और सेकेन्ड्री संवाधन यूनिट का जीर्णोद्धार शामिल है। सरकार की स्वीकृति की तारीख से 36 महीने के अंदर परियोजना के यांत्रिक रूप से पूरा हो जाने की आशा है।

सेवा वैक्सीन, रक्त और रक्त उत्पादों के केन्द्रीय लाइसेंसिंग

2392. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जून, 1991 में अन्तः शिरा तरल, सेवा वैक्सीन, रक्त और रक्त उत्पादों के केन्द्रीय लाइसेंसिंग हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र सरकार ने औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के अधीन अन्तःशिरा द्रव तथा रक्त उत्पादों, सीरा तथा वैक्सीनों के लिए केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्राप्त कर ली हैं ।

कोल इण्डिया लि० के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2393. **श्री चित्त बसु** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक-मुश्त प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० ने अपने कर्मचारियों के लिए मार्च, 1989 में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है। नियमों के अनुसार उपदान तथा अंशदायी भविष्य निधि की राशि के भुगतान के अलावा इस योजना में अन्य बातों के अलावा, पूरे किए गए प्रत्येक सेवाकाल वर्ष के डेढ़ माह की मजदूरी के समतुल्य अनुग्रह की राशि अथवा सेवानिवृत्ति के समय मासिक मजदूरी को सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पूर्व बाकी रह गए महीनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई राशि, इसमें जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा ।

गुजरात में तेल शोधक कारखाने

2394. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जामननगर के निकट सिक्का में दो तेल शोधक परियोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या ये तेल शोधक परियोजनाएं दो निजी उद्यमों द्वारा अधिष्ठापित की जाएंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रति वर्ष तेल का कितना अनुमानित उत्पादन होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कुल 23 एम०एम०टी० प्रतिवर्ष की शोधन क्षमता की तीन कच्चे तेल की रिफाइनरी तथा 500,000 टन प्रति वर्ष क्षमता की एक ल्यूब रिफाइनरी को गुजरात के निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने की अनुमति दे दी गई है ।

(ग) और (घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओं का विवरण ज्ञात हो सकेगा ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का निर्यात

2395. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किए गए इस्पात के निर्यात में अपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने कुल कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया; और

(घ) इस निर्यात के माध्यम से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) अप्रैल-फरवरी, 1992 की तुलना में अप्रैल-फरवरी, 1993 के दौरान सेल द्वारा निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

मद	मात्रा (हजार टन)		मात्रा में	मूल्य (करोड़ रुपए)		मूल्य में
	अप्रैल-फरवरी 1993	अप्रैल-फरवरी, 1992	वृद्धि/कमी	अप्रैल-फरवरी, 1993	अप्रैल-फरवरी 1992	वृद्धि/कमी
मृदु इस्पात	187.9	157.4	+30.5	146.1	121.2	+23 9
बेदाग इस्पात	5.0	0.5	+4.5	26.2	2.8	+23.4

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल द्वारा निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	मृदु इस्पात		बेदाग इस्पात	
	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1989-90	164.6	105.0	2.1	9.8
1990-91	183.4	110.5	3.6	14.5
1991-92	178.3	139.1	0.55	3.16

कर्नाटक में राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना

2396. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित कोलार में राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान खनिकों के कार्य करने की दशा में सुधार लाने में किस प्रकार सहायक है; और

(ग) 1992-93 के दौरान इस संस्थान द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान हवा के धूल से उत्पन्न खतरों के नमूनों का सर्वेक्षण करता है, जिसमें गैर-कोयला खानों में खनिकों को कार्य करना होता है और खान प्रबंधकों को उनके द्वारा किए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में परामर्श देता है ।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान, फरवरी, 1993 तक, लगभग 2.50 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई ।

[हिन्दी]

खाने की गर्भ-निरोधक गोलियों का प्रतिकूल प्रभाव

2397. **श्री संतोष कुमार गगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियों के प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में कम खुराक वाली खाई जाने वाली गोलियां उपयोग की जा रही हैं जिनमें डी०एल० नार्जेस्ट्रील 0.30 मि०ग्रा० तथा इथिनिल ओस्ट्रडियोल 0.03 मि०ग्रा० होती है तथा इनके गौण प्रभाव कम-से-कम होते हैं । पहले कुछ महीनों में महिलाओं को वक्ष में दाबवेदना, सिरदर्द या मतली की शिकायत हो सकती है । कुछ महिलाओं में उच्च रक्तचाप के बढ़ने का खतरा जैसी जटिलताएं भी देखी गई ।

(ग) खाई जाने वाली गोलियों में प्रयोग किए जाने वाले दो घटकों की खुराक को धीरे-धीरे कम किया गया है ताकि इसके कम-से-कम गौण प्रभाव हों ।

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी

2398. **श्री बलराज पासी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य को कुल कितने कोयले की आवश्यकता है और इसे कितना कोयला उपलब्ध किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य को और अधिक कोयला उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जा रहा है। को०इ०लि० द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	(000 टन में) (कुल आपूर्ति) (अनंतिम आंकड़े) (कोलियरी उपभोग को छोड़कर)
1989-90	27644
1990-91	27641
1991-92	30478

विद्यमान सूचना पद्धति में राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले के संबंध में अलग से आंकड़े रखे जाने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) कोयला कम्पनियों को राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयले की आपूर्ति बढ़ाए जाने का परामर्श दिया गया है। कोयले की वृद्धित मांग को पूरा करने के लिए नई खानें खोलकर तथा विद्यमान खानों के पुनर्गठन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उत्पादन का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सके।

इसके अलावा सरकार ने विद्युत उत्पादन तथा अन्य विशिष्ट प्रयोग कर्त्ताओं के लिए गृहीत उपभोग हेतु कोयले का संभावित क्षेत्रों में उत्खनन कार्य किए जाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया है। कुछ विनिर्दिष्ट खानों में, जिनके बड़े भण्डार हैं, बिना किसी प्रायोजन के उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत कोयले की वृद्धित मात्रा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कोयला प्रेषणों में सुधार किए जाने तथा धीमी गति से कोयले की भंडारों की निकासी किए जाने के लिए कोल इंडिया लि० ने कोयले में थोक व्यापार की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत को०ई०लि० की सहायक कंपनियां खुले विज्ञापन के जरिए आवेदनों के आधार पर थोक बिक्री डीलर्स की नियुक्ति करेगी। प्रत्येक डीलर प्रति माह कम से कम 3000 टन कोयले का उठान करेगा। डीलरों को कोयले की बिक्री करने की तथा इस प्रकार के बिक्री किए गए कोयले के लिए मूल्य निर्धारित करने के मामले में स्वतन्त्रता होगी।

मेडिकल सीटें

2399. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल कालेजों में बर्मा से आये भारतीय छात्रों के लिए सीट आरक्षित करने के बारे में कोई नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं;

(ग) क्या बाहर से आए इन छात्रों को मेडिकल सीट प्रदान नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इनको सीट देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस समय इस श्रेणी को कोई सीट उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ।

कोयले के कणों का प्रभाव

2400. **श्री ललित उरांव** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुमंडल में कोयले के कणों की अधिकता के कारण बिहार के कोयला-प्रधान वनांचल क्षेत्र (छोटा नागपुर—संथाल परगना) की सामान्य जनता तपेदिक तथा इसी प्रकार की अन्य संक्रामक बीमारियों के पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत में शरणार्थी

2401. **श्री राम कापसे** :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में रह रहे विदेशी शरणार्थियों की अनुमानित संख्या राष्ट्रीयतावार कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष भारत आने वाले इन शरणार्थियों की अनुमानित संख्या राष्ट्रीयतावार कितनी-कितनी है;

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) इस समय भारत में रह रहे विदेशी शरणार्थियों की, राष्ट्रीयता-वार अनुमानित संख्या, निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	देश का नाम	शरणार्थियों की संख्या
1.	श्रीलंका	1,13,377
2.	तिब्बत	80,000
3.	बंगलादेश	53,187
4.	म्यानमार	80
		2,46,644

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारत में आए ऐसे शरणार्थियों की राष्ट्रीयता-वार अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है :

देश का नाम	के दौरान आए			जोड़
	1990-91	1991-92	1992-93	
श्रीलंका	1,18,732	7	—	1,18,739
तिब्बत	28	18	—	46
बंगलादेश (चकमा शरणार्थी)	—	—	—	—
म्यानमार	—	—	—	—
	1,18,760	25	—	1,18,785

(ग) श्रीलंका शरणार्थियों का भारत में पुनर्वास करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रिक नहीं हैं। बंगलादेश के चकमा शरणार्थियों तथा म्यानमार के शरणार्थियों का भारत में पुनर्वास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लगभग सभी तिब्बती शरणार्थियों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराई गई है तथा उनका कृषि और हथकरघा उन्मुखी योजनाओं के अन्दर, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पुनर्वास किया गया है।

(घ) और (ङ) जहां तक श्रीलंका के शरणार्थियों का सम्बन्ध है, योजनानुसार 20 जनवरी, 1992 से 10 अक्तूबर, 1992 तक 29,102 शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजा जा चुका है। शेष शरणार्थियों को भी स्वदेश वापस जाने के लिए उनको समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन शरणार्थियों को वापस लेने के लिए म्यानमार और बंगालादेश सरकारों के साथ भी मामला उठाया गया है। तिब्बती शरणार्थियों के सम्बन्ध में, जैसा कि कहा गया है, उनका भारत में पुनर्वास किया जा चुका है तथा उनको स्वदेश वापस भेजने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तिब्बती शरणार्थियों को भारत में शरण दी जा चुकी है तथा वे जब तक चाहे तब तक अथवा चीन के साथ कोई सौहार्दपूर्ण समझौता होने तक भारत में रहने के लिए स्वतन्त्र हैं।

शिव सागर में प्रदूषण

2402. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1993 के इकोनोमिक टाइम्स के "ओ० एन० जी० सी० पौल्यूटिंग शिव सागर डिस्ट्रिक" वार्षिक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिव सागर जिले को प्रदूषण से बचाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कोई उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी हां। समाचार में आरोप लगाया गया है कि ओ०एन०जी०सी० ने शिवसागर जिला के उन बड़े क्षेत्रों को जहां तेल के विशाल भंडार हैं, प्रदूषित किया।

(ग) और (घ) ओ०एन०जी०सी० ने प्रदूषण नियन्त्रण एवं पर्यावरण प्रबन्ध के व्यापक प्रबन्ध किए है इनमें वेधन स्थलों पर गंदे पानी को दुबारा प्रयोग में लाना, कचड़ा गड्डों को पोलीथीन से आवृत करना, लकवा गेलेकी और रूद्र सागर में निस्सारी निदान संयंत्रों की स्थापना और दबाव को बनाए रखने के निमित्त कुण्ड में वहि:स्राव का अंशत: पुन: अन्त: क्षेपण करना सम्मिलित है। आसाम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विविध शर्तों का पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

2403. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य को 1992 के दौरान राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शकरानन्द) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1992-93 में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को आबंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1992-93 के दौरान आबंटित धनराशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	147.00
2.	असम	78 00
3.	अरुणाचल प्रदेश	25.50
4.	बिहार	1433.00
5.	गुजरात	228.00
6.	हरियाणा	77.00
7.	हिमाचल प्रदेश	48.00
8.	जम्मू और कश्मीर	32.00
9.	कर्नाटक	89.00
10.	केरल	47.00
11.	मध्य प्रदेश	280 00
12.	महाराष्ट्र	308.00
13.	मणिपुर	9.50
14.	मेघालय	9.50
15.	मिजोरम	9.50
16.	नगालैंड	9.50
17.	उड़ीसा	79.00
18.	पंजाब	103.00
19.	राजस्थान	118.00
20.	सिक्किम	8.00
21.	तमिलनाडु	268.00

1	2	3
22.	त्रिपुरा	16.00
23.	उत्तर प्रदेश	374.00
24.	पश्चिम बंगाल	185.00
25.	गोवा	8.50
संघ राज्यक्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.00
2.	चण्डीगढ़	5.50
3.	दादरा और नगर हवेली	13.50
4.	दिल्ली	66 00
5.	दमण और दीव	2.00
6.	लक्षद्वीप	2.00
7.	पांडिचेरी	7.00
	योग :	2900.00

[अनुवाद]

बाम्बे हाई की सम्बद्ध और अनुपयुक्त गैस

2404. **डा० के० डी० जेस्वाणी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई हाई क्षेत्रों से सम्बद्ध तथा अनुपयुक्त गैस को कुल अनुमानित उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या मुम्बई हाई क्षेत्र से प्राप्त होने वाली गैस हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा गैस देने के लिए किए वायदों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह गैस देने का वादा करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बम्बई हाई क्षेत्र सहित पश्चिमी अपतट में गैस का कुल उत्पादन वर्ष 1996-97 तक 62.5 एम०एम०एस०सी०एम०डी० हो जाने का अनुमान है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला धोवनशालाएं

2405. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० में सहायक एकक-वार कितनी कोयला धोवनशालाएं कार्यरत हैं और उनकी क्षमता कितनी है तथा कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार नए कोयला धोवनशालाओं की स्थापना करने और पुरानी कोयला धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० में 15 कोककर कोयला वाशरियां कार्यरत हैं । इन वाशरियों की कार्यसंचालन क्षमता का सहायक कंपनी वार ब्यौरा और वर्ष 1991-92 के दौरान क्षमता उपयोगिता को नीचे दर्शाया गया है :

कंपनी का नाम	कोककर कोयला वाशरियों की सं०	प्रचालन क्षमता (मि० टन प्रति वर्ष)	वर्ष 1991-92 के दौरान उपयोगिता क्षमता की प्रतिशतता
भारत कोकिंग कोल लि०	9	12.55	57.5
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	5	11.47	76.6
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1	1.20	49.8
कुल	15	25.22	65.8

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० के अन्तर्गत स्थापित की जा रही नई कोयला वाशरियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र०सं०	स्थान	क्षमता (मि० टन प्रति वर्ष)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	मधुबंद (भारत कोकिंग कोल लि०)	2.5	कोककर कोयला
2.	केडला (सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०)	2.6	कोककर कोयला
3.	बीना (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०)	4.5	अकोककर कोयला

1	2	3	4
4.	पिपरवार (सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०)	6.5	अकोककर कोयला
5.	कलिंगा (महानदी कोलफील्ड्स लि०)	8.0	अकोककर
6.	अनन्ता विस्तार (महानदी कोलफील्ड्स लि०)	2.6	अकोककर
7.	भरतपुर विस्तार (महानदी कोलफील्ड्स लि०)	2.6	अकोककर

भारत कोकिंग कोल लि० की दुग्दा-I, दुग्दा-II, भोजुडीह, पाथरडीह, सुदामडीह और मूनीडीह तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की कारगली, कथारा, गिडी, राजरप्पा तथा स्वांग वाशरियों स्थित विज्ञापन कोककर कोयला वाशरियों का आधुनिकीकरण विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आधुनिकीकृत किए जाने सम्बन्धी विशेष पहलू निम्नलिखित हैं—डिशलिंग संयंत्र की स्थापना, कोयला परिष्करण की व्यवस्था, कच्चे कोयले की अच्छे रूप में क्रेशिंग की व्यवस्था और इंस्ट्रूमेंशन/आटोमेशन प्रणालियों की शुरूआत किया जाना।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की मांग

2406. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की गंभीर कमी होने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल की मांग के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) देशी उत्पादन और आपूर्ति में किसी भी कमी के प्रति वैकल्पिक प्रबन्ध पर वर्ष के लिए समग्र तौर पर योजना अवधि के लिए योजना तैयार करते और तेल अर्थ बजट को अनुमोदित करते वक्त ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

ईरान से प्राकृतिक गैस आयात करने हेतु पाइप लाइन बिछाना

2407. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वदेशी मांग को पूरा करने हेतु ईरान से प्राकृतिक गैस आयात करने हेतु पाइपलाइन बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पाइप लाइन किन-किन देशों में होकर गुजरेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) मध्य पूर्व से प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन द्वारा आयात के लिए एक परियोजना संकल्पनात्मक चरण में है और ब्यौरों को पूर्ण सुनिश्चित नहीं किया गया है।

लोह तथा इस्पात संयंत्र

2408. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र में निजी उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिए लोह और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए 25 स्थलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों के स्थापनार्थ कोई निजी उद्यमी सामने आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1992 में जारी "लोहा तथा इस्पात उद्योग से संबंधित उद्यमियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त" से अभिज्ञात हुआ है कि देश में नई लोहा तथा इस्पात परियोजनाएं तथा कोक निर्माण के संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए 25 स्थल उपयुक्त पाए गए हैं। इनमें आन्ध्र प्रदेश में 2, बिहार में 2, गोवा में 1, गुजरात में 3, कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 3, मध्य प्रदेश में 6, उड़ीसा में 3, उत्तर प्रदेश में 1 और पश्चिमी बंगाल में 2 शामिल हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कहा गया है कि यह केवल एक संकेतात्मक सूची है।

(ग) और (घ) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, औद्योगिक परियोजनाओं जिन्हें आवश्यकता लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गई है, को स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को केन्द्रीय सरकार के पास "औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन" (आई० ई० एम०) प्रस्तुत करना होता है। कई उद्यमियों ने कई अभिज्ञात स्थलों पर लोहे और इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए आई० ई० एम० फाइल किए है, फिर भी अभी इस समय यह पता नहीं है कि उन परियोजनाओं में से कितनों को अन्तिम रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

विटामिन की गोलियों का गुणवत्ता नियंत्रण

2409. **डा० आर० मल्लू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में उपलब्ध विभिन्न विटामिनों की गोलियां घुलनशील नहीं हैं और उन पर गलत लेबल चिपके रहते हैं;

(ख) क्या उनकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोई बाजार सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1990-92 के दौरान विच्छेदन परीक्षण में विटामिन गोलियों का कोई नमूना असफल नहीं हुआ अथवा कोई नमूना गलत लेबल वाला नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस की गतिविधियां

2410. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1993 के "राष्ट्रीय सहारा" में "स्मैक की हेरा-फेरी में लिप्त दिल्ली पुलिस के अफसरों को बचाने के प्रयास" शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मामले को, 28 अक्तूबर, 1992 को स्वतन्त्र जांच के लिए दिल्ली प्रशासन के सतर्कता निदेशालय के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को भेजा गया है।

महाराष्ट्र में कोयला भंडार

2411. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या कोयला मन्त्री 12 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 3490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बेंडर ब्लॉक के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और इसे कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक तैयार तथा कार्यान्वित हो जाएगी तथा विलंब करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या शेष ब्लॉकों का सर्वेक्षण हो गया है और इसकी रिपोर्ट मिल गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब करने के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) बान्डेर भूमिगत (0.16 मि० टन प्रतिवर्ष) परियोजना को निष्पादित किया गया है, परन्तु अभी उसकी स्वीकृति नहीं दी गई है, क्योंकि इसे वित्तीय रूप में व्यवहार्यता के अनुकूल नहीं पाया गया है। इसके अलावा परियोजना में वनीय भूमि भी अन्तर्ग्रस्त है।

(घ) और (ङ) बान्डेर कोलफील्ड्स में मोरपर तथा बान्डेर विस्तारण ब्लॉकों में अन्वेषण तथा सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस क्षेत्र में घने आरक्षित वन भूमि होने के कारण अन्वेषण की गति धीमी है। अन्वेषण कार्य पूरा होने में लगभग 5 वर्ष की अवधि लगेगी।

परिवार कल्याण केन्द्र

2412. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कितने परिवार कल्याण केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इनकी संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सूचना संलग्न विवरण में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र	उप केंद्र	जिला प्रसवोत्तर केंद्र	उप जिला प्रसवोत्तर केंद्र	शहरी परिवार कल्याण केंद्र	स्वास्थ्य पोस्ट
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	420	7894	28	55	176	—

1	2	3	4	5	6	7
2. अरुणाचल प्रदेश	—	178	—	—	6	—
3. असम	146	5110	11	30	29	—
4. बिहार	587	14799	37	43	45	—
5. गोवा	13	175	4	—	4	—
6. गुजरात	251	7284	33	55	104	28
7. हरियाणा	89	2299	13	20	6	16
8. हिमाचल प्रदेश	77	1851	11	22	89	—
9. जम्मू और कश्मीर	82	1700	11	6	12	—
10. कर्नाटक	269	7793	39	64	65	—
11. केरल	163	5094	22	60	71	—
12. मध्य प्रदेश	460	11910	47	75	115	99
13. महाराष्ट्र	428	9377	52	70	82	278
14. मणिपुर	31	420	3	1	5	—
15. मेघालय	23	292	3	1	1	—
16. मिजोरम	14	244	2	4	1	—
17. नागालैंड	7	201	1	1	—	—
18. उड़ीसा	314	5426	19	60	13	—
19. पंजाब	129	2964	19	35	72	64
20. राजस्थान	232	8096	35	100	79	90
21. सिक्किम	15	142	1	2	1	—
22. तमिलनाडु	383	8681	32	87	244	100
23. त्रिपुरा	35	533	1	3	11	—
24. उत्तर प्रदेश	907	20153	71	147	109	150
25. पश्चिम बंगाल	335	7873	27	55	115	—
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	96	1	—	—	—
27. चंडीगढ़	1	12	2	—	3	10

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	दादरा और नगर हवेली	2	34	—	—	—	—
29.	दिल्ली	8	42	9	5	69	28
30.	लक्षद्वीप	—	14	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	12	76	3	—	2	—
32.	दमन और दीव	2	19	—	—	—	—
		5435	130782*	550	1001	1737	870

*आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकेन्द्रों सहित ।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ तथा वहां से बहिर्गमन

2413. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण रेखा को पार करते हुए पकड़े गए अथवा मारे गए घुसपैठियों तथा वहां से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या वहां पर घुसपैठ करने तथा वहां से बाहर जाने के मामलों में कमी हुई है;

(ग) क्या 1992 के दौरान पाकिस्तानी नागरिकों के अतिरिक्त कोई विदेशी नागरिक भी पकड़े गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह मामला संबंधित सरकारों के समक्ष उठाया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए/मारे गए घुसपैठियों/वहां से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

घुसपैठिए :

वर्ष	पकड़े गए	मारे गए
1990	534	134
1991	233	379
1992	84	123

चोरी-छिपे बाहर जाने वाले व्यक्ति :

वर्ष	पकड़े गए	मारे गए
1990	560	73
1991	127	59
1992	38	12

(ग) नियन्त्रण रेखा के साथ-साथ सुरक्षा बलों द्वारा चौकसी बढ़ाए जाने के कारण; घुसपैठ/चोरी छिपे बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में पर्याप्त रूप से कमी आई, यद्यपि, इस बारे में सीमा के पार से सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1992 के दौरान एक अफगान राष्ट्रिक पकड़ा गया।

(घ) सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा मिलने की रोकथाम करने के लिए राजनयिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र

2414. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र में एल्यूमिना सयंत्र/संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों की अलग-अलग क्षमता क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित संयंत्रों के लिए स्थान का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश में बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एल्यूमिना के उत्पादन के लिए 100% निर्यात प्रधान यूनिटों की स्थापना के लिए निम्नलिखित निजी क्षेत्र की कम्पनियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं :

क्रम सं०	आवेदक का नाम	क्षमता लाख टन वार्षिक	बाक्साइड निक्षेपों पर आधारित	निर्दिष्ट स्थान
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स बिड़ला टेक्नीकल सर्विसेज	10.0	झुरेला	कृष्णा-देवीपेटा, जिला विशाखापत्तनम

1	2	3	4	5
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०	10.0	झुरेला	-वही-
3.	मैसर्स कन्डुला एल्यूमिनियम	5 0	अराकू घाट	बोडावारा, जिला-विशाखापत्तनम
4.	मैसर्स कोस्टल एल्यूमिनियम लिमिटेड	2.5	चिन्तापल्ली	नरसीपटनम, जिला विशाखापत्तनम

[हिन्दी]

तेल शोधक कारखानों की सहायक कम्पनियां

2415. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के तेल शोधक कारखानों की सहायक कम्पनियां स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्लैक वैक्स के मूल्य

2416. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को फराफीन वैक्स और स्लैक वैक्स के बीच 2 : 1 के आधार पर मूल्य निर्धारण करने के फार्मूले के सिद्धान्त पर स्लैक वैक्स के मूल्य निर्धारण को अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) स्लैक वैक्स एक स्वतन्त्र व्यापार उत्पाद है और इसकी कीमत आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा निर्धारित की जाती है।

जोरहाट से बदुलीपाड़ा तक लूप पाइप लाइन परियोजना

2417. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के बोंगईगांव तेल शोधक कारखाने के लिए कच्चा तेल भेजने के लिए घाव से जागीरोड लेक लूप पाइप लाइन पर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे पुनः कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) जोरहाट से बदुलीपाडा तक लूप लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुछ स्थानीय दलों द्वारा आन्दोलन करने और घेराव करने के कारण बानी जागी रोड लूप लाइन का निर्माण कार्य समय से पूर्व 8-5-1990 से रोक देना पड़ा था। वर्ष 1993-94 में लूप लाइन का निर्माण कार्य पुनः शुरू करने की आयल इंडिया लिमिटेड की योजना है।

(घ) यह परियोजना आयल इंडिया लि० के कार्यान्वयनाधीन है।

रेल यात्रियों की सुरक्षा

2418. **श्री मोहन रावले :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित दूसरी श्रेणी के शयनयान डिब्बे में यात्रा कर रहे अनेक यात्रियों को कानपुर और दिल्ली के बीच 2 फरवरी, 1993 को लूट लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) रेलों में होने वाले अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच-पड़ताल करने और उनकी रोकथाम करने की जिम्मेदारी राजकीय रेलवे पुलिस की है, जो राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्य करती है। यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार भी उत्तरदायी है।

निजी क्षेत्र के साथ भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की भागीदारी

2419. **श्री जार्ज फर्नांडीज :** क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार इस्पात संबंधी व्यापार के लिए निजी क्षेत्र की फर्मों के साथ भागीदारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ

इण्डिया लिमिटेड अपने तकनीकी अथवा वाणिज्यिक हितों में सुधार करने के लिए इस्पात में संबंधित व्यवसाय में उन कार्यों जो संगठन के लिए लाभकारी हों, के बारे में निजी क्षेत्रों की फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम करने पर विचार कर सकता है।

(ख) अभी तक सरकार ने "सेल" द्वारा संयुक्त उद्यम की परियोजना में निवेश करने के संबंध में अपना निर्णय नहीं दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा विस्थापित किए गए व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना

2420. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई द्वारा जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहित की गई उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को उक्त संयंत्र मे रोजगार दे दिया गया है;

(ख) कितने व्यक्तियों को अभी रोजगार दिया जाना बाकी है; और

(ग) उन सभी व्यक्तियों को कब तक रोजगार दे दिया जाएगा ?

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र में अब तक 4468 विस्थापित व्यक्तियों/ विस्थापित व्यक्तियों के आश्रितों को रोजगार दिया जा चुका है।

(ख) और (ग) लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को रोजगार देने में तरजीह देने की पद्धति समाप्त कर दी गई है। अत: अब भिलाई इस्पात संयंत्र में कोई मामला लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से नए कोयला क्षेत्रों का विकास

2421. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से झरिया, धनबाद और रांची में नए कोयला क्षेत्रों के समेकित विकास तथा इस क्षेत्र में जलमार्गों के विकास, शहरीकरण और कोयले पर आधारित उद्योग लगाने के लिए कोई नई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्क्रैप की खरीद

2422. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या कारपोरेशन निजी खपत के लिए ठेकेदारों को स्क्रैप की बिक्री करता है;

(ग) इस कारपोरेशन द्वारा इस्पात संयंत्रों से किस मूल्य पर स्क्रैप खरीदा जाता है; और

(घ) इस्पात संयंत्रों द्वारा इस कारपोरेशन के अतिरिक्त अन्य क्रेताओं को किस मूल्य पर स्क्रैप बेचा जाता है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य, गौण इस्पात क्षेत्र में विद्युत चाप भट्टी को इकाइयों के उपयोग के लिए इस्पात गलन स्क्रैप अथवा इसकी एवजी का आयात करना तथा सरकारी क्षेत्र और अन्य संगठनों जो इस प्रयोजन के लिए एम० एस० टी० सी० की सेवाओं को लेते हैं, में उत्पन्न होने वाले प्राथमिक तथा गौण स्क्रैप के उत्पादों के वाणिज्यिक निपटान की व्यवस्था करना है।

(ख) आयातित स्क्रैप के मामले में, मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि०, गौर इस्पात क्षेत्र में वास्तविक प्रयोक्ताओं (विद्युत चाप भट्टी तथा प्रेरणा भट्टी इकाइयां) के लिए स्क्रैप का आयात करती है तथा बेचती है। देशी व्यापार के मामले में, एम०एस०टी० सी० अमानक मदों जैसे इस्तेमाल किए गए पुराने उपस्करों, फालतू कलपुर्जों आदि के लिए मुख्यत: निविदा अथवा नीलामी के आधार पर विभिन्न संगठनों की ओर से स्क्रैप का निपटान करती है। इसमें अधिकतम बोली लगाने वाला व्यक्ति चाहे वह प्रयोक्ता हो अथवा व्यापारी, को सामग्री मिल जाती है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों से उत्पन्न होने वाले मानक श्रेणी के स्क्रैप को सामान्यत: निर्धारित मूल्यों के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं और व्यापारियों को बेचा जाता है।

(ग) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० इस्पात संयंत्रों से कोई स्क्रैप नहीं खरीदता है बल्कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) के दुर्गापुर, बोकारो तथा राउरकेला इस्पात संयंत्रों से उत्पादित स्क्रैप का निपटान करने के लिए विक्रय एजेंट के रूप में काम करती है।

(घ) "सेल" के संयंत्रों द्वारा सीधे स्क्रैप के विक्रय के मामले में, प्रत्येक संयंत्र की आंतरिक मूल्यन समिति बाजार-स्थिति के आधार पर निपटान का मूल्य समय-समय पर निर्धारित करती है।

[हिन्दी]

विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा

2423. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कितने लोग विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या इन व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत कोकिंग कोल लि० ने अधिग्रहीत समस्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो अभी कुल कितनी भूमि पर कब्जा किया जाना है और यह भूमि कहां-कहां पर हैं; और

(च) इस भूमि के अधिग्रहण में कौन-कौन-सी कठिनाइयां आ रही हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि० (भा०को०को०लि०) द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप 352 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मूल्यांकित मुआवजे की राशि को भा०को०को०लि० द्वारा जिला प्राधिकारियों के पास जमा कर दिया गया है। इस संबंध में सभी तरह की भूमि/आवासों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा रहा है और जिला प्राधिकारियों द्वारा मुआवजा संवितरित किया जाता है।

(घ) और (ङ) भा०को०को०लि० निम्नलिखित स्थलों पर 333.27 है। भूमि का कब्जा नहीं ले सकी है :

केसरगढ़	45.57 है०
तसरा	14.93 है०
बेनेडीह	0.58 है०
डिपोकी	5.56 है०
गरभूडीह	16.84 है०
सराईदाहा	38.86 है०
मनीडीह	18.66 है०
झरना	32.28 है०
बेरा	21.64 है०
अमताल	5.44 है०
पाथरकुली	6.45 है०
बंसजोरा	48.85 है०
दुग्दा	37.51 है०
अमलाबाद	25.46 है०
सिजुआ	0.78 है०
घटवे	13.78 है०
जोड़	333.27 है०

(च) भू वंचित व्यक्ति अपनी भूमि से अलग होने को तैयार नहीं है और वे अनुचित मांगें जैसा कि उनके पास भूमि की मात्रा को न देखते हुए रोजगार की मांग कर रहे हैं। उपर्युक्त

व्यक्ति न केवल अपने उत्तराधिकारियों को रोजगार देने के बारे में मांग कर रहे हैं बल्कि अपने दूर के रिश्तेदार को दिए जाने के बारे में भी मांग कर रहे हैं। उपर्युक्त व्यक्ति जब तक कि उनकी ऐसी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक भूमि का कब्जा देने को सहमत नहीं है। राज्य सरकार प्राधिकारी भी उपर्युक्त भू स्वामियों को भा०को०को०लि० को भूमि सौंपे जाने के सम्बन्ध में सहमत किए जाने के मामले में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कुछ मामलों में राज्य प्राधिकारी जिन्होंने केवल ऐसी भूमि के सम्बन्ध में एवार्ड घोषित किया गया है, जिस पर कि खड़ा आवास के मामले में भू-स्वामियों द्वारा रुकावट डाले जाने के कारण उक्त आवास की कीमत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। भा०को०को०लि० को ऐसे आवासों की खरीद किए जाने के लिए आवास मालिकों के साथ सीधे समझौता करना पड़ा है।

[अनुवाद]

क्षयरोग पर नियंत्रण

2424. **श्री शरद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992 के दौरान सरकारी अस्पतालों में क्षय रोगियों की संख्या में प्रति महीने कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्षय रोग रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इस रोग पर नियन्त्रण पाने में इन उपायों के प्रभावी न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस रोग को रोकने के लिए तथा दिल्ली में टी० बी० अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या नीति तैयार की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) क्षय रोग अस्पतालों/क्लीनिकों द्वारा किए गए नए रोगियों के महीने-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। क्षय रोग की घटनाओं में होने वाली वृद्धि के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि इन संस्थाओं में दिल्ली से बाहर के रोगी भी आते हैं।

(ग) और (घ) क्षयरोग अस्पतालों/क्लीनिकों में निःशुल्क उपचार किया जाता है। क्षयरोग नियंत्रण हेतु राशि बढ़ा दी गयी है। सरकार ने एल०आर०एस० क्षयरोग अस्पताल, महरौली को अपने नियन्त्रण में लेने के उपरांत वर्ष 1992-93 में नवीकरण/विस्तार पर 2.00 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तथा वर्ष 1993-94 में 4.5 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।

विवरण

1992 के दौरान दिल्ली के क्षयरोग अस्पतालों/क्लीनिकों में क्षयरोग के नये रोगियों की संख्या

महीना	क्षयरोग के नये रोगियों की संख्या
1	2
अप्रैल	4553

1	2
मई	4860
जून	6370
जुलाई	6011
अगस्त	5231
सितम्बर	4958
अक्तूबर	5628
नवम्बर	5329
दिसम्बर	6212

कश्मीर घाटी से पलायन

2425. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी गतिविधियों के कारण कितने कश्मीरी हिन्दुओं और मुसलमानों ने कश्मीर घाटी से पलायन किया है;

(ख) पलायन करने वाले ऐसे कितने लोगों को वर्ष 1992 के दौरान वापस भेजा गया है;

(ग) दिल्ली, जम्मू तथा अन्य स्थानों पर कश्मीर से पलायन करने वाले लोगों के लिए कितने कैम्प लगाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस पलायन को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के परिणामस्वरूप, विभिन्न समुदायों से संबंधित, लेकिन अधिकांशतया हिन्दू समुदाय के करीब 2.5 लाख लोगों के, देश के विभिन्न भागों में प्रवास कर जाने का अनुमान है ।

(ख) 1992 के दौरान किसी प्रवासी परिवार को कश्मीर वापस नहीं भेजा गया ।

(ग) जरूरतमंद प्रवासी परिवारों के रहने के लिए दिल्ली में 14 कैम्प तथा जम्मू में 28 कैप लगाए गए ।

(घ) और (ङ) आतंकवाद पर काबू पाकर राज्य में सुरक्षा के वातावरण में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि और अधिक प्रवासन की संभावना को रोका जा सके और राज्य से बाहर ठहरे हुए प्रवासियों की वापसी के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा की जा सकें।

1991 की जनगणना

2426. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) राज्य-वार घनत्व को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है (**विवरण-I**)।

(ख) भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में योग, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है (**विवरण-II**)।

विवरण-I

1991 की जनगणना के अनुसार भारत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व

क्र०सं०	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रति वर्ग कि० मी० जनसंख्या का घनत्व
1	2	3
भारत		267
1.	आन्ध्र प्रदेश	242
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	286
4.	बिहार	497
5.	गोवा	316
6.	गुजरात	211
7.	हरियाणा	372
8.	हिमाचल प्रदेश	93

1	2	3
9.	जम्मू और कश्मीर	76
10.	कर्नाटक	235
11.	केरल	749
12.	मध्य प्रदेश	149
13.	महाराष्ट्र	257
14.	मणिपुर	82
15.	मेघालय	79
16.	मिजोरम	33
17.	नागालैंड	73
18.	उड़ीसा	203
19.	पंजाब	403
20.	राजस्थान	129
21.	सिक्किम	57
22.	तमिलनाडु	429
23.	त्रिपुरा	263
24.	उत्तर प्रदेश	473
25.	पश्चिम बंगाल	767
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	34
2.	चण्डीगढ़	5632
3.	दादरा और नगर हवेली	282
4.	दमन और दीव	907
5.	दिल्ली	6352
6.	लक्षद्वीप	1616
7.	पाण्डिचेरी	1642

विवरण-II

ग्रामीण-नगरीय निवास के अनुसार भारत, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या, 1991 की जनगणना

क्र० सं०	भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या		
		योग	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5
	भारत राज्य	846,302,688	628,691,676	217,611,012
1.	आन्ध्र प्रदेश	66,508,008	48,620,882	17,887,126
2.	अरुणाचल प्रदेश	864,558	753,930	110,628
3.	असम	22,414,322	19,926,527	2,487,795
4.	बिहार	86,374,465	75,021,453	11,353,012
5.	गोवा	1,169,793	690,041	479,752
6.	गुजरात	41,309,582	27,063,521	14,246,061
7.	हरियाणा	16,463,648	12,408,904	4,054,744
8.	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	4,721,681	449,196
9.	जम्मू और कश्मीर*	7,718,700	5,879,300	1,839,400
10.	कर्नाटक	44,977,201	31,069,413	13,907,788
11.	केरल	29,098,518	21,418,224	7,680,294
12.	मध्य प्रदेश	66,181,170	50,842,333	15,338,837
13.	महाराष्ट्र	78,937,187	48,395,601	30,541,586
14.	मणिपुर	1,837,149	1,331,504	505,645
15.	मेघालय	1,774,778	1,444,731	330,047
16.	मिजोरम	789,756	371,810	317,946
17.	नागालैंड	1,200,546	1,001,323	308,223
18.	उड़ीसा	31,659,736	27,424,753	4,234,983
19.	पंजाब	20,281,969	14,288,744	5,993,225
20.	राजस्थान	44,005,990	33,938,877	10,067,113
21.	सिक्किम	406,457	369,451	37,006

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	55,858,946	36,781,354	19,077,592
23.	त्रिपुरा	2,757,205	2,235,484	421,721
24.	उत्तर प्रदेश	139,112,287	111,506,372	27,605,915
25.	पश्चिम बंगाल	68,077,965	48,370,364	18,707,601
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	280,661	205,706	74,955
2.	चण्डीगढ़	642,015	66,186	575,829
3.	दादरा और नागर हवेली	138,477	126,752	11,725
4.	दमन और दीव	101,586	54,043	47,543
5.	दिल्ली	9,420,644	949,019	8,471,625
6.	लक्षद्वीप	51,707	22,593	29,114
7.	पाण्डिचेरी	807,785	290,800	516,985

*जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं की गई थी। जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या के आंकड़े जनसंख्या प्रक्षेपणों विषयक विशेषज्ञों की स्थायी समिति (अक्तूबर 1989) द्वारा यथा प्रक्षेपित हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

2427. **श्री जे० एन० राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में दिसम्बर, 1992 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय में दिनांक 31-12-1992 को विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति की 113 और अनुसूचित जनजाति की 106 रिक्तियां थीं। इन पदों के रिक्त रहने के मुख्य कारण यह है कि भर्ती/पदोन्नति के समय

अ०जा०/अ०ज०जा० के पात्र अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने तथा इस प्रकार से आरक्षित रिक्तियों की संख्या कम करने के लिए भर्ती करने वाली एजेंसियों जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजकर, रोजगार कार्यालयों को लिखकर तथा उनके माध्यम से उम्मीदवाद लेकर तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास अन्य संवर्गों में उपलब्ध अतिरिक्त उम्मीदवारों के नामांकन द्वारा सतत एवं निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

गुर्दा खराब होना

2428. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुर्दे खराब होने के कारण कई लोगों की मौत होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुर्दे के रोगियों की सबसे बड़ी समस्या महंगे इलाज की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) यद्यपि गुर्दा खराब होने के कारण मृत्यु होती है तथापि गुर्दा प्रत्यारोपण के साथ-साथ हीमोडायलेसिस सुविधाएं महंगी होते हुए भी इसका उपचार सरकारी अस्पतालों में बहुत ही कम दरों पर या मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है।

पूर्वोत्तर परिषद्

2429. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने अपनी निश्चित भूमिका पूरी कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसको पुनर्गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) उत्तर-पूर्वी परिषद् ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के एकीकृत विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ख) और (ग) परिषद् की भूमिका और संरचना की पुनरीक्षा की जा रही है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रसोई गैस बाटलिंग प्लांट्स

2430. **श्री तारा चन्द खण्डेलवाल** :

श्री मोहन रावले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने उपभोक्ता केन्द्रों के पास मध्यम श्रेणी के रसोई गैस बाटलिंग प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे प्लांट्स लगाने हेतु चयन किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे प्लांट्स लगाने से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) एल० पी० जी० भरण संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धित सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत तकनीकी आर्थिक आधार पर की जाती है । निम्नलिखित भरण संयंत्रों या तो निर्माणाधीन हैं या आठवीं योजना अवधि के दौरान इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं :

1. दिल्ली
2. बीकानेर
3. फर्रूखाबाद
4. पटियाला
5. अकोला
6. अहमदाबाद
7. भावनगर
8. कलकत्ता
9. त्रिपुरा
10. मणिपुर
11. मिजोरम
12. सिक्किम
13. गुवाहाटी
14. कुड्डापा
15. त्रिची/तंजोर
16. मद्रास
17. क्योलोन
18. मनमाड/धुलिया
19. कोचीन

20. पुणे

21. बेलगांव

22. पांडिचेरी

जम्मू और कश्मीर में पुलिस हिरासत से आतंकवादियों का भागना

2431. **श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने आतंकवादी पुलिस हिरासत से निकल भागने में सफल हुए; और

(ख) उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलेट) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयले के व्यापार पर प्रतिबन्ध

2432. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कोयले के व्यापार से सम्बन्धित सभी प्रतिबन्धों को हटाने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयले की उपलब्धता में सुधार तथा बढ़ते हुए कोयला स्टाक की निकासी, विशेषकर निम्न ग्रेड के कोयले किए जाने के लिए, कोल इंडिया लि० ने कोयले में थोक व्यापार की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत को० इं० लि० की सहायक कम्पनियां खुले विज्ञापन के जरिए आवेदनों के आधार पर थोक बिक्री डीलर्स की नियुक्ति करेंगी। प्रत्येक डीलर प्रति माह कम-से-कम 3000 टन कोयले का उठान करेगा। डीलरों को कोयले की बिक्री करने की तथा इस प्रकार के बिक्री किए गए कोयले के लिए मूल्य निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्

2433. **श्री राम कापसे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद एव सिद्ध अनुसंधान परिषद् के दस केन्द्रों में अनुसंधान और विकास कार्य वास्तविक रूप से रुके हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अनुसंधान कार्यों को पुनः शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली अग्निशमन सेवा का आधुनिकीकरण

2434. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अग्निशमन सेवा ने आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली अग्नि-शमन सेवा को इस सम्बन्ध में कितनी सहायता दी गयी है; और

(घ) इसकी आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) दिल्ली अग्नि शमन सेवा का आधुनिकीकरण करने के लिए 33.41 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है। दिल्ली अग्निशमन सेवा का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है।

परिवार नियोजन

2435. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री खेलन राम जांगड़े :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991 और 1992 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्तियों ने नसबन्दी कराई;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में नसबन्दी का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी सहायता देने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : (क) एक विवरण संलग्न है (विवरण-I)।

(ख) और (ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नसबन्दी और मुआवजे की राशि के आवंटन के प्रत्याशित स्तरों का निर्धारण वर्षानुवर्ष आधार पर किया जाता है। वर्ष 1992-93 की सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) परिवार कल्याण प्रदाय सेवाओं में सुधार लाने के लिए प्राथमिक और सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 और 1992-93 (अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवा की गई नसबन्दियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	*नसबन्दी	
		1991-92 (अप्रैल 91 मार्च 92)	1992-93 (अप्रैल 92 जन०93)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	483532	341477
2.	असम	66323	21071
3.	बिहार	212631	199439
4.	गुजरात	257335	171159
5.	हरियाणा	100760	74798
6.	कर्नाटक	301639	244017
7.	केरल	173599	115808
8.	मध्य प्रदेश	316577	239400
9.	महाराष्ट्र	538127	369296
10.	उड़ीसा	137299	96764
11.	पंजाब	85502	66548
12.	राजस्थान	173309	101878
13.	तमिलनाडु	364525	299416
14.	उत्तर प्रदेश	375771	291238
15.	पश्चिमी बंगाल	327115	202332
16.	हिमाचल प्रदेश	38145	39643
17.	जम्मू व कश्मीर	11688	2537
18.	मणिपुर	4005	1111
19.	मेघालय	606	378
20.	नागालैंड	1013	681
21.	सिक्किम	1295	610

1	2	3	4
22.	त्रिपुरा	7573	4469
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1911	1287
24.	अरुणाचल प्रदेश	1806	841
25.	चण्डीगढ़	2967	2351
26.	दमन और दीव	376	294
27.	दादरा और नगर हवेली	809	496
28.	दिल्ली	37176	29680
29.	गोवा	4105	3527
30.	लक्षद्वीप	23	31
31.	मिजोरम	4471	3160
32.	पांडिचेरी	8222	6216
	अखिल भारत**	4089178	2916678

* आंकड़े अन्तिम हैं।

** इसमें रक्षा एवं रेल मंत्रालय के कार्य निष्पादन आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-II

वर्ष 1992-93 के दौरान नसबन्दियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रत्याशित स्तर तथा मुआवजे की राशि का आबंटन

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नसबन्दियों के प्रत्याशित स्तर	मुआवजे का राशि का आबंटन (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	600000	1081.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	2400	3.91
3.	असम	254000	443.32
4.	बिहार	500000	903.88
5.	गोवा	3980	7.21
6.	गुजरात	285000	510.25

1 2	3	4
7. हरियाणा	104000	196.78
8. हिमाचल प्रदेश	35000	66.07
9. जम्मू और कश्मीर	39000	68.93
10. कर्नाटक	360000	623.58
11. केरल	140000	288.93
12. मध्य प्रदेश	400000	685.68
13. महाराष्ट्र	526000	955.59
14. मणिपुर	7000	12.94
15. मेघालय	1000	1.71
16. मिजोरम	1310	5.45
17. नागालैंड	2000	3.92
18. उड़ीसा	175000	368.18
19. पंजाब	100000	203.55
20. राजस्थान	225000	413.66
21. सिक्किम	1100	1.66
22. तमिलनाडु	350000	600.31
23. त्रिपुरा	11200	19.21
24. उत्तर प्रदेश	650000	1570.55
25. पश्चिम बंगाल	400000	721.04
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1880	2.10
27. चण्डीगढ़	2800	20.00
28. दादरा और नगर हवेली	700	2.50
29. दमण और दीव	330	0.75
30. दिल्ली	41250	50.00
31. लक्षद्वीप	90	0.20
32. पांडिचेरी	4600	12.00
कुल	5275640*	9895.45

*इसमें रक्षा और रेल मन्त्रालय के प्रत्याशित स्तर शामिल हैं।

जैविकीय रूपान्तरण द्वारा तैयार खाद्य पदार्थ

2436. **डा० आर० मल्लू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैविकीय रूपान्तरण द्वारा तैयार नए किस्म के खाद्य पदार्थों से कतिपय एन्टी-बाइटिक्स का प्रभाव कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार को जैविकीय रूपांतरण द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ, जो एन्टीबाइटिक्स की प्रभावकारिता पर प्रभाव डालते हैं, की कोई जानकारी नहीं है ।

मैसूर के आस-पास सोने की खानें

2437. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के आस-पास स्थित सोने की खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वे सभी खानें आर्थिक रूप से लाभप्रद हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सोने की खानों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) व (घ) कर्नाटक के मैसूर जिले में कोई खानें नहीं हैं । तथापि कर्नाटक में चालू स्वर्ण खानों का ब्यौरा इस प्रकार है :

जिला	खान का नाम	चालू कर्ता का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
कोलार	मैसूर चैम्पियन एकीकृत खान	भारत गोल्ड माइंस लि०	चालू है
कोलार	नन्दीदुर्ग	भारत गोल्ड माइंस लि०	चालू है
रायचूर	हट्टी खान	हट्टी गोल्ड माइंस लि०	चालू है

(ख) व (ग) भारत गोल्ड माइंस लि० भारी घाटे में चल रही है और इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत इसे रुग्ण घोषित कर दिया है । दूसरी कम्पनी अर्थात् हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड लाभ कमा रही है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पाइप लाइन से गैस की सप्लाई

2438. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिए पाइपलाइनों से प्राकृतिक गैस की सप्लाई किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाइपलाइन द्वारा गैस किन-किन स्थानों को सप्लाई की जाएगी;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में रसोई गैस की अतिरिक्त मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) तेल कंपनियों द्वारा उत्पादन एवं आयातों में वृद्धि किए जाने के अलावा सरकार ने हाल में निजी कंपनियों द्वारा आयात और उनके अपने नेटवर्क के माध्यम से बाजार मूल्यों पर एल०पी०जी० की बिक्री किए जाने के लिए भी इजाजत दे दी है ।

[अनुवाद]

कोयला खनन का गैर-सरकारीकरण

2439. **(श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 में कोयले का अनुमानत: कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया;

(ग) क्या कोयला खनन में गैर-सरकारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोयला-खनन उद्योग में विदेशी भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ङ) इस क्षेत्र में इस समय विदेशी भागीदारी सहित गैर-सरकारीकरण का प्रतिशत कितना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1991-92 में देश में कोयले का वास्तविक उत्पादन 229.28 मि०टन हुआ जबकि लक्ष्य उत्पादन 228.00 मि० टन था ।

(ख) वर्ष 1992-93 क लिए देश में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 238.20 मि० टन है ।

(ग) और (घ) सरकार ने ग्रहीत उपयोग के लिए कोयल। खनन कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति का निर्णय लिया है । इसे लागू करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के संगत प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक भी पारित किया है । इस प्रकार की निजी क्षेत्र की भागीदारी भारतीय तथा विदेशी पूंजी निवेश दोनों के ही खुली

होगी। किन्तु इस प्रकार का विदेशी पूंजी निवेश को खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार निगमित होगी।

(ङ) वर्तमान में कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी टाटा आयरन तथा स्टील कं० लि० (टिस्को) की ग्रहीत खानों तक ही सीमित है। मेघालय राज्य में राज्य के स्थानीय कानून के अन्तर्गत कुछ निजी खनन क्रियाकलाप किए जाते हैं। वर्तमान में कोयला खनन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी पूंजी निवेश निहित नहीं है। किन्तु इस मंत्रालय में विदेशी पूंजी निवेशकों से निम्न दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. राजस्थान के बारसिंगसर ताप विद्युत गृह के ग्रहीत लिग्नाइट खान के लिए मेसर्स कोलमैन एसोसिएट का प्रस्ताव।
2. उड़ीसा के कटक, दुबरी जिले के ग्रहीत कोयला खान के लिए कलिंगा विद्युत कारपोरेशन लि० (एक कंपनी, जो कि भारत में पंजीकृत है, जिसमें अधिकांश इक्विटी शेयर विदेशी निवेशकों की होगी) का एक ग्रहीत कोयला खान प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में नीतियों को उदार बनाना

2440. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में नीतियों को उदार बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादकों के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) भारतीय अर्थ-व्यवस्था को उदार बनाने की नीति के एक भाग के रूप में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में निजी ठेकेदारों द्वारा तेल एवं गैस का अन्वेषण तथा उत्पादन कार्य करने, रिफाइनरियों की स्थापना करने तथा मिट्टी के तेल का आयात करके समानान्तरण विपणन करने, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और लो सल्फर हैवी स्टाक रखने की अनुमति दी गई है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों पर इन नीतियों का प्रभाव समग्र रूप से अर्थ-व्यवस्था के परिदृश्य का एक भाग होगा।

क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन द्वारा यातायात नियन्त्रण प्रणाली

2441. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन द्वारा यातायात नियन्त्रण प्रणाली दिल्ली में कारगर सिद्ध हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्त की कमी के उपचार हेतु दवा

2442. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नई दवा "रेकाम्बीनैंट इरयुथोपोइटीन" रक्त की कमी वाले रोगियों हेतु प्रभावी साबित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई दवा का उपयोग तथा परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रतिष्ठित वृक्क विज्ञानियों से परामर्श करने के पश्चात् एक बहुकेन्द्रिक नैदानिक परीक्षण आयोजित किया गया था। परिणामों से पता चला कि आयरन प्रतिरोधी रोगियों में कुछ मामलों में रक्तचाप में वृद्धि को छोड़कर, बिना किसी प्रमुख अनुषंगी प्रभाव के हीमोग्लोबिन में शनैः शनैः वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

विस्फोटक पदार्थों की चोरी

2443. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री जार्ज फर्नांडीज :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जनवरी, 1993 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार जनवरी, 1993 के आरम्भ में एक रेल डिब्बे से रक्षा और उद्योग में काम आने वाले 500 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ गायब हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) जैसा कि समाचार-पत्रों में उद्धत किया गया है, रेलवे कोच से विस्फोटकों के गायब हो जाने की कोई सूचना नहीं है। तथापि गोमिया, बिहार से चेरापूंजी सीमेंट फैक्ट्री, मेघालय के लिए विस्फोटक ले जा रहे दो ट्रकों का, असम बोंगाईगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र स्थित समथाईबारी में बोडो उग्रवादियों द्वारा 7-1-1993 को अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने ट्रकों को बरामद कर लिया, लेकिन कुल 500 कि०ग्रा० वजन के विस्फोटकों के संदूकों को उग्रवादी अपने साथ ले गए।

[अनुवाद]

गर्भ निरोधक दवाइयों की मांग

2444. **श्री मोहन रावले :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गर्भ निरोधक दवाइयों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) कंडोमों की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता मांग को पूरा कर सकती है । कॉपर-टी की बढ़ी हुई मांग की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की तीन फर्मों और सरकारी क्षेत्र की एक फर्म ने इनका विनिर्माण शुरू कर दिया है ।

मुखसेव्य गोलियों के लिए कच्चे माल का आदेश पहले ही संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि को दे दिया गया है । गोलियां बनाने की अतिरिक्त सुविधाओं का पता लगाया जा रहा है ।

[हिन्दी]

ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति

2445. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कथारा स्थित कोयला खानें इस क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित कोयले की पूर्ति करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत केन्द्रों को कितने कोयले की आवश्यकता थी और उन्हें कितने कोयले की आपूर्ति की गई; और

(ग) भविष्य में इन ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित मात्रा के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयले पर आधारित दो तापीय विद्युत गृह, बोकारो ताप विद्युत गृह तथा चन्द्रपुर ताप विद्युत गृह, बिहार के आसपास कठारा में स्थित है । को० इं० लि० ने सूचित किया है कि इन दोनों विद्युत गृहों को कोयले की अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है ।

(ख) को० इं० लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान कोयले की अपेक्षित आवश्यकताओं की तुलना में किए गए कोयले के प्रेषण को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

वर्ष	चन्द्रपुर ताप विद्युत गृह		बोकारो ताप विद्युत गृह	
	आवश्यकता	प्रेषण	आवश्यकता	प्रेषण
1990-91	1.95	1.47	1.11	1.21
1991-92	1.825	1.43	1.804	1.49
1992-93 (अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993)	1.316	1.00	1.629	1.52

(ग) यह दोनों विद्युत गृह पिटहैड पर स्थित है तथा ये कोयले के वाहन के लिए अधिकांशत: अपनी स्वयं की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। बोकारो ताप विद्युत गृह कोयले का उठान सड़क द्वारा कारगली वाशरी तथा चयन धोरी से करता है। चन्द्रपुर ताप विद्युत गृह कोयले का उठान दुग्दा वाशरी से बेल्ट द्वारा तथा सेंट्रल कोलडील्ड्स लि० के धोरी क्षेत्र से सड़क तथा रेल द्वारा करता है। चूंकि इन विद्युत गृहों से कोयले के कम उठान के कारण कोयला आपूर्ति स्थल पर एकत्रित हो रहा है, अत: उनसे अपने संयोजनों के आधार पर अधिक कोयला मिडलिंग का उठान किए जाने की अपेक्षा है।

[अनुवाद]

मल्टी-ड्रग थिरेपी

2446. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मल्टी ड्रग थिरेपी योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने जिलों को अब तक मल्टी-ड्रग थिरेपी योजना के अन्तर्गत लाया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास प्रत्येक जिले को इस योजना के अन्तर्गत लाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो किस वर्ष तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) बहु औषध उपचार स्कीम का प्रमुख उद्देश्य सभी कुष्ठ रोगियों का शीघ्र समय पर और पूरा उपचार सुनिश्चित करना है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार का पता लगाए गए सभी पात्र कुष्ठ रोगियों को दिसम्बर, 1994 के अन्त तक बहु औषध उपचार सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

1-1-1993 के अनुसार राज्यों में बहु-औषध उपचार द्वारा कवर किए गए जिलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नियमित बहु औषध उपचार के अन्तर्गत कवर किए गए जिले	संशोधित बहु उपचार उपचार के अन्तर्गत कवर किए गए जिले
1.	आंध्र प्रदेश	23	—
2.	असम	1	—
3.	बिहार	4	13
4.	गुजरात	6	—
5.	कर्नाटक	8	—
6.	केरल	5	5
7.	मध्य प्रदेश	11	11
8.	महाराष्ट्र	19	—
9.	नागालैंड	1	—
10.	उड़ीसा	9	4
11.	तमिलनाडु	20	—
12.	उत्तर प्रदेश	18	14
13.	पश्चिम बंगाल	5	10
14.	लक्षद्वीप	1	—
15.	पांडिचेरी	3	—
16.	मणिपुर	1	2
17.	अरुणाचल प्रदेश	—	4
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	1
19.	सिक्किम	—	2
	कुल	35	66

कोल इण्डिया लि० की विभिन्न कोयला खानों में घाटा

2447. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोल इण्डिया लि० की कितनी कोयला खानों में खनन कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या इनमें से आधी से अधिक खानों में घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी खानों की संख्या कितनी है और पिछले छह महीनों के दौरान इन्हें कितना घाटा हुआ;

(घ) उनमें से ऐसी खानों की संख्या कितनी है जिनमें पिछले तीन वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इण्डिया लि० द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, उनके अंतर्गत 449 खानें ऐसी हैं जहां कि खनन कार्य किया जा रहा है।

(ख) कोल इण्डिया लि० ने सूचित किया है कि उनकी अधिकांशः भूमिगत खानें घाटे में चल रही हैं।

(ग) अप्रैल, 1992 से सितम्बर, 1992 की छः माह की अवधि के दौरान 350 खानें घाटे में चल रही हैं तथा इन खानों से 789 करोड़ रुपए (अनंतिम) का घाटा हुआ है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 237 खानें ऐसी थीं जो कि निरन्तर घाटे में चल रही हैं।

(ङ) इस घाटे का मुख्य कारण निम्नलिखित है :

1. देश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की लगातार कमी जिससे सामान्य कोयला उत्पादन में विस्तृत रूप से रुकावट आती है जिसके परिणामस्वरूप कोयला उत्पादन प्रभावित होता है।
2. अनेक कोयला उत्पादन खानें अत्यधिक पुरानी हैं जहां कि कोयला भंडार भी लगभग समाप्त हो गए हैं जिससे वहां कोयले के उत्पादन में कठिनाई होती है।
3. भूमिगत खानों से श्रम की बहुलता होती है, अतः उनका प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन कम है।
4. अनेक भूमिगत खानों में भू-गर्भीय अड़चनें आती रहती हैं जिससे सामान्य खनन क्रियाकलापों में कठिनाई होती है।
5. भूमि की अनुपलब्धता से वर्तमान ओपेनकास्ट उत्खनन का विस्तार नहीं हो पाता और साथ ही नई ओपेनकास्ट तथा भूमिगत खानें भी नहीं खोली जा सकती।

(च) इन खानों में घाटे को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जो नीचे दर्शाए गए हैं :

1. प्रभावी रूप में उत्पादन लागत पर रोक, ताकि निरन्तर विकास के लिए पर्याप्त अन्तराल रखा जा सके ।

2. श्रम शक्ति आयोजन में सुधार, जिनमें फालतू श्रमिकों के पुनर्नियोजन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए रिक्त पदों के एवज में नए कामगारों के नियोजन पर प्रतिबंध शामिल है ।

3. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जरिए श्रमशक्ति में कमी ।

4. प्रयोगात्मक आधार पर "आल मैन—आल जाब" की संकल्पना का प्रयोग किया जा रहा है ।

5. पर्याप्त रूप में वर्कशाप स्पोर्ट मुहैया करके हैम मशीनों के प्रयोग तथा उपलब्धता में सुधार, कलपुर्जों के प्रबंधन में सुधार और उपकरणों की समय पर व्यवस्था ।

6. हैम मशीनों की खरीद तथा अन्य उपकरणों की खरीद की घनिष्ठतम समीक्षा ताकि संयंत्र तथा मशीनरी में अतिरिक्त उपकरणों को न्यूनतम किया जा सके ।

7. उत्पादकता तथा लाभकारिता में सुधार किए जाने के लिए भूमिगत खानों पर विशेष बल ।

8. राज्य सरकारों तथा उपर्युक्त प्राधिकारियों के साथ अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किए जाने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि खनन क्रियाकलापों को कार्यक्रम के अनुसार शुरू किया जा सके ।

9. अल्पावधि की दीर्घावधिक उत्पादन की संभावनाओं को अस्त-व्यस्त किए बिना पूंजीकृत व्यय में कमी ताकि उत्पादन की भावी लागत में ब्याज तथा मूल्यह्रास की प्रभावकारिता को न्यूनतम किया जा सके ।

[हिन्दी]

विस्थापित परिवारों को मुआवजा राशि

2448. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरक करने के बाद परियोजनावार अधिग्रहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने परिवार विस्थापित हुए तथा उन्हें मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान करना बाकी है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है तथा इस संबंध में कितने व्यक्ति प्रतीक्षा में रखे गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

जनसंख्या घनत्व

2449. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान जनसंख्या घनत्व को कम करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए अथवा करने का विचार किया गया है; और

(ख) देश में समग्र रूप से तथा विभिन्न राज्यों में वर्ष-वार क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जहां आठवीं योजना में जन्म-दर को 1997 तक कम करके प्रति हजार जनसंख्या पर 26 तक लाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, वहां संतुलित शहरी विकास करने और रोजगार के साधन पैदा करने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करने और बड़े शहरों में प्रव्रजन और भीड़-भाड़ पर नजर रखने के लिए 1979-80 से छोटे और मध्यवर्ती शहरों के एकीकृत विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है ।

आठवीं योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 145 करोड़ रुपये के कुल आबंटन के साथ लगभग 200 नए कस्बों को शामिल किया जाएगा ।

नई तेल और गैस नीति

2450. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई तेल और गैस नीति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में कोयला खानों का खनन

2451. **श्री चित्त बसु** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में कोयला खानों में बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस समस्या की गंभीरता और इससे होने वाले संभावित नुकसान का कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं। आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में कोयला खान में बड़े पैमाने पर किसी तरह की वेंटिंग की सूचना नहीं मिली है। किन्तु, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड्स में सतह धंसाव की कुछ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) से (घ) असुरक्षित क्षेत्रों की जांच के लिए कोल इण्डिया लि० द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय जांच समिति, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार, खान सुरक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय खान अनुसंधान स्टेशन, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, स्थानीय प्रतिनिधि आदि शामिल हैं, ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है तथा रानीगंज कोलफील्ड्स में कुछ क्षेत्रों को निवास के असुरक्षित घोषित किया है। केन्द्रीय खान योजना तथा डिजाइन संस्थान ने प्रत्येक असुरक्षित क्षेत्र की देख-रेख के लिए निधियों की उपलब्धता के अधीन योजनाएं तैयार की हैं।

रानीगंज कोलफील्ड्स में धंसकन की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कुछ अन्य उपायों को नीचे दिया गया है :

(1) चूंकि पानी से घिरी हुई क्रियाकलाप, जहां कि पहुंचना कठिन है, को सुदृढ़िकृत करने के लिए कोई सिद्ध प्रौद्योगिकी नहीं है, अतः एक नई हाइड्रो न्यूमेटिक स्टोइंग प्रौद्योगिक को रानीगंज टाउनशिप के पास के क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है।

(2) खनन क्रियाकलापों को नियमों और विनियमों के अनुसार और महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(3) असुरक्षित घोषित किए गए स्थानों से व्यक्तियों को हटाने के लिए निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और जिला प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क रखा जाता है।

सम्बलपुर की गंधमर्दन बाक्साइट परियोजना का बंद होना

2452. **डा० कृपा सिन्धुभोई** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सम्बलपुर जिले की गंधमर्दन बाक्साइट परियोजना को बंद करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) उड़ीसा में 1982 में अनुमोदित गंधमर्दन बाक्साइट परियोजना को चालू करने का स्थानीय जनता शुरू से विरोध कर रही थी। ऐसा वह इस आशंका से कर रही है कि इस परियोजना से इस क्षेत्र के पर्यावरण और परिवेश को नुकसान पहुंचेगा। चूंकि इस परियोजना को दुबारा चालू करने के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं, इसलिए सरकार ने इस परियोजना को छोड़ देने का फैसला किया है।

मुम्बई में पाइपलाइन द्वारा गैस का वितरण

2453. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री केशरी लाल :
श्री राम कापसे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में पाइप-लाइन के माध्यम से गैस का वितरण करने की परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रस्तावित परियोजना सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है ।

(ग) परियोजना चरणों में क्रियान्वित की जाएगी और अनुमोदन मिलने की तारीख से लगभग 9 से 10 वर्षों में पूरी हो जाएगी ।

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

2454. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में देश में चलाए जा रहे राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम में अनेक कमियां बताई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में कौन-कौन-सी कमियां बताई गई हैं और किन-किन उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की गई है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्षयरोग नियंत्रण के लिए क्या प्रावधान किया गया है और केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच व्यय का वितरण किस प्रकार किया गया है; और

(ग) इस रोग का पता लगाने और इसके उपचार हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वीडिश अन्तरर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के एक संयुक्त मूल्यांकन से इस बात का पता चला है कि रोग निदान के लिए माइक्रोस्कोपी का अधिकाधिक उपयोग, रोगियों को बेहतर सुविधाओं और कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा औषधों की पूर्ति में सुधार के साथ-साथ निगरानी तथा पर्यवेक्षण कार्य में सुधार के जरिए पूरा उपचार प्रदान करने की आवश्यकता है ।

(ग) और (घ) इस समय राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 के आधार पर धन उपलब्ध किया जाता है । आठवीं योजना में 80 करोड़ रुपये का

परिव्यय रखा गया है। तथापि बेहतर कवरेज तथा कमियों को दूर करने के लिए 1992-93 के लिए रखा गया है। 13.50 करोड़ रुपये का परिव्यय बढ़ाकर 29 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इसे 1993-94 में बढ़ाकर 35 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अपराध

2455. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में प्रतिमाह मध्य प्रदेश में अपहरण, हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती और वाहनों की चोरी के कितने मामले दर्ज कराए गए;

(ख) इनमें से कितने मामलों को हल कर लिया गया और कितने लम्बित पड़े हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में अपराध रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ग) अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। पिछले चार महीनों में, अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और वाहनों की चोरी के सूचित किए गए मामलों की संख्या और उनमें से हल कर लिए गए और लम्बित पड़े मामलों की संख्या केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक गड़बड़ियों में पंजाब के आतंकवादियों का शामिल होना

2456. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल की गड़बड़ियों में पंजाब के आतंकवादियों के शामिल होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

त्वरित कार्य बल

2457. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित कार्य बल को साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के हेतु आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

2458. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा मद-वार, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई;

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिनांक 15-10-90, 25-7-91 और 16-9-92 को विविध पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें निर्धारित की गई थीं।

(ख) सरकार द्वारा विविध पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें विभिन्न घटकों जैसे कीमत, मांग में वृद्धि और अन्य सामाजिक-आर्थिक घटाकों को विचार में लेकर निर्धारित की गई हैं।

सजा प्राप्त लोगों के अंतरण के सम्बन्ध में समझौता

2459. **श्री साइमन मरान्डी** :
श्री शिबू सोरेन :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सजा प्राप्त लोगों के अन्तरण और उनके सामाजिक पुनर्वास तथा अन्य ऐसे ही मुद्दों पर स्पेन, रूस, ब्रिटेन, आयरलैण्ड और अन्य देशों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) भारत ने सितम्बर, 1992 में, अपराध की जांच करने और मुकदमा चलाने तथा अपराध के लाभों एवं साधनों तथा आतंकवाद-निधियों का पता लगाने, इन पर रोक लगाने तथा इन्हें जब्त करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटिड किंगडम तथा नार्दर्न आयरलैण्ड के साथ एक "कन्फस्केशन एग्रीमेंट" पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने हाल ही में "किंगडम आफ स्पेन" के साथ सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण/सामाजिक पुनर्वास पर एक संधि/समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा रूसी संघ के साथ, संप्रभुता, समानता और एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तों का सम्मान करते हुए दोनों देशों की सुरक्षा, सुनिश्चित करने के हित में सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा उसे विकसित करने के लिए भी संधि/समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई के लिए कोयला खानों और विद्युत केन्द्रों के बीच समझौता

2460. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली घरों को गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई के संबंध में विद्युत केन्द्रों और कोयला खानों के बीच समझौते को रद्द करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने बिजली घरों ने यह समझौता किया था;

(घ) क्या सरकार का विचार बहुत छोटे टुकड़ों तथा पत्थर की मात्रा वाले घटिया कोयले की सप्लाई से सम्बन्धित लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने का है क्योंकि बिजली उत्पादन में कमी तथा बिजली उत्पादक एककों के क्षतिग्रस्त होने के ये मुख्य कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोयला कम्पनियों ने वर्ष 1985 में देश के सभी बड़े राज्य विद्युत बोर्डों के साथ कोयले की आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में समझौते किए थे। इन राज्य विद्युत बोर्डों में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम०एस०ई०बी०) तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू०बी०एस०ई०बी०) शामिल नहीं थे, क्योंकि उनके साथ वर्ष 1984 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एम०एस०ई०बी०, डब्ल्यू०बी०एस०ई०बी० तथा एन०टी०पी०सी० को छोड़कर बाकी सभी समझौता केवल एक वर्ष के लिए मान्य थे, अतः उपर्युक्त समझौते वर्ष 1986 में समाप्त हो गए। एन०टी०पी०सी० के साथ समझौता 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, अतः वह भी 1988 में समाप्त हो गया। एस०एस०ई०बी० तथा डब्ल्यू०बी०एस०ई०बी० के साथ समझौते भी 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था अतः ये दोनों समझौते भी वर्ष 1987 में समाप्त हो गए। किन्तु, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा दिनांक 22-12-86 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इन समझौतों के प्रावधान अभी भी लागू हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि कोयले के विक्रेता तथा क्रेताओं का, विशेषतौर पर विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति के लिए ये समझौते करने चाहिए, जिसमें अन्य बातों के अलावा, गुणवत्ता तथा कोयले की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार तथा दंड का प्रावधान शामिल है। अब कोल इंडिया लि० एक माडल समझौता तैयार कर रहा है जिसे विद्युत विभाग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) कोल इण्डिया लि० द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विद्युत गृहों तथा अन्य कोयला उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। गुणवत्ता सम्बन्धी समस्या मुख्यतः निम्न के संबंध में हैं—कोयले का ग्रेड, कोयले में अपशिष्ट सामग्री की उपस्थिति

तथा कोयले का बड़ा आकार होना। ऐसी सभी शिकायतें अधिकाशत: कोयले के प्रेषण किए जाने के बाद उत्पन्न होती हैं जबकि कोयला उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाता है। कोयला कंपनियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण तथा जिसका कोयला मन्त्रालय द्वारा भी समर्थन किया गया है, वह यह है कि लदान स्थल पर ही गुणवत्ता नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय किए जाने चाहिए ताकि कोई शिकायत होने पर स्थल पर ही उसकी जांच की जा सके और बाद के संदर्भों से बचा जा सके। पिटहैडों (लदान स्थल) पर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं :

(1) भूमिगत खानों में सतह पर कोयले के लदान करते समय अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया जाता है।

(2) सतह पर स्टाकों में कंकड़, पत्थरों के टुकड़ों को निकालने के लिए श्रमिकों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(3) कोयला रखरखाव संयंत्रों में कंकड़ और पत्थरों को उठाने के लिए "स्लो मूविंग पिकिंग बैल्ट्स" उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) कोयले की गुणवत्ता तथा उपभोक्ताओं को किए जा रहे प्रेषणों के पर्यवेक्षण के लिए कोयला नियन्त्रण संगठन को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(5) विद्युत तथा सीमेंट क्षेत्रों में थोक उपभोक्ताओं को लदान स्थल पर कोयले के संयुक्त रूप में नमूने के लिए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(6) कोयला कम्पनियों में उपभोक्ताओं की शिकायतों/कठिनाइयों को दूर किए जाने के लिए उपभोक्ता परिषदों को भी स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

दवाओं की भारी कमी

2461. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री दवाओं की भारी कमी के बारे में 3 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1872 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच रिपोर्ट की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली में कितने मूल्य की घटिया दवाओं, औषधियों, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री आदि को जब्त किया गया;

(घ) क्या जीवन रक्षक दवाइयों सहित कई महत्त्वपूर्ण दवाइयों की बाजार में गंभीर कमी है; और

(ङ) दवाइयों को आम लोगों की पहुंच के अन्दर आसानी से उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद के संबंधित कर्मचारियों विरुद्ध उन्हें बड़ा दंड देने के अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। संबंधित फर्मों के विरुद्ध आपराधिक मुकद्मे भी चलाए गए हैं।

(ग) दिल्ली में जब्त की गई सामग्री का अनुमानित मूल्य इस प्रकार है :

1989-90	5600 रुपये
1990-91	12,800 रुपये
1991-92	79,361 रुपये

(घ) कुछ ब्रांड फार्मूलेशनों, जिनके लिए अन्य ब्रांड अथवा चिकित्सीय समतुल्यक आमतौर पर उपलब्ध हैं, की अस्थायी कमी को घटनाओं को छोड़कर जीवन रक्षक औषधों सहित किसी अनिवार्य औषध की कोई सामान्य कमी सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) औषध नीति, 1986 का एक प्रमुख उद्देश्य उचित मूल्यों पर अनिवार्य औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

दिल्ली नगर निगम में अनियमितताएं

2462. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री गुरुदास कामत :
श्री नरेश कुमार बालियान :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री राम लखन सिंह यादव :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1993 के इण्डियन एक्सप्रेस में "स्टाफ माफिया बिहाईन्ड एम०सी०डी० आफिस ब्लेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (घ) दिनांक 2 फरवरी, 1993 की रात को लाजपत नगर, नई दिल्ली स्थित दिल्ली नगर निगम के कार्यालय में आग लग गई।

दिल्ली पुलिस ने लाजपत नगर पुलिस स्टेशन में दिनांक 3-2-1993 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 40 के द्वारा भा०द०सं० की धारा 436 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि आग ने 3 कमरों को अपनी लपेट में ले लिया। अग्नि शमन कर्मियों ने ठीक समय पर किए गए उपायों से काफी रिकार्ड बचा लिया गया। दिल्ली नगर निगम के अनुसार 6178 की संख्या में फाइलें, पेपर और कागजातों अधजली स्थिति में अथवा सुरक्षित किन्तु गीली स्थिति में बचा लिया गया।

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने रिकार्ड को बचाने तथा उपलब्ध फाइलों की सूची बनाने के लिए चार अधिकारियों का एक बोर्ड गठित किया है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि भवन विभाग का रिकार्ड रूम प्राथमिक स्कूल स्थित एक अलग भवन में था जो कि सुरक्षित है।

"कोड" संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उन सम्पत्तियों के लिए रिकार्ड की पुनर्रचना के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिनके बारे में कोई कार्रवाई प्रस्तावित थी।

उन अनधिकृत निर्माणों, जिन पर हाल ही में ध्यान दिया गया था, की कुछ फाइलें जो जल गई थीं, की पुनर्रचना का काम नए सिरे से फील्ड सर्वेक्षण करने और मास्टर रजिस्टर (मिसल-बंद रजिस्टर) जो कि सुरक्षित है, से परामर्श करने के बाद, किया जा रहा है।

राजस्थान में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र

2463. **श्री मनफूल सिंह :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पाए जाने वाले लिग्नाइट का विद्युत उत्पादन में उपयोग करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं और इस दिशा में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) राजस्थान में किन स्थानों पर लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है और इन संयंत्रों की स्वीकृति कब से प्रदान की गई हैं?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) राजस्थान के बीकानेर, बारमेड़ तथा नागौर जिलों में तकरीबन 870 मिलियन टन भू-गर्भीय रूप में लिग्नाइट के भंडारों का पता चला है। विद्युत उत्पादन के लिए पाए गए लिग्नाइट का इस्तेमाल और अधिक किया जाना विनिर्दिष्ट किए गए भंडारों के और विस्तृत अन्वेषण किए जाने पर निर्भर करता है।

सरकार द्वारा अप्रैल, 1991 में राजस्थान के बीकानेर जिले में बारसिंगसर में 828.04 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत पर एक लिग्नाइट खान (1.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता)—विद्युत परियोजना (2 × 120 मे०वा०) स्वीकृत दी गई थी। इस परियोजना का आरम्भ में, डिजाइन नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा कार्यान्वयन किए जाने के लिए किया गया था। लेकिन एन०एल०सी० के पास समुचित संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण इस परियोजना को किसी नियत उद्यमी को स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है।

भारतीय रिफैक्टरी उद्योग में संकट

2464. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क के उच्च दर के कारण भारतीय रिफैक्टरी उद्योग में संकट पैदा हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारतीय रिफैक्टरी उद्योग को बचाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) भारतीय रिफैक्ट्री उद्योग सरकार से पिछले कुछ वर्षों से ऐसी कुछ आवश्यक कच्ची सामग्रियों जो देश में उपलब्ध नहीं हैं और विशेष रिफैक्ट्रीज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, पर शुल्क में कमी करने के लिए अनुरोध कर रहा है। इन अनुरोधों को देखते हुए सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय बजट में रिफैक्ट्री के लिए इन कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क घटाकर 30% कर दिया है। आयात शुल्क में कमी से रिफैक्ट्री उत्पादों की उत्पादन लागत में कमी होगी और भारतीय रिफैक्ट्री उद्योग और इस्पात उद्योग को भी इससे लाभ होगा। इससे भारतीय रिफैक्ट्री उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक होगा और रिफैक्ट्री के निर्यात में भी वृद्धि होगी।

औषध नियन्त्रण

2465. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के औषध क्षेत्र की समस्याओं की प्रकृति और उनके प्रभाव का पता लगाने के लिए इसकी स्थिति का मूल्यांकन किया है :

(ख) यदि हां, तो औषध नियंत्रण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या राजतंत्र अपने कार्यनिष्पादन के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य तंत्र को सुदृढ़ बनाने और राज्यों में पर्याप्त प्रशिक्षण तथा प्रयोगशालाओं की सुविधाओं सहित उनके द्वारा कार्य का प्रभावी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना शुरू करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (घ) सरकार ने राज्यों के औषध क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं अर्थात् पर्याप्त संख्या में औषध निरीक्षक न होना तथा जांच सुविधाओं की कमी, का पता लगा लिया है।

औषध जांच संबंधी सुविधाएं बढ़ाने तथा औषध निरीक्षण संबंधी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित प्लान योजनाओं के माध्यम से राज्य औषध नियंत्रण तन्त्र में सुधार लाने के कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन द्वारा औषध निरीक्षकों

तथा विश्लेषकों को प्रशिक्षण और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अर्हताओं का निर्धारण, इस संबंध में उठाए गए अन्य महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

[हिन्दी]

औषधों का आयात

2466. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कम्पनियों को औषधों का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इनमें से कुछ औषधों पर विदेशों में प्रतिबन्ध लगे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मौजूदा आयात नीति के अधीन कोई भी कम्पनी नीति की "नेगेटिव" सूची में उल्लिखत औषधों को छोड़कर औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा अनुमोदित किसी भी औषध का आयात कर सकती है।

(ख) औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा विशेषज्ञों के परामर्श से प्रतिबंधित की गई औषधों का देश में आयात नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2467. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों खासतौर पर केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे उद्योगपतियों से अपने उद्योगों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने को कहने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आरक्षण पर कानून बनाना सरकार के विधाराधीन है।

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यगण जानना चाहते थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव पर मतदान किस समय होगा।

मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय आज लगभग 3.00 म०प० प्रश्नों के उत्तर देंगे और उनका जवाब समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् मतदान होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछले एक सप्ताह के अन्दर देश के विभिन्न भागों में जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मथुरा मे 4 दलितों की हत्या अन्दुआ गांव में की गई और रविवार की रात्रि में 6 तारीख को कानपुर में 4 दलितों की हत्या की गई। इसी तरह से महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में भी घटनाएं हुई हैं। अभी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है, सीधे सैण्ट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही है कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के जीवन की रक्षा करे और जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। कानपुर में जिस तरह से लोग मारे गए हैं, मथुरा में जिस तरीके से लोग मारे गए हैं, जातिगत विद्वेष के आधार पर कि चूंकि वह दलित हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत खतरनाक चीज है। मैंने इस सम्बन्ध में कालिंग अटेंशन नोटिश दिया है, हमने 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया है और हमने बार-बार आपसे आग्रह किया है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर जुल्म और अत्याचार के मामले हैं, उनके ऊपर सदन में डिस्कशन करवाया जाए।

गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, सारे के सारे गृह मंत्री यहां बैठे हुए हैं, जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस सदन के माध्यम से वार्निंग देने का काम करें और जहां अत्याचार हो रहा है, किसी पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जैसे न तो चुन्दूर में हुई, न कुम्हेर में हुई उसका नतीजा यह हो रहा है कि जुल्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है।

हम इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि सरकार हत्यारों को कड़ी-से-कड़ी सजा दिलाने का उपाय करे और सदन को एश्योरेंस भी देने का काम करे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ये घटनाएं नियमित रूप से घटित हो रही हैं। मंत्री महोदय को इनके बारे में चिन्ता होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं घटित न हों।

देश के अति संवेदनशील-वर्ग इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन्हें सभी प्रकार के पक्षपात और उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। कृपया कुछ कारगर कदम उठाएं। सरकार को इस बात को बिल्कुल सुस्पष्ट करना ही चाहिए। इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा।

यह शर्मनाक है कि लोगों को बारम्बार इन घटनाओं का शिकार बनाया जा रहा है। हमारे देश को इसके विरुद्ध अत्यन्त कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी ही चाहिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र कानपुर से सम्बन्धित मामला है। चार हरिजनों की हत्याएं हुई हैं।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार, विशेष तौर पर गृह मन्त्री महोदय जो कि यहां उपस्थित हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक यात्री और सामान-वाहक जलयान (एम० वी० निकोबार) रद्द कर गया दिया है ···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री मनोरंजन भक्त : आप ही की बात नहीं है। दूसरों को बोलने दें। औरों का भी बात है।···(**व्यवधान**)··· आप बताएं। यह ठीक बात नहीं हैं। दूसरों को भी बोलने दें। यह गलत बात है।···(**व्यवधान**)···

श्री श्याम बिहारी मिश्र : गृह मन्त्री जी इसका जवाब दें।···(**व्यवधान**)···

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, हरिजनों की हत्याएं हो रही हैं। जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां एक भी हत्या नहीं हुई।···(**व्यवधान**)

श्री श्याम बिहारी मिश्र : चार-चार हत्याएं होली के दिन कर दी गईं। गृह मन्त्री जी जवाब दें, वहां क्या किया जा रहा है ? उसके बाद पुलिस ने कोई प्रिकॉशन नहीं ली। अगर पहले से प्रिकॉशन ले ली होती, तो वहां कोई हत्या नहीं होती।···(**व्यवधान**)···

श्री राम विलास पासवान : हम आपसे इतना ही आग्रह करना चाहते थे कि गृह मन्त्री जवाब दे रहे थे। गृह मन्त्री जी को जवाब देने दीजिए।···(**व्यवधान**)···

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष जी, आपने हमारा नाम बुलाया है।···(**व्यवधान**)···

श्री श्याम बिहारी मिश्र : वहां इस तरीके से गरीबों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। सीनियर नहीं, तो जूनियर दे, लेकिन सरकार जवाब दे। होली के दिन चार निर्मम हत्याएं हो गई हैं। वहां राष्ट्रपति शासन है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल बन्द हो गई है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। ···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैंने आपको बताया है, मेरी इजाजत के बगैर जो बोलेंगे, उनका एक भी शब्द रिकार्ड के अन्दर नहीं जाएगा। या आप खुद इस हाउस की प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने दें या मुझे करने दें—दोनों में से एक चीज हो सकती है। इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए मैंने आपको बोलने दिया है। होम मिनिस्टर ने उसका जवाब भी दिया। अगर उसी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर, शरद जी को भी मैंने चांस नहीं दिया···

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं, शरद जी आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। या आप हाउस को खुद कन्ट्रोल करें या मुझे करने दें। अगर मैंने उनको बोलने दिया और होम मिनिस्टर बोलने के लिए खड़े हो गए, तो आप सब लोग खड़े हो गए। वे क्या कह रहे थे, उसका कुछ जवाब नहीं आया। अगर इस प्रकार आप करने वाले हैं, और रोजाना इस वक्त मुझे अगर यही लैक्चर करने की जरूरत महसूस हुई, तो अच्छी बात नहीं है। आप खुद डिसीजन करें या ना करें।

···(व्यवधान)···

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपको मैंने बोलने के लिए चांस दिया। दूसरे बोले, तो आप बीच में उठ कर खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर खड़े हो गए थे, बोलने के लिए। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप एक घण्टा इसी प्रकार बोलते रहिए, मेरा कोई आब्जैक्शन नहीं है। मैं कुर्सी पर धरना देकर बैठ जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हम बोलने के लिए नहीं बोलते हैं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप अकेले मैम्बर नहीं हैं। वे भी मैम्बर हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी भी बोलने की अनुमति देनी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपको अनुमति से होम मिनिस्टर जवाब दे रहे थे। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, इस प्रकार की बहस उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर को बुला रहे थे।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : वे बाद में बोल देंगे। पहले उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का और सरकार का भी और विशेष तौर पर गृह मन्त्री महोदय, जोकि यहां उपस्थित हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि **एन० वी० निकोबार समुद्री जहाज**, एक यात्री और सामान-वाहक जलयान, जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा प्रमुख द्वीप के बीच चलता था, की सेवाएं हज-यात्रियों के लिए बन्द कर दी गयी हैं। हमें हज पर जाने वाले यात्रियों को ले जाने में कोई एतराज नहीं है क्योंकि यह कार्य भी देश की जरूरी वचनबद्धता में से एक है।

बात यह है कि प्रत्येक वर्ष हमारे यात्री जलयानों की सेवाएं बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बन्द कर दी जाती हैं और इस कारण इस द्वीप के लोगों को परेशानी हो रही है।

इतना ही नहीं; जब इस जलयान की सेवाएं पिछले वर्ष बन्द कर दी गयी थीं, उस समय उसी जलयान के किराए के भीतर ही यात्रियों को विमान द्वारा ले जाने की व्यवस्था कर दी गई थी। ऐसी व्यवस्था पिछले वर्ष की गई थी। लेकिन इस वर्ष ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और जलयान की सेवाएं बन्द कर दी गयी हैं। यह ज्ञातव्य है कि इस अवधि के दौरान, मार्च-अप्रैल और मई में स्कूलों में छुट्टियां होने तथा अवकाश होने के कारण बहुत भीड़ होगी।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है अथवा नहीं, अन्यथा इस द्वीप में कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्या पैदा हो जाएगी। मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और तत्काल व्यवस्था करें, ताकि यात्रियों और द्वीप क्षेत्रों की जनता को छुट्टी की अवधि के दौरान समस्याओं का सामना न करना पड़े और परेशानी न उठानी पड़े।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया पहली और दूसरी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वहां एक ही जलयान विद्यमान है।... (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है और यह बात कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं की जाएगी। आप जितनी देर तक बोलना चाहें बोल सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : जहां तक श्री राम विलास पासवान जी द्वारा उठाए गए पहले प्रश्न का संबंध है, मैं पूर्णतयः सहमत हूं कि देश के विभिन्न भागों और विशेषकर राष्ट्रपति-शासन के अधीन जिन राज्यों का उन्होंने उल्लेख किया है, में बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

मैं इस मामले की निश्चित रूप से जांच करवाउंगा। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार उन सभी तत्वों, जो कि समाज के कमजोर वर्गों पर ज्यादतियां करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध गम्भीर कार्रवाई करूंगा तथा यह सुनिश्चित करूंगा कि उनसे न्यायालय के दायरे में ही समुचित व्यवहार किया जाता है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनोरंजन भक्त द्वारा उठाए गए प्रश्न के बारे में, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होगा कि यथा सम्भव शीघ्र वैकल्पिक-व्यवस्था कर दी जाती है।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : इस प्रकार की घटनाओं के फलस्वरूप ज्यादा मांगें हो रही हैं तथा उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिएं। महिलाओं द्वारा आंध्र प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में शुरू किए गए आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार मदिरा-पान को बन्द करने पर विचार कर रही है अथवा नहीं। यही एक रास्ता है। **(व्यवधान)** यह एक सामाजिक बुराई है।

अध्यक्ष महोदय : डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी अपनी बात रखिए।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, दो दिन पहले भयंकर ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंदसौर में लगभग दो लाख किसान परिवार बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं, एक व्यक्ति ने तो आत्महत्या तक कर ली है। मान्यवर, इस ओलावृष्टि के कारण करोड़ों रुपए की हानि हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार सर्वेक्षण के लिए तुरन्त वहां सर्वे दल भेजे, विशेष करके इन काश्तकारों के लिए वे जा करके देखें कि उनको कितनी हानि हुई है। 90 प्रतिशत तक फसलें नष्ट हो गई हैं। **(व्यवधान)** किसान बुरी तरह से बर्बाद हुआ है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को जल्दी से जल्दी दिखवाएं ताकि किसान को उचित राहत दी जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील दत्त जी अपनी बात रखिए।

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैं सभा को यह जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 21 मार्च को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाए।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सुनील दत्त : महोदय, 21 मार्च को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाए और अनेक सामाजिक संगठन एवं सरकार द्वारा समर्थित विकलांगों के लिए कार्यरत संगठन सारे भारत में इस दिवस को मनाएंगे।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय···**(व्यवधान)**···*

अध्यक्ष महोदय : मैं जिस माननीय सदस्य का नाम बोलता हूं, वह सभा से बाहर चला जाए।

12.15. म०प०

तत्पश्चात् श्री छेदी पासवान सभा-भवन से बाहर चले गए।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुनील दत्त : हमारे देश में प्रतिदिन 36 बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, यानि प्रति दो घंटे में दो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। हमारे देश में दो करोड़ मानसिक रूप से अक्षम, एक करोड़ 80 लाख अंधे और 2.5 करोड़ बधिर एवं पोलियो से ग्रस्त लोग हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में 8.5 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं। हम मान लें कि प्रत्येक विकलांग के उसके अपने अथवा उसके परिवार के चार सदस्य हैं तथा प्रकार यह संख्या 34 करोड़ बन जाती है।

मैं वित्त मंत्री, डा० मनमोहन सिंह जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने एक विकलांग बच्चे का पालन-पोषण करने के मानसिक आघात को पहचाना है और उनके परिवारों को आयकर में कतिपय रियायतें प्रदान की हैं। लेकिन, यही काफी नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए भी एक राष्ट्रीय वित्त विकास निगम होना चाहिए। तथा एक ही स्थान ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां से हम उनकी शिक्षा, पुनर्वास की समस्याओं का निवारण कर सकें और उन्हें स्वतन्त्र प्राणी बना सकें, ताकि वे हीन-भावना का शिकार न हों हम 8.5 करोड़ विकलांग और उनके परिवारों को विश्व विकलांग दिवस पर यही महान तोफा दे सकते हैं।

अन्ततः, मैं इस माननीय सभा के सभी माननीय सदस्यगणों को जानकारी देना चाहता हूं कि ये 34 करोड़ व्यक्ति हमारे मतदाता भी हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री बी० एन० रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है। ···(**व्यवधान**)···

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सभा के, आज के 'लेट सिटी एडिसन' दिल्ली स्टेट्समैन में छपी एक अत्यन्त विचलित कर देने वाले समाचार को ध्यान में लाना चाहता हूं। इस समाचार-पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री·····

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे पूर्व-सूचना नहीं दी है।

श्री अनिल बसु : मैंने आपको पूर्व-सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मंत्री जी को पूर्व-सूचना नहीं दी है। आपने मुझसे अनुमति नहीं ली है और आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, यदि आपको कोई मानहानिकारक मुद्दा उठाना है, तो आप नियम का अनुपालन करें। नियम यह है कि आपको मुझे पूर्व-सूचना देनी होगी, आपको आरोप साबित करना होगा तथा मुझसे अनुमति प्राप्त करके ही आप उन्हें पूर्व-सूचना देंगे और केवल तभी आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि किसी सदस्य के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए/उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार के आरोप आपके विरुद्ध भी नहीं उठाए/लगाए जा सकते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : महोदय, मैंने आपसे अनुमति मांगी थी। मैंने आपको पूर्व-सूचना भी दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी पूर्व-सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : यह कोई आरोप नहीं है ।···(**व्यवधान**)···

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, सरकार की एक नीति है कि पिछड़े जिलों को सुविधाएं जैसे कि···प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी मृत्युन्जय नायक जी कह रहे हैं, केवल वही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । अब आपको बैठना ही होगा ।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आपको बैठना ही होगा । सबसे पहले आपको बैठना होगा । हरेक अध्यक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है और अध्यक्ष इस तरह से सभा की कार्यवाही को चालू नहीं रख सकते । मैं पिछले तीन दिन से नियमों को उद्धृत कर रहा हूं । अगर आप नियमों का पालन नहीं करना चाहते, तो आप जिस भी ढंग से चाहें सभा को चलाइए । आपने मुझे पूर्व सूचना नहीं दी है । मुझे विदित नहीं है कि आप कौन-सा विषय यहां उठाने जा रहे हैं । मुझे विदित नहीं है कि आपने इस मामले की जांच की है अथवा नहीं, आप इस मुद्दा को साबित करने को तैयार हैं अथवा नहीं । कृपया इस बात को ध्यान में रखें । अगर मुद्दे एक अनियमित तरीके से उठाए जाते हैं, तो मेरा कर्त्तव्य आपका संरक्षण करना है. मेरा कर्त्तव्य आपके साथियों को संरक्षित करना है, मेरा कर्त्तव्य है कि मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को संरक्षित करूं । क्या आपने मुझे पूर्व-सूचना दी हुई है ? क्या आपने मुझसे अनुमति प्राप्त की है । मैं कैसे समझूं कि आप क्या बात उठाना चाहते हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, आपको सदन की प्रतिष्ठा बचानी चाहिए, ···(**व्यवधान**)·· आप केवल महत्त्वहीन प्रश्नों पर ही नियमों को उद्धृत कर रहे हैं ।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी इजाजत के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री मृत्युंजय नायक ।

(**व्यवधान**)*

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, सरकार की पिछड़े जिलों को नई रेलवे लाइनें जैसे सुविधाएं प्रदान करने में प्राथमिकता देने की नीति है । सरकार ने फूलबनी होते हुए बोलंगीरि तक रेलवे संपर्क बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा करने की अनुमति दे दी है ।···(**व्यवधान**)···*

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, कृपया अपने स्थान ग्रहण करें ।

(**व्यवधान**)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के वरिष्ठ सदस्यों से जानना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य उठकर सदन में इस तरह के वक्तव्य दे तो आप क्या चाहते हैं कि अध्यक्ष खुद किस तरह का व्यवहार करे और आप सदन को किस तरह से चलाया जाए, मैं यह बात जानना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य को वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा परन्तु इसके बाद मैं जो भी व्यक्ति सदन में वक्तव्य देना चाहता है उसे हर एक के विरुद्ध इस तरह के वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा, आइए, आप वक्तव्य दें ।

(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है । वह केवल स्पष्टीकरण चाहते हैं ।···**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए । ···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए । श्री अनिल बसु जी आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं, परन्तु आप कृपया कल मुझसे सदन में किसी के भी विरुद्ध किसी को इस तरह का वक्तव्य न देने की अनुमति न देने के लिए नहीं कह सकेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, आज स्टेट्समैन के लेट सिटी एडीशन में कुछ किसी ने कुछ आरोप छपवाए हैं जिसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं । मैं इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं । बस इतनी-सी बात है । इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह केवल एक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ।···**(व्यवधान)**···

जल संशाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, क्या मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा सकता हूं ।···**(व्यवधान)**···हम माननीय अध्यक्ष की भावनाओं को समझते हैं । परन्तु जिस तरह से इस मामले को उठाने की कोशिश की गई है वह ठीक नहीं है जैसाकि आप पहले ही संकेत दे चुके हैं ।···**(व्यवधान)**···

श्री बसुदेव आचार्य : क्या ठीक नहीं है ?···**(व्यवधान)**···

श्री अनिल बसु : यह एक मन्त्री के खिलाफ है ।···**(व्यवधान)**···

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मुझे कुछ निवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए । ···**(व्यवधान)**···हम नहीं चाहते कि कोई भी बात सदन से बाहर जाए । परन्तु सदन में इस तरह

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

चिल्लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महोदय, मैं आपके ऊपर इस बात के लिए दबाव डालूंगा कि आप सदन में इस तरह चिल्लाने की अनुमति न दी जाए, क्योंकि हम हर एक चीज पर सदन में चर्चा करना चाहते हैं। हम कोई भी बात बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। परन्तु चिल्लाना ठीक नहीं है।···(**व्यवधान**)···सारा काम इस सदन द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार होना चाहिए। आपको सदन की मर्जी के मुताबिक काम करना होगा। सदन के कुछ नियम हैं। आपको नियमों के अनुसार चलना होगा।···(**व्यवधान**)···

श्री अनिल बसु : मैंने केवल उस बात का उल्लेख किया है जो कि अखबार में छपा है। ···(**व्यवधान**)···

श्री विद्याचरण शुक्ल : चिल्लाने से किसी को कोई सहायता नहीं मिलेगी। महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि सदस्य इस सदन द्वारा अपनाए गए नियमों का उल्लंघन न करें।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें दृढ़ प्रतिज्ञा होना होगा। हम आप पर यह दबाव डालते हैं और आपका समर्थन करते हैं कि आप ऐसा करें और हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने में आपके साथ सहयोग करेंगे कि सदन में उठाई जाने वाली हर एक बात के सम्बन्ध में हम पूरी जानकारी और उसका पूरा उत्तर देंगे बशर्ते कि आप हमें उसकी अनुमति दें और यह सदन के नियमों के अनुसार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किस नियम का उल्लंघन हुआ है। मैं इसको पढ़कर सुनाऊंगा। मैं इस नियम को दो बार सदन में पढ़ चुका हूं। मैंने केवल नियम ही नहीं पढ़ा है बल्कि इस सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों को भी पढ़कर सुनाया है। मैंने केवल टिप्पणियां ही नहीं पढ़ी हैं बल्कि मैंने वह सब भी कहा जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता था। यदि माननीय सदस्यों को यह बात मालूम नहीं है तो मुझसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि मैं हर रोज यह नियम माननीय सदस्यों के ध्यान में लाऊं। यह नियम इस प्रकार है :

> "कोई सदस्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई भी मानहानिपरक या अभियोगपरक आरोप नहीं लगा सकता है जब तक कि उसने इसके लिए काफी समय पहले नोटिस नहीं दिया हो।"

क्या आपने अध्यक्ष को इस संबंध में काफी समय पहले नोटिस दिया है ?

मैं उद्धृत करता हूं :

> "···और मंत्री को भी···"

क्या आपने संबंधित मंत्री को नोटिस दिया है ?

मैं उद्धृत करता हूं :

> "···ताकि मंत्री उत्तर देने के उद्देश्य से मामले की जांच करने में समर्थ हो सके।
>
> "यदि अध्यक्ष के विचार में ऐसा आरोप सदन की गरिमा के लिए अपमानजनक है या इस तरह का आरोप लगाने से जनहित का कोई भी काम नहीं हो सकता है तो अध्यक्ष

किसी भी सदस्य को किसी समय इस तरह के आरोप लगाने से रोक सकता है। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह नियम मैंने परसों भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि आप इसे सदन में नहीं ला सकते हैं। आपको मुझे नोटिस देना होगा। आपको दूसरे पक्ष को नोटिस देना होगा। ऐसा करने के लिए आपको मुझसे अनुमति लेनी होगी। मुझे आपका नोटिस नहीं मिला है। आपने मुझसे अनुमति नहीं मांगी है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आपने दूसरे पक्ष को नोटिस नहीं दिया है। इसके बावजूद आप उठकर वक्तव्य दे रहे हैं जो कि इस पद की गरिमा के प्रति अपमानजनक है। जब मैंने पूरे सदन से यह पूछा कि उन्हें इस संबंध में क्या कहना है तो मुझे अत्यन्त खेद है कि किसी में भी इतनी शिष्टता नहीं है कि कोई खड़ा होकर यह कहता कि नहीं यह ठीक नहीं है। इसलिए यदि आप सदन को अपनी मर्जी से अपने तरीके से चलाना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : समस्या यह है कि हम पिछले तीन दिनों से यह बात उठा रहे हैं।···(व्यवधान)···

श्री अनिल बसु : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने केवल सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका बुरा नहीं मानता हूं। आप एक दूसरे को गाली दो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं केवल यह दर्शाना चाहता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री अनिल बसु : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। कृपया आप रिकार्ड देखें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कैसे पता चलेगा जब मेरे पास कुछ नहीं है? यदि मेरे पास पेपर्स नहीं हैं तो मुझे कैसे मालूम होगा?

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, सदन में इस तरह से चिल्लाना भी अध्यक्ष का अपमान है और अध्यक्ष के निर्देशों की अवमानना करना भी अध्यक्ष का अपमान करना है, अतः इसको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चीख चिल्लाहट को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए और सदन में चिल्लाने की अनुमति न दी जाए, जब तक सदस्य नियमों का पालन न करें तब तक यहां पर किसी भी मामले को उठाने की अनुमति न दी जाए। सदन के इस ओर बैठने हम सब लोग इस मामले में पूरी तरह से आपके साथ है और हम सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए हम अपनी एकता का परिचय देना चाहते हैं। ··(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अनिल बसु को बोलने की अनुमति देता हूं वह जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि जो सदस्य खड़े उठे और जिन्होंने अपनी आवाज उठाई और कुछ वक्तव्य दिए जो कि नहीं दिए जाने चाहिए थे, परन्तु मुझे खेद है कि यह वक्तव्य

दिए गए, उन्हें यह वक्तव्य नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने यह वक्तव्य देकर अध्यक्ष और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अब मैं श्री अनिल बसु से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी बात पर आएं।

श्री अनिल बसु : महोदय, अध्यक्ष पीठ का पूरा सम्मान करते हुए···।

अध्यक्ष महोदय : आपके काम से तो ऐसा नहीं लगता है।

श्री अनिल बसु : अध्यक्ष पीठ का पूरा सम्मान करते हुए मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने आपको पूर्व सूचना दी है और मैंने इस मुद्दे को उठाने के लिए आपकी अनुमति मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस कब दिया ?

श्री अनिल बसु : मैंने नोटिस आज सुबह दस बजे से पहले दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस नहीं मिला।

श्री अनिल बसु : आपने इसको उठाने की अनुमति दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री अनिल बसु : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।···(**व्यवधान**)···

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, आपने कुछ कहा है जिस पर हम आपत्ति कर रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि हर कोई यह चाहता है कि सदन में इस तरह की बातें होती रहें इसलिए मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री अमल दत्त : क्या आपने कोई ऐसी बात कही है जिस पर हम आपत्ति कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[**अनुवाद**]

श्री अमल दत्त : कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री अमल दत्त : आपने इसी बात पर टिप्पणी की है जिस पर हम आपत्ति कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं नामों को विशेषाधिकार समिति को इनकी जांच-पड़ताल करने के लिए भेज सकता हूं। आप आपत्तिजनक आरोप और इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। संपूर्ण सभा ने इसको देखा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप ऐसा कीजिए। कृपया इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दीजिए।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं तो आप नियम बदल दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय आप बोल रहे हैं या श्री अनिल बसु बोल रहे हैं ? में आपकी सहमति के अनुसार आपको अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : मैंने किसी के विरुद्ध भी कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने कहा है कि आज दिल्ली से देर से प्रकाशित 'दि स्टेटस्मैन' के मुख्य पृष्ठ पर समाचार छपा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री जो इस समय सभा में मौजूद हैं, ने कुछ गलत कार्य किया है। मैं सरकार से सरकार की गरिमा और छवि को बनाए रखने के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

मैं अध्यक्ष महोदय का सम्मान करता हूं। यही मेरा अनुरोध है।···**(व्यवधान)**···

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय सरकार की यह नीति है कि रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे ही खुर्दा-बोलंगीर रेलवे लाइन जो फूलबनी से होकर जाती है, का प्रस्ताव सरकार के पास पहले से ही लम्बित है। पर्याप्त धनराशि के अभाव में इस परियोजना को लागू नहीं किया जा सका है तथा इसे योजना आयोग से स्वीकृति नहीं मिल सकी है। इस प्रकार का एक सुझाव है कि जवाहर रोजगार योजना की धनराशि राज्य के पास हो और वह केन्द्र से प्राप्त हो। अतः, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना के लिए उपलब्ध जवाहर रोजगार योजना धनराशि के आबंटन हेतु राज्य सरकार से विचारविमर्श करे ताकि रेलवे लाइन परियोजना का कार्य हाथ में लिया जा सके और इसे पूरा किया जा सके।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, तीन दिन पहले ही 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। 8 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया में कुवैत से प्राप्त एक समाचार इस शीर्षक के साथ छपा 'प्लाइट ऑफ इंडियन मैड्स'। समाचार में कहा गया है कि कुवैत में 35,000 से लेकर 40,000 तथा भारतीय नौकरानियां हैं, जो वहां घरेलू नौकरों के तौर पर काम करती हैं तथा जिनमें नर्सें भी हैं। यह समाचार बड़ा रोषपूर्ण और संवेदनशील है। जब हम इस समाचार को पढ़ते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। इन महिला नौकरानियों को तंग किया जाता है, मारा जाता है, काल कोठरी में बन्द रखा जाता है तथा यहां तक कि उनकी इज्जत पर भी हमला किया जाता है। यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, जो वहां काम कर रही हैं। वहां पर हमारी इन महिलाओं ने दूतावास में भी शिकायत की है। दूतावास के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि ऐसी समस्याएं बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बहुत से लोग काम पाने के लिए कुवैत जा रहे हैं। मैं विनेश मंत्री महोदय से वक्तव्य चाहता हूं कि सरकार उन निःसहाय महिलाओं को जो वहां हजारों की संख्या में हैं, को राहत प्रदान करने के लिए कार्यवाही कर रही है। मैं विदेश मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वे सभा में आएं और वक्तव्य दें कि सरकार कुवैत में हमारे देश की महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मुझे इस सम्बन्ध में दो शब्द कहने की अनुमति दी जाए। निःसदेह हमारे साथी सदस्य श्री नायक ने जो मामला उठाया है वह चिंता करने लायक है। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि भारत और कुवैत के बीच हमारे सम्बन्ध बहुत सौहार्द्रपूर्ण हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए···(**व्यवधान**)···कुवैत में 135,000 भारतीय रह रहे हैं। और समाचार केवल 35 मामलों का आया है। उसके लिए पर्याप्त प्रमाण भी नहीं हैं। इनकी जांच पड़ताल करना सरकार का कर्त्तव्य है। मैं मामले की जांच किए जाने के विरुद्ध नहीं हूं। मैं उनको राहत दिए जाने के विरुद्ध नहीं हूं। मैं इस प्रकार का कोई कदम उठाए जाने के विरोध में नहीं हूं। लेकिन वहां रह रहे 1,35,000 भारतीयों में से 35 लोगों के नाम पर, जो वहां कष्ट झेल रहे हैं, ऐसे देश को बदनाम नहीं कर सकते हैं। आप इस प्रकार से लोगों को दुःखी नहीं कर सकते। आपको देश की वास्तविक भलाई का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक भारतीय राष्ट्रिक का समर्थन करे। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन यह सब बताने के पीछे माननीय सदस्य की दुर्भावना और उस देश को बदनाम करने का उद्देश्य नजर आता है। कुवैत में 1,35,000 भारतीय रह रहे हैं और उनमें केवल 35 व्यक्तियों के बारे में समाचार छपा है। इसे सभी लोगों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

अमेरिका और अन्य देशों में क्या हो रहा है ? सभी जानते हैं कि वहां उन देशों में भी सेक्स की दृष्टि से उनके शोषण के ऐसे अनेक आरोप लगाए जाते हैं।

केवल निंदा करना और कुवैत जैसे देश की बदनामी करना, जो भारत का समर्थक है, निंदनीय कार्य है।

अगर किसी भारतीय की कोई समस्या है तो उसकी जांच-पड़ताल करना भारत सरकार का कर्त्तव्य है। लेकिन हमें इन देशों की निहित उद्देश्यों के लिए बदनामी नहीं करनी चाहिए।

कुवैत एक ऐसा देश है जो भारत के साथ है और भारत का समर्थन करता है और निर्भर मित्र देश है। इसके हमारे देश के साथ बड़े सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध हैं।

आपको ये तथ्य अवश्य ध्यान में रखने चाहिए।

मैं बस यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं। कल हमें अनुमति मिली थी लेकिन मैं उस सवाल को उठा नहीं पाया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही राष्ट्रीय महत्त्व के सवाल के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है और कुछ हद तक ठीक है कि चीन के साथ हिन्दुस्तान के सम्बन्ध सुधर रहे हैं लेकिन मैं उस खबर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हमें प्राप्त हुई है और प्रमुख अखबारों में संवाद निकाला है कि चीन जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को आर्म्स भेजती है, वह पाकिस्तान और बर्मा को आर्म्स भेजती है, और सबसे चिंताजनक विषय यह है कि "मिसाइल टेक्नोलॉजी सेन्ट्रल रिजीम" की गाइडलाइन्स को मानते हुए भी चीन हमारे पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान और बर्मा को आर्म्स सप्लाई कर रहा है और सिर्फ

आर्म्स ही नहीं, पाकिस्तान को न्यूकलियर आर्म्स भी भेजता है। मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा हूं कि बीजिंग यह चीज कर रहा है और पाकिस्तान।

[अनुवाद]

"पाकिस्तान के मामले में, यह 400 किलोमीटर की दूरी तक आकाश से आकाश में मार करने वाली एच०ए०टी० एफ-2 मिसाइलों के उत्पादन में मदद कर रहा है जिसे और अधिक विकसित करने की स्थिति में आणविक युद्ध में काम में लिया जा सकता है। हाल ही में इसने एम 11 मिसाइलें पाकिस्तान को दी हैं।"

"पाकिस्तान को हथियार बंद करना केवल भारत के प्रति इसकी शत्रुता और जम्मू और कश्मीर में सक्रियता तथा नियन्त्रण रेखा के पास स्थित कैंपों में प्रशिक्षण पा रहे उग्रवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने की इसकी क्षमता को ही बढ़ाता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब सरकार खुद कहती है कि चीन के साथ भारत के सम्बन्ध सुधर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार इस सदन को विश्वास में ले। इस विषय में देशवासियों के मन में जो शंकाएं हैं कि "मिसाइल टेक्नोलॉजी सेन्ट्रल रिजीम" की गाइडलाइन्स के खिलाफ जाकर वह काम करती है, इसके बारे में जो शंका पैदा हुई है, हमको लगता है कि वह शंका सही है या गलत, इसका सरकार को निराकरण करना चाहिए। चीन जो हथियार पाकिस्तान को भेजता है, वह जाकर टैररिस्ट के हाथ में पड़ जाते हैं जो जम्मू कश्मीर को डीस्टेबिलाइज करने के लिए प्रयोग होते हैं।

मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहता हूं कि न्यूकलियर आर्म्स के बारे में भी विशेषज्ञ कहते हैं कि वह भी पाकिस्तान को चीन देता है और पाकिस्तान को यह देने का मतलब यह होगा कि वह हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा।

दूसरा सवाल यह है कि दुनिया के सारे नोबल लॉरियेट्स थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में इकट्ठा हुए और उन्होंने यह घोषणा की कि म्यांमार में जिस तरह से सैनिक शासन में आंग-सांग सूची को जेल में बंद रखा गया है यह सारे विश्व के लिए चिंता का विषय है और वहां लोगों की राय पर वीटो किया गया है। बर्मा की तरफ भी मैं आपके जरिए सरकार का विशेष ध्यान खींचना चाहता हूं कि बर्मा के सिलसिले में भी···

[अनुवाद]

"बताया जाता है कि बहुत से चीनी सलाहकार मयनमार से काम कर रहे हैं। बीजिंग की हथियारों की बिक्री और मयनमार में इसकी मौजूदगी क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलन को बिगाड़ रही है।

परंपरागत हथियारों के अलावा चीन द्वारा पाकिस्तान को आणविक प्रौद्योगिकी का निर्यात बड़ी चिंता का विषय है।"

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि जब चाइना के साथ हम लोगों के सम्बन्ध सुधर रहे हैं, मैं सरकार से

जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से चाईना बर्मा में मिलिटरी जुन्टा को या जो वहां के क्रान्तिकारी लोग हैं, जो वहां पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी की स्थापना करना चाहते हैं···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सम्मानपूर्वक आपके नोटिस में यह ला सकता हूं कि हमारे चीन के साथ मैत्री सम्बन्ध हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो इसके विरोध में जाए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया कि जिस तरह से इन दिनों संवाद निकल रहे हैं, और मैंने एक खास उदाहरण भी दिया कि जो गाइडलाइन्स थीं, उनके खिलाफ काम हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। दूसरे, म्यानमार के बारे में जिस तरीके से चाइना व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण वहां जो प्रजातांत्रिक शक्तियां हैं, उनको ठेस पहुंच रही है, वे कमजोर होती जा रही हैं, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय पर संसद को और देशवासियों को कान्फीडेंस में लेकर एक बयान दे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य, श्री छेदी पासवान से जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हम सब लोगों को बहुत अफसोस है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप बड़े उदार हैं और लार्ज हार्टेड परसन हैं। आपके नोटिस में यह होगा कि पूरी दसवीं लोक सभा में रूल 373 को इन्वोक करने की कभी नौबत नहीं आयी। एक से एक हीटेड मूमैंट्स सदन में आये, गर्म वातावरण सदन का रहा, तब भी आपने उसका, बिल्कुल, दूसरे ढंग से रास्ता निकालने की कोशिश की है। अतः हम आपसे निवेदन करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, पूरे अदब के साथ, इस बात को मानते हुए कि जो कुछ भी हुआ, बहुत खेदजनक था, नहीं होना चाहिए था माननीय सदस्य के द्वारा, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि आप कृपा करके अपने आदेश पर फिर से विचार करें और पुनर्विचार के बाद उसको वापस ले लें। इस दसवीं लोक सभा में रूल 373 को इन्वोक करने का अवसर अभी तक नहीं आया था, इसलिए आपने जो एक दिन के लिए माननीय सदस्य को विदड्रा करने का आदेश दिया है, हम दरख्वास्त करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप उस पर पुनर्विचार करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : श्री छेदी पासवान जी जिस दल के सदस्य थे, उसी दल के एक प्रमुख सहयोगी के ऐसा कहने के बाद, मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आपका निर्देश था, वह पूरा हो गया, अतः आप इस विषय पर फिर से इस समय विचार करके, यदि वापस ले लें तो वह उचित रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए आदेश वापिस लेता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रकरण तो समाप्त हो गया

लेकिन जीरो-ऑवर को किस तरह से नियंत्रित किया जाए और अगर मानहानि के आरोप यहां लगाने हैं, जिनके बारे में समझा जाता है कि उससे मान की हानि होती है उनके लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाए ?

अध्यक्ष महोदय, नियम अपनी जगह हैं। आप प्रतिदिन नियमों का उल्लेख करते हैं और प्रतिदिन नियमों का पालन नहीं होता है, हम उल्लंघन करते हैं। मेरा निवेदन है और मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि आप इस सम्बन्ध में सभी दलों के नेताओं की एक बैठक आयोजित करें।

जीरो-ऑवर में सब स्वच्छन्द हैं लेकिन स्वच्छन्दता में भी कोई नियमबद्धता होनी चाहिए। आज जो कुछ हुआ, उसके लिए हम सब लोगों को बड़ा खेद है मगर असंतोष इस दल में भी कम नहीं हैं। महत्त्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें सदस्य यहां उठाना चाहते हैं। समाचार पत्रों का सहारा लिया जाता है और यह स्वाभाविक है। इस सदन में सबसे बड़े घोटाले जब उठाये गये तो उनका आधार समाचार पत्र ही थे और बाद में जाकर सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही हुई। सदस्यों को सदस्यता से वंचित भी किया गया।

यह ठीक है कि इसकी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। आज जो यहां वाकयुद्ध हुआ, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। अध्यक्ष महोदय, आप उस समय हम लोगों की राय जानना चाहते थे। हमारी राय थी मगर हमने देखा कि अगर हम अपनी राय यहां प्रकट करेंगे तो गुत्थी और उलझ जाएगी जबकि हम उसे सुलझाना चाहते थे।

इसलिए मेरा निवेदन है कि सब कुछ नियन्त्रित ढंग से चले, लेकिन उसकी प्रक्रिया किस तरह से हो, किसी पर अगर आरोप भी लगाने हैं तो आरोप लगाने का कौन-सा तरीका हो, वह आप सदस्यों को बतायें। हम तो चाहते हैं कि सरकार के सम्बन्ध में अगर कहीं आरोप छपते हैं तो तत्काल उनका खण्डन होना चाहिए। हम तो सरकार को भी अवसर देना चाहते हैं मगर वह अवसर लेना नहीं चाहती और आप बीच में फंस जाते हैं, जिसके लिए हमें दुख है।

अध्यक्ष महोदय, : वाजपेयी जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमेशा के लिए, इस सदन को सीधे ढंग से चलाने में उनकी मदद होती रहती है और आज भी उनकी इस रूप में मदद हो रही है कि यह जो जीरो-ऑवर का मामला है, इसके बारे में हमने कान्फरैंस की, चर्चा की, बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुई और यहां पर भी चर्चा की। मगर उससे कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आता है। मगर फिर भी आपका जो सुझाव है कि सारे नेताओं को एक जगह पर बुलाकर, उसके ऊपर जो कुछ सोचना है उस पर जरूर सोचेंगे।

दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर अगर आप चर्चा करना चाहें, तो 3-4 जीरो ऑवर में पूरी तरह से ही चर्चा कर लें, ताकि कुछ नियम बनें और उन पर हम चलें।

यह बात सही है कि वर्तमान में जो चीजें आती हैं, उनके ऊपर यहां पर मुद्दे उठाए जाते हैं,और हमेशा के लिए हम उनको यहां रोकते नहीं हैं खास कर के हमारा कहना यह है कि जो वर्तमान में, समाचार पत्रों में जो आता है, उसको यहां उठाया नहीं जाए। हमारा कहना यह है कि उसका एक नियम है, उसके अन्दर उठाए जाएं। मुझे आप नोटिस दे दें कि यह मुद्दा यहां पर उठा है और इस ढंग से हम उठाना चाहते हैं। मैं उनको पूछूंगा कि क्या इसके ऊपर आपका विश्वास है ? इसमें कुछ पूछताछ की है, अपने मिनिस्टर को नोटिस दिया है और उन्होंने कहा कि मेरा इसके

ऊपर विश्वास है और मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सारा तथ्य है, कुछ है, कुछ नहीं है, मैं जानता हूं इसमें कुछ तथ्य है या उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके बारे में कुछ मालूमात हैं, या उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि यह सही है, झूठ है, तो मैं आपको बताऊंगा, मगर इस सम्बन्ध में सदन और देश को मालूमात मिलनी चाहिए, इसलिए मैं उनको उठाना चाहूंगा, तो मैं कोई पद्धति बता दूं, उस पद्धति से वे इसको यहां पर उठाएं। वे कहें कि इस प्रकार का एक मामला आया है, अगर आपने न्यूज पेपर्स में स्पष्टीकरण दिया है, तो ठीक है, अगर नहीं दिया है, तो ऐसी चीज यहां पर नहीं लानी चाहिए, आपका क्या कहना है, आप हमको बता दें, तो मैं मिनिस्टर को बता दूं कि आप उसको बताएं।

यदि इसके बजाय, 10 बजे यहां पर नोटिस आ जाए और मेरे पास तो हैंड राइटिंग में स्क्रबल नोटिस आए, जिन्हें मैं पढ़ भी नहीं पाता है, ऐसे नोटिस आए हैं, उसको यहां पर उठाने की कोशिश करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह चीज कोई पर्सनली स्पीकर के खिलाफ नहीं है, किसी दूसरे के खिलाफ नहीं है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह इस सदन के किसी सदस्य के खिलाफ नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की आपत्ति है कि अगर कोई चीज इस सदन के सदस्य के खिलाफ है। बार-बार नोटिस आए हैं, लेकिन हमने उनको यहां अलाऊ नहीं किया है, आपको मालूम नहीं है कि उनको यहां पर आने नहीं दिया है। यहां पर, यहां के लोगों के खिलाफ भी आए हैं, बाहर के आपकी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी नोटिसेस आए हैं, हमने उनको अलाऊ नहीं किया है इसलिए कि रूल में वे नहीं बैठते हैं और फिर आप उठकर यहां बोलना शुरू कर दें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपकी यह राय है, सब लोगों की यह राय है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी यह राय है कि जानबूझकर, सोच-समझ कर रूल्स बनाए गए हैं और वे रूल्स सब के लिए हैं, वे इस सदन की गरिमा के लिए हैं, तो उनका पालन करना चाहिए। मैं तीन-चार दिन से यहां बार-बार यह कह रहा हूं कि जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ भी हमने आपको बोलने का अवसर दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परमीशन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि वे क्या कहने वाले हैं, वे किस आधार पर कहने वाले हैं, वे उठकर कहने लगेंगे, तो अगर कल आप यह पूछ लें कि आपने यह कैसे चलने दिया, रूल्स के मुताबिक यह काम चलना चाहिए था, तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं। रूल अगर कोई नहीं पढ़े और यहां पर आकर जोर से बात करें, इस ढंग से बात करें जिसकी वजह से किसी की गरिमा नहीं टिकती है,

[अनुवाद]

मैं सभा से यह उम्मीद करता हूं कि वे अध्यक्ष के साथ सहयोग करेंगे और अगर इस प्रकार का सहयोग या तो सत्तारूढ़ दल की ओर से नहीं होता है···

[हिन्दी]

मैं विद्या चरण जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कुछ उनको कहना चाहिए था, वह उन्होंने कहा। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि यह आपका सदन है, मेरा सदन नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय सभा के सबसे प्रथम सेवक हैं।

[हिन्दी]

आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा और अगर आपको ऐसा लगे कि इस प्रकार से काम चलाना आपकी गरिमा के मुताबिक है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं कल रूल्स कमेटी की मीटिंग बुला लूंगा और रूल्स बदल दूंगा कि इनकी आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही काम चलाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

रूल है, वह आपके लिए बनाया गया है. आपकी पार्टी के लोगों के लिए बनाया गया है और जिस ढंग से बनाया गया है उस ढंग से काम चलना चाहिए। अगर रूल्स के अनुसार काम नहीं चलेगा, तो कैसे काम चलेगा। अब इस प्रकार से जीरो ऑवर करना चाहते हैं तो, मेरे पास जीरो ऑवर के 100 नोटिसेस हैं, एक घंटे के जीरो आवर के लिए, मगर कह दीजिए कि हमको बजट की चर्चा नहीं करनी है, बिल की चर्चा नहीं करनी है, जीरो-ऑवर ही चलाना है। हाउस आपका है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।

इस प्रकार के विषय किस प्रकार उठाए जा सकते हैं, मैंने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, अनेक बार कहा है कि यदि इस प्रकार के विषय उठाने हैं, तो आप मिनिस्टर को नोटिस दें। प्रेसीडेंट के मोशन पर, एड्रेस पर, उस विषय को उठाना चाहें, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। बजट का जनरल डिस्कशन जो हो रहा है, उस जनरल डिस्कशन पर आप उठा सकते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री की डिस्कशन है, उसके ऊपर आप उठा सकते हैं। अगर क्वश्चन पूछना चाहें तो पूछते हैं या 193 के अंदर आपको डिक्कशन करना जरूरी लगता है तो वह भी करते हैं। इतने सारे प्रोवीजन होते हुए भी, उसका इस्तेमाल न करते हुए ऐन वक्त पर किसी को किसी प्रकार के नोटिस न देकर अगर आप एक-दूसरे के खिलाफ उठाना चाहें तो आपकी है, आपका हाउस है।

[अनुवाद]

मैं सभा का प्रथम सेवक हूं।

[हिन्दी]

जो सब लोगों का आर्डर होगा मैं उस प्रकार से करूंगा। मगर फिर आप मुझे नहीं पूछना कि यह रूल था, आपने उसका पालन क्यों नहीं किया। (**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : क्या मैं इस पर कुछ अनुरोध कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही मेहनत करके इस बात को निर्धारित करने का प्रयास किया है कि जीरो ऑवर यहां पर ठीक से चल सके और इस बात को निर्धारित करने के लिए आपने दो बार हमको बुलाकर इस बारे में चर्चा भी की।

माननीय वाजपेयी जी और अन्य सदस्यों ने जो कहा है कि इसके बारे में एक और प्रयास करना चाहिए, उस प्रयास में हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे और इस बात को मैं आपके

सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने जो भावनाएं बताईं उनसे हम पूरी तरह सहमत हैं। हम किसी बात को हाउस में रोकना नहीं चाहते, किसी भी मसले को यहां पर उठाने में अड़ंगा नहीं लाना चाहते और हर तरह से यहां पर स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं। बात केवल यह है कि सदन के जो नियम हैं उनके अन्तर्गत इस बात को किया जाए तो हम पूरी तरह से इसमें अपना औचित्य भी सिद्ध कर सकेंगे कि जो प्रश्न उठाए गए हैं उनका उत्तर पूरी तरह से सदन को मिल जाए और देश को उसके बारे में सूचना भी मिल जाएगी और इसमें किसी प्रकार की गरमाहट नहीं आएगी।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यद्यपि दो बार आपके प्रयासों को सफलता नहीं मिल पाई और यह हमारी गलती है जिससे प्रयासों को सफलता नहीं मिली। इसलिए हम दुबारा इस बात के लिए और कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी गलती नहीं कहूंगा, गलती तो हम सब लोगों की है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फर पुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने तो अभी इस मामले में बहुत बातें कहीं, मंत्री जी ने अपनी बातें कहीं, यहां और लोगों ने भी बातें कहीं। इस सदन में एक जमाना था जब हर रोज कॉल अटैन्शन मोशन होता था। ऐसे दिन होते थे जब दो-दो कॉल अटैन्शन मोशन आते थे। किसी दिन सरकारी लोगों ने तय किया कि कॉल अटैन्शन मोशन में हम फंस जाते हैं। इस सदन में नियम 377 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रश्न आता था, उसे लिया जाता था। ऐडजोर्नमैंट मोशन पर बहस होती थी और 193 पर बहस होती थी। सरकारी पार्टी ने एक जमाने में यह तय किया, यह आज से 10-12 साल पहले का मामला होगा, कि ये सब चीजें नहीं आने देनी चाहिएं, शून्यकाल नाम की चीज को चलाओ, कोई भी चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह असली बीमारी की जड़ है। आप इसको दुरूस्त कीजिए। कॉल अटैन्शन मोशन तो दिन में एक लीजिए। जहां कोई भी अपना विशेष मोशन लाता है उसको कबूल कीजिए। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, मामले का कोई इलाज भी निकलेगा और जो चीजें हम सब लोग हर रोज उठकर यहां पर रखना चाहते हैं, वह सिलसिला भी खत्म हो जाएगा, अगर आप इस रास्ते को अपनाएंगे।···**(व्यवधान)**···

मैं इतना कहने के बाद केवल एक प्रार्थना गृह मंत्री जी से करना चाहता हूं। मैंने उनको लिखकर भेजा है और आपको भी लिखकर भेजा है कि कर्नाटक में हम सी०बी०आई० की एक जांच सरनावा महिला के मामले को लेकर करवाना चाहते हैं।···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चलिए, इस मुद्दे को पहले निपटाते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पहले इसको क्लिंच कीजिए, फिर मुझे एक वाक्य उस पर बोलने के लिए दीजिए।···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : यह कोई तरीका नहीं है। पहले सभा को अनुशासित होना चाहिए। हमें लोगों ने निर्वाचित किया है और हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सभा के नोटिस में लाना चाहते हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे दिमाग में बिल्कुल कोई शंका नहीं है कि जो कुछ भी सभा में हुआ है वह नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं श्री वाजपेयी के विचार का पूर्णतया समर्थन करता हूं। पिछले तीन दिनों से आप लगातार नियमों को उद्धृत कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि हमें अपने नेताओं के साथ रुकावट डालने विशेष परिस्थितियों में इन नियमों की ग्राह्यता के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

अतः मेरा अनुरोध है कि इसे मुद्दे पर जब आप नेताओं से मिलें तो चर्चा की जाए कि इन नियमों को कब और किस प्रकार से इस सभा के अन्दर लागू किया जाना चाहिए।

1.00 म०प०

दूसरे, विपक्ष के नेता ने पहले किसी अवसर पर सुझाया था कि जब सभा का सत्र चल रहा हो और ऐसे समाचार प्रेस में छपते हैं तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसे आरोपों के बारे में सदन में वक्तव्य दे क्योंकि ऐसी खबरें न केवल सदस्यों को बल्कि इस सभा के बाहर लोगों को भी उत्तेजित करती है। स्वभावतः सभा को इसकी चिंता होगी। इससे केवल कार्यकारिणी के एक अंश पर ही प्रभाव नहीं पड़ता इससे संपूर्ण सदन की गरिमा प्रभावित होती है क्योंकि वह संसद का भी सदस्य होता है। अतः, जैसा उन्होंने सुझाया है कि जब भी इस प्रकार के आरोप समाचार-पत्रों में छपते हैं, सरकार को तुरन्त इसका जवाब देना चाहिए या तो इंकार करना चाहिए कि यह सब झूठ है या कहना चाहिए कि वास्तव में ऐसा हुआ है। उनकी ओर से स्वःप्रेरित वक्तव्य आने चाहिए। अतः, मेरा सुझाव है कि जब आप नेताओं से मिलें, तो इन विषयों पर चर्चा कीजिए। ···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

डा० एस०पी० यादव (सम्भल) : हम हर रोज हाथ उठाते हैं, लेकिन फिर भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।···(**व्यवधान**)···

श्री श्याम बिहारी मिश्र : बार-बार हाथ उठाने के कारण हमारा हाथ टेढ़ा हो गया है, लेकिन हमें बोलने का फिर भी मौका नहीं दिया गया···(**व्यवधान**)···

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अभी जार्ज साहब ने कहा कि 10-12 साल पहले कॉलिंग अटेंशन और 377 में ये सम मामले उठाये जाते थे और अब सब मामले जीरो आवर में ही उठाए जाते हैं। जीरो ऑवर में तो केवल आगे बैठने वाले सदस्यों को ही बोलने का समय दिया जाता है। पीछे बैठने वालों की बात सुनी नहीं जाती है। हमारी भी तो समस्यायें हैं। हम भी तो चुनकर आये हैं। आगे बैठने वाले माननीय सदस्य 10-10 बार बोलते हैं, लेकिन हमारी

तरफ आपकी निगाह नहीं जाती है और हमें बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता है···(**व्यवधान**)··· ऐसे नहीं चलेगा ।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप सब की बात सुन ली है । अब आप सब बैठ जाइए । मैं आपकी सुविधा के लिए ही कुछ बताने जा रहा हूं ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब की भावना से पूरी तरह से सहमत हूं । पीछे बैठने वालों को ज्यादा बोलने का चांस मिलना चाहिए, आगे बैठने वालों को इस पर सहमत होना चाहिए ।

(**व्यवधान**)

श्री सैयद मसूदल हुसैन : अगर आप सहमत हैं तो उन्हें बोलने का मौका दें ।

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छा किया कि यह बात यहां उठायी । मैंने सब सुन लिया है । कल से हम सब एक दूसरे को सहयोग देंगे । एक बात मैं जार्ज साहब के बारे में यह कहना चाहता हूं कि···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको तो बहुत टाइम मिलता है, आप बैठिए ।

(**व्यवधान**)

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, मैं तो अधिक नहीं बोलता हूं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम यह मानकर चलते है कि हम लोगों को समय नहीं मिलेगा, मैं यह बात कहता हूं और···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, आप बैठ जाइए, प्लीज ।

जार्ज फर्नान्डीज जी के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने खुद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमारे सदस्यों को यह बताया है कि आपको किसी महत्त्व के विषय में अगर चर्चा करनी है तो मैं एक वीक में दो दफा शोर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 193 के बारे में देने को तैयार हूं और वह डिस्कशन ढाई घण्टे में खत्म होना चाहिए । अगर वह डिस्कशन 7-7, 8-8 घण्टे चलता गया तो मुश्किल हो जाती है और हमें···

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रात के 12 बजे तक बैठिए ।···(**व्यवधान**)···क्यों नहीं ? मेरी समझ में नहीं आता है ।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, प्लीज । उस विषय पर उस दिन आप 12 बजे नहीं एक बजे तक बैठकर अगर चर्चा करना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैम्बरों को बैठना चाहिए । मगर···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप जरा सुनिए, रेड्डैया जी। मैंने एक दिन कहा था कि जीरो ऑवर पर जीरो ऑवर में चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा आज शुरू हो गई है, मैं ऐसा समझता हूं। आपने जो कहा, वह मैं मानता हूं कि 193 के तहत हम डिस्कशन दे सकते हैं और एक वीक में दो दफा दे सकते हैं लेकिन एक डिस्कशन के लिए ढाई घण्टे का टाइम मिलता है। यहां आपको जितना टाइम मिलता है, उससे 10-15 गुना ज्यादा टाइम मिलता है, वह ढाई घंटे में पूरा होना चाहिए। अगर वह चीज 10-10 घण्टे चले और उसी दिन खत्म नहीं हुई तो फिर 8-8 दिन आगे चलती है और उसका असर होता है इसलिए या तो ढाई घण्टे में उस दिन खत्म हो जाए या जितनी देर आप चलाना चाहें, उस दिन चलाकर आप खत्म करें।

कालिंग अटैंशन मोशन के बारे में रूल्स में यह है कि बजट सैशन में कालिंग अटैंशन का जो सबजैक्ट है, वह प्रेसीडैण्ट एड्रैस पर डिस्कस कर सकते हैं; जनरल बजट के समय डिस्कस कर सकते हैं, डिमाण्ड के वक्त डिस्कस कर सकते हैं। पहले की रूलिंग्स ऐसी हैं कि बजट सैशन के अन्दर कालिंग अटैंशन नोटिस को हमें नहीं देना चाहिए। कालिंग अटैंशन डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट का नहीं है, यह मेरा काम है। अगर आप इन्सिस्ट करते हैं तो मैं आपको कालिंग अटैंशन नोटिस भी मान्य कर दूंगा लेकिन जो विषय आप बजट के अन्दर डिस्कस कर सकते हैं, वह नहीं करना चाहें तो इसके ऊपर बहुत सारी रूलिंग्स हैं। जार्ज साहब, अपने पैम्बर में मैं आपको बता दूंगा। अब वह लम्बी चीज हो रही है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे जरा इस मामले में बोलने दीजिए। मैं सरकार से केवल इतनी

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ही एक मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कर्नाटक में हम उस काण्ड को लेकर सी०बी०आई० की जांच चाहते हैं, जहां एक हरिजन महिला के साथ तीन सरकारी अधिकारियों और एक वकील ने, जो महिला आंगनवाड़ी में काम करने वाली 20 वर्ष की शिक्षिका थी, बलात्कार किया और उसको जान से मार डालने का काम किया और उसके शरीर को आग लगाकर दफनाने का काम किया। उन्होंने पैसे खिलाकर इस सारे काण्ड को तीन सप्ताह तक छिपा दिया और जब काण्ड खुल गया तो पुलिस के जरिए सारे दस्तावेजों को बदलने के; नया रिकार्ड तैयार करने के काम में लग गए। उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि तत्काल कर्नाटक के कुस्तोगी गांव, जिला रायचूर की सरनावा नाम की महिला के काण्ड को लेकर आप सी०बी०आई० को जांच कराने के लिए भेजें। जिस व्यक्ति ने इस जानकारी को समूचे देश और कर्नाटक के सामने रखा है, वह भास्कर राव एक अखबार का ही रायचूर में कोरेस्पोण्डैण्ट है,। यहां अभी संसदीय कार्य मंत्री ने अखबारों पर भारी हमला किया कि अखबार में आता है तो अखबार वालों ने ही इस चीज को खोजकर निकाला। राज्य की सरकार चीजों को छिपाने के काम में लग गई और राज्य के तहसीलदार से लेकर जिला परिषद् के बड़े आफिसरों तक राज्य के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी इस प्रकार के भयावह काण्ड करने में लगे हुए थे।

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल सी० बी० आई० की जांच का एलान हो ताकि स्थानीय पुलिस और सरकारी अधिकारी मिलकर इतने भयावह काण्ड को छिपाने में कामयाब न हो सकें।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा देश बाबा साहिब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी मना रहा है। सत्तापक्ष से संबंधित हमारे मित्र हर समय यह दावा करते हैं कि वे अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ी जातियों के संरक्षक हैं।

मैं, वरिष्ठ सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा जिस बात का यहां उल्लेख किया गया था, उसके बारे में पिछले तीन अथवा चार दिन से पूर्व-सूचना दे रहा हूं। लेकिन मुझे उसके बारे में जिक्र करने का अवसर नहीं दिया गया है। यह एक ऐसा शर्मनाक मामला है कि श्रणाव्वा नामक आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, जो कि दलित वर्ग से है, से चार व्यक्तियों, जो कि सरकार में और जनता में बहुत प्रभावशाली हैं, ने सामूहिक बलात्कार किया था। एक तहसीलदार, जो कि ताल्लुका के मैजिस्ट्रेट हैं, लोक निर्माण विभाग के एक अभियंता, जिला परिषद् के एक कनिष्ठ अभियंता और उस इलाके के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति—एक वकील ने बारम्बार उस अनुसूचित-जाति की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद उस महिला को हस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह समाचार बंगलौर से कुस्तोगी पहुंचा और सरकार में उच्च-पदों पर आसीन व्यक्तियों ने इन सभी प्रभावशाली लोगों को बचाने का एक रास्ता बनाया। कोई भी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकार चुप्पी साधे हुए है। यह मामला कर्नाटक विधानसभा में भी उठाया गया था। कर्नाटक सरकार ने आश्वासन दिया है।

मैं केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में वह क्या कदम उठाने जा रही है? क्या इस मामले की सी०बी०आई० से जांच कारवाई जाएगी?

एक माननीय सदस्य : उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करो।

श्री वी० धनंजय कुमार : यह बात बिल्कुल सही है। मैं एक निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। सी०बी०आई० से जांच होने दीजिए और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्हें गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, हर जगह महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अतः, इस विषय पर सभा में विस्तृत-चर्चा होनी चाहिए।···**(व्यवधान)**·· मैं समझती हूं कि आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करेंगे।···**(व्यवधान)**···

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : इस प्रकार की घटना को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। हम जांच करवाना चाहते हैं।···**(व्यवधान)**···उन्हें जेल भेजा जाए तथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ···**(व्यवधान)**···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, ममता जी ने सुझाव दिया है कि महिलाओं पर अत्याचार के इस विशिष्ट मुद्दे पर अपने आप में एक मुद्दे के रूप में, चर्चा की जाये। सभा इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेगी। लेकिन महिलाओं से संबंधित आज दो मुद्दे उठे हैं। एक मुद्दा तो कर्नाटक की यह निर्लज्ज घटना है, जिसमें लोगों ने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया है और दूसरा मुद्दा श्री राम नाईक जी द्वारा उठाया मामला है। दोनों ये मुद्दे ऐसे हैं कि केवल कुछ सदस्य इन्हें उठा रहे हैं और सरकार एक सुखद-स्थिति में उत्तर नहीं दे रही है। अतः, मैं यहां पर उपस्थित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार की ओर से सभा को इन दोनों मुद्दों—कुवैत में अविवाहिता नौकरानी की दशा और कर्नाटक में इस महिला से सामूहिक बलात्कार के मुद्दे—पर एक वक्तव्य दें? यही मेरा अनुरोध है।

श्री वी० धनंजय कुमार : इस मामले से सम्बन्धित मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह आश्वासन दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, आडवाणी जी या जॉर्ज साहब ने जो सवाल उठाए हैं, यह हमारी संस्कृति के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता थीं, वे ईमानदारी से, धरातल में लोगों की सेवा करने का काम होता है, उसमें काम करती थीं। हमको लगता है कि उनकी ईमानदारी के चलते हो सकता है कि भ्रष्टाचार को भी वह भंडाफोड़ करती होगी, जिसके चलते अफसर लोग, यह भी हो सकता है कि वह लड़की कोई साधारण घर की हो क्योंकि अगर उच्च या मध्यम वर्ग की लड़की होती तो शायद हिम्मत नहीं करती। इसलिए मेरा कहना यह है कि ईमानदारी से सरकार का काम और खास करके वह काम जो कि गरीबों के साथ वास्ता रखता है वह काम के चलते उनके ऊपर इस तरह का हमला हुआ और यह बहुत शर्मनाक चीज है। इसलिए अभी ममता जी ने महिलाओं के बारे में जो सवाल उठाया, मैं आपको फिर एक उदाहरण दूंगा राजस्थान में जहां पर गरीब महिलाएं इस तरह के काम करती हैं तो वे बाल-विधवा के खिलाफ लड़ रही थीं तो उनके ऊपर भी रेप हुआ और यह अभी भी चल रहा है तो इस तरह के जो सवालात हैं यह बहुत गम्भीरतम सवालात हैं।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो महिलाएं सरकारी नौकर हैं यह उनके इज्जत, सम्मान का प्रश्न है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप सरकार से बोलें कि सरकार को इसके बारे में बयान देना चाहिए जो ये एक्यूज्ड लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जैसे जार्ज साहब कह रहे हैं कि वहां की सरकार को इसके बारे में जो कार्यवाही करनी चाहिए वह नहीं कर रही है इसलिए मेरा कहना है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही साथ सी०बी०आई० इंक्वायरी हो और ममता जी ने जैसे कहा है कि इस पर सारा सदन बहस करे, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं क्योंकि इस तरीके से सारे देश में हो रहा है।...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० तंगकाबालू) : वह भी इसी विषय पर बोलने जा रहे हैं। आप उसके पश्चात् बोल सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : उपाध्यक्ष जी, आज सदन में हमारे आदरणीय जार्ज फर्नान्डीज और दूसरे मेम्बर्स तथा विपक्ष के नेता श्रीमान् आडवाणी जी ने जो प्रश्न उठाया है और ममता जी ने जिसका प्रस्ताव किया है कि इस सदन में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके ऊपर एक बकायदा व्यापक चर्चा होनी चाहिए हम उसका समर्थन करते हैं। मगर जो कुस्तोगी में हुआ है, कुवैत में हुआ है और खास करके जो कुस्तोगी में हुआ है श्रीमान् वहां जो आंगनवाड़ी वर्कर थी वह अनुसूचित जाति की थी और उसके साथ साधारण व्यक्तियों ने बलात्कार नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी उच्चाधिकारियों ने किया है और इसलिए मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि किस दल की सरकार है यदि इसी बात पर सरकार को जाना है तो इस सरकार को भी जाना चाहिए, ऐसी सरकार नहीं रहनी चाहिए।

श्रीमान्, यह जो मसला है, आप मुझे कहने का मौका दीजिए, खास करके यह जो घटना है कर्नाटक में जो घटना हुई है यह एक अनुसूचित जाति की, आंगनवाड़ी महिला वर्कर, जिसका बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई है उसके बारे में खाली यहां बैठे हुए मंत्रियों के स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा। क्योंकि संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को खास दायित्व सौंप दिया गया है कि जहां कहीं भी अनुसूचित जाति अथवा जन जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार होगा तो राष्ट्रपति महोदय इस संसद के सामने शेष रिपोर्ट पेश करवाएंगे और उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए वे जिम्मेदार होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि गृह मंत्री या जो भी मंत्री हो, क्योंकि गृह मंत्री तो आजकल यह कह देते हैं कि यह स्टेट का मसला है। मुझे बहुत दुख होता है उनको अपने कांस्टीटयूशन का भी मालूम नहीं है। कांस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए भारत सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया है इसलिए इस महिला के ऊपर सरकारी उच्चाधिकारियों ने बलात्कार किया और उसकी वजह से हत्या हुई है। हमें कोई विश्वास नहीं है राज्य सरकार की इंक्वायरी इम्पार्शल होगी। क्योंकि वहां के उच्चाधिकारी इसमें शामिल हैं। एक तो यहां से सी०बी०आई० की जांच के आदेश आज ही दिए जाने चाहिए, दूसरा आज 4 बजे गृह मंत्री महोदय इस विषय पर सदन के सामने बयान दें और उसके बाद इस सदन की एक सर्वदलीय जांच समिति वहां जानी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा इस मामले में कुछ निवेदन है। अभी बूटा सिंह जी ने जो बातें कहीं, वे ठीक हैं, लेकिन एक चीज को यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्त्री आखिर स्त्री होती है, उसकी जाति एक ही होती है, मां की जाति, बहन की जाति। इसलिए यदि किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो वह चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति की हो, निम्न जाति की हो या उच्च जाति की हो, उसको अत्याचार सहन करना पड़ता है और वह अत्याचार एक मां को, एक बहन को सहन करना पड़ता है, यह ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें एक बात होती है कि जब स्त्री अनुसूचित जाति, जनजाति या गरीब परिवार की होती है तो मामले को जल्दी दबाया जाता है, दबाना आसान हो जाता है और इसमें जब सरकारी कर्मचारियों द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा ही इस प्रकार का अत्याचार होता है, तब मामले को दबाना और आसान हो जाता है।

मैं एक बात कहना चाहती हूं कर्नाटक के मामले में या राजस्थान का मामला जो यहां

उठाया गया, इस प्रकार की महिलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए, परंतु पर्टीकुलरली इस मामले में तुरंत उन अधिकारियों को गिरफ्तार करके, तुरंत उनको सजा दी जानी चाहिए, इन्क्वारी में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए ।

साथ ही साथ एक मामला और बताना चाहूंगी, जिस प्रकार से हमारे एक सहयोगी ने, श्री राम नाईक ने जो मामला उठाया था, वह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है और उस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, उस बारे में मैं सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण चाहूंगी । जैसे बात की गई कि कुवैत में जाने वाली हमारी महिला कर्मचारियों पर अत्याचार होते हैं, इस पर यह कहा गया कि कुवैत से हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं । मैं इस बारे में जानना चाहूंगी, सरकार यह बताए कि क्या हम अपने मातृत्व को दाव पर लगा कर किसी देश के साथ संबंध कायम करना चाहते हैं । इस बात का मैं आप लोगों से, सरकार से तुरंत स्पष्टीकरण चाहूंगी और चाहूंगी कि सरकार इस पर वक्तव्य दे कि क्या इस देश को स्त्री को इज्जत दांव पर लगाकर हम किसी दूसरे देश के साथ सम्बन्ध कायम रखना चाहेंगे ।···(व्यवधान)···

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए ।···(व्यवधान)···

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए ।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन, कृपया अपनी बात रखिये । महोदया, मुद्दा कर्नाटक में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महिला-सदस्या बोलने के लिए खड़ी हुई हैं । वह इस विषय पर कुछ बोलना चाहती हैं । उनकी बात सुनें ।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं सभा का ध्यान जानबूझकर नष्ट किए गए एक सांप-पार्क सर्फ उद्यान की ओर आकर्षित करना चाहती हूं ।···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कर्नाटक में महिलाओं पर जबरदस्त आक्रमण के बारे में चर्चा कर रहे हैं । क्या आप उस विषय पर कुछ कहना चाहती हैं ? इसके बाद, श्री कुमारमंगलम एक वक्तव्य देंगे ।

श्री बूटा सिंह : वह वक्तव्य हम बाद में ले सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे ।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : मैं उनके विरोध में अपनी आवाज शामिल करना चाहती हूं । मैं एक ओर महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं, जिसके लिए मैंने पूर्व-सूचना पहले ही दी हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह कोई दूसरा मुद्दा है, तो हम इसे बाद में चर्चा हेतु ले सकते हैं ।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या आप मुझे बोलने का एक मौका देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मैं आपकी आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से समूची सभा यह जानने को आतुर है कि इस मुद्दे पर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री बूटा सिंह : कुस्तोगी घटना पर हम एक तथ्यपरक वक्तव्य चाहते हैं।···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : अधिकतर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। अब सभा यह जानने की बहुत इच्छुक है कि इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, नहीं। सर्वप्रथम हम सरकार से तथ्यों पर आधारित एक वक्तव्य चाहते हैं।···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : पहले कुमारी ममता बनर्जी की बात सुनें। महिला-सदस्या को बोलने का एक मौका दिया जाना चाहिए। आपको भी बोलने का एक अवसर मिलेगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महिलाओं से संबंधित मुद्दा उठाने की एक महिला सदस्य को अनुमति दी जानी चाहिए।···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप दो मिनट तक और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आसमान तो नहीं गिर जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कर्नाटक अथवा राजस्थान में जो कुछ हुआ है, हम उसकी निन्दा करते हैं। देश के किसी भी भाग में घटित हो रही हम प्रत्येक ऐसी घटना की निन्दा करते हैं। अगर कर्नाटक में ऐसी कोई घटना घट जाती है, तो मैं उसकी निन्दा करूंगी। इसी प्रकार अगर मेरे राज्य में कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो आपको उसकी निन्दा करनी चाहिए। महोदय, कर्नाटक में आगनवाड़ी महिला के साथ जो घटना घटित हुई है, उसकी मैं निन्दा करती हूं। मैं, मेरे राज्य, पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में सभा को अवगत करवाना चाहती हूं।

मणिचैक माल्दा में बारह महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। उत्तर 24 परगना में बिरती जिले में आठ महिलाओं और रघुनाभगंज में पांच गरीब आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। मिदनापुर में गरीब आदिवासी महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार की संख्या मुझे विदित नहीं है। महोदय, दुर्भाग्यवश जब हमने यह मुद्दा यहां उठाया था, तो हमें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि मैं सुस्पष्ट रूप से यह मांग करती हूं कि इस विषय पर यहां इस सभा में विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए और गृह मंत्री महोदय को इस संबंध में एक पूर्ण वक्तव्य देना चाहिए। सरकार को पूरे देश की महिलाओं के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। महिलाएं और बच्चे राजनैतिक कारणों से पीड़ित नहीं होने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, आप गृह मंत्री जी को निर्देश दें कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें। यह कहा जा रहा है कि यह राज्य से संबंधित विषय है। यह राज्य से संबंधित विषय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार महिलाओं

और बच्चों को संरक्षण प्रदान करने को तैयार नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा करवाएं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे आदरणीय जार्ज साहब और विरोधी दल के नेता श्री आडवाणी जी ने कर्नाटक का मसला उठाया। पूरे देश में महिलाओं पर, कमजोर वर्ग के लोगों पर ये अत्याचार होते रहते हैं। महिलाओं के साथ खास तौर से ये घटनाएं घटती रहती हैं। उन पर बलात्कार और जान लेवा हमला होता है। बार-बार इस माननीय सदन में माननीय सदस्यों ने चर्चा उठायी है। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय बूटा सिंह साहब ने कहा जब भी मामला उठता है तो कहा जाता है कि यह विषय राज्य सरकार का है। लेकिन मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि इस देश में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी जवाबदेही आपके ऊपर भी है या नहीं?

इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर सदन में चर्चा करवायी जाए। जिन लोगों ने इस तरह के जघन्य अपराध किए हैं या जो किया करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। इसमे बहानेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है।··· **(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके अनुरोध पर माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार है परन्तु इसके साथ-साथ कुछ अन्य माननीय सदस्य अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री खण्डूरी जी, क्या आप इसी विषय पर बोलना चाहेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की आम राय है कि सदन में पहले ही इस विषय पर काफी लंबी चर्चा हुई है। कई सदस्यों ने अपनी शिकायतें रखी हैं। उनको महिलाओं के प्रति काफी सहानुभूति है। अब, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उसके बाद हम दो अथवा तीन महत्त्वपूर्ण विषयों को लेंगे।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मलाकाड़ पंचायत है, जिसमें चेंचापालयम नामक एक छोटा-सा गांव है। पंचायत प्रधान···* और 15-20 सदस्यों ने एक महिला कर्मचारी को पकड़ कर पेड़ से बांध दिया और उसे निर्वस्त्र कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्ति का नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया जाएगा क्योंकि वह अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : पीड़ित महिला का नाम मल्ला बोयेन जयम्मा है। वो एक श्रमकि श्रमिक है। उसके पति के सामने उसे निर्वस्त्र करके पीटा गया था। महोदय, आई०ए०एस० और आई० पी० एस० अधिकारी, जो कि देश के विशिष्ट लोग हैं, इन* ···लोगों ने पंचायत प्रधान को गिरफ्तार करने के बजाए·····

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कार्यवाही वृत्तान्त से आपत्तिजनक शब्दों को निकाल देंगे।

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव : उन लोगों ने पंचायत प्रधान को गिरफ्तार करने के बदले उस महिला को और उसके पति को गिरफ्तार किया। ग्रामीण भारत में यही हो रहा है। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इस सरकार या किसी और सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उन आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाए। यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई) को जांच का आदेश दिया जाए।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह सभा, जो कुछ भी हुआ है, विशेषकर महिलाओं के प्रति जो आरोप हुआ है, एकमत होकर उसका खण्डन करती है।

दो दिन पहले माननीय ममता बैनर्जी जी ने पांच आदिवासी महिलाओं पर किए गए घिनौने अत्याचार के बारे में बताया था परन्तु सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई थी।

अत: मैं यह अनुरोध करता हूं कि सभी राज्यों में महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के संबंध में नियम 193 या कोई अन्य नियम के अन्तर्गत विस्तृत चर्चा करने की अनुमति दी जाए। ताकि यह किसी विशेष राज्य से संबंधित चर्चा ही न हो। हम इस मुद्दे पर आम चर्चा चाहते हैं।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि महिलाओं पर अत्याचार व बलात्कार करने संबंधी विषय एक ऐसा विषय है जो दलगत भावनाओं से ऊपर है और मैं समझती हूं कि इस सभा के अन्दर और बाहर सभी वर्ग इस विषय पर चिन्तित हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि किसी एक वर्ग अथवा दल अथवा सरकार की निन्दा करना उचित है। हम सब इस तरह की घटना का खण्डन करते हैं, भले ही यह जहां पर भी घटती हो और यह जहां से भी सम्बन्धित हो।

मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि शायद वो समय आ चुका है जबकि हमें इस देश में स्त्री की प्रतिष्ठा और उन पर होने वाले अत्याचार से सम्बन्धित विषय पर एक विस्तृत चर्चा करनी होगी। हम 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। फिर हम, दो दिन तक कुछ मुद्दे उठाते हैं और उसके बाद उन मुद्दों को भूल जाते हैं। मैं समझती हूं कि इस विषय पर अधिक

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए महिला राष्ट्रीय आयोग है। परन्तु जब तक राज्य सरकारें सहयोग नहीं देंगी और विधि-व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाएंगी, मैं समझती हूं कि यूं कभी-कभी मुद्दों को केवल उछालने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं इस सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा का स्वागत करती हूं ताकि सभी विषय सभा के सम्मुख आ सकें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि महिलाओं पर अत्याचार हुआ है इसलिए इस पर जनरल बहस हो, इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। अध्यक्ष जी उसके लिए समय दें, सरकार उसके लिए समय दे तो उस पर अवलंबित होगा। जो आज विषय उठे हैं तो उसमें कर्नाटक की एक आंगनवाड़ी महिला पर गैंग रेप है जिसमें सम्पन्न और प्रभावी लोग हैं। सरकारी अधिकारी हैं और उसके बारे में सरकार की ओर से स्टेटमेंट चाहिए। दूसरा मामला क्योंकि विदेश विभाग का है, कुवैत में जो मैड्स हैं उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में सरकार को क्या कहना है इसके बारे में सरकार बयान दे। उसके साथ-साथ बहस कराए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बहस के बहाने इन बयानों में आपको टालना नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 388 के अन्तर्गत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी ने दो सवाल किए हैं। हमें सरकार की ओर से यह सुनना है कि हमारे समक्ष रखने के लिए क्या उनके पास इन घटनाओं से सम्बन्धि कोई प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पौन घंटा बहस चली, आपने सुनी नहीं, अब आप उनसे भी बयान दिलवा रहे हैं।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : यह केवल एक राज्य का प्रश्न नहीं है, सभी माननीय सदस्यों ने सभी राज्यों का उल्लेख किया था।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : महत्त्वपूर्ण मुद्दे इसी तरह से हमारे सामने अपना महत्त्व खो देते हैं। दो उदाहरण थे : एक तो कुवैत से संबंधित था और दूसरा कर्नाटक से संबंधित था।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यह दो महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : नहीं, नहीं। एक आदिवासी महिला पर सामूहिक बलात्कार हुआ था। ···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : ये मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित हैं। जब अवसर दिया गया था तब कई माननीय सदस्यों मे उनकी सूचना में जो शिकायतें थीं उनको प्रस्तुत किया था। यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो वह महसूस किया गया है कि महिलाओं पर अत्याचार किए गए हैं। अतः कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और सरकार से यह बताने के लिए कहा कि सरकार ने क्या कार्रवाही की है जो कि इस संदर्भ में आवश्यक है।

अब, हमारे समक्ष दो उदाहरण हैं क्योंकि माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं के द्वारा इन उदाहरणों की पुष्टि की गई है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह आज अथवा कल दो मुद्दों के संबंध में कोई बयान अथवा इस तरह का और कोई वक्तव्य देना चाहेंगी।

श्री ए० चार्ल्स : एक सूचना थी।

कुमारी ममता बनर्जी : इस मामले में मंत्री जी जांच करवा सकते हैं। वे राज्य सरकारों से उन घटनाओं से संबंधित सूचना भेजने के लिए कह सकते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : इस संबंध में जांच की जा सकती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मेरे माननीय साथी श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी ने मुद्दों पर जवाब देते हुए इस सभा के ध्यान में ये बात लायी थी कि यह किसी एक राज्य या एक घटना का प्रश्न नहीं है परन्तु सही तौर पर यह महिलाओं पर अत्याचार का विषय एक ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय है जिसको केवल हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता है और जो केवल निन्दा और खण्डन करने योग्य ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपको याद है कुछ दिन पहले यह मुद्दा यहां उठाया गया था। आज दोबारा कुमारी ममता बनर्जी जी ने बंगाल से संबंधित एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने सभा के ध्यान में लाने के उद्देश्य से कोई और मुद्दा उठाया था।

मुझे आशा है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और मुझे यकीन है कि सभा भी मेरे इस बात से सहमत होगी कि सरकार की ओर से आज ही हाथों-हाथ तथ्यात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना मेरे लिए असम्भव है। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमें राज्य से जैसे ही सूचना प्राप्त होगी हम सभा में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : अभियुक्त को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कानूनी प्रक्रिया में अपना समय लगेगा।

श्री वी० धनंजय कुमार : सरकार को कार्रवाई करने में कौन-सी रुकावट है? आखिरकार वे सरकारी कर्मचारी हैं।···(व्यवधान)···

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : अभी हम कैसे जवाब दे सकते हैं कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ?···(**व्यवधान**)···

श्री बूटा सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है और भारत के राष्ट्रपति का कर्त्तव्य है कि वह इस देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की रक्षा करें और उन पर किए गए अत्याचार अथवा जो भी ज्यादतियां की गई उसकी जांच करवाए। इससे पहले इस कार्य के लिए एक विशेष अधिकारी मौजूद था और अब एक राष्ट्रीय आयोग विद्यमान है। अब मैंने अपनी टीका-टिप्पणी के दौरान एक विशेष सुझाव रखा था और मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि गृह मंत्री महोदय आम मुद्दे पर, जिसे श्री आडवाणी जी ने कुवैत के बारे में उठाया था, एक तथ्यात्मक बयान दें। सरकार समय लेकर सूचना एकत्र कर सकती है। लेकिन कुश्तागी और अन्य स्थानों पर क्या हुआ, जिसका जिक्र कुमारी ममता बनर्जी और अन्य सदस्यों ने किया था ? चूंकि यह घटना हाल ही में घटी थी और समाचार पत्रों में इसकी खबर दी गई थी और सभा को इसकी सूचना थी, विशेषकर जब इस सामूहिक बलात्कार में सरकारी कर्मचारी शामिल हैं ओर उसके बाद राज्य सरकार की अभागी महिला कर्मचारी की मौत भी हुई है, सरकार को चाहिए कि वह इस संबंध में एक बयान दें।

अत: मैंने आपसे और आपके माध्यम से सभा से यह अनुरोध किया है कि इस संबंध में विशिष्ट सूचना दी जाए। माननीय मंत्रियों श्रीमती मार्गरेट अल्वा तथा श्री रंगराजन कुमारमंगलम द्वारा जो आम सहानुभूति व्यक्त की गई है, वह अच्छी बात है। सरकार इस मामले में गम्भीर है। हम जानते हैं कि सरकार गम्भीर है और हम यह भी जानते हैं कि वह इस संबंध में समुचित कार्यवाई करेगी। परन्तु मैं चाहता हूं कि आज सभा में सरकार को उन घटनाओं पर, जिसका जिक्र किया गया है विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित घटनाओं पर, स्वप्रेरणा से तथ्यात्मक बयान देना चाहिए। उसके पश्चात् पुश्तागी के मामले में सी०बी०आई० द्वारा जांच करवानी चाहिए क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं। जहां पर भी सरकारी कर्मचारी ऐसे मामलों में सम्मिलित होते हैं, भले ही पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा अथवा कहीं पर भी हो, साधारणत: इसकी जांच सी०बी०आई० द्वारा करानी चाहिए क्योंकि जहां पर भी स्थानीय अधिकारी शामिल होते हैं तो वहां उचित और निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकेगी।

इस मामले में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया सरकार को कुष्टागी के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने का निर्देश दें तथा हमें सभी दलों की एक संसदीय समिति बनानी चाहिए, जो घटना स्थल पर जाए और यह पता लगाए कि सच्चाई क्या है।

[हिन्दी]

मेंबर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तरांचल में अध्यापकों की कमी की ओर ले जाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डूरी जी शून्यकाल आमतौर पर एक बजे समाप्त हो जाता है परन्तु किसी वजह से आज एक बजकर पैंतालीस मिनट तक शून्य काल चला है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी बात को अति संक्षिप्त रखें ताकि दस मिनट के भीतर अन्य माननीय सदस्य भी इसमें भाग ले सकें।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तरांचल में अध्यापकों की भारी कमी की ओर ले जाना चाहता हूं। उत्तरांचल के प्राईमरी और डिग्री कालेजों में अध्यापकों की कमी 50 प्रतिशत से अधिक है। जहां पर इनकी संख्या 500 होनी चाहिए, वहां ये केवल 150 है। साथ ही स्कूलों एवं कालेजों में प्रिंसीपल्ज की भी पिछले 5-7 साल से भारी कमी है। यहां तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉयलॉजी में पिछले 3-4 साल से कोई अध्यापक नहीं है और यह स्थिति 50% से भी ऊपर है।

इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस कमी को दूर करने के लिए तुरन्त अध्यापकों की भर्ती करे और रिक्त स्थानों को पूरा करे। धन्यवाद

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्द्राबाद) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा। हां, श्री तेजनारायण सिंह।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश-बिहार का सीमा विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। हर साल बलिया, बक्सर और भोजपुर जिलों में 10-20 लोगों की जानें जाती हैं। मैंने यह मामला कई बार लोक सभा में उठाया है लेकिन भारत सरकार ने कभी कुछ ख्याल नहीं किया है। इस साल भी उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता के नाम पर कितनी संख्या में कट जाएंगे, इसका ठौर-ठिकाना नहीं है। फसल लगी हुई है। अखबारों में छपा है कि बलिया पुलिस ने ताकत के बल पर भोजपुर और बक्सर के किसानों की फसल कटवा ली है।

उपाध्यक्ष जी, एक बार त्रिवेदी अवार्ड बना था लेकिन बलिया का प्रशासन उसको नहीं मानता है और हर साल ही बलिया प्रशासन भोजपुर और बक्सर के किसानों की फसल काट लेते हैं और वह भी गोली के बल पर। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि दो राज्यों की सीमा विवाद का मामला है। त्रिवेदी अवार्ड के मुताबिक उसका फैसला कराएं और अगर उससे भी मामला सुलझता नहीं तो भारत सरकार उसमें इंटरफियर करे जिससे वहां किसानों के हित की रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, अपनी बात संक्षिप्त कीजिए आप सबको मौका मिलेगा। आप इतने अधिक उतावले क्यों हो रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ० एस०पी० यादव (संभल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र संभल में 6 दिसम्बर की घटना के बाद जो हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए हैं, उसमें लगभग 21 लोग मारे गए

और उन 21 लोगों की पुलिस ने छानबीन की जिनकी रिपोर्ट संभल कोतवाली और हसनपुर कोतवाली में दर्ज है। उसमें दोनों समुदायों के लोग हैं। दोनों समुदायों के लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, उनकी जांच पुलिस ने ठीक तरह से नहीं की और उनमें से 7 लोगों की लाशें बरामद नहीं हुईं। उनकी फोटो भी हमने डी०एम० और एस०एस०पी० मुरादाबाद को दी हैं, लेकिन उन लोगों की लाशें बरामद नहीं हुईं और उनके घरवालों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया जिसमें 6 राज्यों के लोग सम्मिलित हैं। और मेरी भारत सरकार से मांग है और गृह मंत्री जी को मैंने पत्र लिखकर भेजा है मगर उसका जवाब अभी तक गृह मंत्री जी ने नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी उनकी लाशों को तलाश करवाने का आदेश दें और यह पता करवाएं कि वे मरे भी हैं या नहीं मरे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात सही है कि शून्यकाल एक बजे समाप्त हो जाएगा। आप सब लोग बहुत उत्तेजित हैं। मैं आप सबको अपनी शिकायतों पर प्रकाश डालने की अनुमति दूंगा।

श्री अनंतराव देशमुख (बाशिम) : मैं नियम 377 विवरण पढ़ने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनो, आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति शून्य काल में बोल सके; हर एक व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहता है और साथ ही आप सदन को मध्याह्न भोजन के लिए एक बजे स्थगित भी करना चाहते हैं। यह कैसे संभव है? माननीय अध्यक्ष ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। संभवतः आप उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

[हिन्दी]

प्रो०प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। होली के दिनों में एक हफ्ते के लिए जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में एक मेला लगता है जहां लाखों लोग आते हैं। इस वर्ष उस मेले में तीन-चार लाख लोग इकट्ठा हुए और होली वाले दिन सुबह स्नान करने के लिए जब लोग जा रहे थे तो भीड़ में हड़कंप मच गया और इसी कारण 14 लोग मारे गए। 8 महिलाएं उसी स्थान पर मारी गईं। वहां पर बिजली का भी पर्याप्त प्रबंध नहीं था, नियन्त्रण भी ठीक नहीं था। राज्यपाल महोदय वहां गए हैं मगर वे पिकनिक मना रहे हैं, प्रशासन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें आदेश दे कि वे इस समस्या की ओर ध्यान दें और जो मृतक हैं, उनके परिवारों को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्निहोत्री, कृपया अपनी बात संक्षिप्त में रखें। यदि आप केवल दो मिनट का समय लें, तो हर एक व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। महिलाओं पर अत्याचार पुरुषों द्वारा किए जाते हैं अन्यथा नहीं। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी, जालौर, बांदा और मध्य प्रदेश के टीकागढ़, सागर आदि जनपदों में भारी ओलावृष्टि हुई है और अत्यधिक वर्षा हुई है जिससे सात हजार किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं। अभी तक सरकार के द्वारा जो सहायता कार्य शुरू किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। इससे वहां पर भुखमरी फैलने का अंदेशा हो गया है। लोगों ने होली का त्यौहार नहीं मनाया है और वहां बीमारी फैल रही है और इसलिए वित्त मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिए कि वहां राहत कार्य शुरू किए जाएं ताकि इस भयानक स्थिति से निपटा जा सके।

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मैं इस सत्र के पहले ही दिन से एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं लगभग हर रोज नोटिस दे रहा हूं। यह केरल में कन्नूर से लगभग 18 किलोमीटर दूर पापीरसेरी के निकट पारासिनी खड्डू में एक सर्प उद्यान को जान-बूझ कर विध्वंस करने के संबंध में है। यह काम क्रूरता, हास्यास्पदता, नृशंसता और राजनीतिक बदले का नतीजा है। मूक प्राणियों पर की गई अत्यधिक क्रूरता उपहास का परिणाम है। केरल के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार सांप की पूंछ काट देना या खरगोश का एक कान फोड़ देना कोई महत्त्व नहीं रखता है। मैं इस वक्तव्य के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती हूं।

दो किंग कोबराओं सहित, जो कि विलुप्त हो रहे हैं, विभिन्न किस्मों के 200 सांप मारे गए। मोरों, गिद्धों, बाजों चितकबरे जांघिलों और सफेद जांघिलों को निर्दयता से मारा गया।

महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय से यह अनुरोध कर सकती हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस अद्वितीय सर्प उद्यान और आयुर्वेद अस्पताल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें ?

केरल में जानवरों पर इस तरह अत्याचार किया गया। जानवरों पर किए जा रहे अत्याचार को भी महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार के समान समझा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं कि 7 दिसम्बर को मेवात क्षेत्र में, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, उनके मन्दिरों को जलाया गया। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि वहां लोगों को मारा गया लेकिन जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सारे गांव के लोगों ने, हजारों लोगों ने पंचायत में कहा कि हमसे ज्यादती हो रही है तो उसके बाद, वहां जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसने अल्पसंख्यक लोगों का बहिष्कार कर दिया, दूसरे वर्ग के खिलाफ बहिष्कार कर दिया। इसके पीछे हमारा डर यह है कि वह बहिष्कार वहां के दो मिनिस्टरों के कहने पर किया गया। वहां राशन की दुकानें इल्लीगल तरीके से खुल रही हैं, सेल्स टेक्स की चोरी हो रही···(व्यवधान)···

मैं पिछले तीन दिनों से नोटिस दे रहा हूं कि वहां एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के खिलाफ बहिष्कार कर दिया है और सामाजिक बहिष्कार करके कहा है ··(व्यवधान)···यदि ऐसी ही स्थिति चलने

दी गई, इस संबंध में, मेरा आरोप यह है कि वहां कुछ लोगों को जिस तरह से, वहां के मिनिस्टरों का संरक्षण प्राप्त है और उनके द्वारा जो कार्यवाही हो रही है, उसके कारण कभी भी साम्प्रदायिक दंगे पैदा हो सकते हैं, कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए वरना स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। स्थिति गंभीर हो सकती है।···(**व्यवधान**)···

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजेश पायलट साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि बी०जे०पी० की मद्रास में जो रैली आगामी 21 तारीख को होने वाली है, जिससे वहां का माहौल काफी खराब होने की संभावना है, उसके बारे में मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं।···(**व्यवधान**)···

1.53 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

[**अनुवाद**]

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू) : मैं श्री सीता राम केसरी की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

   (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

   (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ए० टी० 3545/93**]

1.53½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[**हिन्दी**]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के

विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.54 म० प०

प्राक्कलन समिति
तेइसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय संसद सदस्यों के लिए दिल्ली में हॉस्टल आवास पर (नौवीं लोक सभा) की प्राक्कलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में तेइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामले।

1.55 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मुंबई में उपनगरीय रेल प्रणाली में सुधार करने के लिए बी०यू०टी०पी० (II) परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री अनंतराव देशमुख : महोदय, बंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में दैनिक परिपात के लिए इसकी क्षमता बढ़ाने हेतु वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस आशय की बी० यू० टी० पी०-II नाम की एक परियोजना शहरी निवास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और जल भूतल परिवहन मत्रालय को भेजी थी। शहरी विकास मंत्रालय और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं परन्तु रेल मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना की स्वीकृति देने के लिए रेल मंत्रालय को तीन विकल्प दिए हैं : (1) रेल मंत्रालय को बी० यू० टी० पी०-II परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अपने संशाधनों से पर्याप्त धनराशि आबंटित करनी चाहिए, या (2) रेल मंत्रालयों को महाराष्ट्र सरकार को नए स्रोतों जैसे कुछ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन पर खाली जगह का वाणिज्यिक इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए ताकि वह संशाधन जुटा सके या वह बी० यू० टी० पी०-II के लिए धन जुटाने के लिए उपनगरीय रेलवे सीजन टिकटों पर अधिभार लगाने की अनुमति देनी चाहिए या (3) रेल मंत्रालय के पहले के प्रस्ताव के अनुरूप एक त्रिपक्षीय व्यवस्था जिसमें महाराष्ट्र सरकार रेल मंत्रालय और 'इरकॉन' को शामिल किया जाए, इस प्रस्ताव के अनुसार वाणिज्यिक इस्तेमाल से प्राप्त हुए धन को अपने पास रखना था और तत्पश्चात् इस धन को उपनगरीय रेलवे की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इस बात का दृढ़

निश्चय होना चाहिए कि इस प्रकार से अर्जित संसाधनों का इस्तेमाल उपनगरीय रेलवे के अलावा किन्हीं अन्य परियोजनाओं के लिए नहीं किया जाएगा ।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उक्त विकल्पों में से एक विकल्प की स्वीकृति करे और बी० यू० टी० पी०-II परियोजना को तत्काल स्वीकृति प्रदान करे ।

(दो) श्रमिकों के महंगाई भत्ते, परिवार पेंशन आदि के बारे में 3 जुलाई, 1992 को त्रिपक्षीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अन्तर्गत प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"नई औद्योगिक नीति एवं श्रमिकों की वेतन-वृद्धि महंगाई भत्ता पारिवारिक पेंशन आदि सुविधाओं के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योगपति एवं प्रबन्धक तथा सरकार शामिल थे । दिनांक 3 जुलाई, 1992 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में कुछ समस्याओं का निर्णय किया गया, जो अभी तक लागू नहीं किए गए हैं । जिन समस्याओं पर निर्णय लिया गया है वे निम्न प्रकार हैं :

1. 1960 के आधार पर रु० 2 प्रति प्वाइंट महंगाई भत्ते का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1-1-1989 से ।
2. सभी श्रम श्रमिकों को पेंशन लागू करना ।
3. सार्वजनिक उपक्रम से प्रतिबंध हटाना तथा बातचीत के आधार पर समस्या का निराकरण । स्थानीय यूनियन एवं प्रबन्धकों के बीच समझौता वार्ता से समस्या का समाधान किया जाए ।
4. दूसरे राष्ट्रीय श्रमिक आयोग का गठन ।
5. योजना आयोग में श्रमिक सेल का गठन ।

हम निम्न मामलों पर सरकार से शीघ्र निर्णय चाहते हैं :

1. योजना एक्ट की अधिकतम सीमा को हटाना ।
2. ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाया जाना तथा कुल राशि को कर मुक्त रखना ।
3. थोक मूल्य सूचकांक के उतार-चढ़ाव के साथ जोड़ा जाना ।
4. आयकर सीमा 50 हजार तक करना ।
5. राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करना ।
6. औद्योगिक इकाइयों का आधुनिकीकरण करना ताकि उद्योगों में छंटनी करने की संभावना न रहे ।

सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र में जो प्रस्तावित हड़ताल है वह दोनों जगह लागू की जाए । मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि 3 जुलाई, 1992 को त्रिपक्षीय वार्ता में जो आश्वासन

सरकार द्वारा दिए गए हैं उन्हें श्रमिकों के हित में शीघ्र लागू किया जाए एवं आगे अन्य मांगों पर चर्चा की जाए जिससे 19 मार्च, 1993 को श्रमिकों द्वारा सांकेतिक हड़ताल को रोका जा सके।

(तीन) विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने वाली प्रस्तावित खामगांव जालना रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों विदर्भ और मराठवाड़ा तथा दोनों क्षेत्रों के वाणिज्यिक केन्द्रों को मिलाने के लिए 1965 में खामगांव जालना रेलवे लाइन के प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह लाइन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

तथापि, मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि यद्यपि यातायात की संभावनाएं अपर्याप्त हैं फिर भी यह अगले छः से सात वर्षों में काफी बढ़ेगी। यह जालना खामगांव रेल लाइन कच्चागुडा-मनमाड़ और कलकत्ता-मनमाड़ समानान्तर रेल लाइनों के साथ भी जुड़ेगी। 1965 की यह रिपोर्ट बहुत पुरानी रिपोर्ट है और पिछले 25 वर्षों के दौरान समूचा आधारभूत ढांचा ही बदल गया है। इस लाइन पर यातायात की काफी समावनाएं हैं और इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह खामगांव-जालना रेलवे लाइन बिछाने का कार्य तत्काल शुरू करवायें।

2 00 म० प०

[हिन्दी]

(चार) झांसी, उत्तर-प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र शीघ्र चालू करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 2 वर्ष से उत्तर-प्रदेश के ऐतिहासिक नगर झांसी में रेडियो स्टेशन (आकाशवाणी) का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी प्रकार की साज-सज्जा से भी पूर्ण है। प्रसारण मंत्रालय द्वारा गत वर्ष में तीन-चार बार पत्र के द्वारा मुझे इसको (आकाशवाणी) तुरन्त जनता को समर्पित करने की तिथि की सूचना दी गई है। किन्तु आकाशवाणी का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जल्द ही आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम प्रारम्भ करने की निश्चित तिथि सूचित करें।

(पांच) संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर में केन्द्र बनाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इन्दौर में स्थिति परीक्षा के केन्द्र को बन्द कर दिया गया है जिससे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं गत कई वर्षों से इन्दौर को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं का केन्द्र बनाने की भी मांग चल रही है। इन्दौर न सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से अपितु परीक्षार्थियों की दृष्टि से भी राज्य का सबसे बड़ा केन्द्र है। वर्तमान में इन्दौर को यह सुविधा न

होने से विशाल संख्या में छात्रों को अन्य नगरों में जाना पड़ता है। यदि इन्दौर को केन्द्र बनाया जाता है तो न सिर्फ इन्दौर के छात्रों की धन व समय की बचत होगी अपितु उज्जैन, रतलाम, खण्डवा व खरगौन के छात्र भी लाभान्वित होंगे।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एस०एस०सी० और यू०पी०एस०सी० की परीक्षाओं के लिए इन्दौर को शीघ्र ही केन्द्र बनाया जाना चाहिए।

(छः) सूखा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री शिवशरण सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में आज अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार वर्षा के अभाव के कारण भयंकर सुखाड़ है। गत वर्ष रवी और खरीफ की फसल बिल्कुल नहीं हो सकी थी। वर्तमान रवी फसल भी दम तोड़ रही है। कुआं, तालाब, चापाकल सब सूख गए हैं। अन्न और जल के अभाव में भुखमरी शुरू हो गई है। लाखों गरीब लोग बिहार छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। इस भयंकर स्थिति को संभालने के लिए अकेले बिहार सरकार सक्षम नहीं है। जो कुछ संभव है वह कर रही है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है।

युद्ध स्तर पर पीड़ित मानवता को रिलीफ उपलब्ध कराने की ओर कृषि क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिससे भविष्य में हम आसानी से सुखाड़ का मुकाबला कर सकें। बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से समुचित सहायता की मांग की है। लेकिन अभी तक उसे पर्याप्त मदद नहीं मिल सकी है जिसकी तत्काल जरूरत है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य के लिए शीघ्र ही समुचित धनराशि एवं अन्य आवश्यक सामान राज्य सरकार को उपलब्ध कराएं ताकि स्थिति का मुकाबला किया जा सके।

(सात) उत्तर-प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि टाटा उर्वरक कारखाना द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है उन्हें उपयुक्त मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र सम्भल के बबराला नगर में टाटा फर्टीलाइजर फैक्टरी का निर्माण लगभग 10 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक फैक्टरी ने उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। इस फैक्टरी की स्थापना के लिए लगभग पांच गांव के किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है जिससे पांचों गांव के छोटे किसान भूमिहीन हो गए हैं। उन किसानों को अपनी भूमि का न तो नियमानुसार मुआवजा ही मिला और न ही उन्हें टाटा फर्टीलाइजर फैक्टरी में रोजगार ही दिया गया। जबकि फैक्टरी के प्रबंधक विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती क्षेत्र से बाहर के लोगों की अपनी सुविधानुसार कर रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संबंधित ग्रामवासियों को उनका बकाया मुआवजा शीघ्र दिलाएं और साथ ही निर्देश दें कि संबंधित भूमिहीनों और गुन्नौर क्षेत्र के अन्य बेरोजगार नवयुवकों को फैक्टरी की बिभिन्न सेवाओं में रखा जाए।

(आठ) दुबई तथा खाड़ी के अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में पासपोर्ट नवीकरण की सुविधा जारी रखने की आवश्यकता

[अनुवाद]

*श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : खाड़ी के विभिन्न देशों में काम कर रहे केरल के लोगों को प्रायः अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत दुबई स्थित भारतीय दूतावास से पासपोर्ट के नवीकरण करने की सुविधा वापस ले ली गई है। नवीकरण के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने वाले क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन देना होता है। यदि इस आदेश को क्रियान्वित किया गया तो वहां काम कर रहे लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक तो इसमें विलम्ब होगा और दूसरे इसमें आपातकाल में किसी के लिए भारत आना असम्भव हो जाएगा।

अतः सरकार से अनुरोध है कि पासपोर्ट के नवीकरण पर लगाए गए इस प्रतिबन्ध को हटा लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

2 06 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.38 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.38 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे विचार-विमर्श होगा। श्री अन्ना जोशी बोल रहे थे। वे अपना वक्तव्य जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कल मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ पाइण्ट्स के बारे में यहां बातचीत की, अब मैं उससे आगे जाना चाहता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम चाहते हैं कि आगे का सरकार का रुख क्या होगा, क्या दिशा होगी, इसके बारे में कुछ दिग्दर्शन उसमें मिलना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने डेढ़

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

साल पहले लोक सभा का इलैक्शन लड़ा था, उसमें एक मुख्य मुद्दा एम्पलायमेण्ट का था। लेब एम्पलायमैण्ट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इसका कोई भी जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। 13 नवम्बर के मुद्दे में उन्होंने लिखा है लेकिन उसमें भी स्मॉल स्केल सैक्टर में 1.29 करोड़ है और उसके आगे 4 परसेण्ट ग्रोथ होने वाली है। नतीजा कैसा होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी दिग्दर्शन या दिशा निर्देश उसमें नहीं है।

हमारे देश में जो अतिथि आए हैं, उन अतिथियों के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत चर्चा है, लेकिन उनके साथ जो करार हुए हैं और उनमें क्या नजर आता है, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जो टीका इनके बारे में होती है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज एक डॉलर की कीमत 600-650 रूबल है और एक डॉलर की कीमत 32 रुपये कन्वर्जन मूल्य है। दो स्थितियां हैं—एक डॉलर 650 रूबल में और एक डॉलर 32 रुपये में। यदि इनको लिया जाए तो आज की परिस्थिति में एक रूबल पांच पैसे में मिलता है। लेकिन जो करार किया गया है, उस करार में हमने एक रूबल के लिए 32 रुपये देने का मान्य किया है। इस प्रकार कितना बड़ा घाटा किस कॉस्ट पर अपने सिर पर लिया है। हमें कहा गया है कि काश्मीर के लिए रूस अपने को मदद दे रहा है। हमें कहा गया है संरक्षण के लिए स्पेयर-पार्ट्स दे रहा है। इसलिए मैंने कहा था, ओपन मार्केट में खरीदी करते हैं, तो इससे सस्ते स्पेयर पार्ट्स हमको मिल सकते हैं। इसलिए करार के बारे में माननीय प्रधानमन्त्री जी बोलें, तो अच्छा होगा। हमने दस करार किए हैं। मुझे मालूम नहीं है, हमारी जो कारपोरेशन्स हो, कारखानदार हो, व्यापारी हो या गवर्नमेंट कारपोरेशन्स हों, इन्होंने जो व्यवहार एर्स्टवाडल यू० एस० एस० आर० के साथ किया है, उनकी तरफ से कुछ ड्यूज आना है। इन चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? यू०एस०एस०आर० डिसइन्टिग्रेट हो गया है। मैंने पढ़ा है, जब डिसइन्टिग्रेशन हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी यलत्सिन साहब ने ली थी। उसके बाद इन दस करारों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसी मुझे जानकारी है, अगर प्रधान मन्त्री जी कुछ प्रकाश डालें, तो अच्छा होगा।

इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री, जॉन मेजर साहब, आए। उनका भी स्वागत किया गया। हम तो हिन्दुस्तान में बोलते हैं—"अतिथि देवो भवः"। अतिथि जो आता है, उसका आदर-सत्कार करने के बाद आशीर्वाद देना चाहिए, कोई वर देना चाहिए। इसके बदले में वे हमारे यहां की प्रगति और विकास की दिशा को उल्टा-पुल्टा करके गए हैं। जॉन मेजर के साथ जो इन्डस्ट्रियलिस्ट आए हैं, उन्होंने चर्चा भी बहुत की और नतीजा क्या निकाला, इसके बारे में हमारा जो बजट आया है, उसमें निकला है। उनके कारखानेदारों के लिए, उनके पक्के माल के लिए हमने हिन्दुस्तान के बाजार को खुला कर दिया है। अगर यही करना है, तो हमारा स्वावलम्बल स्वदेशी, चैरिटी, सिम्पली-सिटी, इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नं० 14 एक्सपोर्ट से संबंधित है। मैं कहता हूं, उसके बिल्कुल खिलाफ यहां आए हुए अतिथियों के साथ करार किए हैं। एक्सपोर्ट के बारे में कहा गया है:

[अनुवाद]

"हर तरीके से निर्यात को बढ़ावा देने और उसके विकास को प्रभावित करने वाली प्रत्येक अड़चन और रुकावट को हटाने के लिए सरकारी नीतियों का यह मूल घोषणा पत्र होगा।"

[हिन्दी]

अगर हमारे लिए बाहर से आने के लिए बहुत ज्यादा सहूलियतें दे दी जायें, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा । एक्सपोर्ट के लिए आपने जो सहूलियतें दी हैं वह कच्चे माल को दी हैं, ग्रेनाइट फिनिश ग्रेनाइट को नहीं लेकिन रा-ग्रेनाइट हो जा सकता है । इसका मतलब ही यही है कि आप रा-मेटीरियल यहां से जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और यहां के बाजार में मल्टीनेशनल के लिए छूट दे रहे हैं । हमारा कहना यह है कि यहां के लोगों को मुक्त अर्थव्यवस्था मिलनी चाहिए ।

महोदय, हमारा एक ध्येय है कि खेत में हमारा जो किसान होगा वह हल चलाएगा । उसका जो लड़का होगा वह खेत के किनारे एक छोटी-सी फैक्ट्री लगाकर वहां कुछ तैयार करेगा और उसका जो भी होगा वह क्वालिटी में कितना है, कैसा है उस पर हम ज्यादा विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं । लेकिन यहां के लोगों के हाथ को काम न देते हुए अगर आप इस प्रकार का धोरण स्वीकार करते हो तो उसके लिए हमारा विरोध है और एम्पलायमेंट के बारे में ऐसे हल निकलने वाला नहीं है, ऐसा मेरा कहना है । आर्थिक धोरण के बारे में भी इधर बहुत चर्चा है, बजट के टाइम में हम करने वाले भी हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए । कल भी आपने 10 मिनट लिए थे और अब भी आप सात मिनट ले चुके हैं । कृपया देखिए ।

श्री अन्ना जोशी : मैं समाप्त कर रहा हूं । मैं अधिक समय नहीं लूंगा ।··· **(व्यवधान)**···

[हिन्दी]

महोदय, आर्थिक नीति के बारे में तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन जो आपने कहा है उसका चित्र बजट में नहीं मिलता है । आपने बैड डेट्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपया बैंकों को देने का फैसला किया है, पांच हजार सात सौ करोड़ रुपए उनके शेयर्स के लिए देने का फैसला किया है । यह जो 10 हजार करोड़ रुपया है यह भी एक इंसटोलमेंट है, मालूम नहीं है वह कितने घाटे में है और 20 नेशनलाइज्ड बैंकों में से 19 बैंक ऐसे हैं जिनका हिसाब जमता नहीं है जिसके लिए चार्टर्ड एकाउंट में आल इंडिया चार्टर्ड एकाउंटेंट कम्पनियों ने, संगठनों ने आपको उनकी सर्विस आफर की है, आपने उनको अच्छी प्रकार से रेसपोंस नहीं दिया है । आपको भी मालूम नहीं है कि कितने घाटे में है ।···**(व्यवधान)**···आप उसको एकाउंट्स में दिखाते जा रहे हैं । उनका इंटरस्ट भी आते हुए दिखाई देता है और फिर यह करोड़ों आफ रूपीज यह कहां से आप लाने वाले हैं, उनका भी दिग्दर्शन यहां नहीं है ।

महोदय, आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि एक और दो मुद्दे में थोड़ा-सा सेक्यूलरिज्म के बारे में हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा है । मैं तो चाहता हूं, मेरी पार्टी भी चाहती है कि सेक्यूलरिज्म के बारे में खुली तरह से चर्चा होनी चाहिए । सेक्यूलरिज्म का मतलब क्या है इसका मतलब यह है ।···

[अनुवाद]

जाति, पन्थ, रंग, धर्म और इन सभी चीजों के आधार पर कोई अधिमान्य या विभेदक व्यवहार नहीं किया जाए ।

[हिन्दी]

अगर यह सेक्यूलरिज्म की व्याख्या हो तो इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है, कौन बोल रहा है । सेक्यूलरिज्म के बारे में आम एक ऐसी बात चल रही है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए बोले, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए बोले या और किसी के लिए बोले तो वह सेक्यूलर है और जो यहां 90 परसेंट हिन्दू हैं उनके सुख-दुःख के बारे में, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं के बारे में कोई बोले तो हिन्दू कहता है यह जातिवादी है ।···(व्यवधान)···यह सेक्यूलरिज्म का अर्थ नहीं है । हम घर में किसी भी देवता की पूजा करें यह हमारा अधिकार है लेकिन जब अपने घर के बाहर, आंगन के बाहर आते हैं तो हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते एक-दूसरे के साथ बर्ताव होना चाहिए । लेकिन आप क्या करते हैं, आप में से हरेक लोगों ने एक-एक धर्म के लिए, रिलीजन के लिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे पंथ प्रधान यहां पंथ प्रधान की शपथ लेते हैं, वी पी० सिंह जी, और फिर जामा मस्जिद में जाते हैं, किस लिए ।

कांग्रेस वाले पूर्वांचल में इलैक्शन लड़ते हैं, वहां अपने मैनीफैस्टो में लिखते हैं कि अगर कांग्रेस बहुमत में आयी तो बाइबल के मुताबिक चलेगी । कहां से कहां यह बात जाती है । मैं यहां एक सर्टीफिकेट दिखाना चाहता हूं—यह स्पाइसर मैमोरियल सैकेण्डरी स्कूल का है । इसमें पहला ही सजैक्ट है मोरल इंस्ट्रक्शन्स, साथ में ब्रेकेट में लिखा है बाइबल । यहां बाइबल की स्टडी कम्पलसरी है अगर कोई अपनी खुशी से बाइबल पढ़ना चाहता है तो उसमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन इनके स्कूलों में बाइबल पढ़ायी जाती है, कुरान पढ़ायी जाती है । अगर हम गीता पढ़ाएं तो कम्युनलिस्ट हो जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम नहीं सेक्यूलरिज्म का भूत इनके दिमाग पर इतना सवार हो गया है कि बाराखड़ी में "ग" से गणेश होता है, गणेश का नाम लेना भी सेक्यूलरिज्म है, गणेश वर्ड सेक्यूलर है इसलिए निकाल दो, "ग" से गधा कहो । हम कहते हैं गणेश जी बुद्धि के देवता हैं ।

हमारे संविधान में जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र पुरुष की छवि बनायी है । लायब्रेरी में किताब की प्रति है उसमें प्रभु राम का चित्र उस पर रेखांकित किया गया है । आपको मालूम नहीं है जरा सुनो ।···(व्यवधान)···महाराष्ट्र के लोगों को ठीक से देखना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राम को हम गोड के आदर्श से नहीं देखते हैं । वे एक राष्ट्र पुरुष हैं, समाज के आदर्श हैं, संस्कृति के आदर्श हैं । उनका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । राम विलास पासवान जी ने भाषण देते समय यह उदाहरण दिया था कि इण्डोनेशिया में 90 प्रतिशत मुसलमान होते हुए वहां गरुड़ एयरलाइन्स है, हिन्दू संस्कृति को वे मानते हैं, उनके कलाकारों का एक ट्रूप यहां आया था । उसमें 99 प्रतिशत मुसलमान थे । जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप मुसलमान राष्ट्र हैं, आप रामायण और महाभारत के खेल कैसे दिखाते हैं, तो उनके प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया कि हम धर्म से मुसलमान हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र पुरुष राम हैं और राम के चरित्र हम स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं । यह संस्कृति का मामला है, वे ऑफ लाईफ का मामला है । यहां लिखा है :

"धर्म चक्र प्रवर्तनाय:"

क्या यह भी किसी धर्म से सम्बन्धित है ? यह ड्यूटी से सम्बन्धित है। ड्यूटी का चक्र अच्छी तरह चले इसके लिए लोक सभा है। सुप्रीम कोर्ट में लिखा है :

"यतो धर्म : ततो जय :"

अर्थात् वेयर देयर इज रूल ऑफ लॉ वेयर इज मक्सैस। धर्म का मतलब रिलीजन से लेते हैं, वह अलग आता है। आप देखिए, मुस्लिम धर्म है, मुहम्मद पैगम्बर हैं, कुरान है, इसलिए मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म बाइबल है, प्रभु यीशू हैं, उनका क्रिश्चियन धर्म है। वैसे ही हिन्दू धर्म का है। रिलीजन का उसमें संबंध नहीं है। रिलीजन का देश की संस्कृति से, वे ऑफ लाइफ से, ड्यूटी के संबंध है।

सैक्यूलरिज्म के मामले में सदन से अपील करता हूं कि आप इसके बारे में जरा राष्ट्रीय बहस करते हुए विचार करें कि रियल सैक्यूलरिज्म क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर हम इस पर विचार करें तो अच्छा होगा। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

आखिरी बात मैं बोलना चाहता हू कि प्राईम मिनिस्टर साहब यहां आकर बैठे हैं, हमने और हमारे सहयोगी श्री राम नाईक ने अमैण्डमैंन दिया है कि हर एक एम०पी० के लिए हम 2 करोड़ रुपया उनके मतदार संघ के लिए चाहते हैं। यहां का जो कारोबार चलता है उसका डायरैक्ट संबंध हमारे मतदार संघ से है। वहां के विकास के काम हैं उसके लिए सीधी मदद हमें यहां से चाहिए। इसलिए हमारे अमैण्डमेंट को स्वीकार करें।

[अनुवाद]

डा० वसंत पवार (नासिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

मैं अपने मित्र श्री दिग्विजय सिंह और दूसरा श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण नीतियों का घोषणा पत्र है और कार्यों की कार्यसूची। मैं अपने प्रधानमन्त्री, श्री पी० वी० नरसिंह राव जी को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के सबसे महत्त्वपूर्ण पैराग्राफ 2 और 3 है और यह अभिभाषण का सार है। 6 दिसम्बर, 1992 को भा०ज०पा०, वि०हि० परिषद्, बजरंग दल तथा अन्य साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा विश्वासघात करने से जो त्रासदी तथा विध्वंस हुआ है उससे देश की छवि धूमिल हुई है। भारत के संविधान को चुनौती दी जा रही है, धर्म निरपेक्षता और विधि के शासन के सिद्धांत को खतरा पैदा हो गया है। और अन्ततः राष्ट्र की एकता व अखण्डता खतरे में है। भारतीय, भारतीयों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और इसीलिए हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा किए गए आह्वान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

महोदय, महाराष्ट्र में, जैसा कि अभी मेरे साथी ने मराठी भाषा में उल्लेख किया है, जब लोग एक-दूसरे से मिलते हैं वे "राम राम" कहते हैं। एक-दूसरे को सम्मान देने का यह शिष्टाचार का एक तरीका है। आप भी "राम" हैं और मैं भी "राम" हूं। मैं भी "राम" का एक अंश हूं और तुम भी "राम" का एक अंश हो। लेकिन भा०ज०पा० सत्ता में आने के लिए धर्म को इस्तेमाल

करने की कोशिश कर रही है, परन्तु वे सफल नहीं होंगे क्योंकि एक आम भारतीय इस विश्वास-घात को समझ गया है।

मैं उस बात को उद्धृत करना चाहूंगा जो 1951 में गांधी जयन्ती के अवसर पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। मैं उद्धृत करता हूं :

> "यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी के विरुद्ध हाथ उठाता है, तो मैं उससे अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे मैं सत्ता में हूं अथवा सत्ता से बाहर।"

यह एक तर्क जो कि प्रत्येक भारतीय को देना है और साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिए एकजुट होना है। कांग्रेस सरकार मन्दिर और मस्जिद के निर्माण के पक्ष में है। मन्दिर की आधार-शिला हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने रखी थी। कांग्रेस सरकार हिन्दुओं के विरुद्ध नहीं है। कांग्रेस निश्चय ही मन्दिर और मस्जिद का निर्माण कर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में सफल होगी।

जैसा कि प्रधानमन्त्री जी ने एक दिन कहा था कि हमारे देश में गैर धर्मनिरपेक्ष दलों की भूमिका पर एक राष्ट्रीय चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार सरकार ने कार्यक्रम नियोजित कर लिया है, उपलब्धियां हासिल करने के लिए पंजाब में लोकतन्त्रीकरण करना भी इसमें शामिल है और इसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए।

6 दिसम्बर के बाद नागालैंड और मेघालय में हुए चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि आम आदमी और भारतीय जनता कांग्रेस का समर्थन करती है और वह यह जान गई है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर है और उन्होंने साम्प्रदायिक दलों को नकार दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 8, 9 और 10 में देश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। जब यह सरकार सत्ता में आई, तो आर्थिक नीतियों के सफल कार्यान्वयन के बाद सफल घरेलू उत्पाद 1992-93 में बढ़कर 4 प्रतिशत हो गया है जो कि 1991-92 में 1.2% था। मुद्रा स्फीति की दर घटकर 7 प्रतिशत रह गई है जो कि 1990-91 में 16 प्रतिशत थी। इससे क्या संकेत मिलता है ?

विदेशी मुद्रा का भंडार 15 हजार करोड़ रु० से ऊपर का हो गया है और देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 3.8 प्रतिशत और विदेशी निवेश 7500 करोड़ रु० हो गया है। ऐसा सरकार की सही नीतियों के कारण सम्भव हो सका है और इसका श्रेय हमारे प्रधानमन्त्री श्री नरसिंह राव जी और कांग्रेस दल को जाता है।

3.00 म०प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 15 और 16 में कृषि को भी उचित महत्त्व दिया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा उसकी जनता का मुख्य आधार है। वर्ष 1991-92 का खाद्यान्न उत्पादन 1670 लाख टन था, जो वर्ष 1992-93 में 1770 लाख टन हो जाएगा। सभी जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किया जाता है और चीनी का उत्पादन 133 लाख टन है। सरकार ने धान और गेहूं के लिए एक समर्थन मूल्य निर्धारित किया है और इससे उपयुक्त रूप से धान का मूल्य 40 रु० तक और गेहूं का मूल्य 55 रु० तक बढ़ गया है।

गन्ने के मूल्य को भी 31 रु० प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है जिसकी प्रत्येक को प्रशंसा करनी चाहिए।

पैरा 7 में आठवीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया गया है, जिसमें लगभग 7,98,000 करोड़ रु० का बजट दिखाया गया है जिसमें से 30,000 करोड़ ग्रामीण विकास, जवाहर रोजगार योजना और भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यह भी एक सही कार्य है। पैरा 22 में एड्स, कुष्ठ, मलेरिया, टी०बी० और अंधेपन के उपचार जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर उपयुक्त जोर दिया गया है।

बाबा साहेब अम्बेडकर फाउण्डेशन निश्चय ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में एक अच्छे वातावरण का सृजन करेगी। डा० अम्बेडकर के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइब्रेरी और फीचर फिल्में बनाना एक अच्छा कार्य है।

महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है जो कि रचनात्मक कदम है। यह सब सरकार की सही नीतियों का नतीजा है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का सार है एकजुट होना। यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे निश्चय ही यह पूछेगी।

सहरानपुरी के शब्दों में मैं उद्धृत करता हूं :

[हिन्दी]

"तू इधर-उधर बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा।
मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।
मैं बताऊं काफिला क्यों लुटा, तेरा रहजनों से था वास्ता।
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का मलाल है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आज जब यहां खड़ा हूं तो मुझे नवभारत टाइम्स के 23-2-1993 के इश्यू में जो सम्पादकीय था उसके अन्दर लिखा था कि यह जो भाषण हुआ था जनाबे सदर का, यह सरकारपति का भाषण था राष्ट्रपति का नहीं था। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा।

उपाध्यक्ष जी, जनाबे सदर की जो तकरीर थी उसकी शुरूआत 6 दिसम्बर के वाकया से हुई। आज देश के अन्दर कांग्रेस यह बताने की कोशिश कर रही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिए या अयोध्या के बाद जो कुछ हुआ उससे लड़ने के लिए उन्होंने काफी कदम उठाए हैं। उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी जमातों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसका असर आज हिन्दुस्तान के अंदर देखने को नहीं मिला है। आज कांग्रेस के पास या सरकार के पास कोई ऐसा ब्लू प्रिंट नहीं है जिससे देश के अन्दर बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता से लड़ा जा सके। यह एक अफसोस की बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार खुले

लफ्जों में देश के सामने ब्लू प्रिंट रखे कि किस तरह से हिन्दुस्तान में फिरकापरस्ती को—चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो—समाप्त करेगी जिससे हिन्दुस्तान की शक्ल दुनिया के नक्शे पर अच्छी दी जा सके।

उपाध्यक्ष जी, आज जो लोग बम्बई या सूरत में बुरी तरह से तबाह, बर्बाद हुए हैं, उनके इलाकों के रिहैब्लिटेशन के लिए सरकार की ओर से कोई निगाह नहीं दी जा रही है। आज हालात ये हैं कि हिन्दुस्तान के लोग सरकार को कमजोर और बुजदिल समझकर बैठे हुए हैं जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, 6 दिसम्बर की घटना से पूरी दुनिया के अन्दर हिन्दुस्तान की इज्जत खराब हुई है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है लेकिन सदर की तकरीर में इन सब बातों के लिए ब्लू प्रिंट निकालने का कोई जिक्र नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, आज हिन्दुस्तान में तालीम का आलम यह है कि गरीब आदमी तालीम हासिल नहीं कर सकता है। हिन्दुस्तान का इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी हिन्दुस्तान में तालीम का जो मयार है, वह नीचा है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि पूरे हिन्दुस्तानियों को तालीम का इन्तजाम किया जाएगा? दूसरी तरफ सरकार ने जो नयी आर्थिक नीति लाने का काम किया है, इससे तो हिन्दुस्तान में बेकारी बढ़ेगी और मार्डन टैक्नालॉजी से हाथ से काम कम होगा, उसकी तरफ इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है कि हिन्दुस्तान में एम्प्लायमेंट के अवसर देने के लिए या उसको बढ़ाने काम कैसे किया जाएगा? आज लिबरलाईजेशन की बात सोचते हैं लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस लिबरलाईजेशन से हिन्दुस्तान के अन्दर कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आयीं, आखिर कितना रुपया हिन्दुस्तान के अन्दर बाहर से लाया गया, यह एक चिन्ता का विषय है जिसका जिक्र प्रेजीडेंट एड्रेस में नहीं किया गया। लिबरलाईजेशन का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हिन्दुस्तान को बाहर के मुल्कों के हवाले या बाहर की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले कर दिया जाये बल्कि होना यह चाहिए कि बाहर के लोगों का हिन्दुस्तान में पैसा लगे, इस तरह की सोच हम लोगों को होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक हैल्थ केअर का सवाल है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में "एड्ज" और दूसरी बीमारियों का जिक्र है लेकिन काला-जार जैसी बीमारी का जिक्र नहीं है जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। इस ओर भी नेशनल स्तर पर काम होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आज माइनरटीज की बात ले लीजिए। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्ज चला रही है या चलाने का दावा कर रही है, लेकिन 15 प्वाइंट प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हिन्दुस्तान में नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कई मर्तबा यहां से भी और यहां से बाहर भी सरकार ने ऐलान किया कि हिन्दुस्तान के अन्दर कम्पोजिट फोर्स बनेगी लेकिन आज तक देखने को नहीं मिला। आज इस सरकार के पास वक्फ बोर्ड का बिल रखा हुआ है जिसके लिए वायदा किया गया था कि इस सैशन के अन्दर पास करवाया जाएगा। आज माईनरटीज के अन्दर जो मेजर माइनरटीज हैं, उनके लिए तालीम एवं नौकरी में कितने लोग होंगे, इसका जिक्र भी राष्ट्रपति के भाषण में नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, अभी दो करोड़ रुपये की बात कही गयी। पिछली दफा भी इस सदन के अन्दर वायदा किया गया था कि अगले बजट में इसको शामिल किया जाएगा। मैम्बर ऑफ

पार्लियामेंट की कांस्ट्रीट्यन्सी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट दे सकेंगे लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज जो बजट आया है, उसकी तरफ से कहना चाहूंगा कि यह बजट मुश्किल से 10-15 फीसदी लोगों का है इससे आम किसानों को क्या उपलब्धियां मिलने जा रही हैं, इसका जिक्र इसके अन्दर नहीं है कि आखिर किस तरह से किसान आगे बढ़ेगा, उसका खेत किस तरह से अच्छी फसल लाएगा ?

उपाध्यक्ष जी, इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री०पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। वास्तव में मैं इस बारे में अज्ञानी था और मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में 'छद्म धर्मनिरपेक्षता' क्या है जिसका भा०ज०पा० द्वारा प्रचार किया जाता है। सामान्यतया यह कहकर प्रचार किया जाता है कि जिसका दूसरों द्वारा प्रचार किया जाता है वह 'छमद् धर्मनिरपेक्षता' है। वस्तुतः मैं 'छद्म धर्मनिरपेक्षता' का ठीक-ठीक वास्तविक अर्थ जानने का इच्छुक था। मैं यह जानने की स्थिति में नहीं था कि भा०ज०पा० ने 'छद्म धर्म-निरपेक्षता' शब्द का क्या अर्थ लगाया है।

6 दिसम्बर को जो कुछ हुआ वह विश्व के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि भा०ज०पा० को अब छद्म धर्मनिरपेक्षता शब्द का दोबारा इस अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरी भा०ज०पा० के नेताओं और मित्रों से अपील है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, वे सकारात्मक विचारधारा अपनाएं।

अब हमें अपने देश को आगे ले जाना है। यह समय नहीं है जबकि हम एक भी मिनट बरबाद करें अथवा इन झगड़ों के लिए थोड़ी-सी भी शक्ति बरबाद करें। यह 6 दिसम्बर की घटनाओं के साथ समाप्त हो गया है। मेरी भा०ज०पा० पक्ष से तथा उन मित्रों से अपील है जो कि यह तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ वह नहीं है जो सबको मालूम है और जिसको सबके द्वारा प्रचार किया जाता है बल्कि इसका अर्थ कुछ भिन्न है। इसका अर्थ जो कुछ है उसे हमें व्यवहार में लाना है जिसमें परिवर्तन किए जाने हैं इसका अर्थ वह है जिसको हमने अमल में लाना है।

मैं विशेष रूप से 6 दिसम्बर को हुई घटनाओं को मद्देनजर रखकर ही सरकार का समर्थन कर रहा हूं जबकि कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि तत्काल कार्यवाही नहीं की गई थी, कारण जो कुछ भी रहा हो। धर्म निरपेक्षता को समाप्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा कुछ वास्तविक प्रयत्न किए गए हैं। मुझे खुशी है कि इसमें कुछ हद तक सफलता मिली है। लेकिन हमें इसमें और सफलता प्राप्त करनी है। कानून तथा संसद को और ऊपर उठाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्मनिरपेक्षता को सही तरीके से व्यवहार में लाया जा रहा है।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की अन्य बातों का उल्लेख नहीं करता। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सभी विषयों का उल्लेख किया गया है। लेकिन मुझे खेद है कि कुछ तथ्य देश के सभी भागों के विकास में समानता लाने के लिए बहुत सहायक नहीं हैं। मैं यह अपील करूंगा कि जो क्षेत्र दिल्ली से दूर हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। मैं यह नहीं कहता कि किसी

राज्य को अथवा किसी धर्म को विशेष सुविधाएं दी जाएं। लेकिन जो क्षेत्र दिल्ली से दूर हैं वे कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं से गुजर रहे हैं जिन पर विशेष रूप से गौर किया जाना चाहिए।

मैं उदाहरण के लिए केवल बजट प्रस्तावों को उद्धरित करता हूं। मुझे वास्तव में बहुत खेद है कि रेलवे बजट में केरल की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। वे यहां से बहुत दूर हैं। यह राज्य उपभोक्ता राज्य है जहां सभी चीजें दूसरे राज्यों से आती हैं। हमें अपना राशन लेना होता है। हमें अपने खाद्यान्न लेने होते हैं। हमें चावल लेना होता है। यह सब दूसरी जगह से आता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हू कि केरल को सस्ते मूल्य पर राशन के चावल की अधिक मात्रा उपलब्ध कराई जाए। चावल पर सबसिडी समाप्त न की जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनायी जानी चाहिए कि जहां कहीं भी अनिवार्य राशनिंग की आवश्यकता है उस पर विचार किया जाए और इस संबंध में केरल का विशेष ध्यान रखा जाए।

मैं विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं कर रहा हूं यद्यपि मैं अन्य विषयों का भी उल्लेख करना चाहता था। लेकिन समय की कमी के कारण मैं इसके साथ अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के विकास में सभी क्षेत्रों को समान रूप से देखा जाए और प्रत्येक क्षेत्र के साथ बातचीत करके प्रत्येक क्षेत्र को दिए जाने वाले अंश के अनुपात की समीक्षा की की जाए।...(**व्यवधान**)...

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, यह बहुत गलत बात है कि मुझे अपना वक्तव्य देने के लिए नहीं कहा गया है। मुझे कम-से-कम 5 मिनट दिए जाने चाहिए। मैं अपने दल की ओर से बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं?

श्री ई० अहमद : जब सभी दलों के सदस्यों को अपना वक्तव्य देने के लिए पुकारा गया है तो मुझे अपने दल की ओर से बोलने का अवसर क्यों नहीं मिल सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री ई० अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं केवल कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

मैं यहां मिश्रित भावना से बोल रहा हूं क्योंकि एक ओर देश धर्मनिरपेक्ष ढांचे और जनतन्त्रात्मक नीतियों के विरुद्ध फाशीवादी शक्तियों की चुनौती का सामना कर रहा है और दूसरी ओर सरकार के रवैये का प्रश्न है। क्या सरकार दृढ़ता के साथ इस चुनौती का सामना करेगी जिसमें फाशीवादी शक्तियों के साथ मुकाबला करना है? मुझे यह कहना है कि सरकार को इन फासीवादी शक्तियों के विरुद्ध अपनी शक्तियों को गतिशील बनाने के लिए सभी कदम उठाने होंगे, सरकार को चाहिए कि इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए सभी लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करे और फासीवादी शक्तियों द्वारा धर्मनिरपेक्षता तथा जनतन्त्र पर किए गए आक्रमण का सामना करें। दुर्भाग्यवश जनतन्त्रात्मक शक्तियों द्वारा एकता की लम्बी-लम्बी बातें केवल पार्टी के नेताओं के ड्राइंग रूम तक ही सीमित रह गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं यह निचले स्तर पर भी की जाएगी। यदि इस देश की जनतन्त्रात्मक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां फासीवादी शक्तियों की चुनौती को हराने में असफल रहीं तो मैं यह चेतावनी देता हूं और अपनी चुनौती को

दोहराता हूं कि इस देश को उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जैसा कि बाबरी मस्जिद के समय की थी। इसलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही बाबरी मस्जिद, जो धर्म-निरपेक्षता का प्रतीक थी, ध्वस्त हुई। इसी तरह से हमने 25 फरवरी को फासीवादी शक्तियों का मुकाबला करने में सरकार की इच्छाशक्ति को देखा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस इच्छा-शक्ति के साथ आगे बढ़े।

एक और मुद्दा सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में है। महोदय, मेरे दिमाग में सरकार के प्रति कोई गलत विचारधारा नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। पैकेज स्कीम के संबंध में देश में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। एक चीज जो सरकार ने की है वह है कि सरकार ने सारी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन सरकार द्वारा उस भूमि का अधिग्रहण किया जाना, जिस पर बाबरी मस्जिद बनी थी, मुस्लिम समुदाय को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। जब तक कि यह मामला सुलझ नहीं जाता, सरकार इसे अपने अधिकार में ले सकती है; इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि एक बार इसे अधिगृहित कर लिया जाता है तो इस पर से मुस्लिमों के नाम का ठप्पा और कब्जे का अधिकार समाप्त हो जाता है। पहले ही एक मामला इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के सामने लम्बित पड़ा है। मुझे सरकार द्वारा उस भूमि का अधिग्रहण करने की कार्यवाही में अप्रसन्नता हो रही है जहां पर कि पिछले 450 वर्षों से मस्जिद बनी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि सरकार अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों को समझेगी और इस सारे विषय पर पुनर्विचार करेगी।

एक अन्य मुद्दा यह है कि सरकार ने अनुच्छेद 143 का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 143 में केवल सलाह दी गई है। अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सुझावों से कोई कानूनी परिणाम नहीं निकले हैं। यदि इसे अनुच्छेद 138 के अन्तर्गत उल्लिखित किया जाता है तब इस पूरे मामले पर उच्चतम न्यायालय में बातचीत की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय सभी दलों पर बाध्य होगा। अतः इसके बाद कोई झगड़ा नहीं होगा। अब भी मैं सरकार से तथा प्रधानमन्त्री जी से यह अपील करता हूं कि वे इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें।

महोदय, अब मैं अपने तीसरे मुद्दे पर आता हूं। इस देश के मुसलमानों का फासिस्ट शक्तियों से खतरा है। इस देश के मुसलमानों को देश के अन्य नागरिकों की तरह देश में रहने का अधिकार है। चाहे जो कोई भी हमारा विरोध करे, हम अपनी आखिरी सांस तक इस देश के सम्मानीय नागरिक के रूप में रहेंगे और जनतन्त्रात्मक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की मदद से हम उनके खिलाफ लड़ेंगे जो हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं।

मैं भारत सरकार से केवल एक बात कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम केवल इतना चाहते हैं कि इस देश में हमारे सम्मानपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार किया जाए।

महोदय, मेरी पार्टी प्रधानमन्त्री जी तथा उनकी सरकार को उनके हर प्रयत्न में समर्थन प्रदान करेगी। लेकिन उसी के साथ ही सरकार द्वारा उस सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लेने पर जहां मस्जिद बनी हुई थी, मैं अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के प्रतीकात्मक चिह्न के रूप में, मतदान में हिस्सा नहीं लूंगा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे भी दो मिनट बोलने के लिए समय दे दिया। आज जो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चाएं चल रही हैं, उस अभिभाषण पर मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं।

राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण है, वह सरकार की नीतियों का एक स्पष्ट दस्तावेज होता है जिससे उसकी नीतियां स्पष्ट परिलक्षित होती हैं, किन्तु इसमें कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिली हैं जिनका उल्लेख इसके अन्दर होना चाहिए, परन्तु वह नहीं है। जैसे अयोध्या के मामले में 6 दिसम्बर की घटना का उल्लेख इसमें नहीं है। इसके लिए जो लोग और जो संगठन दोषी हैं, उनका इसमें उल्लेख होना चाहिए, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। इस घटना के कारण हमारे देश का जो सैकुलर स्वरूप है, उस पर एक कलंक लगा है, एक धब्बा लगा है, इस बात का जिक्र इसमें होना चाहिए। इस घटना से जो न्यायपालिका है, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, उस सारी संसदीय व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है जिसके कारण लोकतन्त्र के स्थान पर फासीवाद नजर आने लगा है। इस घटना से भी सरकार को सोचना होगा कि ऐसी हालत में हमको क्या करना है। इसमें दोषी व्यक्तियों और संगठन का नाम नहीं दिया गया है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर लेबर मिनिस्टर श्री अजैय्या जी थे, उन्होंने यहां पर जब वाद-विवाद चल रहा था, तो एक केन्द्रीय कानून खेतिहर मजदूरों के लिए बनाने की बात कही थी ताकि खेतिहर मजदूरों को जो बुढ़ापे में तकलीफ उठानी पड़ती है, वह तकलीफ न उठानी पड़े। उनकी सहायता के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने की बात थी, लेकिन उसका भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में एक कानून यहां बना, उसमें संशोधन हुआ, लेकिन उसका भी कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। अगर ऐसा है, तो जो बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में कानून बनाया गया है, वह क्यों बनाया गया है? अगर बनाया गया है, तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि इसका अनुपालन नहीं होगा क्योंकि जो 5 वर्ष की अवधि के बच्चे हैं वे ही किसी न किसी तरह से धंधा करना शुरू कर देते हैं और अपने माता-पिता को पालते हैं। वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर सरकार की नीयत साफ है, तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार व्यवस्था करे और इसमें पहल करे तथा देश भर में सर्वे कराकर पता लगाया जाए तथा आवासीय विद्यालय खोला जाए, तो फिर बाल श्रमिकों के लिए किसी कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया-लिखाया जा सकेगा, जिससे वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकेंगे और अपना कामधंधा चला सकेंगे।

चौथी बात उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहनी है कि जो डंकल प्रस्ताव की बात इस देश में की जा रही है, उसके बारे में कोई उल्लेख इसमें नहीं है। इस डंकल प्रस्ताव के कारण किसानों और प्रगतिशील लोगों में बहुत घबराहट है। इसके कारण हमारे देश की कृषि को बहुत नुकसान होने वाला है। जो किसान आज मेहनत करते हैं और जो वैज्ञापिक आज अनुसंधान करके कृषि में हरित क्रान्ति लाए हैं, वह हरित-क्रान्ति खत्म हो जाएगी, अगर डंगल प्रस्ताव को माना जाता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस विषय पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि कब इसका कानून बनेगा?

पांचवीं बात उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहनी है कि हर एम० पी० के लिए जैसा कहा गया था कि उसके चुनाव क्षेत्र को एक दो करोड़ रुपये की परियोजना देंगे, तो हम चाहते हैं कि इस बारे में भी सरकार सदन में स्पष्ट करे जिससे हम अपने चुनाव क्षेत्र में भी कोई प्रोजैक्ट बना सकें।

इतना कह कर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुही राम सैकिया (नोगोंग) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अयोध्या घटना तथा उसके पश्चात् देश के विभिन्न भागों में हुए दंगों का कोई उल्लेख नहीं है। हजारों लोगों के जान-माल की हानि हुई। हजारों औरतों ने अपने बच्चे खो दिए। सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया गया। मुझे लगता है कि सरकार सभी धर्म-निरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करने के लिए तथा उन शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है जो कि धार्मिक आधार पर हमारे देश को बांटने के लिए आगे आए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्र के हित के विरुद्ध जा रही शक्तियों से लड़ने के लिए जो कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता के विरुद्ध हैं, देश की सभी धर्म-निरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करें। हमें कानून के नियम को बनाए रखने के लिए लड़ना चाहिए। हमें अपने संविधान में दिए गए आदर्शों को बनाए रखने के लिए लड़ना चाहिए।

देश में बेरोजगारी की समस्या भीषण रूप धारण कर रही है। करोड़ों शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी की सबसे बड़ी द्योतक है। इससे न केवल बेरोजगार मानव संसाधन बढ़ते हैं बल्कि इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। हम अपने देश की इस आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने की उम्मीद करते हैं। सरकार को चाहिए कि इन बेरोजगार मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए कोई रचनात्मक प्रयास करें।

भारत सरकार समूचे देश के एकीकृत विकास के लिए देश में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की बात कई बार दोहरा चुकी है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हुआ है। मैं उस क्षेत्र से हूं। इस क्षेत्र में आवागमन के साधनों जैसे विमान सेवाओं, सड़कों, जलमार्गों, रेलमार्गों आदि का काफी लम्बे समय से अभाव चला आ रहा है। यदि इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का द्रुत गति से विकास नहीं होता तो इस क्षेत्र का तेजी से विकास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस प्रकार आप क्षेत्रीय सन्तुलन कायम नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्रीय असंतुलन से सामाजिक तनाव पैदा होता है जो अंततः सशस्त्र क्रान्ति, विप्लव व अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। समुचित विकास के लिए हम शान्ति और स्थिरता चाहते हैं। सरकार को इन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच असमानता को तत्काल दूर किया जा सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विदेशियों को निकालने का कोई जिक्र नहीं है। लाखों विदेशी सीमा पार से आकर देश के विभिन्न भागों में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में और वहां भी अधिकांशतः असम में बस गए हैं। इस मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त और असम के मुख्य मंत्री के बीच निरन्तर द्वन्द चल रहा है। मैं नहीं जानता कि असम राज्य के लिए एक अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। हमारे पास "आई० एम० डी० टी० एक्ट" है। प्रधान मंत्री महोदय ने अपने असम के विगत दौरे के दौरान असम राज्य के क्षेत्रों को 'आई०एम०

डी०टी० एक्ट' पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह भेदभाव की नीति छोड़कर देश के सभी भागों के लिए एक समान नीति अपनाए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूलचूल सुधार करने का जिक्र किया गया है। मैं नहीं जानता कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई ही न की जाये तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली होने का क्या फायदा। इसलिए सरकार को पहले उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करनी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने की बात कही गई है। सरकार के इस दावे का भी उल्लेख है कि मुद्रा स्फीति की दर गिरकर 7 प्रतिशत तक आ गई है। लेकिन सरकार इस तथ्य को बिल्कुल भूल गई कि कोयला, लोहा, चीनी आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के नियन्त्रित मूल्यों में बजट पूर्व वृद्धि की घोषणा से मुद्रा स्फीति में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं समझता हूं कि रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाकर रुपये का और अधिक अवमूल्यन होगा। मेरा ख्याल है कि इससे आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने उर्वरकों पर राजसहायता भी समाप्त कर दी है। इन सब बातों से मुद्रास्फीति बढ़ेगी ही।

आज सरकार घोर ऋण चक्र में फंसी हुई है।

3.29 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सरकार को 1,79,000.00 रुपये का विदेशी ऋण देना है। जब तक सरकार समुचित कदम नहीं उठाती यह देश ऋण के दलदल में धंसता जाएगा। यही समय है जब देश को नई आर्थिक नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को खुला बाजार नीति पर भी समुचित गौर करना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।...(**व्यवधान**)...प्रधान मंत्री इतना घबरा गए हैं कि मुख्य मंत्री को भी बुलाना पड़ रहा है।... (**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह मामला मैं न उठाऊं क्योंकि श्री विजय भास्कर रेड्डी मेरे अच्छे मित्र हैं और आज उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले वे यहां विधि मंत्री थे, इसलिए कारण जो भी हो ऐसा माना गया कि राज्य के शासन को बेहतर ढंग से चला सकते हैं और यह पहली बार हुआ है कि मुख्य मंत्री को इस समय में आना पड़ा और वह भी मतदान शुरू होने से पहले उपस्थित होना पड़ा।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : विगत समय में ऐसे कई अवसर आए हैं जब सरकार एक

कठघरे में आ गई। मुझे याद है कि दूसरी समय में मुझे यह मामला उठाने का अवसर मिला था। मतदान के समय जब सरकार कठघरे में आ गई थी तो उन्होंने महसूस किया था कि अब इन तकनीकों का फायदा उठाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है—क्योंकि मैं जानता हूं न कि श्री विजय भास्कर रेड्डी अभी भी लोक सभा के सदस्य हैं और उन्होंने इस तकनीकी पहलू का फायदा उठाया। मैं जानता हूं कि यह एक तकनीकी मुद्दा है।

इसलिए यहां मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह सदस्य नहीं हैं। वह सदस्य हैं। लेकिन यह औचित्य का प्रश्न है जिस पर यदि आप अपना निर्णय दें तो आप उन्हें सदन से जाने के लिए नहीं कहेंगे और यह विनिर्णय संसद के लिए मार्गदर्शक बन जाएगा। वह यहां बैठने के पात्र हैं। लेकिन औचित्य के मामले में अध्यक्ष पीठ का निर्णय या विनिर्णय आगे के लिए संसद का मार्गदर्शक होगा। क्योंकि श्री रेड्डी को सदन में मतदान करने की सम्भावना से बुलाया जाना एक अहम मामला बनता है। ऐसा नही किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसी हद तक जाऊंगा। वाद-विवाद के दौरान ही नहीं प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने से पहले जब श्री रेड्डी सभा में आए तो समूची सदन में एक हलचल सी मच गई जिससे मुझे मजबूरन औचित्य का प्रश्न उठाना पड़ा। मैं इस पर उनकी टिप्पणी चाहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे शायद कोई संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रधान मंत्री जी ने अपने राज्य में कांग्रेस को डुबाने के लिए श्री विजय भास्कर रेड्डी को मुख्य मंत्री बनाकर भेजना बेहतर समझा। यह मैं नहीं जानता। उन्होंने उन्हें केन्द्र में विधिहीन विधि मन्त्री के बजाय वहां भेजना पसन्द किया। यह उनका अपना निर्णय है। यह असंवैधानिक नहीं है एक पूर्वमंत्री वहां पहले ही पहुंच चुका है। वह वहां मुख्यमंत्री है। दूसरा पूर्व मंत्री दरवाजे से झांक रहा है। हम यह समझते हैं। वह श्री विजय भास्कर रेड्डी के भाग्य की ललचाई नजरों से प्रतीक्षा कर रहा है। वह हम पर नजर रखे हुए है। आखिरकार इस मुद्दे में औचित्य का सवाल तो आ ही जाता है। क्या यह वास्तव में जरूरी था कि वह संसद सदस्य का आवरण लपेटते और केवल संसद सदस्य के रूप में यहां आते। जब तक यह अनिवार्य नहीं था और आप नहीं समझते कि आप उन पर निर्भर थे, आप अपने मित्र की स्थिति को देखने के लिए कम-से-कम दीर्घा में बैठे रहने के लिए कह सकते थे। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वह अपना टिकट पहले ही खरीद चुके हैं। मैं जानता हूं वह आज आए हैं। पैसा पहले ही खर्च किया जा चुका है। लेकिन कम-से-कम व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि वह बाहर ही रहते तो बेहतर होता। वह बाहर रहते और अन्दर आने के बजाय श्री शरद पवार के साथ मिलकर बाहर से ही झांकते रहते। महोदय, शायद उन्हें यहां प्रधान मंत्री जी को प्रेरित करने के लिए लाया गया है। मैं नहीं जानता कि वह उनकी प्रेरणा है। अन्ततः हमें इस संस्थान की गरिमा बनाए रखनी है। हम तो चाहते थे कि वह यहां न आए। यह उनके प्रति कोई अपमान नहीं है। वह एक अच्छे मित्र हैं। जब श्री एन० डी० तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब भी एक ऐसी घटना हुई थी, कांग्रेस में ऐसी घटनाएं, जोड़तोड़ होती रहती हैं। यदि आप इस घटना को एक सांत्वना के रूप में लेते हैं तो ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब तक यह नितान्त अनिवार्य नहीं वे प्रतीक्षा कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जब लास्ट सैशन चल रहा

था तो मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री विजय भास्कर रेड्डी साहब एक बार और यहां क्वश्चन ऑवर में चले आए थे तो हमने आपसे पूछा था कि यह सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं तो इन्होंने हाथ जोड़ते हुए यहां से विदा ले ली। आपने कहा कि वह आपसे छुट्टी लेने के लिए आए हैं, आपको गुडबाई करने आए हैं लेकिन आज ये फिर आ धमके हैं। अब सबसे बड़ा तो, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का अधिकार ही आपने छीन लिया। यह नेता विरोधी दल और श्री सोमनाथ चटर्जी के उठाने लायक सवाल थोड़े ही था, यह राइट तो हम लोगों का था। यह तो हमारे और श्रीकान्त जेना जैसे लोगों के लिया था लेकिन आपने उनको मौका दे दिया।

यह शायद प्रधानमंत्री के मन की घबराहट है कि मुख्यमंत्री तक को यहां बुला लिया और शरद पवार साहब बाहर इन्तजार कर रहे हैं। यह इनकी घबराहट का प्रतीक है। इनको लग रहा है कि आज ये जाने वाले हैं तो सब लोगों को यहां पर बुला लिया। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है और जाने वाला होता है तो सारे रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है कि आ जाइए, अन्तिम दर्शन कर लीजिए। तो हमको लग रहा है कि वैसा ही कुछ हो रहा है। कहीं अन्तिम दर्शन के लिए ही तो लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी के भाषण से यह स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : मान्यवर, समाजवादी पार्टी की ओर से मैं बोल नहीं पाया हूं, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्लीज।

[अनुवाद]

हमने समय दिया है। आप किसी और मुद्दे पर बोलेंगे। कृपया अब आप बैठ जाइए। कृपया हमें अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।

ठीक है, मैं समझता हूं कि श्री नीतीश कुमार इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। मेरी श्री नीतीश कुमार से पूरी सहानुभूति है। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिसमें हम स्वयं संविधानिक उपबन्धों की सुदृढ़ व्याख्या करने लगे हैं। पीठासीन अधिकारी इस स्थिति में नहीं है कि वह श्री विजय भास्कर रेड्डी को इस सभा में आने से रोके। संविधान के अनुरूप वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आप श्री शरद पवार को कैसे रोक सकते हैं ? क्या हम जाकर उन्हें बुलाएं ?···(व्यवहान)

अध्यक्ष महोदय : अब, काफी हो चुका है। हमें समय की कार्यवाही को गम्भीरता से लेना चाहिए।

माननीय प्रधानमन्त्री जी कृपया आप बोलें।

प्रधान मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : महोदय, आपने इसे मेरे भाषण की भूमिका कहा है। क्या गजब की भूमिका है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया और इसमें अपना अमूल्य योगदान किया।

राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी संसदीय प्रणाली में एक विशेष सम्पूकतार्थ होता है। अभिभाषण के प्रारम्भ में विशेषकर राष्ट्र और सरकार के महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला जाता है। उदाहरणार्थ गत वर्ष के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने कुछ प्रस्ताविक चर्चा के बाद सीधे आर्थिक सुधार और आर्थिक कार्यक्रम का सवाल उठाया था। गत वर्ष राष्ट्र का यह सर्वप्रथम लक्ष्य था और यही ठीक था क्योंकि हम बड़ी विकट स्थिति में आ खड़े थे जिस स्थिति से हम सरकार के प्रयासों से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रहे हैं। और इसलिए गत वर्ष के अभिभाषण के समय आर्थिक कार्यक्रमों की सूची ही सबसे लम्बी थी और राष्ट्रपति जी ने समावेश यहीं से अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया था।

इस वर्ष महोदय, दुर्भाग्यवश मैं यह नहीं कहता कि आर्थिक कार्यक्रमों की सूची बन्द कर दी गई है या पीछे छोड़ दी गई है लेकिन राष्ट्रपति की पहली चिन्ता राष्ट्र की जीवन्तता और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की अक्षुणता को कायम रखने की है।

यह भी एक सुविचारित घटना है, जिस पर हमें सर्वप्रथम गौर करना चाहिए, इसी के परिणामस्वरूप एक वर्ष या पिछले दो-तीन महीनों में यह सब घटित हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह हमारा सर्वप्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य और शायद हमारी पहली चिन्ता होनी चाहिए कि हमें इन सब घटनाओं, इन सब बातों पर गौर करना चाहिए।

महोदय, यह पहली बार नहीं हुआ है कि धर्म को राजनीति से अलग करने की आवश्यकता का मुद्दा हमारी चर्चा, इस देश में हमारे विचारों का मुख्य विषय रहा है। संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान इस विषय पर मुख्य बल दिया गया और तब से लगातार समय-समय पर इस विषय पर चर्चा होती रही है। कुछ हद तक हमने इस मुद्दे का समाधान किया है। हमने इसका कुछ हद तक समाधान नहीं किया है। जहां तक इसका समाधान नहीं हो पाया वहीं से इसने पुनः अपना सिर उठाया है और समय-समय पर मुश्किलें पैदा की हैं।

इस सभा से और राष्ट्र से मेरा यह कहना है कि अब वह समय आ गया है कि इस समस्या का और अधिक जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। अब हमें इस बारे में सदा के लिए ठोस निर्णय करना है। हमारा कहना है कि यह देश निरन्तर धर्मनिरपेक्षता पर कायम रहा है और बिना धर्मनिरपेक्षता के इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह जीवन्त नहीं रह सकता। मेरा कहना है कि हमें सर्वप्रथम सभी पार्टियों के साथ स्वयं इस बारे में निर्णय करना है।

महोदय, 1948 में भी जब संविधान पर विचार-विमर्श चल रहा था। संविधान सभा के एक सदस्य श्री अनन्त समनय अय्यंगर ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव का पाठ इस प्रकार था :

> "चूंकि लोकतन्त्र के समुचित निर्वहन और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की अभिवृद्धि के लिए यह अपरिहार्य है कि भारतीय जनजीवन से साम्प्रदायिकता को समाप्त कर दिया जाए अतः इस सभा की धारणा है कि किसी भी साम्प्रदायिक संगठन को, जो अपने संविधान या अपनी कार्यकारिणी अथवा इसके अवयव में निहित विवेकाधिकार से धर्म, वंश और जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को अपनी सदस्यता देती है या उसे अपनी सदस्यता से वंचित करती है, समाज की यथार्थ धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए अपे-

क्षित गतिविधियों से इतर अन्य गतिविधियों में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए वैधानिक एवं प्रशासनिक सभी प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए।"

उसी वाद-विवाद में पंडित जी ने कहा था :

"हमें अपने दिमाग में तथा देश के अन्तर्मन में स्पष्ट रूप से यह बात घर लेनी चाहिए कि साम्प्रदायिकता के मध्य में धर्म और राजनीति का गठबन्धन एक अत्यन्त खतरनाक गठबन्धन है जिससे अवैध और कलुषित विचारों का जन्म होता है।"

उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार महोदय, यह मुद्दा हमेशा चिन्ता का विषय बना रहा है।

दुर्भाग्यवश, समय-समय पर व्याप्त परिस्थितियों के कारण हम इस समस्या का समाधान कुछ अन्य साधनों से मतपेटी आदि के माध्यम से कुछ हद तक कर पाए हैं। लेकिन प्रारम्भ से ही अर्थात् प्रथम आम चुनाव 1952 से अब तक मैं बिना किसी विरोधाभाष के यह कह सकता हूं कि चुनावी राजनीति में थोड़ी-बहुत हद तक साम्प्रदायिकता का संश्लेषण रहा है जो कि तब से सदा बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक यह इतना भयावह नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक वास्तव में इससे देश के अस्तित्व को, देश की अक्षुणता को खतरा नहीं हुआ था।। लेकिन 25 वर्ष के भीतर श्रीमती इन्दिरा गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंची थीं कि यह स्पष्ट करना नितान्त आवश्यक है कि भारतीय लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र की ओर अग्रसर हो रहा है।

'धर्मनिरपेक्ष' शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया। इसमें 25 वर्ष लग गए। तब तक इस शब्द को जोड़ने की अनिवार्यता या ऐसा एकदम स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यह केवल धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र ही है, नहीं पड़ी थी। यह अनिवार्यता 42वें संशोधन में पैदा हुई। 42वां संशोधन इस बात को स्पष्ट करता है कि इस देश में लोकतन्त्र, लोकतन्त्र की संज्ञा इसे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र की ओर ले जाने की है। किसी अन्य लोकतन्त्र में यदि वह राष्ट्र चाहता है तो यह गैर धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है। लेकिन यह राष्ट्र विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र चाहता है। बस यही बात इसमें स्पष्ट की गई है।

धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र में यह एकदम स्पष्ट है कि इसमें शामिल होने वाली पार्टियों की प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, उनका धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष अस्तित्व होना चाहिए। कोई भी प्रक्रिया गैर-धर्मनिरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। यह एक प्रामाणिक तथ्य है। इस तथ्य को सिद्ध किए जाने अथवा इस पर अधिक तर्क किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के इस विशेष पहलू के बारे में और धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र में इसके कार्यकरण के बारे में जानना आवश्यक है।

महोदय, हाल की दुखान्त घटनाओं के बाद देश के कई न्यायविद्, संवैधानिक विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी इसके बारे में मुझे लिख रहे हैं और मैं जानता हूं कि यह उन्माद सारे देश में फैसला जा रहा है क्योंकि अन्ततः हमारा देश एक विचारशील देश है। हजारों वर्षों से यह देश ऐसा रहता आया है।

अतः इस विचार-विमर्श, चिन्तन के परिणामस्वरूप मैंने सरकारी तौर पर कुछ पहलुओं का अध्ययन किया। हमारे पास ऐसे कई प्रावधान हैं जिनसे कुछ हद तक—हम तो कहेंगे काफी हद

तक—धर्म को राजनीति में लाना रोका जा सकता है—लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सका। आज की यही स्थिति है। लेकिन इसे रोकना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इसे समाप्त करना होगा। निसन्देह इसे जनता के दिमाग से निकालना होगा। यह एक लम्बी प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसे संवैधानिक और वैधानिक ढांचे जिस पर लोकतन्त्र का निर्वहन आधारित है। से भी हटाना होगा। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

इसका अध्यन करने के पश्चात् 42वें संशोधन के बारे में मेरा तो कहना है कि यह इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था, उद्देशिका में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ना यह महत्त्वपूर्ण दिशा थी जिसने एक कमी पूरी कर दी। आज स्थिति यह है कि इस मामले का पूरा अध्ययन करने के बाद निम्न निष्कर्ष सामने आया है। अत्यन्त विचारशील नेता श्री मधु लिमये ने इसके बारे में मुझे लिखा और हमने मामले का पूर्णतः अध्ययन किया था। हमने यह पाया :

> "पूर्ववर्ती स्थिति से यह स्पष्ट है कि संविधान के वर्तमान उपबन्ध, चुनाव सम्बन्धी कानून और अन्य अधिनियमों में ऐसी स्थिति से निपटने में पर्याप्त सक्षम नहीं हैं जिसमें कोई राजनीतिक दल स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशेष या सामान्य मुद्दों को उठाए यद्यपि चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों को उठाना विशेष रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित 'भ्रष्ट आचरण' की परिभाषा के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है।"

अतः यह किसी पार्टी के कार्यकरण, उसकी गतिविधियों के समूचे दायरे पर आंशिक रूप से प्रभावी होता है। इस पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है। हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब यह लोकतन्त्र एक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र होगा। इसलिए क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव चिन्ह आदेश में संशोधन करने से राजनैतिक पार्टियों को धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं का लाभ उठाने या उनका शोषण करने से रोका जा सकता है। इसका उत्तर है 'जी नहीं।'

क्योंकि हमने ऐसा प्रयास नहीं किया है। इसका परीक्षण नहीं किया गया है। इसलिए हमें कुछ विशेष उपाय ढूंढने होंगे और यह सरकार उन उपायों की खोज में है। मैं इस सभा में और सभा के बाहर इस विषय पर पूरी बहस चाहता हूं और पूरी बहस के बाद ही हम इस देश में मानवीय प्रवीणता से उत्पन्न एक अत्यन्त कारगर उपाय तक पहुंच पाएंगे। यह सरकार का वायदा है। मैं इस विषय को यहां उठाना चाहता हूं। यह राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस विषय को लेना हमारा प्रथम कर्त्तव्य बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि गत वर्ष की घटना के परिणामस्वरूप प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी और मेरा कहना है कि सभा के समक्ष, राष्ट्र के सामने वह स्थिति आएगी चाहे यह किसी भी रूप में हो। मैं पुनः इस सरकार को किसी संवैधानिक कानूनी संशोधन के सुपुर्द करता हूं जिसकी आवश्यकता इसके ढांचे को समयोचित बनाने के लिए हो सकती है ताकि समूची व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक आदर्श के अनुरूप कायम किया जा सके जैसा कि संविधान में निहित है।

राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम धार्मिक उपाय को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि वह धार्मिक संख्या है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सार यही है। यदि कोई अपने अधिकारों, अपनी शिक्षा या अन्य बातों के लिए हिन्दू या मुस्लिम संस्था को अपनाना चाहता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए संविधान खुला है। उसमें इसकी अनुमति है। लेकिन हम चुनावी राजनीति में इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि चुनावी राजनीति में आने के बाद इसका स्तर वह स्तर नहीं रहता है। हर चीज अपने स्तर पर होनी चाहिए। दोनों पक्षों

के लिए इसके कुछ लाभ या हानियां हो सकती हैं। यदि हिन्दू होना ही एक योग्यता है और पार्टी कहती है कि यह सभी हिन्दुओं के लिए है और दूसरी पार्टी मुस्लिम बन जाती है तो फिर इस देश में हम चुनाव ही क्यों करवाएं। 85 प्रतिशत हिन्दू हैं। यहां तक कि चुनाव से पहले ही परिणाम बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार जब तक इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या धार्मिक आधार पर विभाजित न होकर वैचारिक आधार पर विभाजित नहीं होती और ऐसी ही स्थिति अल्पसंख्यक लोगों के साथ भी हो, तब तक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र नहीं आ सकता। इसलिए इसे रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। जैसे राजद्रोह का आह्वान करना गैरकानूनी है उसी प्रकार इसे भी गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, पंजाब के चुनावों में कुछ नेताओं ने कहा 'मैं' इन चुनावों को 'खालिस्तान' के लिए जनमत संग्रह के रूप में ले रहा हूं। हमने चुनाव रोक दिए। ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मिजोरम में आपके मैनीफेस्टो में था कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वहां क्रिश्चियन सरकार बनेगी।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां भी ऐसा हुआ है यह गलत हुआ है। संवैधानिक रूप से यह गलत है। ···(व्यवधान)··· हम कुछ गम्भीर बात कर रहे हैं। इस वाद-विवाद में ज्यादा चिल्लाने से सफलता नहीं मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मिजोरम में आपके मैनीफेस्टो में यह था या नहीं था ?

[अनुवाद]

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं आपसे सहमत हूं। मिजोरम में राज्य के कांग्रेस मैनीफैस्टो में यह गलत बात जोड़ दी गई थी। हमने इसे हटा दिया। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। हम इस बात से एकदम अलग हैं। जो कुछ हुआ वह गलत था। वह एकदम गलत था। इस देश में ऐसे मामले हुए हैं कि धार्मिक भावनाओं के दोहन की अपील करने वाले 'पम्पलेट्स' को उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना और चुनाव रोक दिए गए।

बम्बई हाई कोर्ट के ऐसे निर्णय हो चुके हैं जिनमें इस सिद्धान्त को सही माना गया है यह तो केवल, वर्तमान कानून वर्तमान मामले संबंधी कानून को सुदृढ़ करने, और जहां कहीं इसमें कोई खामी है, उस खामी को दूर करने का मामला है जिससे कि इस देश में धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र त्रुटिहीन बने, तथा सभी अर्थों में अलंघनीय हो ···(व्यवधान)··· अतः मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं और वह हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी।

अब इस वाद-विवाद ने अन्य दो वाद-विवादों को पीछे छोड़ दिया है। एक रेलवे संबंधी चर्चा है। मेरे मित्रों ने कुछ रेलवे के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। उसके लिए रेल मंत्री जी को कार्यवाही करनी पड़ेगी उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक गतिविधियों के बारे में काफी कुछ बताया गया है। उन्होंने आर्थिक नीति पर प्रमुख जोर देने की बात कही है। जिसे पिछले वर्ष अनुमोदन दिया गया था और जिसका अनुसरण करते हुए हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। लेकिन

मैं इस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि बजट पर चर्चा के दौरान इन सब पर चर्चा होगी। अत: मैं इसे बजट पर चर्चा के दौरान विचार किए जाने हेतु छोड़ता हूं।

केवल एक मुद्दा जो अभी तक अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं हुआ है, उस पर मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा और वह है कृषि का महत्त्व। यह केवल नारे के रूप में ही इस बारे में कुछ कहा गया है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई है। मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि 1993-94 के बजट में गरीबी कम करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा गरीबों के उत्थान की हमारी नीति के बारे में आश्वत किया गया है, जैसे कि सरकार विनिमयन और उद्योगों आदि में सीधे हस्तक्षेप के मार्ग से हट रही है, तो इसे मुख्यत: केवल उन्हीं सेवाओं पर ज्यादा दृढ़ता से ध्यान केन्द्रित करना होगा जो वह प्रदान कर सकती है। बजट में हमारे इन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के प्रति हमारी वचनबद्धता को दर्शाया है। यह प्रमुखतया गरीबी दूर करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए आबंटन में वृद्धि करने पर ज्यादा जोर देगा। कृषि क्षेत्र में सोलह प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में छत्तीस प्रतिशत का भारी वृद्धि की है जो 5,000 करोड़ तक पहुंच गई है। पचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास में 110 प्रतिशत या 120 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। यह 14,000 करोड़ रुपये से शुरू होकर 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, क्योंकि हमने सोचा कि यह जरूरी है। अगले पांच वर्षों में वस्तुत: ही ग्रामीण विकास के लिए वृद्धि की जानी है जिसमें ग्रामीण रोजगार पानी जवाहर, रोजगार योजना आती है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह वृद्धि 29 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में यह वृद्धि 17.6 प्रतिशत है। यह वृद्धि पिछले बजट में नहीं थी। इसलिए इसके हेतु विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है। जहां एक तरफ आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण किया गया है, नियन्त्रण हटाकर लोगों को अपने ही उद्योग लगाने की स्वतन्त्रता दी गई है वे खुद फैसला करें, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी आबादी रहेगी ताकि इस परिवर्तन से मतभेद न बढ़ जाए, असमानता न बढ़ जाये, ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बड़ी राशि दी गई है ताकि सब सन्तुलन बना रहे तथा ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में परस्पर एकरिश्ता बना रहे।

4.00 म० प०

हमने हाल ही में कृषि के विकास के लिए राज्यों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों से विचार-विमर्श करके एक प्रगतिशील कृषि नीति तैयार की है। कृषि सम्बन्धी नीति संकल्प पर 5 मार्च, 1993 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी जिन्होंने मोटे तौर पर इसको स्वीकृति दे दी थी। कृषि सम्बन्धी नीति संकल्प को संसद के समक्ष सांसदों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। नीति में ढांचागत विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास और अधिक सार्वजनिक निवेश, ऋण के अच्छे प्रावधान और अन्य साधन तथा अनुकूल मूल्य देने की व्यवस्था कृषि के क्षेत्र में व्यापार व निवेश वातावरण पर जोर दिया गया है।

वस्तुत: इसी पर पूरा जोर है। यह केवल उत्पादन की ही बात नहीं है। इसमें कृषि में व्यापार और निवेश वातावरण भी निहित है? इस साल के बजट में पहली बार कृषि के लिए इतना भारी पूंजी निवेश किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वास्तव में कृषि पर निवेश लगातार कम होता जा रहा था।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कृषि संबंधी निवेश के बारे के सरकार की नीति को एक नया

मोड़ देने तथा जब तक हम कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं। उससे अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। पिछला अनुभव रहा है। जब कभी अच्छी फसल होती थी तो सब कुछ ठीक होता था। जब कभी सूखा पड़ता था चाहे सब कुछ ठीक क्यों न हो फिर भी अच्छी हालत का राष्ट्र की अर्थव्यस्था पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः यह एक मुद्दा है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, कृषि में एक कठिनाई आती है और मैं माननीय सदस्यों को सरकार के विचारों से अवगत कराना चाहूंगा। कृषकों के कुछ वर्गों से उर्वरकों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। जहां तक नाइट्रोजीनस उर्वरकों का संबंध है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, क्योंकि मूल्य कम हो गए हैं। फास्फेटिक उवंरकों विशेषतया डी० ए० पी० के सम्बन्ध में एक शिकायत की गई है। यह शिकायत दो-तरफा है। एक तरफ हमारी अपनी फैक्ट्रियां 9,200 रुपये प्रति टन की लागत पर डी० ए० पी० का उत्पादन कर रही हैं, जबकि आप इसी डी० ए० पी० को 6000 रुपये 6,500 रुपये की दर से आयात कर सकते हो। अब राष्ट्रीय हित में क्या है। यही दुविधा उत्पन्न होती है। मैं निवेदन करूंगा···(**व्यवधान**)···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : स्वदेशी फैक्ट्रियों का क्या होगा ? ··(**व्यवधान**)···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप बात क्यों नहीं सुनते हो। महोदय यही दुविधा है, आप दो-तिहाई मूल्य पर कोई चीज प्राप्त कर सकते हो। किसी किसान से पूछिए वह क्या करना चाहेगा। क्या वह इसे 6,000 रुपये में लेना चाहेगा या 9,000 रुपये में चूंकि वह देशभक्त है क्या वह सोचेगा कि हमारी अपनी फैक्ट्रियां उन्नति करेंगी और उसे 9,000 रुपये में ले लेना चाहिए। ···(**व्यवधान**)···

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उत्पादन लागत कम क्यों नहीं हुई है।···(**व्यवधान**)···

[**हिन्दी**]

श्री नीतीश कुमार : अपनी फैक्ट्रीज में इतना महंगा उत्पादन होने का क्या कारण है ? ···(**व्यवधान**)····

श्री पी० वी नरसिंह राव : आप सुनते क्यों नहीं।···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

यहां किसी एक वर्ग की वात उठाने में काम नहीं चलेगा। दूसरे पक्ष के हमारे मित्र जो जोर-जोर से बोल रहे हैं अनावश्यक रूप से अपने गले में दर्द कर रहे हैं। वे केवल एक वर्ग अर्थात् उद्योग और श्रम की बात करते हैं। यदि उद्योग को अधिक आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाता है, तो श्रमिकों को निकालना पड़ेगा, यह उनकी चिन्ता उचित है। मैं समझ सकता हूं। लेकिन अन्य चिन्ता भी है, जो कि किसानों की है। यदि आप उन्हें दे सकते हो तो वह इसे 6,000 रुपये पर चाहते हैं। जब कीमत कम हो तो क्या यह हमारे लिए सम्भव नहीं है कि 'बफर स्टाक' किया जाए। 'बफर स्टाक' का विचार हमारे लिए तब भी सम्भव हो सकता है जब मूल्य 6,000 रुपये और 9,000 रुपये के मध्य हो लेकिन किसान के पहुंच के भीतर होना चाहिए, हमें यही रवैया अपनाना चाहिए न कि आयात को बन्द कर दिया जाए यही बढ़िया नीति है, जो किसानों के लिए विचारणीय हो सकती थी और यही हम सोच रहे हैं। दूसरी तरफ, उवंरकों का समूचा उद्योग है।

हमने इसे बड़ी लागत से बनाया है। इन उद्योगों के उत्पादन से 40 से 45 प्रतिशत की हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है। हम इसे बेकार नहीं जाने दे सकते। इसलिए हमें इनको बनाए रखना होगा और इसके लिए हम योजना भी बना रहे हैं। अत: यह दो तरफा पहल है, जब कभी हम कम मूल्य पर आयात करते हैं तो हम माल का स्टाक कर सकते हैं और इसके साथ-साथ स्वदेशी उद्योगों की मदद करके उनको उन्नत बना सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नहीं होता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह भी होता है, वह भी होता है। दोनों का एक ही पैकेज है। दोनों का एक ही पैकेज है। यह भी होता है, वह भी होता है। ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

मैं श्री चटर्जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक के बिना दूसरा सफल नहीं हो सकता। यदि आप आयात नहीं करते और यदि आप 9,000 रुपये प्रति टन पर जोर डालते रहेंगे तो समूची अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जहां राज सहायता उपलब्ध नहीं है आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले वर्ष राज सहायता 12,000 करोड़ करने जा रहे हैं। क्या इस देश के कर दाता के लिए देश के गरीब लोगों के लिए संभव है वे अकुशल उद्योगों के लिए 12,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकें। यह संभव नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप सरकारी क्षेत्र को प्रतियोगी बनाने के लिए आयात जरूरी क्यों समझते हो।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आयात जरूरी है क्योंकि इस देश में उर्वरक का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, जहां तक पोटाश का संबंध है देश में एक तोला भी उर्वरक का उत्पादन नहीं होता। पूरा पोटाश उर्वरक बाहर से आता है।

महोदय, ये कृषि की खामियां हैं और यदि हम समझते नहीं और उन्हें सुलझाने का प्रयास नहीं करते, तो कृषि संबंधी समस्याएं जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। यही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। यही पैकेज है, जो मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। हम इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब कभी कृषि की बात होगी तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : आप यह बता दीजिए कि अमेरिका से गेहूं क्यों इम्पोर्ट किया गया जब कि यहां 300 रुपये क्विंटल मिल रहा था ?···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उर्वरकों पर हमने एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी। हमने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। हम समिति की सिफारिशें लागू कर रहे हैं, जबकि यहां पर आवाजें उठाई जा रही हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने अपनी जे० पी० सी० की रिपोर्ट को नही पढ़ा है। इसलिए ये सब हो रहा है इसलिए अच्छा होगा जे०

पी० सी० की रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ा जाये कि उसमें क्या सुझाव थे और उन्हें कहां तक लागू किया जाए।

महोदय, जहां तक आयात का सम्बन्ध है इस वर्ष मेरे विचार से कोई आयात नहीं होगा। हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और हमारी रबि की फसल भी उतनी ही अच्छी होने की संभावना है। इस वर्ष गेहूं का आयात नहीं किया जाएगा और मुझे आशा है आगे भी गेहूं का आयात नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं फिर कहना चाहूंगा कि कृषि सम्बन्धी सभी प्रकार की प्रगति के बावजूद हमें अभी भी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि प्रकृति साथ नहीं देती, तो इस देश में सूखा पड़ता है देश स्वयं पर निर्भर नहीं होगा, देश में सूखा पड़ता रहता है चाहे एक राज्य में या अन्य राज्य के किसी हिस्से में या सभी जिलों में हो। कभी-कभी इस देश में भयंकर सूखा भी पड़ता है। मुझे आशा है कि इसकी पुनरावृति नहीं होगी क्योंकि हमने काफी हद तक सिंचाई की व्यवस्था कर ली है। और इसलिए आजकल भयंकर सूखा नहीं पड़ रहा है। यदि ऐसा सूखा पड़ता है, तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृषि का महत्त्व हमेशा रहा है। कृषि सम्बन्धी विकास भी बहुत जरूरी है। लेकिन यह विस्तार कहां किया जाए पंजाब में कुछ करने के लिए नहीं है, हरियाणा में भी कुछ करने योग्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सूखे से निपटने के लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप समझने की कोशिश कीजिए।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

यह योजना केवल गंगा के मैदानों के लिए है। यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है। यह केवल बिहार के लिए है। यह उन क्षेत्रों में है जो प्राकृतिक रूप से सम्पन्न हैं, लेकिन साथ-साथ हमें उन क्षेत्रों को नहीं भूलना है जहां निवेश किया जाना है। मैंने कृषि विशेषज्ञों से यह कहते हुए सुना है कि केवल एक बिहार राज्य ही सारे भारत को खिला सकता है। बिहार की भूमि उपजाऊ है। मैंने इसे देखा हुआ है। लेकिन आज वहां की जो उपज हो रही है उस पर गर्व नहीं किया जा सकता। वह लगभग हरियाणा या पंजाब का आठवां व दसवां हिस्सा है। अतः पूर्वी क्षेत्र प्रति एकड़ उपज में वृद्धि का क्षेत्र है। अयोध्या का क्षेत्र भी इसमें आता है यदि हर कोई केवल अयोध्या के बारे में ही सोचेगा और कोई व्यक्ति कृषि के बारे में नहीं सोचेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्र का ध्यान धर्म से, रूढिवादिता से प्राचीन नारों से हटाकर पीछे जाने के बजाय 21वीं सदी में ले जाना है। यही समस्त बातों का सार है। सारा कार्य क्षेत्र इसी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस वाद-विवाद को यहीं पर समाप्त करने के लिए सदन से इसका अनुमोदन करने के लिए कहूंगा। हमने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द किया है। मन्दिर बनेगा, मस्जिद बनेगी। आपको और हमें विशेष तौर से संसद सदस्यों को इन बातों से अपना दिमाग खराब नहीं करना है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय ठीक ले लिया गया है। इसे क्रियान्वित किया जाएगा। एक बार उच्चतम न्यायालय कहता है कि जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर यह है। उस पर कार्यवाही की जाएगी उस पर अमल किया जाएगा पहले ही बहुत आलोचना हो चुकी है। इस सम्बन्ध में पहले ही संदेह व्यक्त किया जा चुका है। हमें एक मौका दिया जाना चाहिए। हर हालत में देश की कार्य सूची को बदलना होगा।

मैं प्रत्येक सदस्य से अपील कर रहा हूं कि हमें राष्ट्र के कार्यकरण में बदलाव लाना चाहिए, राष्ट्र की आर्थिक दशा में पुनः सुधार लाने चाहिए, आर्थिक स्थिति को फिर उसी स्थिति में पहुंचाना चाहिए जहां पिछले वर्ष थी तथा जहां से उसने कुछ गिरावट आनी शुरू हो गई थी लेकिन इसे पुनः अपनी उसी स्थिति में आना होगा और इन्हीं वास्तविक तरीकों के माध्यम से राष्ट्र के कार्यकरण को अब आगे बढ़ाना होगा। यही मेरा निवेदन है।

कमजोर वर्गों के लिए हम पहले ही कदम उठा चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। उसके लिए जो समय निर्धारित किया है उसका भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में से सामाजिक रूप से प्रोन्नत व्यक्तियों और वर्गों को निकालने के लिए सही और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक मानदंड का प्रयोग करते हुए, आधार सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अधिक संख्या में व्यक्तियों को शामिल करने अथवा कम संख्या में शामिल करने सम्बन्धी शिकायतों और उसमें और वर्गों को शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने, जांच-पड़ताल करने तथा सिफारिश करने हेतु एक स्थायी संस्था का गठन किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः एक स्पष्ट निर्णय दिया है। इस मामले का कुछ न कुछ हल होना ही है और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करके इसे हल करने का समय आ गया है। यही करने का सरकार का निश्चय है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो समयावधि निर्धारित की है, उसी के अनुरूप कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन हैं ही नहीं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : जो 27 परसेंट रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया गया है, वह इस बार के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के एग्जामिनेशन में क्यों इन्क्लूड नहीं किया गया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : राम विलास जी, आप कई लोगों के साथ मेरे पास आ चुके हैं, कई रिप्रजेंटेशन लेकर के मेरे पास आ चुके हैं। आपको पता है कि जब आप कुछ कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली लेता हूं। कोई बात होगी, कोई एनीमेली होगी, तो उसको आप बताइये, उसको बिल्कुल ठीक किया जाएगा। यहां तक कि अभी हाल में बूटा सिंह जी और कुछ मित्र आए थे, उन्होंने कोई ऐसी एनोमेली दिखायी थीं, मैं आपसे वायदा करता हूं कि सारी चीजों में हम जाएंगे, उनकी छानबीन करेंगे और जो कुछ हो सकेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस चौखटे के अंदर जो कुछ हो सकेगा, जो कुछ होना चाहिए, वह बराबर होगा। मैं इसका आश्वासन देता हूं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि राष्ट्र की कार्यसूची कुछ अलग हो गई थी जहां

यह बिल्कुल अलग और अनावश्यक क्षेत्र के लिए थी। सौभाग्य से हमारे लिए यह दबाव गंभीर मोड़ नहीं ले पाया। मैं जानता हूं कि सरकार को मुम्बई में हुए दंगों से माननीय वित्त मंत्री के अनुसार 4000 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह कुछ अधिक भी हो सकता है। लेकिन स्थिति में सुधार हो रहा है। स्थिति सामान्य होती जा रही है। और तेजी से सामान्य होती जा रही है। जनवरी और फरवरी के आंकड़ों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था के निर्यात सहित सभी क्षेत्रों में विकास की प्रवृति नजर आ रही है। यह एक स्वस्थ लक्षण है, जिससे हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए।

महोदय, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि केवल एक महीने अथवा पांच या छह सप्ताह में ही हम ऐसे देशों से संपर्क करने में समर्थ हो सके हैं जिनसे हम देश में बड़े पैमाने पर निवेश करने की उम्मीद करते हैं। अयोध्या मसले के तुरन्त बाद लगभग पन्द्रह दिन अथवा एक महीने के समय तक उसमें अवरोध-सा आ गया था आपस में पूछ रहे थे कि क्या भारत में सामान्य स्थिति आ पाएगी। एक महीने के पश्चात् स्थिति थोड़ी सामान्य हुई और अब तो तेजी से इसमें सुधार हो रहा है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि हम पुरानी स्थिति में पहुंच गए हैं। देश सामान्य रूप से काम कर रहा है और वह स्थिति हमें तथा अन्य देशों में हमारे मित्रों को भी स्वीकार्य हो गई है। राष्ट्रपति येल्तसिन की यात्रा से यह साबित हो गया है कि हमारे पहले जैसे सम्बन्ध विश्व के उस भाग के देशों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों, समाप्त नहीं हो गए हैं। हमने बहुत सी पिछली समस्याओं को हल किया है। मेरा भाषण शुरू होने से पहले कुछ सदस्य मात्र यह पूछ रहे थे कि कि रूस में क्या हो रहा है। अब हम रूस के साथ न्यूनाधिकत सभी मुख्य समस्यायें हल कर चुके हैं।

केरल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से अनेकों किसान विस्तृत और तीखी समस्यायें लेकर आये थे कि वे जो कुछ पैदावार कर रहे हैं वह दूसरे स्थानों पर नहीं जा रही है। "भारत सरकार हमारे लिए बाजार उपलब्ध क्यों नहीं कराती ?" बाजार तलाश करना कोई आसान कार्य नहीं है। हमारे पास पूर्व सोवियत रूस का ही एकमात्र बाजार था और वह अब बिल्कुल निरर्थक हो गया था। अब वहां बाजार गतिविधियां शुरू हुई हैं ? तीन दिन पहले ही अनेक लोगों ने मुझे आकर बताया कि बाजार में काम काज शुरू हो गया है। स्थानीय काउंटर खुल गए हैं। एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यह अभी हाल में ही हुआ है और हमें इसके बारे में खुश होना चाहिए क्योंकि सोवियत रूस हमारे आर्थिक कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण घटक रहा है। उस महत्ता को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जिनका यह विचार है कि हमें वैकल्पिक बाजार तलाश करने चाहिए। यह सरकार अपनी उन सुस्थापित और परम्परागत बाजारों को नहीं छोड़ेगा जो इसके पास हैं। हम वहां व्यापार करते रहेंगे। हम उनमें और नजदीकी संबंध स्थापित करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति येल्तसिन, जिसकी हमने उम्मीद की थी, उससे भी अधिक उत्साह दिखा रहे थे, क्योंकि उससे पहले सरकारी स्तर पर गतिविधियों में सक्रियता नहीं आ रही थी। उनमें सचमुच उत्साह नहीं था लेकिन शिखर वार्ता में स्तर पर जब वे यहां आये तो मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये सभी कठिनाइयां हल हो गई हैं। इसी प्रकार अन्य देशों के दौरे रहे हैं, जिसका केवल यही अर्थ हुआ है कि कार्यकरण में बदलाव आया है। हमें मूल कार्यसूची को लेकर चलना होगा और इस संबंध में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और न ही इस पर पुनः विचार करना चाहिए।···(व्यवधान)···

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए अन्य प्रश्नों पर आगे होने वाली चर्चाओं में विचार किया जायेगा। इस प्रकार मैंने सभा के सामने राजनीतिक पक्ष, राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष विश्वास को बचाने और राष्ट्र को जीवित रखने वाली भावना को तथा दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के अति महत्त्वपूर्ण पहलू पर अपनी भावना को रखा है। केवल यही दो बातें मैंने सभा में रखी हैं। दूसरे मामले भी उचित समय पर अन्य चर्चाओं के दौरान सामने आयेंगे। मैं अपनी बात कह चुका हूं। ·· (व्यवधान)···

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इन मामलों पर चर्चा करने के लिए 12 घटे का समय जो दिया गया था, वह नहीं, बल्कि 17 घण्टे दिए गए हैं। मैं केवल एक या दो सदस्यों को अनुमति दूंगा उससे अधिक नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाषण है जो सरकार के नेता की ओर से आ रहा है। हमने महत्त्वपूर्ण मामले उठाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधान मन्त्री उन सभी पर लगभग सभी पर ध्यान देंगे। लेकिन उन्हें श्री मनमोहन सिंह और श्री जाफर शरीफ की ओर सरकाने से समस्या का हल नहीं होगा। कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि मैं आज सांप्रदायिकता के प्रश्न पर आज के दिए गए स्पष्ट वक्तव्य का स्वागत करता हूं। देर आए दुरुस्त आए। दुःखद घटनाओं के बाद उनको समझ आ गई है। मैं उस वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। उनकी पार्टी में और कुछ नहीं केवल अकर्मण्यता है। सिर्फ कुछ वक्तव्य देने के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है।लेकिन कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण मामले हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मन्त्री इसका जवाब देंगे। संभवतः, श्री कुमारमंगलम् ने उनको गुमराह किया है, उन्होंने उनको जानकारी नहीं दी है। त्रिपुरा का क्या हुआ ? दो या तीन दिन तक सभा में कार्यवाही नहीं चल सकी। हमें आश्वासन दिया गया था कि त्रिपुरा के बारे में वक्तव्य दिया जाएगा।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : हां महोदय, श्री सोमनाथ जी के पास बाहर से पता लगाने के लिए समय नहीं है क्योंकि सभा में कुछ नहीं हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, मैं सभा को प्राथमिकता देता हूं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : हां, बहुत अच्छे। मैं आपको बाहर से प्राप्त जानकारी भिजवाने का प्रयास कर रहा हूं। त्रिपुरा में कार्यवाहक सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। और यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है।···(व्यवधान)··· राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हमने राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी है। निःसन्देह निर्णय उन्हें लेना होगा।···(व्यवधान)···

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे लगता है कि देर आयद दुरुस्त आयद। इसमें दो या तीन चीजें हैं। कृपया दंगा पीड़ितों की स्थिति और हाल ही में हुए दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। देश में हुए दुर्भाग्यपूर्ण दंगों के दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उस पर आपने एक भी शब्द नहीं बोला। लोगों को मुम्बई से निकाला गया है।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : वे वापिस लौट रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जिन लोगों को मुम्बई से निकाला गया वे बहुसंख्यक समुदाय के हैं। शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की ख्याति को उजागर करने वाला यह सबसे प्रशंसनीय कार्य है। हम मांग कर रहे हैं कि अयोध्या मसले पर सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 138(2) पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। आप क्यों उन बातों को पुनः उजागर कर रहे हैं ? वहां केवल एक विषय पर निर्णय लिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि आप अयोध्या के प्रश्न पर पुनः उत्तेजित होने और उस पर पुनर्विचार के लिए उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति, जिन्हें आप जानते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म और राजनीति को मिला रहे हैं। अब आप उसकी बागडोर उनके हाथ में दे रहे हैं। माननीय प्रधान मन्त्री ने कुछ भी नहीं कहा है। डंकेल प्रस्ताव पर जब सारा देश उत्तेजित होगा, सभा उत्तेजित होगी, तब हमें बोलना चाहिए। प्रधान मन्त्री महोदय आपने इस देश की आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त के बारे में कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जी, हम आर्थिक मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने उर्वरक उद्योग में उत्पन्न हुए संकट के बारे में कहा है। लेकिन इसके साथ घरेलू उद्योगो का अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है। उन्हें इसके बारे में भी कहना चाहिए था।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैंने उस पर पहले ही बात कर ली है।...(व्यवधान)...

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने एक अन्य बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में है।

[हिन्दी]

इसमें कुछ तो बोलना चाहिए था।

[अनुवाद]

अति महत्त्वपूर्ण बड़े मुद्दों पर आप चुप रहते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी०वी० नरसिंह राव : आप लिखकर ले आए हैं तो पूरा पढ़ ही दीजिए, उसमें से कई का जवाब तो मिल चुका है। फिर तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसका पढ़ेंगे ? क्या पढ़ेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रधान मन्त्री जी से एक बात की सफाई मैं चाहता हूं। मिजोरम के मामले को जब यहां पर उठाया गया तो प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि जो कांग्रेस के घोषणा-पत्र में लिखा था कि हम मिजोरम को ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं, उसका पार्टी की ओर से या किसी स्तर से, उसकी निन्दा की गई है। अध्यक्ष जी, उस चुनाव के बाद मैं मिजोरम गया था। वह घोषणा पत्र और वहां की पूरी स्थिति का अध्ययन किया था। उस घोषणा पत्र को यहां दिल्ली में लोगों के सामने रखने का काम मैंने किया था। कांग्रेस पार्टी को उस वक्त मैंने चुनौती देकर कहा

था, आपने यह बात कैसे कही, लेकिन कभी भी इस प्रश्न का जवाब आज तक हमको नहीं मिला था। अब जब प्रधान मन्त्री जी ने यहां पर यह बात कही, तो मैं चाहता हूं, प्रधान मन्त्री जी इस बात को, जो निन्दा की बात कही है, पूरे सबूत के साथ कहें।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : इसमें सबूत क्या है। हमने उसी दिन, राजीव गांधी जी ने खुद कहा इससे डिसोशिएट करते हैं। यह गलत बात है। यह कोई आल इंडिया कांग्रेस की बात नहीं है। हमारे पार्टी प्रैजीडेंट ने कहा।···(**व्यवधान**)···

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : इलैक्शन के बाद।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : चुनाव के वक्त ही कहा था।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने अनुच्छेद 138(2) के तहत अयोध्या का मामला उच्चतम न्यायालय को देने के बारे में एक मुद्दा उठाया था, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जो सब पर बाध्य होगा यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।·· (**व्यवधान**)···

श्री पी०वी० नरसिंह राव : क्या मैं वास्तव में इस मुद्दे का हवाला दे सकता हूं? मेरे विचार से यह जरूरी नहीं था लेकिन चूंकि यह मुद्दा निरन्तर उठाया जाता रहा है, मैं इसका उत्तर देना ठीक समझता हूं यह सच है कि जब उत्तर प्रदेश में बी० जे० पी० सरकार थी, हम चाहते थे कि बी०जे०पी० सरकार अनुच्छेद 138(2) के लिए सहमत हो जाएगी। अनुच्छेद 138(2) के तहत जो अनिवार्य है उसको देखते हुए यदि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार सहमत हो जाती है तो इससे कोई न कोई निष्कर्ष निकल आएगा और कोई समस्या नहीं रहेगी, यदि दोनों सहमत हो जाते हैं तो न्यायालय अपना अन्तिम निर्णय दे देगा और हर एक को प्रसन्नता होगी। इस बारे में उत्तेजित होने का कोई फायदा नहीं होगा। यही केन्द्रीय मुद्दा है समूची बात का केन्द्र बिन्दु यही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ही सहमत नहीं होती, सहमत नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते के मामले में कोई समय सीमा नहीं है चाहे इसमें दस वर्ष या बीस वर्ष लगे सामान्य मुकदमेबाजी चलती रहेगी। हम फिर से राष्ट्रीय एजेन्डा लाएंगे। हम अयोध्या के बारे में भूल जाएंगे क्योंकि अन्य कोई इस मामले की जांच कर रहा है। यही विचार था। बी०जे०पी० या किसी अन्य के खिलाफ इसमें कोई बुरी भावना नहीं थी। हम केवल यह चाहते थे, मामले पर अन्ततः निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रत्येक बात पर अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिए और उसके लिए हम दोनों की राय की आवश्यकता है यदि हमें दोनों की सहमति नहीं मिलती है तो यह एकतरफ मामला हो जाएगा। यदि वे अनुच्छेद 138(2) पर सहमत नहीं होते हैं तो वे फिर से आन्दोलन करते रहेंगे। हमको हर वर्ष, हर माह हर रोज आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा। हम इस स्थिति में उलझ रहे हैं। हम इस स्थिति में उलझना नहीं चाहते। आज भी हम चाहते हैं, दोनों सहमत हो जाएं। महोदय आज भी मैं उनके लिए यह खुला प्रस्ताव रख रहा हूं।

हमने अनुच्छेद 143 को भी पढ़ा है। हम फिर से अनुच्छेद 138 के तहत जाने को तैयार है, यदि बी०जे०पी० सहमत हो जाती है कि वे उसका अनुसरण करेंगे। यही मैं कह रहा हूं। ···(व्यवधान)···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसमें बी०जे०पी० कैसे आ जाती है ?···(व्यवधान)···

श्री पी०वी० नरसिंह राव : कृपया इन्तजार कीजिए···(व्यवधान)···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप उनके बारे में भूल जाइए।···(व्यवधान)···

श्री पी०वी० नरसिंह राव : कृपया बैठ जाइए।···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

शाहबुद्दीन जी, आप बैठ जाइए। आपके लिए तो अलग जवाब है मेरे पास···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। कृपया समझने की कोशिश कीजिए, कृपया जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। महोदय, मेरे लिए अब यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का मामला नहीं है क्योंकि आज राज्य सरकार भी हमारे पास है। मैं स्वयं से सहमत हूं। यदि मैं आज 138 की बात करता हूं तो लोग उस पर हसेंगे।···(व्यवधान)···

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, नहीं।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आपने अन्य दलों से सलाह की है।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैंने प्रत्येक से सलाह की है···(व्यवधान)···

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : इससे हम समझते हैं कि प्रधान मन्त्री के पास वीटो नहीं है। वीटो श्री आडवाणी के पास है न कि प्रधान मन्त्री के पास। अब हमने यह समझ लिया है। ···(व्यवधान)···

श्री पी०वी० नरसिंह राव : समय सीमा जिसकी मैं बात कर रहा हूं।···(व्यवधान)···

श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

महोदय, मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं इस मामले को अगले 20 वर्ष तक लम्बित नहीं करना चाहता हूं जिससे कि आन्दोलन बढ़े बल्कि मैं इस मामले को सुलझाना चाहता हूं। अगले कुछ महीने में यह मामला हल हो जाएगा। यह मामला 143 के अधीन हल किया जा सकता है न कि 138 के तहत। इसे सुलझाना है। मैं इसको हर हाल में सुलझाना चाहता हूं। इसे सुलझाना पड़ेगा।···(व्यवधान)···

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, प्रधान मन्त्री ने कहा था कि अब भी हम सहमत हैं इसलिए जो कारण उन्होंने दिया है, वह कोई कारण नहीं है। देश ने मांग की है कि 138(2) के अधीन मामले को हल किया जाना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : देश उसकी मांग नहीं करता। मेरे लिए संबंधित पार्टियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें नहीं हैं।···(व्यवधान)···

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मन्त्री जी, कृपया अपने आपसे समझौता न कीजिए। कृपया उस पर कोई असमर्थता मत दिखाइए। आपको 138(2) पर दृढ़ रहना चाहिए। आपको हमेशा के लिए यह सब मामला समाप्त कर देना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इस पर पूर्ण रूप से दृढ़ हूं। अगले छः या आठ महीनों में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ जाएगा। इसे पूर्णतया लागू किया जाएगा और इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसका विरोध करेगा।...(**व्यवधान**)...

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके निष्कर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा ? यह बहुत गम्भीर मामला है।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, आप श्री राम नाईक के बाद बोल सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... हमने इस मामले पर काफी समय तक चर्चा की है। जब हम बजट और मांगों पर चर्चा करेंगे तो हमें अन्य कई मामलों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। मैंने आपको बहुत संक्षिप्त व सारगर्भित बोलने का मौका दिया है। मैं प्रधान मन्त्री जी के सब प्रश्नों का एक साथ उत्तर देने का अनुरोध करूंगा जिससे इन सबसे निपटा जा सके।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वे अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री राम नाईक : पिछले वर्ष विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान हमने मांग की थी कि प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दो करोड़ रुपए आबंटित किए जायें।

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा बजट चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।

श्री राम नाईक : आज संसद में श्री अन्ना जोशी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था और उस समय प्रधान मन्त्री जी भी उपस्थित थे। उस समय उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय : बजट चर्चा के दौरान इस पर चर्चा की जा सकती है। अब श्री नीतीश कुमार।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अभी प्रधान मन्त्री जी ने जो जवाब दिया और जवाब में जो कुछ उन्होंने कहा है कि अयोध्या के मामले को सुप्रीम कोर्ट में 138(2) के अन्तर्गत नहीं देने की स्थिति उनकी तब तक है जब तक भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर एग्री नहीं कर जाती है। इसका मतलब साफ है कि अयोध्या के मसले पर अभी भी केन्द्र सरकार का रुख साफ नहीं है और अयोध्या के सवाल पर केन्द्र सरकार उन्हीं शक्तियों के साथ मिल रही है जिन्होंने मस्जिद को डिमोलिश किया। दूसरी बात यह है कि मंडल कमीशन के मामले में 16 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ तौर पर वी०पी० सिंह गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को जायज करार दिया, उसके बाद उस तारीख के बाद जितनी भी केन्द्रीय सरकार की नौकरियां निकलीं उनमें 27 फीसदी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होनी चाहिए थीं लेकिन इसकी उपेक्षा करके इस बार की यू०पी० एस०सी० की परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है और इस सवाल पर प्रधान मन्त्री जी ने साफ-साफ कुछ भी नहीं कहा है। हम प्रधान मन्त्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करना चाहता हूं। मेरा दृढ़ विचार है कि उचित सलाह किए बिना अनुच्छेद 138(2) का हवाला देने का अभिप्राय, यह होगा कि देश में 20 वर्षों तक इस पर आन्दोलन और मुकदमेबाजी चलती रहे।···(**व्यवधान**)···

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत असन्तोषजनक बात है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसके विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे है।

4.35½ म०प०

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टीपालयम्) : प्रधान मन्त्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है वह अयोध्या मामले को स्थायी रूप से सुलझाने में असफल हो गए है अतः अखिल भारतीय अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम की ओर से हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

4.36 म०प०

इस समय श्री पी० जी० नारायणन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री जी को शायद याद होगा कि प्रधान मन्त्री जी से 18 नवम्बर को जब मेरी बातचीत हुई थी तो इसी विषय पर चर्चा हुई थी, जिस विषय पर आज विपक्ष के कई सदस्य प्रधान मन्त्री के बयान से नाराज होकर सदन त्याग कर चले गए और विडम्बना यह है कि उस समय मैं उनको कह रहा था कि आपको पूरा अधिकार है कि आप 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को रैफर कर दीजिए, जब कि प्रधान मंत्री जी मुझे समझा रहे थे कि 143 का कोई मतलब नहीं है। अगर 138 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार सहमति दे, तो ही इसका मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस समय खड़ा हुआ हूं इस विषय में प्रधान मन्त्री जी से पूछने के लिए कि देश भर में जितने संविधान के जानने वाले हैं, वे हमारे अयोध्या के दृष्टिकोण से सहमत हों या न हों, प्रायः सब ने कहा कि केन्द्रीय सरकार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकारों के खिलाफ धारा 356 का प्रयोग करके उनको बरखास्त करने का कोई अधिकार नहीं था, नैतिक दृष्टि से भी कोई अधिकार नहीं था। ···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन प्रधान मन्त्री जी के बयान से आज जो प्रतिध्वनि निकल रही है, वह मुझे 1975 का स्मरण कराती है, जब 1975 में यह दिखाई पड़ने लगा था कि साधारण कानून के अन्तर्गत शायद हमारी सरकार चली जाएगी, उसकी प्रतिध्वनि मझे सुनाई देती है।··(**व्यवधान**)···

इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि हम 6 महीने पूरे होने के बाद 6 महीने और बढ़ाएंगे या आप यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि जो कुछ हुआ, सही या गलत, लेकिन 6 महीने के अंदर-अंदर इन 4 राज्यों में जहां पर आज जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, हम फिर से वहां सरकार बनाने का प्रबंध करेंगे। क्या प्रधान मंत्री जी यह आश्वासन देने को तैयार हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : राज्यपालों से पूछ कर करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और राज्यपाल आपसे पूछ कर करेंगे, जैसे पहले आपसे पूछ कर उन्होंने रिपोर्ट दी थी, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या रिपोर्ट दें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसा नहीं है, आपको मालूम है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधान मंत्री जी, इस सवाल पर मैं उम्मीद करता हूं और आप इस मामले पर साहसपूर्वक कह दें कि ठीक है, उस समय जो कुछ हुआ, हमें उस समय उचित लगा, लेकिन 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव की वहां व्यवस्था कराएंगे। यह सब दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से और देश के राजनीतिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, इन चार राज्यों की दृष्टि से सही निर्णय होगा। इस बारे में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री इस समय राज्यपालों का सहारा ले रहे हैं।

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : राज्यपालों का सहारा नहीं ले रहा हूं। क्योंकि जब कभी जो कुछ कदम उठाया गया है राज्यपालों की सिफारिश पर ही कदम उठाया गया है। उनको छोड़ कर कभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मैं खड़े-खड़े इस सदन में यह आश्वासन दूं कि यह करूंगा, या नहीं करूंगा, यह कोई उचित बात नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इससे असन्तुष्ट हूं। हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

4.41 म०प०

इस समय श्री कृष्ण आडवाणी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। अभी इन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को रखा कि मैं माजरा से राय करने के बाद ही कोई निर्णय लूंगा। अयोध्या में जो विवादित जगह है, आर्टिकल 138 के तहत् राय लेने के लिए भेजना चाहेंगे या नहीं? डिसप्यूटिड जो जमीन है 143 के तहत् आप दे दीजिए। इसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि अभी किसान रैली हुई। डुंकेल प्रस्ताव के संबंध में भी देश में किसान बहुत भ्रम में पड़े हैं। डुंकेल प्रस्ताव के संबंध में इसमें कोई चर्चा नहीं हुई है, क्या इस पर आप विचार करना चाहेंगे?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं यह कहना चाहूंगा कि डुंकेल परपोजल पर इस बात की सावधानी हम लेंगे कि हमारे भारतीय किसान को कोई नुकसान न हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूं अथवा कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को पृथक रूप से प्रस्तुत करवाना चाहते हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, आप उन्हें एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा में मतदान के लिए सभी संशोधनों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा।

सभी संशोधन प्रस्तुत किए गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 22 फरवरी, 1993 को साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा आज की कार्यसूची की मद संख्या 7 पर विचार करेगी, सांविधिक संकल्प। श्री नीतीश कुमार।

4.45 म०प०

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश के निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प

और

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन

और अंतरण) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है।"

4.46 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस अध्यादेश को निरस्त करने के लिए अपना सांविधिक संकल्प इस आधार पर दिया है कि इनका जो बिल यहां आया है उसमें स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एंड रीजन्स या फाईनेनशियल मैमोरेंडम को देखने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आयी। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इस सदन में इस अध्यादेश को लाने की क्या जरूरत थी ? ऐसी कौन-सी अरजेंसी थी जिसके चलते इसको लाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बैंक के साथ इनकी कोई शर्त है जिसको पूरा करने के लिए इस अध्यादेश को ला रहे हैं। पावर प्रॉजेक्ट्स के लिए इनको वर्ल्ड बैंक से 1.6 बिलियन डालर का ऋण लेना है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इनका कान ऐंठा है जिसके लिए यह अध्यादेश जल्दी में ला रहे हैं। इसलिए इन्होंने यह नहीं देखा कि जो आर्डिनेंस ला रहे हैं, जो बिल इस सदन में लाए हैं, इससे क्या-क्या नुकसान होने वाले हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिर्फ तीन पावर जैनरेटिंग कम्पनियों के ट्रांसमिशन से संबंधित जितने असेट्स हैं, इनको एक्वायर करने के लिए यह बिल लाए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सैंट्रल सैक्टर में तीन कम्पनियां हैं और इसके अलावा और कम्पनियां भी हैं। इसके अलावा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अधीन पावर जैनरेटिंग यूनिट्स हैं। उन तमाम कम्पनियों के पॉवर जैनरेटिंग यूनिट्स ट्रांसमिशन का काम वैसे ही जारी रहेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि कैसे उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं ? आनन-फानन में कहीं-न-कहीं निश्चित रूप से कोई-न-कोई शर्त है जिसको पूरा करने के लिए यह काम करते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एन० टी० पी० सी०, एन० एच० पी० सी० निप्पो के अलावा न्युक्लियर पॉवर काम्पलैक्स, नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन, दामोदर घाटी पॉवर कारपोरेशन, टिहरी इलेक्ट्रिसिटी पॉवर प्रजिक्ट नात्थपा जाखड़ी प्रजिक्ट और भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड हैं······

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : क्या मैं कुछ कहूं, महोदय कि सभा में गणपूर्ति (कोरम) नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बज रही है ?

अब सभा में गणपूर्ति (कोरम) है। माननीय सदस्य, श्री नीतीश कुमार अपना वक्तव्य जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : क्या उपाध्यक्ष महोदय, बिना कोरम के हम बोल रहे थे, इसलिए हमें फिर शुरू से ही बोलना पड़ेगा।...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष जी, जिन तीन विद्युत् उत्पादन करने वाली कम्पनियों के ट्रांसमिशन से सम्बन्धित उनके असैट्स को लेने के लिए, उनका अधिग्रहण करने के लिए, आर्डिनैंस आया है, मैं बता रहा था कि उसमें केवल तीन ही कम्पनियों का जिक्र है—एन०टी०पी०सी०, एन०एच०पी०सी० और निप्का, लेकिन इनके अलावा भी जो दूसरी कम्पनियां हमारे देश में हैं, जैसे एन०टी०सी० है, एन०एल०सी० है, डी०एच०डी०सी० है, डी०वी०जी० है, एन०जे०पी०सी० है, बी०बी०एम०बी० है। इनके अलावा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के मातहत कई जैनरेटिंग कम्पनियां हैं और उनसे संबंधित जो ट्रांसमिशन सिस्टम हैं, उनके असैट्स को अधिग्रहण करने के लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, यहां दो तरह की स्थिति है, एक तरफ तो सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि जो नेशनल पावर ग्रिड बनाना है, नेशनल पावर ग्रिड कारपोरेशन के लिए, उसकी बेहतर फंक्शनिंग के लिए, यह जरूरी है कि ट्रांसमिशन सिस्टम उनके जिम्मे हो। तो नेशनल पॉवर ग्रिड कारपोरेशन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम अपने जिम्मे लेना चाहते हैं उसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए तो सिर्फ तीन कम्पनियों का मतलब नहीं है। जो ऐक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन्स हैं, वह सिर्फ इन्हीं तीन कम्पनियों के जिम्मे नहीं हैं। उसके अलावा जिन कम्पनियों का जिक्र हमने किया, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से संबंधित कई कम्पनियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपका ध्यान इस संबंध में समाचार पत्रों में छपे समाचारों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। अभी "फाइनेंशियल एक्सप्रैस" में 6 दिसम्बर, 1992 को खबर छपी—

'विश्व बैंक ने परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए एन०टी०पी०सी० पर दबाव डाला।'

[हिन्दी]

यानी ऊपर से दबाव है वर्ल्ड बैंक का इनको, और इनको यह धमकी दी गई कि 1.6 बिलियन डॉलर का जो ऋण है वह आपको नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। आप इनका जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स है, उसको पढ़िए तो बात साफ हो जाएगी। इसमें पैरा 3 में ये कहते हैं कि—

[अनुवाद]

"किन्तु उपरोक्त तीनों कम्पपियों के उक्त विद्युत शक्ति परेषण प्रणाली से संबंधित आस्तियों के स्वामित्व के पावर ग्रिड को अंतरण में विलम्ब ने दोनों आंतरित नगदी आगत तथा वाणिज्यिक उधारों के लिए बाजार में जाने, से उसके स्रोत संग्रह के प्रयासों को निर्बन्धित किया है।"

[हिन्दी]

ये उन्होंने खुद लिख दिया है। सीधे सवाल है कि इनको जो कर्ज बाहर से मिलने वाला था, उसमें अड़चल आने लगी इसलिए इस सवाल को इन्होंने आनन-फानन में ला दिया। इस पर कोई दिमाग लगाने का काम नहीं हुआ है। सोच समझ कर इसको करने का काम नहीं हुआ है। पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन को यह सारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे बुक वैल्यू पर। पहले तो केन्द्रीय सरकार लेगी इनका जो बिल है उसके हिसाब से। क्लॉज 3(1) के मुताबिक सेन्ट्रल गवर्नमेंट पहले लेगी और उसके बाद पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन को सब ट्रांसफर किया जाएगा। अब केन्द्रीय सरकार लेगी और दूसरी तरफ फाइनेंशियल मेमोरंडम है, इसमें ये लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी।

[अनुवाद]

"भारत की समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं है।"

[हिन्दी]

यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दो पॉइंट्स पर हमारा ऐतराज है। एक यह है कि बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर होगा। जो जनरेटिंग कंपनीज हैं, जिसने ऐसेट एक्वायर किया और समय बीतने के साथ उनके ऐसेट की कीमत बढ़ी, उसको ये आकलन नहीं करेंगे जो बुक वैल्यू है उसके आधार पर ये सीधे उसको एक्वायर कर लेंगे। कितना बड़ा अन्याय उन जनरेटिंग कंपनीज के साथ ये करने जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार जब पूरे ऐसेट उसके हाथ से लेगी और फिर इसको पॉवर ग्रिड में ट्रांसफर करेगी तो स्टांप ड्यूटी भी कोई चीज होती है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि कोई फंड इनवॉल्व नहीं है। पार्लियामेंट इनको खर्च करने का अधिकार देती है, उस पार्लियामेंट को भी ये अंधकार में रखना चाहते हैं। पूरे सदन से सबको अंधकार में रखकर काम करना चाहते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। स्टांप ड्यूटी भी रहेगी या नहीं, वह पैसा कहां से आएगा ? इन दो पॉइंट्स पर हम इनसे सफाई चाहेंगे। क्योंकि जो कुछ भी इनका है ऊपर से ढका हुआ है और कारपेट के नीचे सारी बातें छिपी हुई हैं। ऊपर से दिखता है कि बड़ा पुनीत काम करने के लिए चले हैं कि ट्रांसमिशन में दिक्कत होती है, एक बार जब नेशनल पॉवर ग्रिड बनाना है, जोनल ग्रिड बना दिया है, उसको इंटर लिंक करना है तो उसके लिए पॉवर सिस्टम मेरे हाथ में होना चाहिए, किसी आदमी को सीधे-सीधे ढग से इस बात को रखेंगे तो उसको लगेगा कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उसके पीछे इनकी मंशा क्या है। उसमें जो बयान दे रहे हैं उसमें घपला है, उसमें कितनी धोखाधड़ी है इस बात के सामने आने पर हम इसे इनसे सफाई चाहेंगे कि इन सवालों पर ये क्या सोच रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक मुश्त कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। क्या यह संवैधानिक है कि कर्मचारियों से कोई सहमति नहीं ली जाएगी कि वे इसमें जाना चाहते हैं या नहीं ? और सीधे उनका ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े हुए कामों में लगे हुए थे तो वहां से सीधे ये चले जाएंगे और

पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन के इंप्लॉई हो जाएंगे। ये नियम कानून सब बने हुए हैं। सारे कानूनों को छोड़कर ओवर राइडिंग बिल लाया गया है। इसमें क्लॉज ऐसी है कि जितने भी इस मामले में बने हुए कानून हैं, कोर्ट का जजमेंट है, ट्राइब्यूनल का जजमेंट है, उसको छोड़ते हुए ओवर राइडिंग इफेक्ट

5.00 म०प०

बना रहे हैं। सीधे कर्मचारियों की सेवा अपने जिम्मे कर लेंगे, तो यह भी एक बहुत बड़ा मजाक है उन एम्पलाईज के साथ। जो कोई कम्पनी में नौकरी करने जाता है, उसका पहले विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन में उस कंपनी की सेवा-शर्तें होती हैं उनके आधार पर नौकरी के लिए आदमी कंपनी में एप्लाई करता है और इंटरव्यू फेस करने के बाद उसको उस कंपनी में नौकरी मिलती है, तो वह मानकर चलता है कि जिन सेवा-शर्तों के आधार पर नौकरी मिली है, वे सेवा-शर्तें ही जीवन भर रहेंगी, लेकिन ये उनकी सेवा-शर्तों में भी बदली कर देंगे और उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। यह ऐसी बात होगी, जो अब तक कि बने-बनाए कानून हैं, कायदे हैं, उन सबका उल्लंघन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे काम को देखने के लिए एक सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। उसको सारे देश में बिजली के क्षेत्र में गाइड करने का, रूल्स बनाने का, क्वालिटी इम्प्रूव करने का, तरह-तरह के निर्देश देने का, प्लाण्ट लोड फैक्टर कम हो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, आदि ऐसी तमाम चीजों के, लिए देश के हर क्षेत्र के लिए, पूरे देश में निर्देश देने का काम है। अब आप उस सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बाई-पास कर रहे हैं। यह जो इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसके तहत भी, उसके साथ मिल कर के, धीरे-धीरे उसके मुताबिक आप काम कर सकते थे लेकिन वैसा आप नहीं कर रहे हैं। सी०ई०ए० के अन्दर ही आप नेशनल पॉवर ग्रिड को बना सकते थे, उसको मजबूत कर सकते थे, लेकिन नेशनल पॉवर ग्रिड को बनाकर उसको मजबूत करने की आपकी मंशा नहीं है। यही कारण है कि कई राज्य सरकारों ने तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हमें नेशनल पॉवर ग्रिड से अलग कर दिया जाए। अब इसमें कई प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन उसके संबंध में आपकी दृष्टि साफ नहीं है। एक बार दक्षिण में बिजली चली गई, उसको दुरूस्त करने में काफी देर लगी। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हमें नेशनल ग्रिड से अलग कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी पॉवर जनरेटिंग कम्पनीज हैं, राज्य सरकारों तथा उनके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों के साथ बैठकर बात करते, सी०ई०ए० का उसमें रोल होता, सबको मिलाकर, सबसे बात करके कोई रास्ता निकालते कि कैसे नैशनल ग्रिड को हम मजबूत कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो आनन-फानन में कर दिया। जब पहली बार मैंने नैशनल ग्रिड की बात सुनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। मैंने इसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक देश है, इसलिए पूरे देश के लिए एक नैशनल ग्रिड होना चाहिए ताकि कहीं बिजली की कमी हो तो वहां बिजली पहुंचाई जा सके। हम लोगों के दिमाग में यह ख्याल था कि यह बहुत अच्छा कंसैप्ट है। जब सामान्य रूप से मैंने इसके बारे में सुना कि ऐसा काम हो रहा है, तो मैंने समझा कि यह अच्छा

काम हो रहा है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सारी चीजों को पढ़ा, तो मुझे मालूम हुआ कि परदे के पीछे और कोई बात है। इनकी मंशा साफ नहीं है। अगर इनकी मंशा साफ होती तो सभी बिजली उत्पादक कम्पनियों, राज्य सरकारों एवं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सी०ई०ए० के साथ बैठकर बात करते और कोई रास्ता निकालते।

अब 3 कम्पनियों के जो असैट ले लेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा ? जो ई०एच०वी० ए०सी० लाइन्स हैं, वे क्या इन्हीं 3 कम्पनियों के जिम्मे हैं और जिन कम्पनियों का नाम मैंने गिना दिया, उसके नाम फिर से गिनाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल सैक्टर की जितनी कम्पनियां हैं, इनके अलावा सस्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मार्फत जितनी कम्पनियां हैं, उनके मारफत जितनी ई०एच० बी०ए०सी० लाइन्स हैं, अब उनको एक साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो कोई परपज सर्व नहीं होगा। उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, तो मेरा चार्ज है कि ऐसी बात नहीं है कि इसका दिल्ली की हुकूमत को या दिल्ली के हुक्मरानों को पता नहीं है या इनके विभाग के लोग नहीं जानते हैं। सब लोगों ने समय-समय पर इस बारे में अपना ऐतराज प्रकट किया है। यही नहीं एन०टी०पी०सी० हो या दूसरी कम्पनी हों, उनमें जितने काम करने वाले हैं, चाहे वे इंजीनियर हैं, चाहे वे एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने भी इस बात पर ऐतराज किया है, लेकिन सारे लोगों की बातों को नजर अंदाज करके, तुरत और तेजी के साथ, यहां बिल लाए और आर्डिनेंस प्रोमलगेट करवाया और इस सैशन में बिल लाए हैं, तो इसके पीछे इनकी मंशा नैशनल पॉवर ग्रिड बनाने की नहीं है, बल्कि इनकी मंशा वर्ल्ड बैंक को खुश करने की है, उनकी कंडीशनेलिटीज को पूरा करने की है और इसी आधार पर मैंने जिन बिंदुओं का संक्षेप में उल्लेख किया है, आज हाउस का मूड दूसरा था, अगर किसी दूसरे दिन यह सवाल आता, तो और विस्तार से मैं एक-एक चीज को आपके समक्ष रखकर खुलासा करता। लेकिन मैं आपके माध्यम से सोच रहा हूं कि मंत्री जी पर दया कर दी जाए, मैंने बातों को बिल्कुल सूत्र में रख दिया है और मैं समझता हूं कि ये एक-एक बात का जवाब देंगे। हम आग्रह करेंगे कि इस बिल को ये विदड्रा करें, इस आर्डीनैंस को लैप्स हो जाने दें और अगर सचमुच इनकी इच्छा है, बड़ी अच्छी चीज है, नेशनल पावर ग्रिड बनना चाहिए, इनके बिना बिजली की समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन मेरा इनसे आग्रह है कि इस बात को पूरे तौर पर सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ बातचीत करके, कम्पनियों के साथ बातचीत करके करें। यदि कोई सैन्ट्रल सैक्टर की कम्पनी है तो क्या इनकी गुलाम है ? इस सदन ने किसी एक्ट के तहत किसी को पावर दी है, कोई कम्पनी सदन के अधिकार के तहत बनती है और आपने समझ लिया कि सैन्ट्रल सैक्टर की कम्पनी है तो जैसे चाहें वैसे मरोड़ दें। एक तरफ ये बात करते हैं कि पब्लिक सैक्टर ठीक से काम नहीं करता और दूसरी तरफ जो पब्लिक सैक्टर काम करता है उसको नष्ट करने का काम करते हैं।

आज से बीस साल पहले दिल्ली के किसी इलाके की जमीन का क्या दाम है और आज क्या दाम है ? उस दाम पर कमपैनसैशन मिलना चाहिए। सरकारी कम्पनी है इस नाते क्या आप उनको उतनी कम कीमत देंगे ? उसमें यदि कोई खराबी आ जाए तो कहेंगे कि पब्लिक सैक्टर बुरी चीज है पब्लिक सैक्टर घृणा का पात्र हो गया। यही लोग यहां पर बैठे हैं, अब साल्वे साहब मंत्री बने हुए हैं।

पुराने जमाने में कांग्रेस में प्रोग्रैसिव कहलाते थे। जब इंदिरा जी जिन्दा थीं उस समय इनकी बोली कुछ और थी। आज जमाना बदल गया है, लोगों का विचार बदल जाता है। जैसा राज जाता है उस तरह से ये कांग्रेस के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक जमाना था जब किसी की हिम्मत नहीं थी कि पब्लिक सैक्टर के खिलाफ बोले। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि पब्लिक सैक्टर के पक्ष में बोलने की किसी की हम्मत नहीं है, उसे लगेगा कि पता नहीं कब नरसिंह राव जी हमको मंत्री मंडल से निकाल देंगे। क्या आप किसी की बुक वैल्यू पर जमीन ले लेंगे ? उसकी आज क्या कीमत है, उसके आधार पर आकलन होगा। जहां से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, उनका पावर ग्रिड स्टेशन, सब चीज रातों-रात ले रहे हैं, और उनको उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं, फिर हैं कि आप कहते अपना रिसोर्स मोबीलाईज कीजिए।

यही नहीं, अब बिजली बिकेगी तो कंज्यूमर को कितना घाटा होगा, हमको बता दीजिए। ट्रांसमिशन कार्पोरेशन वाले अपना अलग सरचार्ज लेंगे। जो रिश्ता था, एक जनरेटिंग यूनिट थी, वह जनरेट भी करती थी, ट्रांसमिशन भी करती थी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार की एजेंसियों के माध्यम से होता था और मिलाकर बिजली का रेट तय होता था, टैरिफ तय होता था। आज पावर ग्रिड बना है। इसको करेंगे, पहले कुछ दिन घाटा चलेगा, काम ठीक नहीं होगा। यह इनकी साजिश है।

मैं नैशनल ग्रिड का विरोधी नहीं हो सकता, इसके पीछे इनकी जो मंशा है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। ये लोग पहले ट्रांसमिशन के नाम पर सरचार्ज लगाएंगे, बाद में फिर कंज्यूमर पर बोझ पड़ेगा। इनकी इनएफीशैंसी का खामियाजा आम बिजली के कंज्यूमर को भुगतना पड़ेगा। बिजली का रेट बढ़ेगा और तब कहेंगे कि इनएफीशैंट हो गए।

मैं आज इस सदन में इस बात को रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि एक समय आएगा, ज्यादा दिन नहीं हैं, जब दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए लोग कहेंगे कि पावर ग्रिड तो फेल हो गया, इसको प्राईवेटाईज कर देना चाहिए। वह समय आएगा, ज्यादा जब बुक वेल्यू पर सारे ऐसेट कोई ले ले। एक समय आएगा, दिन नहीं हैं, जब वर्ल्ड बैंक के लोग, आई०एम०एफ० के लोग कहेंगे कि प्राईवेटाईज करो। तब इसको टाटा, बिरला, अम्बानी, गोएंका के लोगों को बुलाएंगे कि आइए, इसको चलाइए और तमाम प्रापर्टी थ्रो अवे प्राइस पर, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर देंगे। उस हालत में कम्पनी की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, लोगों ने जो मेहनत की है, उसके ऐसेट को एक प्रकार से छीन लेंगे, डाका डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में अपने बेटे को मारें तो हम पर मुकदमा नहीं चलेगा। अगर बेट को मारेंगे और उसके कारण वह घायल हो जाता है या और कुछ उसे हो जाता है तो उसके तहत मुकदमा चलेगा।

यह एक सरकारी कम्पनी है। आप डाका डाल कर, निर्वस्त्र उसको कर रहे हैं। आप उसकी सब चीजें छीन रहे हैं और आवरण को छीन रहे हैं। यह पूरी की पूरी आपकी साजिश है। कोई अच्छा काम आप कर नहीं सकते हैं। आप पब्लिक सेक्टर के खिलाफ होते जा रहे हैं और नया पब्लिक सेक्टर बनाने जा रहे हैं जिसके तहत उसको फेल करेंगे और जानबूझकर फेल करेंगे। तीसरा काम आप यह करेंगे कि उसकी पूरी की पूरी प्रापर्टी और तमाम चीजें प्राइवेटाइज कर देंगे। मतलब यह है कि 25 साल पहले की सम्पत्ति थ्रो अवे प्राइस पर टाटा गोयनका या पावर

सेक्टर में लगी कम्पनियां देसी या मल्टी-नेशनल कम्पनियों को सौंप देंगे । इसके द्वारा आप बाहर की कम्पनियों को इनवाइट कर रहे हैं । आप इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं । एक समय आयेगा जबकि आप कहेंगे कि हम इनवैस्ट नहीं कर सकते हैं, रुपया नहीं लगा सकते हैं । रुपया नहीं लगाने के नाम पर फिर विदेशी कम्पनियां आयेंगी लेकिन वे जेनरेशन के काम में नहीं आयेंगी । ट्रांसमिशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आयेगा । इसके पीछे आपकी मंशा खराब है, नीयत खराब है, उद्देश्य गलत है । इसलिए हमने इसका विरोध किया है । यह जो हमने चार्ज लगाया है, आरोप लगाया, वह बिल्कुल सही है । आप इस बिल को बिदड्रा करिए, आर्डिनेंस को लैप्स होने दीजिए और एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाइये । आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात करके, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथॉरिटी के तमाम लोगों की मीटिंग करके और उसके हिसाब से विशेषज्ञों की राय लेकर इस काम को करिये ।

पैसा होना जरूरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने ईमान को बेच दें, हम अपनी गैरत को बेच दें 11.6 मिलियन डालर, मतलब 160 करोड़ डालर, यह हम को न मिले लेकिन हम अपने देश में अपने हिसाब से चलायें हम अपनी नीतियों के हिसाब से चलें । हम विदेश के इशारे पर नहीं चलें । हम आपसे आग्रह करेंगे, हालांकि आग्रह करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप मन बना चुके हैं, इस देश को गिरवी रखने का दूसरे मुल्कों के हाथों में यानी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और वर्ल्ड बैंक के हाथ में और पश्चिमी शक्तियों के हाथों में । यहां से अब आप लौटने वाले नहीं है और आप कठपुतली हैं, लेकिन चूंकि सदन में आए हैं, इसलिए सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि इसको विदड्रा करिए और आर्डिनेंस को लैप्स होने दीजिए । एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल बाद में लाइये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सबसे यह अपील करता हूं कि मेरे इस स्टैट्यूटरी रैजोल्यूशन को स्वीकृत करें ।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बजायी जा रही है ।

[अनुवाद]

अब सभा में गणपूर्ति (कोरम) है । अब मैं माननीय मंत्री श्री एन०के०पी० साल्वे से अनुरोध करूंगा कि वे विधेयक प्रस्तुत करें ।

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : महोदय, मैं श्री नीतीश कुमार जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने बहुत अर्थपूर्ण वक्तव्य दिया है । वे काफी जानकारी रखते हैं ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, पाइण्ट ऑफ आर्डर । कंसीड्रेशन ऑफ मोशन और विधेयक दोनों इस प्रकार से साथ-साथ चलेंगे तो बाद में उत्तर देंगे या बीच में अभी उत्तर देंगे ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें विधेयक को विचार तथा पारित करवाने के लिए प्रस्तुत करना है।

[हिन्दी]

श्री एन० के०पी० साल्वे : बिल कंसीडरेशन के लिए तो मूव कर ही रहे हैं मगर इसके पहले थैंक्स देने में तो कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं।

"कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकल्प करने की दृष्टि से तीन कंपनियों के विद्युत शक्ति संचालन तंत्र के और भारत के विभिन्न भागों में स्थित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उन कंपनियों के अधिकार, हक और हितों के लोकहित में अर्जन और अंतरण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक बातों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, उन्होंने अध्यक्ष महोदय की अनुमति नहीं ली है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, उन्होंने अनुमति ली है।

श्री एन० पी० के० साल्वे : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह विधेयक नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन०टी०पी०सी०), नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन०एच०पी०सी०) और नार्थ इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन०ई०ई०पी० सी०ओ०) नामक तीन कम्पनियों की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों से संबंधित परिसंपत्तियों को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अर्जन और अन्तरण का प्रावधान करता है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल ट्रांसमिशन कारपोरेशन के नाम से जाना जाता था, की स्थापना—नेशनल पावर ग्रिड बनाने के पहले से लिए गए एक निर्णय के परिपेक्ष्य में—1989 में की गई थी। इसको स्थापित करने का दूसरा मुख्य प्रयोजन बेहतर समन्वय एवं कुशल-प्रचालन तथा केंद्रीय पारेषण प्रणालियों में आशान्वित उत्पादकता प्राप्त करने हेतु सभी केंद्रीय पारेषण प्रणालियों की आयोजना, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को एक ही केंन्द्रीय संगठन के एकीकृत नियंत्रणाधीन लाना रहा है।,

यह भी निर्णय लिया गया था कि एन०टी०पी०सी०, एन०एच०पी०सी० और एन० ई०ई०

पी०सी०ओ० नामक तीन कम्पनियों की शक्ति पारेषण प्रणालियों को इस कारपोरेशन को हस्तांतरित कर दिये जायें। विभिन्न औपचारिकता अपूर्ण रहते हुए, इन तीनों कम्पनियों की शक्ति पारेषण प्रणालियों के प्रबंधन को इस कार्य से सम्बद्ध कर्मचारियों सहित, जिन्हें कि स्थाई-समायोजन आधार स्थानांतरित कर लिया गया था, क्रमश: दिनांक 16-8-91, 19-11-91 तथा 14-11-91 को पावर ग्रिड द्वारा प्राप्त कर लिया गया था।

इन तीन कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का वास्तविक हस्तांतरण इन्हीं तीन तिथियों को हुआ था।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उनके संवर्ग (कैडर) निर्धारण के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह संविधान के विरुद्ध है, आप समस्त कर्मचारियों के समूह को स्थानान्तरित नहीं कर सकते हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : इस विधय पर बहस के पश्चात् गुण-दोष आधार पर मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का निपटान करना चाहूंगा। फिलहाल मैं विधेयक को केवल प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं स्वयं को इस विधेयक को पेश करने तक ही सीमित रख रहा हूं।

पहले जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है उन्हें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल को अनुमोदन से 30 नवम्बर, 1992 को एक विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था लेकिन इस पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका था।

परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण न करने के कारण पॉवर ग्रिड अपने आंतरिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पाया था और इस परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि एक अध्यादेश (1993 का संख्या 10) दिनांक 8-1-1993 के प्रख्यापन के द्वारा कथित विधेयक के उपबंधों को तुरंत लागू किया जाए।

चूंकि यह विधेयक सभा के समक्ष विचाराधीन था, अत: इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले संशोधन इस विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से तुरन्त कियान्वन बनाने की आवश्यकता से सम्बन्धित परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य सहित विधेयक के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।

इस विधेयक के पारित होने के बाद, निगम, परिसम्पत्तियों के विधित: अन्तरण से विदेशी ऋण के साथ-साथ संसाधनों को जुटा पायेगा और स्वतंत्र रूप से राजस्व वसूल कर सकेगा, जिसके परिणामस्वरूप उसका कार्य निष्पादन अधिक प्रभावशाली व सक्षम रहेगा ताकि लक्ष्यों और उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त कर सके।

इन टिप्पणियों के साथ मैं यह विधेयक सभा को सौंपता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-

ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकल्प करने की दृष्टि से तीन कंपनियों के विद्युत शक्ति संचालन तंत्र के और भारत के विभिन्न भागों में स्थित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उन कंपनियों के अधिकार, हक और हितों के लोकहित में अर्जन और अंतरण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक बातों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विचारार्थ प्रस्ताव में संशोधन किए गए हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक पर 26 जुलाई, 1993 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।" (14)

श्री अनिल बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक पर 2 जून, 1993 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।" (15)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक पर 4 जुलाई, 1993 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।" (15)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : आप हर चीज का समर्थन करते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : स्वाभाविक है।

माननीय विद्युत मंत्री ने इस नेशनल थर्मल पावर विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिसके अन्तर्गत आज यह विधेयक विचारार्थ हमारे समक्ष है। वास्तव में, इस विधेयक के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। अब यह एक ऐसी तकनीकी आवश्यकता है, एक ऐसी औपचारिकता है जिसे पूरा करना है। इसके अतिरिक्त, इसमें शामिल तीन निगमों के परिसम्पत्तियों का वस्तुतः अंतरण पहले ही हो चुका है। केवल इसे वैधानिक बनाना है। इसे लिखित रूप में दिया जाना चाहिए और इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः श्री नीतीश कुमार जी को कुछ संदेह है। संदेह व्यक्त करते हुए उन्होंने

पाया कि कोई गड़बड़ की बात भी है। व्यावहारिक तौर पर, उस ओर के कुछ मित्रों ने कुछ संदेहों को व्यक्त किया है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे देश में विद्युत पारेषण प्रणाली में सुधार हेतु हमें एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की आवश्यकता से हम दूर नहीं भाग सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में विद्युत की समस्या है और हमें विद्युत उत्पादन पर और जोर देना होगा। जब विद्युत का उत्पादन होता है तब विद्युत पारेषण के लिए एक सक्षम व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी सबको विदित है कि ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर उनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक विद्युत है और वे उनके द्वारा उत्पादित विद्युत का कुछ भाग दूसरे राज्यों को दे सकते हैं। ऐसे अतिरिक्त विद्युत को उन आवश्यक क्षेत्रों में भेजना चाहिए जहां विद्युत की बहुत कमी है। कुछ मामलों में इसमें भी अवरोध उत्पन्न किया गया क्योंकि कोई उपयुक्त पारेषण प्रणाली नहीं है।

मैं कह सकता हूं कि उड़ीसा के सम्बलपुर क्षेत्र में इस प्रकार की विद्युत की कमी थी। उड़ीसा उन गिने-चुने राज्यों में से एक है जहां पर विद्युत की बहुत कमी है। मध्य प्रदेश के कोरबा में एक विद्युत कॉम्पल्केस है। उस स्थान पर कई विद्युत संयत्र हैं एन०टी०पी०सी० विद्युत परियोजना तथा भारत सरकार की विद्युत परियोजना वहां पर मौजूद है मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास अपने विद्युत उत्पादन एकक हैं परन्तु इस लाइन की गड़बड़ी के कारण पारेषण में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार को विद्युत बेचना चाहती है और उड़ीसा सरकार विद्युत प्राप्त करना चाहती है। परन्तु यह मामला तय नहीं हो पाया। जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तब हमें जल क्षेत्र की बात भी करनी चाहिए। हमें राष्ट्रीय जल ग्रिड को अपनाना चाहिए।

श्री बी० धनंजय कुमार : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गणपूर्ति है। श्री पाणिग्रही अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमें केवल विद्युत क्षेत्र में ही एक राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड की आवश्यकता नहीं है बल्कि हम पुरजोर से राष्ट्रीय जल ग्रिड के होने की आवश्यकता पर बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ राज्यों में बाढ़ से परेशानी हो रही है और कुछ राज्यों में पानी की कमी की समस्या है अथवा सूखे की स्थिति है। अतः इसमें दो राय नहीं हैं कि हमारे पास जितनी जल्दी हो सके, बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली ऊर्जा ग्रिड होना चाहिए। कुछ समय से, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को स्थापित करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में प्रारम्भ में तीन निगम भारत सरकार के नियंत्रणाधीन आ रहे हैं, जो वस्तुतः, विधितः अपनी परिसंपत्तियों का अन्तरण करेंगे, अन्ततः यदि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व तथा पूर्वोत्तर के विद्युत ग्रिड के पांच मण्डलों में विभाजित, राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संपोषित पारेषण प्रणाली को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में विलयन करने से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

विद्युत अथवा ऊर्जा हमारी प्रगति और समृद्धि का द्वार है। विकास के लिए पर्याप्त ऊर्जा और पर्याप्त विद्युत का होना अत्यन्त आवश्यक है। यह खेदपूर्ण व दुःख की बात है कि हमारे पास पर्याप्त विद्युत नहीं है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि देश के कई भागों में बिजली में कटौती की जा रही है जिसकी वजह से बहुविध अथवा विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। जब बिजली नहीं होती है तो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते और कृषक अपने खेतों में पम्प नहीं चला सकते हैं। इसमें कई बातें हैं। लघु उद्योग क्षेत्र को भी हानि होती है। बेरोजगारी का प्रश्न उठता है।

इसलिए, हमें अपने देश में बिजली की आवश्यक मात्रा का उत्पादन करना चाहिए। परन्तु हमारे पास इसके लिए निधियां नहीं हैं। यह वास्तविकता है। हाल ही में हमने निजी क्षेत्र को बिजली उत्पादन क्षेत्र में आने का अधिकार देते हुए संसद में कोई विधि-व्यवस्था का अधिनियमन किया है। ये स्वागत करने योग्य लक्षण नहीं हैं परन्तु इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

5.38 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति बेल बजने दीजिए।

अब, सभा में गणपूर्ति है। श्री पाणिग्रही; अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, वर्ष 1947 में जब हमें आजादी मिली थी। हमारे देश में 1700 मे० वा० बिजली का उत्पादन किया जा रहा था और तब से इसमें अद्भुत वृद्धि हुई है। इस समय इसका आंकड़ा 69,000 मे० वॉट है। परन्तु यह भी आवश्यकता से कम है। हमें इससे अधिक बिजली की आवश्यकता है और वह भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार बिजली की खपत में हम आगे हैं और हम औसत से भी कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने की उत्सुकता में, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, यह स्वाभाविक है हमें देश के तथा विदेश के भी उद्यमकर्ताओं और उद्योगपतियों पर निर्भर रहना पड़ता है ताकि वे आयें और बिजली उत्पादन के लिए निवेश करें। जबकि सरकार राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के निर्माण के बारे में सोच रही है, उसे यह ध्यान में रखना होगा कि वे लोग निवेश करते समय किस तरह की शर्त रख रहे हैं।

महोदय, नीतीश कुमार जी ने निर्धारित मूल्य पर परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने पर आपत्ति उठाई थी। यदि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जाता है कि नई बिजली ग्रिड केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत होगी तब भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र को परिसम्पत्तियां सौंपने का प्रश्न उठता है। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि परिसम्पत्तियां राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार को अथवा भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र के एकक से दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के एकक को भी सौंपी जाती है

तो भी इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। परन्तु यदि ऐसे समय कुछ निजी उद्यमकर्त्ता इसके लिए आगे आते हैं अथवा किसी कारणवश उनको उस ग्रिड का अन्तरण करने के लिए किसी तरह का कोई लेन देन होता है तो यह स्वाभाविक बात है कि सरकार अलाभकारी स्थिति में होगी और निजी कंपनियां राष्ट्रीय हितों की कीमत पर लाभकारी स्थिति में रहेंगी। अत: इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरी यह राय है कि हमें निजी उद्यमकर्त्ताओं को बिजली क्षेत्र में प्रोत्साहन देना होगा परन्तु राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के रखरखाव के संबंध में उन पर कुछ नियंत्रण रखना पड़ेगा। उस प्रकार से हमारे देश में और एक अव्यवस्था का कारण पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियां हैं। अब यह हानि 22 प्रतिशत है जबकि यदि इसमें समुचित रूप से सुधार किया जाता है। यदि प्रभावशाली प्रणाली के माध्यम से इसका रखरखाव उचित ढंग से किया जाता है तो पारेषण और वितरण हानियों को कम किया जा सकता है। अब जापान और जर्मनी संबंधी 5 प्रतिशत अथवा 7 प्रतिशत हानि की अपेक्षा भारत में हानि 22 प्रतिशत है। एक मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लगभग 2 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होती है। अत: इस प्रक्रिया से हम हजारों करोड़ रुपये खो रहे हैं क्योंकि हमारे पास पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि सरकार को चाहिए कि वह खदानों और कोयला क्षेत्रों में बिजली घर स्थापित करने को प्रोत्साहन दें ताकि रेलभाड़ा, कोयले की परिवहन लागत और उससे सम्बन्धित समस्या का समाधान किया जा सके। हमें सम्पूर्ण देश में पारेषण लाइनों को समुचित व प्रभावशाली ढंग से निर्मित करके पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए। हमें इन बिजली संयंत्रों को कोयला खानों में तथा खदानों में स्थापित करने का आश्वासन देना चाहिए।

मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं। पहले ही वस्तुत: अन्तरण हो चुका है। वे हर मामले में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की ओर क्यों देख रहे हैं? चीन विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पीछे है। जनता दल का बिहार और उड़ीसा में शासन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हर दिन, हर पल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पीछे पड़े हुए हैं। वे देश-देश का दौरा करते हुए जर्मन, अमेरिका, लंदन के उद्योगपतियों, उद्यमकर्त्ताओं को इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि वे उड़ीसा आयें और बिजली संयंत्र व अन्य उद्योग स्थापित करें। आप जाइए और अपने प्रिय मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए। जब आप इस सभा पटल पर इन सभी बातों का विरोध करते हैं, तब आप भारत सरकार ने जो अच्छे उपाय किए हैं उन सबको भूल जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने टाटा को क्रोमाईड खान सौंप दिया है और क्रोम संयंत्र को बेच दिया है। हाल ही में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के कई मिलों को निजी क्षेत्र को दे दिया है। उन्होंने उड़ीसा में उद्योगपतियों का धूमधाम से स्वागत किया है। उन्होंने एक के बाद एक संयंत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को निजी हाथों में सौंप दिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुकुल वासनिक जी ने कोरम क्या इसलिए पूरा कराया कि आप ये बात करें। आप प्रेजीडेंट ऐड्रेस पर कुछ भी बोल सकते हैं। उस समय आपके जो मन में आए वह बोल सकते हैं। इस पर तो आप पावर ग्रिड की बात तक कनफाइन्ड रहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप हमारी बात का विरोध करने के लिए यह बोल रहे हैं। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

आप दो तरह की बात कर रहे हैं। आपका जनता दल दो तरह की बात कर रहा है। जहां तक इस मामले का संबंध है यह बहुत ही प्रासंगिक है। चीन और अन्य देश भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पीछे लगे हुए हैं। यह स्वीकार किया गया है और हर कोई जानता है कि हमें ऋण सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सबंध में क्या प्रतिबन्धता है ? दो वर्ष पहले भी वे आलोचना कर रहे थे कि, ऐसा करना हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व बैंक के हाथों सौंप देना है। क्या आप जानते हैं कि दो वर्षों में हमारी अर्थ-व्यवस्था की क्या स्थिति रही है ? आज हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था की क्या स्थिति है ? हम इतना अच्छा बजट हाल ही में प्रस्तुत कर सके हैं। श्री अनिल बसु जी, क्या मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या मैं आपके मुख्य मंत्री की बात करूं ?

श्री अनिल बसु : आपको कहना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अतः स्वाभाविक है कि मात्र आपत्ति करने के लिए आपत्ति और मात्र विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। परन्तु इसके साथ-साथ यह अच्छी बात है कि हमारे पास प्रभावशाली राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड होनी चाहिए और इसके लिए अब हमारे पास एक निगम है और कुछ प्राविधिकताएं, औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता है तथा यह विधेयक इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए हमारे समक्ष है। इसलिए इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि जो संदेह व्यक्त किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाय।

श्री अनिल बसु : आपने भी प्रतिबन्धताएं लगाई हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जी, नहीं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसोर) : उपाध्यक्ष जी, सदन में श्री नीतीश कुमार तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा इस अध्यादेश के निरनुमोदन का जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। ऐसा लगता है कि यह सरकार आजकल विश्व बैंक के हाथों का खिलौना बन गयी है, कठपुतली बन गयी है। जिस प्रकार विश्व बैंक हर मामले में अपनी शर्तें प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार, हर मामले में हम उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं।

यहां जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जिस प्रकार इस विधेयक के पूर्व अध्यादेश लाया गया, वह अध्यादेश भी उसी की परिणति है। इस सम्बन्ध में, मैं आपके सामने दो उद्धरण

प्रस्तुत करना चाहता हूं जो "फाइनेन्शयल एक्सप्रेस" समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे, उसी से उद्धृत करना चाहूंगा—

[अनुवाद]

विश्व बैंक ने एन० टी० पी० सी० को परिसम्पत्तियां अन्तरित करने के लिए मजबूर किया

"विश्व बैंक द्वारा ऊर्जा मन्त्रालय को नचाने का दूसरा उदाहरण प्रकाश में आया है। इस बार यह एक बार फिर से एम० एच० पी० सी, एन० टी० पी० सी० और एन० ई० ई० पी० सी० ओ० से परिसम्पत्तियों को विधित: 'पावर ग्रिड कारपोरेशन' को अन्तरित करने का मुद्दा है।

आई० डी० वी० आर० को दी गई वचनबद्धता के बाद ऊर्जा मन्त्री श्री कल्पनाथ राय ने संसद के दोनों सदनों में तीनों निगमों के कर्मचारियों की असंतुष्टि के बावजूद भी प्रस्तुत किया।

प्रस्तावित विधान इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह ऊर्जा सचिव श्री आर० वासुदेवन द्वारा विश्व बैंक के भारतीय मामलों के विभाग के निदेशक श्री हीन्ज वर्गिन को दिनांक 7 अक्तूबर को लिखे गए पत्र के परिणामस्वरूप आया है। यह पत्र उन्होंने समय-समय किए जाने वाले प्रबन्ध के अन्तर्गत एन० टी० पी० सी० ऊर्जा उत्पादन के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की ऋण राशि मंजूर करने के लिए आई० वी० आर० डी० द्वारा थोपी गई शर्तों के सम्बन्ध में लिखा था।

विश्व बैंक मिशन ने अपनी अन्तिम यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि एन० टी० पी० सी० को मन्त्रालय में कोई भी ऋण मंजूर करने के लिए पारेषण परिसम्पत्तियों का अन्तरण करना एक पूर्व शर्त थी।"

[हिन्दी]

इससे सिद्ध होता है कि वर्ल्ड बैंक ने पहले से ही आपसे इस प्रकार की शर्तें लगायी थीं, जिनका विवरण 6 दिसम्बर, 1992 के फाइनेन्शयल एक्सप्रेस में दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने पहले से ही यह तय कर दिया था कि आपको तभी ऋण स्वीकार किया जाएगा जबकि आप हमारी शर्तें मानेंगे। यह ठीक है कि इन तीनों ग्रिड्स का सिस्टम अलग-अलग है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप तीनों को मिलाकर एक ग्रिड करें तमाम एसेंट्स का निर्णय लें। इसीलिए आप यह विधेयक सदन के सामने लाये हैं। उन्होंने यह भी आपको कहा कि इन तीनों के असैट्स भी एक साथ कर दें, अन्यथा आपको ऋण नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा वर्ल्ड बैंक को, हमारे पावर सैक्रेटरी, श्री वासुदेवन ने यहां से जिस प्रकार सूचित किया, उसी के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हों तो हम आपको ऋण देंगे।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार किस दिशा मे जा रही है। यहां केवल ऋण या आयात का ही प्रश्न नहीं है, विश्व बैंक के लोन का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सरकार दूसरे मामलों में भी वह किधर जा रही है जो कुछ करने जा रही है, उससे हमें दिखायी देता है कि 20 लाख टन खाद्यान्न के आयात का प्रश्न हो चाहे आयात शुल्क के अन्दर किसी प्रकार की कमी का प्रश्न हो या दूसरी आयातित वस्तुओं को लेकर, छूट की स्थिति हो जिस प्रकार स्वदेशी उद्योग को धक्का पहुंचाने का काम हो रहा है, उससे यही आभास मिलता है कि यह सरकार विश्व बैंक को प्रसन्न करने में लगी है।

सरकार इन सारे मामलों में, जिस तरह की बातें कर रही है, मैं यहां एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो कुछ वर्ल्ड बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक यह भी बताता है कि आपके यहां जिस प्रकार का मिसमैनेजमैंट चल रहा है, उसके बारे में 21 दिसम्बर के इकोनौमिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"देश में ऊर्जा क्षेत्र के सम्बन्ध में एक अत्यन्त कटु आरोप में विश्व बैंक ने राज्य बिजली बोर्डों राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऊर्जा वित्त निगम और केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण को घोर कुप्रबंधन के लिए दोषी ठहराया है।"

[हिन्दी]

अब मैं यह समझता हूं कि हमारे अपने घरेलू कार्यक्रमों में इस प्रकार की दखलंदाजी विश्व बैंक की ओर उनके कहे अनुसार, या उनकी सहमति पर हम कोई काम करें, तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस अध्यादेश के निरनुमोदन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाया है, उसका समर्थन करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता है। सरकार की भूमिका ही ऐसी है। यह उससे स्पष्ट है और उस समय की जो सारी कार्रवाई है उससे भी स्पष्ट है। यहां आप तीन कारपोरेशनों को मिलाकर एक ग्रिड सिस्टम की व्यवस्था करने जा रहे हैं, लेकिन इससे कितना लाभ होगा, इसके बारे में जैसा कि अभी बताया गया एक तो असहमति दर्ज की है कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, उसके बारे में क्या फैसला है? तमिलनाडु ने साफ कहा है कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, हमारी असहमति है क्योंकि हमारी अपनी व्यवस्था ठीक चल रही है। "तमिलनाडु में अरप्ट आउट ऑफ पॉवर ग्रिड" यह 5-1-1993 के समाचार पत्र ने लिखा है। मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"तमिलनाडु पॉवर ग्रिड से अलग हो सकता है"

इसमें कहा गया है कि :

"कल रात कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ केरल राज्य के अन्धेरे में डूब जाने की घटना के बाद तमिलनाडु बिजली बोर्ड तमिलनाडु को दक्षिणी पॉवर ग्रिड से अलग करने की अपनी मांग को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रहा है।"

[हिन्दी]

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में इसको लाया गया, इसको लाने का क्या कारण था, इस अध्यादेश को लाने का क्या कारण था और इस बिल को एक समेकित बिल के रूप में लाना चाहिए, एक काम्प्रीहेंसिव बिल के रूप में लाना चाहिए था, जिसको न ला करके जल्दबाजी में इस प्रकार का बिल क्यों लाया गया ? जिन 3 कम्पनियों का नाम पहली अनुसूची में दिया गया है—उनमें नैशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लि० कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित कम्पनी है और रजिस्टर्ड कम्पनी है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय-स्कोप कॉम्पलैक्स, लोदी रोड नई दिल्ली में है, दूसरी नैशनल हाइड्रो पॉवर कारपोरेशन लि० कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा के अन्तर्गत निगमित एवं रजिस्ट्रीकृत है जिसका कार्यालय भी नई दिल्ली में है और तीसरा नॉर्थ इस्ट इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन है जो अधिनियम 1956 के अधीन निगमित एवं रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय शिलांग में है, इन तीनों कम्पनियों को मिलाकर के एक नयी कम्पनी और जैसा कि सम्माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जब एक नैशनल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसको एक तरफ करके, उसको अनदेखा करके, वह सारी व्यवस्थाओं को कर रही थी और सारी व्यवस्थाएं जुटा रही थी, वह निश्चित रूप से जो अलग-अलग जो तीन पॉवर कम्पनियां हैं, वे भी अपने में समक्ष हो करके काम करने का प्रयत्न कर रही थीं, यह बात अलग है कि किसी प्रकार कहीं कोई गड़बड़ हो और ब्लैक-आउट हो जाए, ऐसी स्थिति छोड़कर वे अपना काम ठीक कर रही थीं, तो आवश्यकता इस बात की थी कि विद्युत मन्त्री महोदय सदन को इस बात की जानकारी देते कि विद्युत की जो कमी है, उसको दूर करने के बारे में क्या कर रहे हैं ? आज उत्तर प्रदेश बिजली की कमी के कारण किसान कष्ट भुगत रहा है ? मध्यप्रदेश के अन्दर संकट क्यों है ? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित कारखाने की मांग की गई है उसको गैस सप्लाई क्यों नहीं की जा रही है ? कर्नाटक के अन्दर इसी प्रकार से बनने वाला जो विद्युत संयंत्र है, उसकी स्थापना के अन्दर विलम्ब क्यों हो रहा है ? ये ऐसी कुछ बातें हैं, कारण हैं जिनके ऊपर प्रकाश मन्त्री महोदय ने नहीं डाला।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर विद्युत का संकट क्यों है ? उनकी सरकार ने जिस प्रकार के आश्वासन दिए थे, राज्य सरकारों ने विद्युत की कमी को दूर करने के बारे में जो प्रस्ताव दिए थे, उनके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने अपने प्रस्तावित भाषण को करते समय कोई प्रकाश नहीं डाला। इन सबसे कोई व्यवस्था सुधर जाएगी अथवा व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है।

विभिन्न स्टेट्स के जो इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड हैं या विद्युत मण्डल हैं उनकी व्यवस्था किस कार से ठीक हो, इस चीज को छोड़ करके यदि आप एक नया गठन कर लेते हैं, और एक नयी कंपनी बना लेते हैं और यदि उसी प्रकार से उनकी दशा में कोई सुधार नहीं होगा, राज्यों के विद्युत मण्डलों की वही अव्यवस्था रही, तो कुल मिला करके इस प्रकार की कम्पनी का कितना लाभ पहुंच पाएगा, इस नैशनल ग्रिड को बनाने के बाद भी, इसके बारे में आपने कोई स्पष्ट बात नहीं कही है। नदीपुर थर्मल पॉवर प्लांट जो मेंगलोर का प्लांट है उसको आपने पैसा नहीं दिया। वह नया प्लांट था। उसके लिए जमीन अधिगृहीत हो चुकी थी। ग्वालियर के पास, मध्य प्रदेश में

भांडेर के पास में गैस आधारित विद्युत संयंत्र या कारखाने की बात थी, वहां आपने कारखाना नहीं दिया। मध्य प्रदेश में तो जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय उसने कहा था कि यदि आप हमको पैसा नहीं दे सकते हैं, केन्द्रीय सरकार हमको पैसा नहीं दे सकती है, तो आप हमको कहिए हम बाहर से किसी व्यक्ति को, निजी सेक्टर को, इस विद्युत उत्पादन के काम सौंपें ताकि वहां विद्युत का उत्पादन ठीक हो सके, लेकिन वह भी आपने नहीं किया। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहूं गा कि इस प्रकार से जहां हमारी विद्युत की आपूर्ति की दशा ठीक होनी चाहिए या राज्यों के विद्युत मण्डलों की दशा सुधरनी चाहिए उसके लिए केन्द्रीय विद्युत अथॉरिटी को सक्षम बनाने की आवश्यकता थी, वैसा न करके आपने इस व्यवस्था को और बिगाड़ने और उलझाने का प्रयत्न किया है और जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया है कि इसके पीछे सीधा-सीधा विश्व बैंक का दबाव है और जैसे मैंने निवेदन किया, सरकार जो काम कर रही है वह वर्ल्ड बैंक के दबाव के अन्दर कर रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पांडेय जी, आपको कितना समय चाहिए ?

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अभी समय लगेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोल सकते हैं।

6.00 बजे प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 12 मार्च, 1993/11 फाल्गुन, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक सन्मौलिक मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर दिल्ली-53